खण्ड-405, अंक-5
शुक्रवार, 21 चैत्र, शक संवत् 1914
(10 अप्रैल, 1992 ई0)

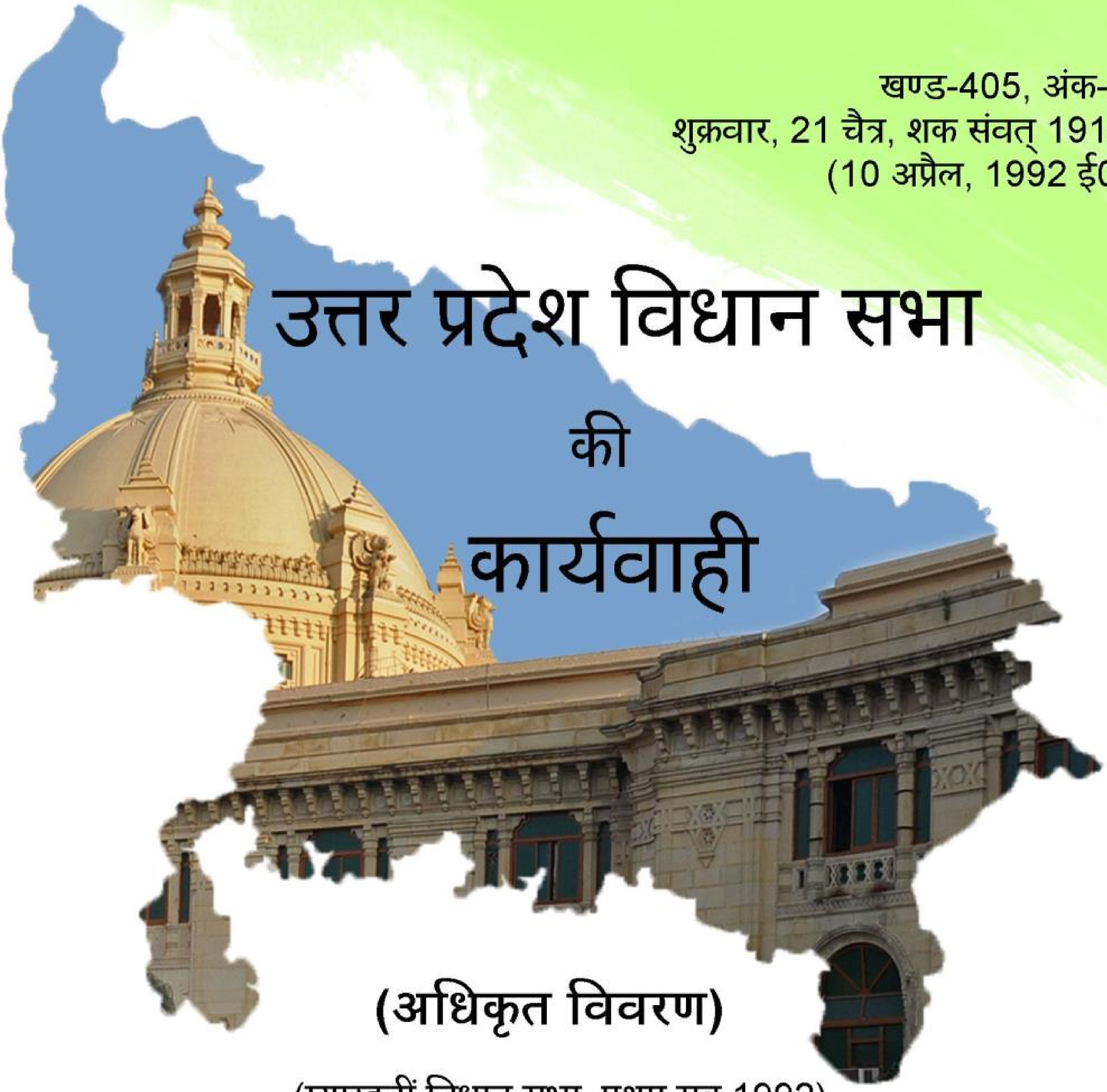

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 405 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-104
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	104
एस० एम० आई० मुरादाबाद द्वारा अस्वीकृत खाद्य पदार्थ जनता में वितरित कराने से मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद मथुरा में मांठ ब्रांच कैनाल व रजबहों की सफाई न कराने से सिंचाई जल के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद देवरिया की सलेमपुर तहसील में नहर व नलकूपों की कमी से सिंचन में असुविधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105-106
हापुड़ नगर में हड्डी मिल व सरेस फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
बदायूं के बिलसी बाईपास के बिजली उपस्थान के सामने नाले का निर्माण नाबालिग ठेकेदार के नाम से फर्जी कराकर बिलसी नगरपालिका को लाखों की क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
जनपद खीरी के निघासन में गन्ना समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों के असहयोग से किसानों को गन्ना सप्लाई में कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106-107
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम, गोरखपुर द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	107
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	108
प्रथम सत्र 1992 के 5वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं० 126 के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	108
प्रथम सत्र 1992 के छठे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या–1 को गोपनीयता के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	108-112
प्रथम सत्र 1992 के छठे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या–16 का स्पष्ट उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	112-114

विषय	पृष्ठ-संख्या
अमेठी सुल्तानपुर के ग्राम डींगरपुर की घटना के बारे में नियम 51 की सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	114-116
प्रथम सत्र 1991 के दूसरे मंगलवार के अता० प्रश्न संख्या–64 एवं प्रथम सत्र 1992 के पहले सोमवार के अता० प्रश्न संख्या–195 के उत्तर के बारे में औचित्य का प्रश्न	116-117
8 अप्रैल, 1992 के नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	117-121
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के बारे में विभिन्न प्रश्नों के विरोधात्मक उत्तर दिये जाने के बारे में औचित्य का प्रश्न	121-122
तहसील सदर, मुरादाबाद के ग्रामों को रामगंगा नदी के कटाव से न बचाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	122-124
प्रथम सत्र 1992 के चौथे शुक्रवार के अता० प्रश्न संख्या–3 एवं 128 के उत्तरों में अन्तर होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	124-125
जनपद आगरा की जय श्री प्लास्टिक फैक्ट्री में विजिलेंस द्वारा पकड़ी गयी विद्युत चोरी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	125-128
औचित्य के प्रश्न की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	128-129
अखिल भारतीय शिव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कतिपय रामभक्तों को गिरफ्तार करके जेल में बन्द किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	129-135
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचना	135-143
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	143-185
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	185
देवरिया की छोटी गण्डक, गोरखपुर के फरेन्दा नाला एवं बस्ती की आमी नदी में फैक्ट्रियों द्वारा जहरीला पानी छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र प्रताप, देवरिया, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	186-187
उत्तर प्रदेश विधान सभा में मा० सदस्य विधान सभा श्री पवन कुमार पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत नियम-51 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य ...	187-188

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गम्भीर अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले कृषकों को पहुंचने वाली भारी क्षति के सम्बन्ध में श्री मारकण्डेय चन्द्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अधीन दी गयी सूचना पर वक्तव्य	188-192
जनपद आजमगढ़ के परगना अतरौलिया के अन्तर्गत गोहनापुर अदालत पंचायत में छः ग्राम सभाओं में दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	192
प्रदेश में आलू उत्पादकों के आलू के उचित भण्डारण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन	192
उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल, अकबरपुर, फैजाबाद की गैर कानूनी तालाबन्दी समाप्त न किये जाने सम्बन्धी सूचना पर निर्धारित चर्चा व्यपगत ...	192
नत्थियां	193-197

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बिहार विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह		नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	प्रमोद कुमार, श्री	पीलीभीत
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	वंशीधर राज, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ	बाबू खां, श्री	हरदोई
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बाबूराम एम० काम०, श्री	जालौन
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली	बालचन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	बृजभान यादव, डा०	इलाहाबाद
उम्मेद सिंह, श्री	आगरा	भरत सिंह, श्री	बलिया
ऊदल, श्री	वाराणसी	भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर	भागीरथी, श्री	इलाहाबाद
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली	मदन भैया, श्री	मेरठ
कमलेश कुमार, श्री	गोण्डा	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
कुंवर रेवती रमण सिंह		यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
उर्फ मणि जी, श्री	इलाहाबाद	योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
कैलाश नाथ सिंह यादव श्री	वाराणसी	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
घुरहू, श्री	बलिया	रमेश चन्द्र द्विवेदी, श्री	बांदा
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	रमेश बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
चरन सिंह, श्री	मेरठ	राकेश सोनकर, श्री	कानपुर नगर
जगदीश मुनि आचार्य, श्री	हरिद्वार	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
जी० एस० विनोद, डा०	मुजफ्फरनगर	राम कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर खीरी	राम चरित्तर, श्री	बस्ती
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राम प्रसाद सिंह, श्री	बांदा	श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली	सन्त श्री राम द्विवेदी, श्री	फैजाबाद
लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद	सुखबीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
लालजी वर्मा, श्री	फैजाबाद	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया	सुरेश प्रताप गांधी, श्री	अलीगढ़
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने नियम–311 में सूचना दी है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आज कानून व्यवस्था की जो स्थिति है विधान सभा से 100 मीटर की दूरी पर जो कानून व्यवस्था है उससे विधायकों की जान का खतरा बढ़ गया है । श्रीमन्, सत्तापक्ष के नेतृत्व में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है उससे पूरे प्रदेश की जनता में रोष व्याप्त है । हमने नियम–311 में नोटिस दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिस सूचना को मुझे लेना है उसको मैं सुन लूंगा ।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 तथा 2 पुकारे जाने पर मा० सदस्य उपस्थित नहीं थे)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 में रुचि है मान्यवर, यह नियमों में है कि 11.00 बजे से 11.20 तक अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । मान्यवर, आप नियम देख लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको अभी नहीं ले रहा हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

नहीं श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष–

कभी हां श्रीमन् भी तो कहा करिये ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियमों में देखें पहले 20 मिनट अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या के लिये है । एक घंटा तारांकित प्रश्न संख्या के लिये है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसको सुन लें, मैं हां श्रीमन् कह रहा हूं ।

(हंसी)

श्री नरेश अग्रवाल–

आप मान्यवर, नियम 29 देख लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 31 देखें इसमें है प्रत्येक उपवेशन का पहला एक घंटा और बीस मिनट का समय प्रश्नों के पूछने और उनका उत्तर देने के लिये उपलब्ध रहेगा जिसमें, सर्वप्रथम अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे, तदुपरान्त नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न लिये जायेंगे । तदुपरान्त तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे तथा अन्त में अतारांकित प्रश्न लिये गये समझे जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रदेश में जो डेलीवेजेज कर्मचारी नगरपालिका में रखे गये हैं । उसके विषय में यह प्रश्न है। तो अगर माननीय सदस्य नहीं हैं और किसी माननीय सदस्य की रुचि है तो इसको सुन लें ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्थानीय निकायों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने की मांग एवं रोजगार देने हेतु शासन की नीति की जानकारी

**1–श्री सुरेश प्रताप गांधी (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्थानीय निकायों में रिक्त पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तत्कालीन प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिये जाने तथा रिक्त पदों को न भरे जाने के निर्देश शासन ने दिये हैं ? स्थानीय निकायों में रिक्त स्थानों पर कार्यहित में नियुक्तियां किये जाने तथा निकाले गये कर्मचारियों को रोजगार देने हेतु शासन की क्या नीति है ?

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

(क) जी नहीं ।

(ख) स्थानीय निकायों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां संबंधित सेवा नियमावलियों में उपलब्ध प्रक्रिया के अन्तर्गत की जाती हैं । किसी नियमित कर्मचारी को सेवा से नहीं निकाला गया है, अतः रोजगार देने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु शासन की नीति

**2–श्री खालिद गौरी (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री (बेसिक) बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों को स्थाई अथवा अस्थाई मान्यता प्रदान किये जाने के बारे में शासन की क्या नीति है ?

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

प्रदेश के जू० हाईस्कूलों की ''अ'' तथा ''ब'' श्रेणी की मान्यता शासनादेश संख्या–937/15-6-90/18 एस (7)/89. दिनांक 2-7-90 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा प्रदान की जाती है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद लखनऊ के अहिबरनपुर, मौसमबाग, त्रिवेणीनगर आदि मुहल्लों में जलापूर्ति की समस्या

*1–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के अहिबरनपुर, मौसमबाग, त्रिवेणीनगर आदि मुहल्लों को पानी की आपूर्ति खदरा में बनी टंकी से की जाती है जिससे इन मुहल्लों की दूरी अधिक होने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और यहां के नागरिकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या अहिबरनपुर में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं । पानी की टंकी इतनी दूरी पर नहीं है कि जिससे पेयजल की आपूर्ति में कठिनाई हो ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पेयजल की स्थिति में सुधार हेतु इसी ग्रीष्म ऋतु में सीतापुर रोड त्रिवेणीनगर में नये नलकूप का निर्माण कराने की योजना है ।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, पानी की समस्या हर बार गर्मी में लखनऊ में होती है । मान्यवर, वहां पानी की दो टंकियां हैं एक तो कभी पूरी भरती नहीं है दूसरी कम भरती है । जब टंकी में पानी ही नहीं जाता हैं तो वहां के निवासियों को पानी कैसे मिलेगा ? पहला प्रश्न यह है कि टंकी को भरने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करायी जायगी ? आपने कहा है कि ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था की जा रही है । मई-जून के बाद लगेगी तो उसका औचित्य नहीं है क्योंकि पानी की समस्या मई-जून में ही अधिक होती है । यहां के निवासियों को मई-जून में पानी मिल सके इसके लिये क्या व्यवस्था की जायगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, त्वरित पेयजल व्यवस्था हेतु संबंधित क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था की गयी है। इसके लिये संसाधन उपलब्ध हैं और अतिशीघ्र कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा दो महीने में ट्यूबवेल चालू हो जायेगा।

*2–श्री स्वामी नाथ यादव, श्री श्याम लाल रावत तथा श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

[मा० सदस्यों द्वारा वापस लिया गया]

स्वास्थ्य विभाग के मुख्य लिपिक प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों पर आरक्षण पूर्ण किये जाने की मांग

*3-श्री चरन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में मुख्य लिपिक प्रथम तथा द्वितीय के कुल कितने पद हैं तथा इनमें से कितने आरक्षित वर्ग में आते हैं ? क्या आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो इसके पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? सरकार इन्हें कब तक पूर्ण करा देगी ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

स्वास्थ्य विभाग में मुख्य लिपिक (प्रथम) के 31 तथा मुख्य लिपिक (द्वितीय) के 78 पद हैं और इनमें से कुल 21 पद आरक्षित वर्ग में आते हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला सहकारी बैंक, वाराणसी द्वारा सहकारी शीतगृह राजातालाब वाराणसी को वर्ष 1990-91 में दिये ऋण से आलू भण्डारण में हुए घपले की सी० आई० डी० जांच में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*1–श्री ऊदल (अनुपस्थित)–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, वाराणसी ने सहकारी शीतगृह राजातालाब, वाराणसी को वर्ष 90-91 में 18 लाख रु० की धनराशि आलू खरीद करने के लिये दी थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वर्ष 90-91 में आलू की खरीद नहीं की गयी और फर्जी खरीद दिखाकर आलू को शीतगृह में रखा दिखाया गया तथा बाद में लिख दिया गया कि रखा हुआ 18 लाख रु० का आलू सड़ गया ? क्या सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० से कराने की कृपा करेगी और सहकारी समिति शीतगृह राजा तालाब व जिला सहकारी बैंक वाराणसी के खिलाफ कार्यवाही कर रुपया वसूल करेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)–

जी नहीं। आलू भण्डारण सत्र, 1990 में जिला सहकारी बैंक वाराणसी द्वारा रु० 14,98,273 मात्र का ऋण दिया गया।

जी नहीं। उपर्युक्त आलू भण्डारण सत्र में शीत गृह द्वारा 2654.62 कुन्तल आलू जिसका मूल्य रु० 2,49,532.40 था, की सीधी खरीद की गयी, जिसमें से 301.62 कुन्तल आलू जिसका मूल्य

रु० 37,702.50 होता है, सड़ा दिखाया गया । जिला सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से 20003 कुन्तल आलू जिसका मूल्य रु० 25,04,416.00 होता है, का मिथ्या प्रमाण पत्र दिया गया ।

विभागीय जांच के परिणाम स्वरूप सहकारी शीतगृह राजातालाब तथा जिला सहकारी बैंक, वाराणसी के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है, जिसकी विवेचना पुलिस अनुसंधान शाखा सहकारिता करेगी । दोषी व्यक्तियों से वसूली की भी कार्यवाही की जायेगी ।

[शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

उत्तर प्रदेश नगरपालिकाओं के लिपिक संवर्ग की सेवाओं के केन्द्रीयकरण के कथित प्रस्ताव की जानकारी

*2–श्री सुरेश प्रताप गांधी (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरपालिकाओं के लिपिक संवर्ग की सेवाओं के केन्द्रीयकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन सेवाओं का केन्द्रीयकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक कर्मचारी विनियमावली के अनुसार विश्व बैंक परियोजना के कर्मचारियों का विनियमितीकरण किये जाने की मांग

*3–श्री निर्वेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन, उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० के कार्य एवं व्यवस्था हेतु अलग से कोई पंजीकरण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन के लाभ-हानि खाते एवं संतुलन पत्र का विलीनीकरण, शीर्ष सहकारी बैंक के संतुलन पत्र में अन्य शाखाओं की भांति किया जाता है ? यदि हां, तो परियोजना में विगत 1979 से लगातार कार्यरत पूर्णकालिक कर्मचारियों का विनियमितीकरण शासनादेश सं०–3124/12सी-2-151 (5)-83, दि० 30-7-85 एवं शासनादेश सं०–3170/12 सी-2-600 (159)/89, दि० 26-7-90 के अन्तर्गत क्यों नहीं किया गया ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं ।

विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन के लाभ-हानि खाते एवं संतुलन-पत्र को बैंक के संतुलन-पत्र में समायोजन किया तो जाता है किन्तु बैंक की अन्य शाखाओं के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से भिन्न है ।

शासनादेश संख्या 3124/12 सी-2-151 (5)-83, दि० 30-7-85 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा लागू की गयी संशोधित विनियमावली में केवल उ० प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों पर सहकारी संस्थाओं में तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण किये जाने का प्राविधान है तथापि उक्त विनियमावली में विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन के कर्मचारियों के विषय में पृथक से कोई उल्लेख नहीं है ।

उक्त संदर्भित संशोधित विनियमावली के विनियम सं०–1(1) एवं 4-(1) के प्राविधानों एवं उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक कर्मचारी सेवा नियमावली 1981 के नियम संख्या 3ए (vi) में परिभाषित कर्मचारी की श्रेणी में विश्व बैंक परियोजना के कर्मचारी नहीं आते हैं । अतः विश्व बैंक परियोजना के कर्मचारी उपरोक्त शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों के अधीन विनियमितीकरण हेतु पात्र नहीं है ।

*4–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद बांदा की मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना को प्रारम्भ किये जाने की मांग

*5–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत खाईपार बांदा के शेष भाग का निर्माण कार्य कई वर्षों से प्रस्तावित पड़ा है जिसे प्रारम्भ करवा कर पूरा न किया जाने के क्या कारण हैं ? योजना के प्रारम्भ न करवाने हेतु दोषी कौन है ? इस योजना को प्रारम्भ कर कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि कार्य नहीं करवाया जायेगा, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां । मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत खाईपार सहित पांच मलिन बस्तियों के सुधार हेतु वर्ष 1987-88 में प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था और रु० 8,00,000 की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी उक्त धनराशि से योजना में शामिल निम्मीपार एवं पोण्डाबाग मलिन बस्तियों में कार्य कराया गया । उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी, तभी प्रश्नगत बस्ती सहित योजना की अन्य बस्तियों में कार्य कराया जा सकेगा ।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने तथा इसके प्रेषण में हुए विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

पूर्व में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना सम्भव होगा, तभी प्रश्नगत क्षेत्र में कार्य कराना भी सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि निम्मीपार और पोण्डाबाग, दो बस्तियों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक हो जायेगा । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र मिल जाने के कितने दिन बाद काम शुरू होगा और उपयोगिता प्रमाण-पत्र कितने दिनों के अन्दर मिल जाना चाहिए ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, उपयोगिता प्रमाण-पत्र मिल जाने के तुरन्त बाद ही धनराशि उपलब्ध करा दी जायगी और कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा । जिलाधिकारी के प्रयास से समय बढ़ाया गया है और फरवरी, 92 में हमने पुनः रिमाइंड कराया है । 5 लाख का कार्य हो चुका है । 3 लाख का कार्य होना अवशेष है । अभी आगे की धनराशि देने में असमर्थ हैं । जैसे ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र आयेगा हम धनराशि उपलब्ध करा देंगे और कार्य हो सकेगा ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

धनराशि कब तक उपलब्ध करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

कहा तो है कि जैसे ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र आ जायेगा वैसे ही धनराशि उपलब्ध करा दी जायगी ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, निम्मीपार और खाईपार का काम हो चुका है तो कब तक हो चुका, यह पूछा था, जवाब नहीं आया । दूसरे 8 लाख में 5 लाख का कार्य हो चुका है, गलत है । मैं निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि 2.14 लाख वापस किया गया है और शेष 8 लाख में से खर्च किया गया है । माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि 5 लाख में से 2.14 लाख वापस करके क्या 2.86 लाख व्यय किया गया है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, संदर्भित योजनाओं में 5 योजनायें शामिल हैं जिसमें प्रश्नगत योजना भी शामिल है । कुल 31 लाख की योजना थी, केवल 8 लाख दिये गये थे जिसमें 5.86 लाख खर्च हुए, बाकी 2.14 लाख वापस नहीं किये गये, अभी पालिका के पास हैं, उसको खर्च करके पूरा उपयोगिता प्रमाण पत्र आ जायगा तभी आगे पैसा दिया जायगा ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि खाईपार और निम्मीपार में कब काम समाप्त हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि काम कब समाप्त हुआ ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

कार्य कब समाप्त हुआ, इसकी सूचना नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो योजना है मलिन बस्ती की, केवल नगरपालिका, म्युनिसिपैलिटी के अन्तर्गत है या उससे लगी हुई कोई ग्राम सभा है वहां मलिन बस्ती है, जहां किसी प्रकार की म्युनिसिपैलिटी की सीमा मिलती है तो उस योजना का लाभ ग्राम सभा को भी मिल सकता है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, इस योजना का प्रारूप अधिकांशतः अनुसूचित जाति, जनजाति, निर्बल आय वर्ग के लोग जहां निवास करते हैं, उसी पर केन्द्रित करके चयन की जाती हैं ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

पोण्डाबाग का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है मैं भी उसी क्षेत्र में रहता हूं, सन् 87 से आज तक यह योजना अधूरी है, यह जो जानकारी दी, गलत है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य की सूचना के आधार पर आप जानकारी की पुष्टि करके आवश्यक समझें तो विभागीय अधिकारियों से जांच करा लें ।

श्री लक्ष्मेश्वर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मलिन बस्ती सुधार योजना में मजदूर बस्ती का नाम आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मात्र बांदा के लिये प्रश्न है । इसमें उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा अलग है, आपकी अनुमति चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने केवल अपने विधान सभा के लिये कहा है और प्रश्न को सीमित रखा है । अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में हर नगर में मलिन बस्तियों की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है । उत्तर प्रदेश की जो मलिन बस्ती सुधार योजना चल रही है, माननीय मंत्री जी के पास उत्तर हो तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के कितने नगरों में यह योजना चल रही है ? उसमें शासन ने कितने रुपये दिये और इस योजना के कार्य न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न बड़ा विस्तीर्ण है ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, सम्बन्धित योजना 73 नगरों में चल रही है और इसके लिये 575 लाख रुपये स्वीकृत हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मंत्री जी यह बता दें कि कितनों में काम बन्द हो गया है और उसका क्या कारण है ?

*6–श्री विश्वनाथ–

[दिनांक 28-2-92 को ता० प्र० सं० 11 द्वारा उत्तरित]

जनपद गढ़वाल में निर्माण शाखा उ० प्र० जल निगम (जानकीनगर) कोटद्वार को वित्तीय वर्ष 1990-91 में पेयजल योजनाओं को लागू करने हेतु दी गयी वित्तीय सहायता तथा व्यय की गयी धनराशि की जानकारी

*7–श्री कृष्ण चन्द्र (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि निर्माण शाखा उ० प्र० जल निगम (जानकीनगर) कोटद्वार, जनपद गढ़वाल को वित्तीय वर्ष 1990-91 ई० में कुल कितनी धनराशि दी गयी । पेयजल योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि किन-किन विकास खण्डों में, कितनी योजनाओं में 31 मार्च, 1991

तक व्यय की गयी ? शेष धनराशि का क्या हुआ ? वित्तीय वर्ष 1990-91 ई० में कुल कितने रुपये यात्रा भत्ता के रूप में अधिशासी अभियन्ता द्वारा लिये गये ? इन यात्राओं का सत्यापन कब, किसने और किस आधार पर किया ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जल निगम मुख्यालय, लखनऊ से वर्ष 1990-91 में प्रश्नगत शाखा को रु० 94.081 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी ।

प्रश्नगत शाखा द्वारा वर्ष 90-91 में उक्त धनराशि में से विकास खण्ड दुगड्डा, द्वारीखाल, यमकेश्वर, रिखणीखाल व नैनीडांडा में 31-3-91 तक 197 योजनाओं पर रु० 61.738 लाख की धनराशि व्यय की गयी । अवशेष रु० 32.343 लाख अधिष्ठान आदि पर व्यय हुआ है । उक्त 197 योजनाओं पर हुए उक्त व्यय में केन्द्रीय भण्डार शाखा से प्राप्त सामग्री के मूल्य/अन्य व्यय रुपये 44.953 लाख सम्मिलित करते हुए रुपये 106.691 लाख का व्यय लेखांकित हुआ है ।

उक्तानुसार कोई धनराशि शेष नहीं रही ।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 90-91 में यात्रा भत्ता मद में कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है ।

उक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के मोहान क्षेत्र में आयुर्वेदिक दवा बनाने की फैक्ट्री आई० एम० पी० सी० एल० में कार्यरत कर्मचारियों की आवास समस्या

*8–डा० दिनेश जौहरी तथा श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र व प्रदेश के सहयोग से जनपद अल्मोड़ा के मोहान क्षेत्र में आयुर्वेदिक दवा बनाने की फैक्ट्री आई० एम० पी० सी० एल० कितने वर्षों से स्थापित है एवं आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण कर रही है ? क्या सरकार फैक्ट्री के अधिकारियों, कैमिस्टों एवं अन्य स्टाफ जो बीहड़ जंगलों में झोपड़ियों (मोहान नदी के तट पर) में रह रहे हैं उनके आवास बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डा० अमर सिंह)–

इण्डियन मेडिसिन्स फार्मेस्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड वर्ष 1978 में स्थापित हुई एवं उसे वर्ष 1983 में आयुर्वेदिक औषधि निर्माण हेतु लाइसेन्स दिया गया ।

उक्त फैक्ट्री भारत सरकार के अन्तर्गत एक उपक्रम है अतएव फैक्ट्री के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य स्टाफ हेतु आवास बनाने का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, यह सही है कि यह केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है, लेकिन केन्द्रीय सरकार का 51 प्रतिशत अंश लगा हुआ है और प्रदेश सरकार का 49 प्रतिशत अंश लगा हुआ है । यह फैक्ट्री अल्मोड़ा जिले में लगी हुई है । इससे बढ़िया आयुर्वेदक दवाओं की फैक्ट्री विश्व में कहीं पर नहीं लगी हुई है ? लेकिन उस फैक्ट्री के अधिकारियों, कैमिस्टों एवं अन्य स्टाफ के लोगों के लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

मान्यवर, यह बात सही है कि इसका दायित्व केन्द्र सरकार का है, लेकिन इसके लिए क्या प्रदेशीय सरकार केन्द्र सरकार से संस्तुति करेगी कि उनके रहने की व्यवस्था की जाय ? मान्यवर, वह बीहड़ जंगली इलाका है, वहां पर शेर, चीते आदि रहते हैं । मान्यवर, 49 प्रतिशत उत्तर प्रदेश का इसमें शेयर है, अगर इस फैक्ट्री से दवा खरीदी जाय, तो कम से कम करोड़ों रुपया सालाना की तो उत्तर प्रदेश सेल्फ सफीसियन्ट हो सकता है, इसके लिए यह सरकार केन्द्र सरकार को संस्तुति दे दें ।

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है कि यह भारत सरकार का उपक्रम है और जो उनके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स हैं, उनके निर्णय के अनुसार कोई कार्यवाही होती है, मान्यवर, माननीय प्रश्नकर्ता स्वयं स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वह मुझे जानकारी दें कि उन्होंने अपने पीरियड में कोई प्रस्ताव रखा है या भेजा हो, तो उसका संदर्भ लेकर, अगर ये कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार संस्तुति कर सकती है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और आज मंत्री नहीं है । तो उनकी प्रार्थना भी माननीय मंत्री जी नहीं स्वीकार कर रहे हैं । मान्यवर, क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार को एक सप्ताह के अन्दर संस्तुति कर देगी, जो सुझाव डा० दिनेश जौहरी जी ने दिया है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जिस परिपेक्ष्य में बताया गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी उपयोगिता को देखते हुए उसकी संस्तुति करेगी ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, जैसा कि मेरे बड़े भाई स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, यह बड़ी उपयोगी फैक्ट्री है, मेरे सुझाव के अनुसार यह सरकार केन्द्र सरकार को संस्तुति करने की कृपा करेगी ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में बताया कि इस फैक्ट्री में जो केन्द्र सरकार के अन्तर्गत चल रही है 49 प्रतिशत उ० प्र० का शेयर है, इसमें मैं दो चीजें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यदि 49 प्रतिशत का शेयर है, तो प्रदेश के डाइरेक्टर ने मकान बनाने के लिए प्रदेश सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) श्रीमन् ऐक्ट सभी फैक्टरियों पर लागू होता है, क्या लेबर ऐक्ट के तहत, आपके जो वहां लेबर इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कभी क्या श्रमिकों की स्थिति को देखा या चालान किया था, या जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके संबंध में कोई रिपोर्ट सरकार के पास भेजी ? यह सरकार अपना पार्ट अदा नहीं कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न आवास के बारे में है और आप उत्पीड़न की बात कर रहे हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

उनको आवास नहीं दे रहे हैं श्रमिकों को लेबर ऐक्ट के अन्तर्गत उनकी सुरक्षा की बात कही गयी है । लेबर्स को क्या-क्या सुविधायें दी जानी हैं, यह लेबर ऐक्ट में हैं आप ही बता दें कि लेबर ऐक्ट के अन्तर्गत मकान दिलाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

लेबर ऐक्ट का नियम बता दें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

लेबर ऐक्ट की धारा 7 में दिया हुआ है कि श्रमिकों के रहने और उनकी चिकित्सा की जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकार पर है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप बता दें कि क्या कोई प्रस्ताव आवास के लिये दिया है या नहीं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, उनकी सेवाओं के नियंत्रण से लेकर सारी व्यवस्थाओं तक की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उसमें भारत सरकार का 51 प्रतिशत अंश है । मैं समझता हूं कि वहां पर भवन हैं, लेकिन अगर अपर्याप्त हैं, तो उसके लिये संस्तुति करेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

49 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश सरकार का है । उसके तहत कितने डाइरेक्टर हैं, उनके नाम क्या हैं और उन्होंने श्रमिकों के हित के लिये क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न के बाहर है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

बाहर नहीं है । उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है । श्रमिक कानून की धारा 7 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि रहने और चिकित्सा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करेगी । माननीय मंत्री जी उस ऐक्ट की धारा के अन्तर्गत बतावें कि अधिकारियों ने कोई कार्यवाही की है या नहीं की है । अगर आप संरक्षण नहीं देंगे, तो कौन देगा ?

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति दे रहा हूं कि अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जो लेबर इन्सपेक्टर होते हैं, वह इन चीजों को देखते हैं और इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी कि लेबर इन्सपेक्टर ने क्या किया है । 49 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश सरकार का है, लेकिन किसी फैक्ट्री की वर्किंग क्या है, यह देखना हमारा काम नहीं है । मंत्री जी ने कहा कि मजदूरों का हित सर्वोपरि है और उन्होंने इस बात की घोषणा कर दिया है कि भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा और जहां तक मजदूरों की चिकित्सा और आवास की बात है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा और अगर भारत सरकार कुछ नहीं करती है, तो नियमानुसार जो कुछ हो सकता है वह किया जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हेडमास्टर ने स्वीकार कर लिया है कि इनके पास सूचना नहीं है, तो मान्यवर दोनों मंत्रियों में विरोधाभास है । संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि सूचना की आवश्यकता है और स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि बता रहा हूं । तो यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

मान्यवर, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है । अगर एक मंत्री के जवाब में उनके सीनियर मंत्री ने कोई बात कर दी तो उस सूचना को सत्य मानेंगे, चूंकि मंत्री जी ने दोनों चीज स्वीकार कर लिया कि नहीं है

(व्यवधान)

श्रीमन् इसको स्थगित कर दें और लेबरों के हितों की रक्षा कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बता दिया कि लेबर मिनिस्टर ने क्या रिपोर्ट दी, क्या कार्यवाहीं हुई अब 49 प्रतिशत का शेयर मान लिया तो निदेशक तो कोई होगा ही ।

श्री नरेश अग्रवाल–

निदेशक कौन है, इन्हें पता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर इस समय नाम नहीं है तो उसमें क्या बात है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन् इन्होंने केन्द्र सरकार पर स्पष्ट दोषारोपण किया है कि यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । आप हमें संरक्षण नहीं दे रहे हैं और ये केन्द्र सरकार पर रोजाना दोषारोपण करते हैं, इसके विरोध में मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा अभी माननीय डा० दिनेश जौहरी ने बताया कि 51 प्रतिशत शेयर सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट का है और 49 प्रतिशत इस स्टेट गवर्नमेंट का है किसी तरह से है या नहीं ? दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि यह जो स्वास्थ्य विभाग है जैसा जौहरी जी ने बताया कि इस फैक्ट्री की बनी हुई दवाओं को नहीं खरीदते हैं । ताज्जुब की चीज यह है कि जब हमारा 49 प्रतिशत शेयर है तो यह प्रदेश उस फैक्ट्री की बनी हुई दवाओं को क्यों नहीं खरीदता है, मैं इसमें भ्रष्टाचार देख रहा हूं क्योंकि सूबे में एक चीज बनती है अगर सूबे वाले उसे खरीदें तो हमारे पैसे की बचत होगी और अगर उसकी सेल बढ़ेगी तो जो हमारा शेयर है उससे फायदा इस प्रदेश का होगा ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, प्रश्न में अधिकारियों, कैमिस्टों व अन्य स्टाफ के लिए भवन निर्माण की बात पूछी गयी है और यह स्पष्ट है कि उसका उत्तर दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है । जहां तक उसमें बनने वाली औषधियों और उसके खरीदने का प्रश्न है । मान्यवर, पिछले वर्ष ही 20 लाख का आदेश उस कम्पनी

को दिया गया और वर्ष 1991-92 में कुल 9 लाख रुपये की सप्लाई हो सकी जितना उनको आदेश दिया गया था उतनी भी वह सप्लाई नहीं कर सके । जितनी भी शासन की नीति है उसके अनुसार उनको आर्डर प्लेस करते हैं ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, 49 प्रतिशत शेयर प्रदेश सरकार का है तो उसके अनुसार प्रदेश का कितना कंट्रोल मैनेजमेंट पर है यह जानना चाहता हूं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जिसका मेजर शेयर होता है उसी का कंट्रोल होता है, भवन निर्माण का उत्तर दायित्व उनका है प्रदेश सरकार का नहीं है ।

*9–श्री खालिद गौरी–

[8वें मंगल में तारा० प्र० सं० 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*10–डा० बृजभान यादव–

[दिनांक 21-2-92 को नत्थी 'ख' के तारां० प्र० सं० 1 द्वारा उत्तरित]

*11-श्री अब्दुल ए० सलाम–

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित]

उ० प्र० के आयुर्वेद/होम्योपैथिक आदि चिकित्सालयों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों से स्वीपर कम चौकीदार का कार्य लिये जाने तथा दोनों पद का वेतन दिये जाने का औचित्य

*12–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० के आयुर्वेद/होम्योपैथिक आदि चिकित्सालयों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों से स्वीपर-कम-चौकीदार का कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत और क्या इन्हें दोनों पदों का वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो सफाई कर्मचारियों से दोनों पदों का कार्य लिये जाने का औचित्य क्या है ?

डा० अमर सिंह–

प्रदेश के आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक विभाग के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालय कार्यरत हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं । उक्त चिकित्सालयों में स्वीपर-कम-चौकीदार के पदनाम से पद स्वीकृत हैं इसलिये पदधारकों से स्वीपर तथा चौकीदार का कार्य लिया जा रहा है ।

चूंकि स्वीपर-कम-चौकीदार के नाम से ही पद स्वीकृत है अतः दोनों पदों का वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मेरी यह निश्चित जानकारी है कि जो ये स्वीपर-कम-चौकीदार के पद हैं उनसे आठ घंटे के बजाय 10-12, 16-16 घंटे काम लिया जाता है तो क्या मा० मंत्री जी उन कर्मचारियों को जिनसे 12 और 16 घंटे काम लिया जा रहा है अलग से कोई ओवरटाइम देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, शासन की जानकारी के अनुसार जो कार्य के घंटे निर्धारित हैं उतना ही काम लिया जा रहा है । उनकी नियुक्ति स्वीपर-कम-चौकीदार के रूप में की गयी है और उसी रूप में उनसे काम लिया जा रहा है इसलिये ओवरटाइम देने का कोई प्रश्न हीं नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

जैसा कि मा० मंत्री जी इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो हमारे शासकीय आदेश हैं उसके आठ घंटे ही ड्यूटी ली जाती है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कर्मचारियों से आठ घण्टे के बजाय 18 घंटे तक काम लिया जा रहा है । मैनपुरी जनपद में मैंने स्वयं आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालयों का निरीक्षण किया है और वहां के कर्मचारियों ने मुझसे कहा कि आठ घंटे के बजाय दुगने समय तक उनको ड्यूटी देना पड़ता है । क्या मा० मंत्री जी इसका कोई सर्वेक्षण करवायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, न तो शासन के संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत आई है और न ही कोई मांग आयी है ।

श्री राम शरण–

मान्यवर, होम्योपैथिक चिकित्सालयों में स्वीपर-कम-चौकीदार का एक पद है लेकिन एलोपैथिक चिकित्सालयों में स्वीपर और चौकीदार दोनों के अलग-अलग पद हैं और अलग-अलग नियुक्ति है तो मैं जानना चाहूंगा कि होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाया गया है ? क्या मा० मंत्री जी होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिये चौकीदारों के पद अलग से सृजित करने अथवा सृजित पदों पर ही स्वीपर और चौकीदारों की अलग-अलग नियुक्ति करने का आदेश प्रदान करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकास खण्ड कार्यालयों में स्वीपर-कम-चौकीदार के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होता है उससे 12-14 घंटे तो क्या 24 घंटे तक काम लिया जाता है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने बताया कि निर्धारित समय के अनुसार ही काम लिया जाता है तो क्या वे कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दोनों काम एक ही व्यक्ति के न लेकर दोनों के लिए अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त करेंगे क्योंकि चौकीदार और स्वीपर का काम एक ही आदमी से लिया जा रहा है यदि वहां पर कोई चोरी या अन्य बात हो जाती है तो उसकी भी जिम्मेदारी उसी एक व्यक्ति की होती है ?

श्री अध्यक्ष–

आपने प्रदेश के विकास खण्डों में स्वीपर-कम-चौकीदार की बात कही है । मा० मंत्री जी यह आपसे संबंधित नहीं है । आपका प्रश्न यह है कि जिस तरह से आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालयों में स्वीपर-कम-चौकीदार की व्यवस्था है उसी तरह से विकास खण्डों में भी स्वीपर-कम-चौकीदार से आठ घंटे से अधिक काम लिया जा रहा है तो क्या इसकी जांच करवा लेंगे और समस्या का समाधान करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय सदस्य ऐसी कोई बात संज्ञान में लायेंगे तो उसकी जांच अवश्य करा ली जायेगी ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मैंने शिकायत की थी, मैंने यह कोई अखबार के आधार पर नहीं कहा है बल्कि स्थल निरीक्षण के आधार पर मांग की थी कि उनसे दोनों पदों का कार्य लिया जा रहा है इस तरह से उनके साथ शोषण हो रहा है, वह सफाई करते हैं और चौकीदारी भी करते हैं तो उन्हें अधिक ड्यूटी देनी पड़ती है । तो मेरा आशय यह था कि जब आपके संज्ञान में आ गया, सदन के संज्ञान में आ गया तो क्या माननीय मंत्री जी इसका सर्वेक्षण करायेंगे और यदि सर्वेक्षण में यह पाया गया कि उन्हें ड्यूटी अधिक देनी पड़ती है तो क्या उन्हें और अधिक वेतन दिलायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, हमारे विभाग द्वारा सर्वेक्षण होता है । जो उनके कार्य हैं उसके हिसाब से वेतन मिलता है । फिर भी यदि माननीय सदस्य कोई इस तरह की घटना हमारे सामने लायेंगे तो उसे हम दिखवा लेंगे ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि किसी भी चिकित्सालय से यह शिकायत नहीं आयी है कि वहां पर चौकीदार कम स्वीपर दोनों पदों पर काम लिया जा रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि निश्चित रुप से किसी चिकित्सालय से इस प्रकार की कोई सूचना आती है कि वहां पर उनसे दोनों पदों का कार्य लिया जा रहा है तो जो वहां के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

यदि इस प्रकार की सूचना प्राप्त होगी तो हम कार्यवाही करायेंगे ।

श्री गंगाबक्श सिंह–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है । कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में एक स्वीपर है जिसे 45 रूपया महीना मिलता है और वह फुल टाइम ड्यूटी करता है, एक चपरासी विनोद कुमार नाम का है जिसे दो सौ रुपया महीना दिया जाता है और वह भी फुल टाइम काय करता है और इस संबंध में कई बार शासन को लिखा गया मगर अभी तक काई कार्यवाही नहीं हुई है तो क्या माननीय मंत्री जी उसे पूरे माह का वेतन जो मिलता है दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, हम इसका परीक्षण करा लेंगे और तद्नुसार कार्यवाही कर लेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने अपने अधिवेशन के बाद यह मेमोरेण्डम दिया था और उसमें यह आरोप लगाया था

कि उनसे दोनों पदों का कार्य कराया जा रहा है और माननीय मंत्री जी ने उसमें एक माह में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था और उस मेमोरेण्डम में क्या-क्या आरोप थे यह भी बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । मूल प्रश्न यह था कि क्या उ० प्र० के आयुर्वेद/होम्योपैथिक आदि चिकित्सालयों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों से स्वीपर-कम-चौकीदार का कार्य लिया जा रहा है और उत्तर आया है कि यह नियुक्ति स्वीपर-कम-चौकीदार के पद पर हुई है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं इसको स्वीकार करता हूं । लेकिन जो मेमो दिया गया था और उस पर माननीय मंत्री जी ने एक माह के अन्दर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था और उसमें शिकायत थी कि उनसे दोनों पदों पर काम लिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये अलग से प्रश्न करिये, फिर इत्मीनान से अनुपूरक प्रश्न भी हो जायेंगे ।

(प्रश्न संख्या–13 पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता सदस्य उपस्थित नहीं थे)

(तारांकित प्रश्न संख्या–14 पुकारे जाने पर)

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, मुझे एक प्रश्न और पूछने का मौका देने की कृपा करें कि यह सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है और प्रश्न का उत्तर घुमा फिरा कर दिया जा रहा है, मंत्री जी जानबूझकर उनकी समस्याओं को हल नहीं करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें, आपको अनुमति नहीं दी जा रही है ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बिना अनुमति के जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[x x x]

(श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि ने सदन का त्याग किया ।)

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि उसी के संबंध में जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष कितने विद्यार्थियों ने स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना पत्र दिये और उनमें क्या-क्या कारण दिखाये गये थे ? क्या यह सत्य है कि विद्यार्थियों ने जो कारण दिखाये थे, उसमें से 50 प्रतिशत विद्यार्थियों के कारण मानक के अन्तर्गत आते हैं, उसके बावजूद भी उनके प्रार्थना पत्र रद्द किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मूल प्रश्न कुछ था और सप्लीमेंटरी कुछ और कर रहे हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपके आदेश के बाद इस तरह की बात कहनां उचित नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, प्रश्न संख्या–13 का मूल उत्तर पढ़ा गया ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रश्न संख्या–14 पुकारा है । प्रश्न संख्या–13 के माननीय प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप इनकी गैर जिम्मेदारी देख लीजिए ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

आप फिर से प्रश्न कर दीजिए ।

श्री नरेश अग्रवाल–

पहले आप मूल उत्तर तो पढ़ दें ।

जनपद बलिया के जिला चिकित्सालय की भांति अन्य सामुदायिक केन्द्रों में मरीजों को दूध और फल की सुविधा प्रदान किये जाने की मांग

*13–श्री मारकण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, बलिया तथा जनपद के अन्य सामुदायिक केन्द्रों में मरीजों को दूध और फल की सुविधा दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सुविधा प्रदेश के अन्य चिकित्सालयों में दी जा रही है ? यदि हां, तो बलिया में उक्त सुविधा न देने का क्या कारण हैं ? बलिया में दूध और फल मरीजों को कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जिला चिकित्सालय, बलिया में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार भर्ती रोगियों को विशेष आहार के रूप में दूध एवं फलों की सुविधा दी जा रही है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगियों को आहार नहीं दिया गया है ।

सामान्य आहार के अतिरिक्त दूध एवं फलों की सुविधा चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही दी जाती है ।

जी हां ।

चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार बलिया में यह सुविधा दी जा रही है ।

बलिया में प्रश्नगत सुविधा पूर्व से ही उपलब्ध है ।

मेडिकल कालेजों के छात्रों को एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित करने की नीति की जानकारी

*14—श्री इस्लाम साबिर तथा श्री नरेश अग्रवाल—

क्या इस वर्ष मेडिकल कालेजों के छात्रों को एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेज में स्थानान्तरण करने के लिये मंत्रि-परिषद् ने कोई नीति निर्धारित की थी ? यदि हां, तो वह नीति क्या थी ? उसके तहत इस वर्ष कितने विद्यार्थियों का स्थानान्तरण किया गया है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

स्थानान्तरण नीति निम्नवत् हैं:—

(1) प्रदेश के बाहर एम० बी० बी० एस० या समतुल्य कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों अथवा छात्राओं का स्थानान्तरण प्रदेश के एलोपैथिक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में न किया जाय ।

(2) प्रदेश के एक एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय से दूसरे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ही परस्पर छात्र एवं छात्रा के स्थानान्तरण निम्न प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय:—

(क) प्रश्नगत स्थानान्तरण छात्र या छात्रा के प्रथम प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही अनुमन्य किया जाय ।

(ख) प्रदेश के किसी एलोपैथिक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से ऐसे स्थानान्तरण उस महाविद्यालय में एम० बी० बी० एस० में प्रथम सत्र में निर्धारित प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे तथा प्रदेश के जिस चिकित्सा महाविद्यालय में इस नीति के अनुसार स्थानान्तरण द्वारा प्रवेश दिये जायेंगे वह भी उस चिकित्सा महाविद्यालय के एम० बी० बी० एस० प्रथम वर्ष में निर्धारित प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । तद्नुसार प्रश्नगत स्थानान्तरण तभी किया जायेगा जबकि उस महाविद्यालय में, जहां स्थानान्तरण किया जा रहा है, स्थान रिक्त हो ।

(ग) प्रश्नगत स्थानान्तरण का आधार प्रथमतः संबंधित सी० पी० एम० टी० परीक्षा की मेरिट और द्वितीय छात्र या छात्रा की ''च्वाइस'' होगा ।

(घ) प्रधानाचार्यों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का प्रतिबन्ध न रखा जाय परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जो स्थानान्तरण आदेशित किया जा रहा है, उसमें निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं ।

किसी भी विद्यार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष प्रदेश में कितने छात्रों ने स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे ? क्या यह सत्य है कि उसमें से 50 प्रतिशत छात्रों ने अपने प्रार्थना पत्र में स्थानान्तरण हेतु जो आधार दिखाये थे, वे निर्धारित मानकों के अंतर्गत आते थे । यदि हां, तो उनको रद्द करने का क्या कारण था ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, पिछले वर्ष किसी भी विद्यार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि आयुर्वेद में श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री श्याम नरायण, निवासी हरदोई ने स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र दिया था । उसका प्रार्थना-पत्र मानकों के आधार पर था फिर भी उसके प्रार्थना-पत्र को स्वीकार क्यों नहीं किया गया ? दूसरा, पिछले तीन वर्षों में.....

श्री अध्यक्ष–

अब आप विस्तार कर रहे हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

ठीक है, मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरे पहले अनुपूरक का उत्तर दे दें । आखिर उसके प्रार्थना-पत्र को क्यों रिजेक्ट किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न पूछा गया है, उसमें कहा गया है कि इस वर्ष मेडिकल कालेजों के छात्रों को एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेज में स्थानान्तरण करने के लिये मंत्रि परिषद् ने कोई नीति निर्धारित की है ? अब माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं वह आयुर्वेदिक कालेज के लिए कर रहे हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

क्या माननीय मंत्री जी आयुर्वेदिक कालेज को मेडिकल कालेज नहीं मानते हैं सी० पी० एम० टी० के माध्यम से चारों एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी का एक साथ इम्तहान होता है । ऐसी गैर जिम्मेदारी वाली बात मंत्री जी को नहीं कहनी चाहिए ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जो जवाब दिया गया है वह एम० बी० बी० एस० का दिया गया है । इसलिये मैंने कहा कि एम० बी० बी० एस० में किसी भी छात्र का स्थानान्तरण नहीं किया गया । जिस रमेश चन्द्र की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, वह एम० बी० बी० एस० का छात्र नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप देखें । मैंने कहीं भी मूल प्रश्न में आयुर्वेद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है । आपसे प्रार्थना है कि आप इसे स्थगित कर दें । हमें चारों–एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी के बारे में सूचना चाहिए क्योंकि मान्यवर, इन चारो का मानक एक ही है । यदि इन चारो मेडिकल कालेजों के मानक अलग-अलग हैं तो आप कृपा करके बतायें ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया और एम० बी० बी० एस० के बारे में उन्होंने बताया है । अगर आपको आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी कालेज के बारे में पूछना है तो आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जो सी० पी० एम० टी० का इम्तहान होता है, वह चारों का एक साथ होता है ।...

आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० पी० एस० को अलग कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

इसे सी० पी० एम० टी० कहा जाता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन् मैं यही पूछ रहा हूं चारों श्रेणी के विद्यार्थियों के स्थानान्तरण का मानक क्या अलग-अलग है ? यदि एक ही है तो वह मानक क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष–

क्या एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी कालेज के जो छात्र हैं उनके स्थानान्तरण की नीति अलग-अलग है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जहां तक स्थानान्तरण की नीति का प्रश्न है मेडिकल कालेज के संबंध में मैंने जानकारी दी और जिस रमेश चन्द्र छात्र के बारे में पूछा गया है

श्री अध्यक्ष–

आप रमेश चन्द्र की बात छोड़ दीजिये केवल इतना बता दीजिये कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिकल कालेजों के छात्रों के स्थानान्तरण की नीति यही है या अलग-अलग है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

इसके संबंध में मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको स्थगित करता हूं ।

साधन सहकारी समितियों या अन्य प्राथमिक समितियों के चुनाव कराये जाने का प्रस्ताव

*15–सुरेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समितियों का अन्य प्राथमिक समितियों का चुनाव कराने का प्रस्ताव वर्तमान समय में शासन के अन्तर्गत विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका चुनाव कराने का क्या प्रारूप है तथा इसे कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 29 (3) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राथमिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन का दायित्व निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० को सौंपा गया है । उनके द्वारा प्रश्नगत समितियों के चुनाव यथासमय कराये जायेंगे ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से संबंधित चिकित्सा विज्ञान संस्थान व सर सुन्दर लाल अस्पताल के लिये अनुदान की मांग

*16–श्री ऊदल (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से संबंधित चिकित्सा विज्ञान संस्थान व सर सुन्दर लाल अस्पताल की आर्थिक हालत बहुत खराब है ? क्या सरकार 8 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऊपर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित चिकित्सालयों के अनुरुप प्रति शैय्या प्रति वर्ष के हिसाब से अनुदान दिलवायेगी ? इस संबंध में मेडिकल विज्ञान व सर सुन्दर लाल अस्पताल के निदेशक व अधीक्षक का प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी को अपने पत्र के साथ ता० 12-12-91 को दिया है ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उत्तर प्रदेश शासन दो करोड़ रु० की एक मुश्त सहायता (अनुदान) वर्ष 91-92 में देने की व्यवस्था भी करेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां । इस संबंध में चिकित्सा विज्ञान संस्थान व सर सुन्दरलाल अस्पताल के अधीक्षक का पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1991 मा० विधायक के पत्र दिनांक 12-12-91 के साथ प्राप्त हुआ है ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वर्तमान में अनुदान में वृद्धि संभव नहीं है ।

ऋण राहत योजना के प्रारुप की जानकारी

*17–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋण राहत योजना का प्रारूप क्या है ? किस प्रकार के और कब तक के कर्जदार व्यक्ति ऋण राहत के पात्र व्यक्ति हैं ?

सहकारिता राज्य मंत्री–(श्री सूरज सिंह शाक्य)–

10 हजार रुपये तक कर्जा माफी की योजना में निम्नलिखित श्रेणी के किसान, मजदूर कामगार तथा बुनकर जिन्होंने एक या एक से अधिक बैंकों से एक या एक से अधिक ऋण मूलधन के रूप में प्राप्त किया हो, ऋण माफी के पात्र होंगे :–

श्रेणी–1

ऐसे अल्पकालीन ऋण के ऋणी जो दिनांक 2-10-86 को या उसके पूर्व अतिदेय हों एवं मध्यकालीन अथवा दीर्घकालीन ऋण की वे किश्तें जो दिनांक 2-10-86 तक अतिदेय हों तथा ऐसे ऋण यदि दिनांक 2-10-89 को भी बकाया में रहे हों तो ऐसे समस्त ऋणों को 3 वर्ष से अधिक का बकाया समझते हुए

ऋण बकाया की श्रेणी में मानकार माफ किया जायेगा । इसमें अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

श्रेणी–2

पहली अप्रैल, 1986 को या उसके पश्चात् लिये गये अल्पकालीन ऋण एवं मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण की वे किश्तें जो दिनांक 2-10-86 के पश्चात् दे हों तथा उक्त ऋण दिनांक 2-10-89 को बकाया हों तथा ऐसे ऋणियों के गांव में दो या उससे अधिक वर्षों, चाहे वह लगातार हो या न हों, में खराब फसल वर्षों का सामना करना पड़ा हो और उनमें से एक वर्ष वह हो जिसमें ऋणी ने ऋण अदा करने में चूक की हो तो ऐसे ऋणियों के बकाया, राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी अनावारी प्रमाण-पत्र के आधार पर माफ किए जायेंगे ।

श्रेणी–3

ऐसे ऋणी जिनकी दिनांक 2-10-89 या उसके पूर्व मृत्यु हो गई हो, संबंधित ऋणी के ऊपर दिनांक 2-10-89 को लगे हुए ऋण माफ किये जायेंगे । इसमें अनावारी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

श्रेणी–4

ऐसे ऋणियों जो 2-10-89 या उसके पूर्व दिवालिया घोषित किये जाने के लिये याचिका न्यायालय में 2-10-89 या उसके पहले दायर कर रखी हो जो लम्बित हो, ऐसे ऋणियों के 2-10-89 के अतिदेय माफ किये जायेंगे । इसमें अनावारी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

श्रेणी–5

ऐसे कारीगरों अथवा बुनकरों जिनका अतिदेय 2-10-86 के पश्चात् पड़ा हो तथा क्षति 2-10-89 या इसके पूर्व हुई हो उनके 2-10-89 के अतिदेय को माफ किया गया है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो अनुपूरक सवाल पूछना चाहता हूं एक–ऋण माफी नीति के अन्तर्गत यदि किसी गरीब काश्त ने एक किश्त अदा कर दी तो उसको ऋण माफी योजना से वंचित कर दिया और एक मजबूत काश्तकार ने एक भी किश्त अदा नहीं की और वसूल करने वालों को मार भगा दिया तो उसे ऋण माफी के अन्तर्गत ले लिया । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसा प्राविधान करायेंगे जिससे वास्तविक व्यक्ति जो ऋण अदा करने लायक नहीं है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा ?

दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष–

आप एक-एक करके अनुपूरक प्रश्न पूछें, तो ठीक रहेगा ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि ऋण माफी की योजना भारत सरकार और नाबार्ड के प्रारूप के अनुसार लागू की गयी थी । उसके अनुसार इस श्रेणी में आने वाले समस्त लोगों के ऋण को हमने माफ किया है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, ऋण माफी की जनता सरकार की जो योजना थी उसमें जो गरीब व्यक्ति थे, जिनकी ऋण अदा करने की क्षमता 40–42 साल में पैदा नहीं हो पायी है उसका ऋण माफ कर दिया जायेगा। लेकिन अधिकारियों ने उसका उल्टा अर्थ लगाया। जिस ऋणदाता ने अगर एक भी किस्त अदा कर दी तो समझा कि उसकी ऋण अदायगी की क्षमता पैदा हो गई और इसीलिये उसका ऋण माफ नहीं किया जायेगा। ऐसे लोग जिन्होंने अपना पेट काटकर ऋण की एक भी किश्त जमा कर दी उनका ऋण माफ नहीं किया गया। मेरा यह कहना है कि क्या नियमों का पुनरावलोकन करके, जिस व्यक्ति ने अपना पेट काटकर ऋण की एक-आध किस्त जमा कर दी थी, उसको भी ऋण माफी सुविधा दी जायेगी ?

श्री सूरज सिंह शाक्य–

मान्यवर, यह स्पष्ट नीति है, कि जो बकाया ऋण है वह चाहे एक किश्त अदा कर दिया हो, दो किश्त अदा कर दिया हो जो बकाया है, उसको माफ किया जायेगा। मध्यकालीन ऋण होता है तो उस वर्ष में एक बार उनकी डिमान्ड लगती है। डिमान्ड लगने के बाद अगर अदा कर देवें 30 जून तक। खरीफ की फसल के लिये ऋण लिया है। अक्टूबर को डिमान्ड लगती है, उसकी वसूली अगर 30 जून तक नहीं होती है तो उसके बाद बकाया लिया जाता है। रबी की फसल के लिये ऋण लिया जाता है तो उसकी डिमान्ड 1 अप्रैल को लगी, 30 जून तक ऋण नहीं दिया तो उसके बाद बकाया लिया जाता है। केवल ओवर ड्यू को माफ किया जाता है जो किस्त अदा कर दी उसका मतलब नहीं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप मेरा प्रश्न जानते हैं, मेरा प्रश्न गरीब किसानों के ऋण माफी का है, जिन्होंने एक आध किस्त जमा कर दी हो। सरकार ने 10 हजार तक के कर्जे माफ किये थे। 10 हजार की सीमा के भीतर जो कास्तकार या बुनकर आता है उसे ऋण राहत की सुविधा मिलनी चाहिए। यदि किसी ने एक या दो किस्त जमा कर दीं तो यह मान लिया गया कि वह ऋण जमा करने की स्थिति में है, इसीलिये उसका ऋण माफ नहीं किया गया। ऋण राहत योजना का लाभ बेईमान लोगों को मिला है, जो ऋण लेकर घर जाकर चुप बैठ गये और एक भी किस्त जमा नहीं की। लेकिन जो ईमानदार थे, उन बेचारों को उसका कोई लाभ नहीं पहुंचा। वह बेचारे ऋण चुकाने के लिये किसी तरह से एक आध किस्त अपना पेट काट काटकर जमा करते थे तो उन्हें यह समझ लिया गया कि यह ऋण अदा कर सकता है। यह ऋण राहत योजना नहीं, बेईमानी राहत योजना हुई। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जिन्होंने एक-आध किस्त जमा कर दी है, उन्हें ऋण राहत की सुविधा मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आपका कहना है कि विसंगति है और इस विसंगति को दूर करने का प्रयास किया जाय। ऋण माफी की सुविधा उस परिधि में आने वाले सब लोगों को मिलनी चाहिए।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मैं माननीय सदस्यों की जिज्ञासा को शान्त करने का प्रयास इन शब्दों में पुनः करने का प्रयास करूंगा कि जो ऋण राहत योजना नाबार्ड और भारत सरकार के नियमों के अनुरूप लागू की गई थी और उन नियमों का निश्चित रूप से परिपालन किया गया है। अगर किसी प्रकार की खामी की

शिकायत माननीय सदस्य के संज्ञान में है तो उससे अवगत करायें, लेकिन इसमें ऋण माफी योजना या प्रारूप का दोष नहीं हो सकता है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक प्रश्न का जवाब नहीं आया मैंने प्रश्न किया कि ऋण राहत की परिधि के अन्दर अगर कोई ऋण लेता है, तो उसको लाभ मिलना चाहिए । केन्द्र सरकार की बात कही गयी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी के जमाने की यह बात है तब यह व्यवस्था की गयी थी इसमें एक बात और सामने आयी है जो दस हजार की परिधि के अन्दर आते है वह यह मानकर बैठ गये हैं कि उनका ऋण माफ हो जायेगा । उनको कोई सूचना देने की भी व्यवस्था नहीं की गई है इसमें ब्याज लगाकर उनको भेजा जा रहा है, तो ऋण राहत की सुविधा तो उनको मिली नहीं, दंड ऊपर से और मिल गया ।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि जो परिधि के अन्दर आते हैं जिन्होंने दस हजार का कर्जा लिया है उन लोगों को ऋण माफी की सुविधा मिलनी चाहिए । नियमों को आप देख लें । इसमें कहीं कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसको दिखवा लें । दूसरी बात जिन काश्तकारों ने यह मान लिया है कि ऋण अदा नहीं करना है, उनको बैंक ने भी यह लिखकर भेजा है कि वह ऋण माफी में आते हैं या नहीं आते हैं काश्तकार तो ऋण माफ हो गया है यह मानकर बैठ गया है ।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न आपने किया है यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, जो योजना लागू की गयी थी, पूर्व सरकार और भारत सरकार द्वारा लागू की गयी थी उसके नियमों के अनुसार ऋण माफ किये गये हैं । दूसरी बात उन प्रपत्रों के आधार पर ऋण माफ किये गये हैं जो उस योजना में वर्णित थे प्रचार के समय जनता को दिये गये थे ।

श्री रामकिशन ददाजू–

प्रदेश में कितने लोगों के ऋण माफ किये गये हैं ? क्या फिरोजाबाद के लोगों के ऋण माफ किये गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राणा जी का प्रश्न है कि नाबार्ड केन्द्र सरकार के नियम हैं उन नियमों के कारण परिणाम यह हुआ, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऋण लिया और उसको अदा नहीं करना चाहते हैं तो वह तो लाभ में रहेंगे लेकिन जिन्होंने एक-दो किश्तें दे दी हैं उनसे वसूली हो रही है । बहुत से लोगों को यह भ्रम हुआ जो ईमानदार ऋणी हैं, वह समझे कि ऋण माफ हो गया, लेकिन उन पर ब्याज बढ़ाया जा रहा है अगर कोई विसंगति है तो आप ऐसा प्रयास करें कि यह सुनिश्चित हो जाय कि दस हजार ऋण जिन्होंने लिया है उसके अन्तर्गत आने वाले जितने ऋणी हैं उनका कर्जा माफ हो जायेगा ।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, प्रदेश सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है । जहां तक किसी व्यक्तिगत मामले की बात है उसको मेरे संज्ञान में लायें, अगर कोई खामी ऐसी हुई तो दिखवा लिया जायगा ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना में भारी कन्फ्यूजन होने के कारण यह योजना समझ में नहीं आयी है । मेरे जिले गाजियाबाद की 4 तहसीलों में से 3 में यह लागू हुई और एक तहसील दादरी में इसको लागू नहीं किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि इसको दादरी में लागू न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मैंने पहले ही उल्लेख किया कि इस प्रकार का प्रकरण यदि कहीं है तो उसको संज्ञान में लायें उसको दिखवा लिया जायगा ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मैं 301 के अन्तर्गत इसको पूछ चुका हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं । ऋण माफी का हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में एलान किया था, राष्ट्रीय मोर्चा ने और उस समय आप सहयोगी दल थे । मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता लेकिन आपके घोषणा पत्र में भी ऋण माफी की बात थी । इसलिये आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर पिछली सरकार ने ऋण माफी की योजना बनायी और उसमें कोई विसंगति रह गयी है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसको दूर करने का प्रयास करें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने हमें याद दिलाया हमारे घोषणा पत्र के बारे में । जो विसंगति रह गयी हैं उनकी हमें और आपको जानकारी है । इस समय जो शासन की वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए इस पर निर्णय करना सम्भव नही है । पिछली बार जो माफ किया गया था उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होनी थी लेकिन उसकी लगभग आधी रकम मिली । इसमें ज्यादा तेजी दिखायें तो माननीय नरेश जी नाराज हो जायेंगे । अभी इस संबंध में कोई दूसरा निर्णय सम्भव नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जब अपने स्वीकार किया कि आपके घोषणा पत्र में था तो इसको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है । जो नाबार्ड से धन प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं और जब तक धन प्राप्त न हो जाय तब तक घोषणा पत्र के वादे के अनुसार जो बकायेदार हैं उनकी ऋण की वसूली को स्थगित करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो रुपया बाकी है उसके लिये केन्द्रीय सरकार से बार-बार हम पत्राचार कर रहे हैं निकट भविष्य में केन्द्रीय सरकार के अधिकारी और हमारे अधिकारी इस सम्बन्ध में भेंट करने वाले हैं । इससे अधिक इस समय कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, शासन द्वारा एक शासनादेश किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 1985-89 के बीच दैवी आपदाओं से बाढ़ से सूखा से जो ग्राम प्रभावित हुए हैं उनको भी ऋण माफी में लिया जायगा। लेकिन वह ग्राम ऋण माफी में नहीं लिये गये। जिन गांवों को छोड़ दिया गया है उन गांवों को इस योजना में लेने का कार्य करेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि यह वर्ष 1985 से 1986 की है। जहां तक ऋण माफी की बात आपने कही, उसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं और बात स्पष्ट हो चुकी है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपने स्वयं इस प्रश्न में एक बात उठायी। यह प्रदेश के हजारों व्यक्तियों का मामला है। आपकी पार्टी के मैनीफैस्टो में लिखा गया है, उसके बावजूद ये किसानों को उस सुविधा को नहीं देना चाहते इनकी नीयत साफ है कि सरकार किसान विरोधी है, इसलिये मान्यवर, मैं इनके किसान विरोधी रवैये के खिलाफ अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार कर रहा हूं।

(श्री विजय सिंह राणा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि 1984 से 1985 के बीच सरकार के शासनादेश में लिखा है कि दैवी आपदाओं से जो क्षेत्र प्रभावित होंगे तो अगर कोई क्षेत्र छूट गया है तो क्या मंत्री जी उस क्षेत्र को शासनादेश के अनुसार लेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सब लोग एक साथ बोलेंगे तो सुन नहीं पाऊंगा। माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें कि दैवी आपदा से पीड़ित क्षेत्र के बारे में क्या योजना है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि इस प्रकार का प्रकरण दिखाई पड़ता है तो माननीय सदस्य संज्ञान में लायें, दिखवा लिया जायगा। जहां तक ऋण माफी की बात है, नियमों के तहत उस योजना को कार्य रूप दिया गया है और ऋण माफी कर दी गयी है। इस प्रकार का प्रकरण सामने लायें तो देखेंगे। शासनादेश के तहत ही ऋण माफी की गयी।

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने लोगों की ऋण माफी की गयी और उससे सरकार को कितनी हानि हुई ?

श्री गन्धर्व सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जो ऋण माफी में छूट दी गयी है, उसमें हमारे जिले के राजनीतिक लोगों ने अपनी और अपने सहयोगियों की गलत तरीके से ऋण माफी की है। क्या माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी को सूचना दे दें । उनके संज्ञान में तो आ जाय ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसमें एक नीतिगत प्रश्न है । मान लीजिये नाबार्ड से रुपया प्राप्त हो गया तो क्या जो ऋण माफी की सीमा में है, उनसे वसूली कर ली गयी तो क्या उनको रुपया वापस करेंगे, क्या सरकार इसको देखते हुए जो ऋण माफी की सीमा में आते हैं उनकी वसूली स्थगित करने का कष्ट करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मैं उत्तर देने के लिये तो बाध्य नहीं कर सकता । जितना जवाब देना था, उत्तरित हो गया है.।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अपने घोषणा-पत्र के विपरीत जो आचरण सरकार कर रही है और जो जनता से वादा किया था, पूरा नहीं कर रही है, इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन से त्याग करता हूं ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

जनपद बांदा के अन्तर्गत नगरपालिका कर्वी द्वारा जल कर न लिया जाना

*18–श्री राम प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० म्युनिसिपैलटीज ऐक्ट की धारा–128(1), (VII), (VII), (XII) एवं (XIV) के अन्तर्गत जिसमें पानी कर भी आता है, की वसूली समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो जनपद बांदा के अन्तर्गत नगर महापालिका, कर्वी द्वारा पानी-कर लेने का क्या औचित्य है ? क्या इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, चित्रकूट द्वारा जिला अधिकारी, बांदा से पूछताछ की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, बांदा द्वारा दिनांक 31 जुलाई 1990 को इसे रोकने सम्बन्धी निर्देश उन्हें दे दिया गया था ? यदि हां, तो वहां पर पानी-कर की वसूली न रोके जाने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

अधिनियम की संदर्भित धाराओं के अन्तर्गत पानी कर लिये जाने का प्राविधान नहीं है । कर्वी में नगर महापालिका नहीं अपितु नगर पालिका है जिसके द्वारा कोई पानी कर नहीं लिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जिला बांदा के अन्तर्गत नगर पालिका, कर्वी द्वारा पानी कर नहीं लिया जा रहा है । अतः उसकी वसूली रोके जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षकों के पद समाप्त करने से बेरोजगार हुए व्यक्तियों का समायोजन करने की योजना की जानकारी

*19–डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्या प्रौढ़ शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किन परिस्थितियों में प्रदेश में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षकों के पद को समाप्त किया गया है ? क्या यह सत्य है कि इससे बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है तथा रोजगार का अवसर कम हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन के इस निर्णय से प्रौढ़ शिक्षा से सम्बद्ध इन व्यक्तियों के परिवार के सामने जीवन यापन का गम्भीर संकट उपस्थित हो गया है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा इनके समायोजन का कोई सार्थक प्रयास किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां । केन्द्र सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा परियोजना की नई व्यवस्था को लागू किये जाने के कारण ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं के छटनीशुदा कर्मचारियों के रूप में पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक (एल० टी० ग्रेड रु० 1400–2300) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के आदेश दि० 27-3-92 को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को दिये गये हैं ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह साक्षरता अभियान का महत्वपूर्ण वर्ष चल रहा है, ऐसे समय में किन परिस्थितियों मे यह योजना समाप्त की गयी है । मैं पर्यवेक्षकों के समायोजन पर शासन को बधाई देना चाहता हूं, जबकि चलचित्र निगम के पुराने शासन के हटाये हुए कर्मचारी आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं । इस शासन ने किसी को भी अनशन, धरने पर नहीं बैठने दिया, सभी पर्यवेक्षकों को समायोजित कर लिया । मैं यह जानना चाहूंगा कि इन पर्यवेक्षकों के अतिरिक्त जो अन्य कर्मचारी, क्लर्क एवं चपरासी आदि हैं, उनके समायोजन की क्या योजना है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, 228 पर्यवेक्षकों के अतिरिक्त सहायक परियोजना अधिकारी और परियोजना अधिकारी तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जो हैं, उन सभी में परियोजना अधिकारी और सहायक परियोजना अधिकारी को माध्यमिक शिक्षा तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को राज्य शैक्षिक संस्थान और चतुर्थ श्रेणी को बेसिक शिक्षा में समायोजित करने के लिये आदेश दे दिये गये है । राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है और सभी लोग अपने-अपने पदों पर जाकर ज्वाइन कर रहे हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसी यह उदारता की है 228 पर्यवेक्षकों और सहायक पर्यवेक्षकों को समायोजित कर लिया है । उसमें उनके वेतन का क्या स्केल रखा गया है ? उनको क्या आप राज्य सरकार का वेतन नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है कि राज्य सरकार के बराबर वेतन नहीं

दिया जा रहा है और जो पर्यवेक्षक गांव में काम करते हैं, जिनको 100 रु० मात्र दे रहे हैं, क्या उनका भी वेतन बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया है कि वेतन जो पर्यवेक्षक को दिया गया है प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र सरकार के निर्देश के कारण हमें यह समाप्त करना पड़ा है । वर्तमान में हमने सब जगह सभी को व्यवस्थित कर दिया है और सभी 1400 से 2300 के ग्रेड में अपना योगदान दे रहे हैं । वर्तमान के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है कि गांव के कर्मचारी को समायोजित करेंगे, मान्यवर, वहां पर अनुदेशक और प्रेरक होते हैं, वह मानदेय के आधार पर होते हैं, उनको समायोजित करने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है । इसके पहले राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया था कि अनुदेशकों और प्रेरकों का मानदेय बढ़ाया जाय, लेकिन केन्द्र सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया ।

(घोर व्यवधान)

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, इसमें स्वयंसेवी संस्थायें भी काम करती हैं और शासन की संस्थायें भी काम करती हैं, तो इन स्वयंसेवी संस्थाओं के लिये केन्द्र सरकार का दायित्व आता है या प्रदेश सरकार का आता है और साक्षरता के लिये प्रौढ़ शिक्षा जैसे उपयोगी कार्यक्रम को समाप्त किये जाने पर प्रदेश की कोई और योजना साक्षरता को दृष्टि में रखकर क्या कोई योजना बनायी गयी है ?

श्री शिव प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, पहले भी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा का कार्य कराया जाता था, इस पर 35 का नाम भेजा गया था, जिसमें 25 की स्वीकृति केन्द्र सरकार ने दिया है । पहले जो केन्द्र सरकार सीधे पैसा स्वयंसेवी संगठनों को देती थी और नो ड्यूज राज्य सरकार से मांगते थे, अब जब कि राज्य सरकार को उन संगठनों की जानकारी नहीं रहती थी, यह कठिनाई पूर्ण कार्य था । अबकी बार राज्य सरकार ने केन्द्र से वार्ता करके राज्य सरकार की सहमति पर ही स्वयंसेवी संगठनों को कार्य करने के लिये पैसा देने का अनुरोध किया है, जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकार भी किया है । इसको केन्द्र सरकार ने माना है और 25 योजनायें जो संस्तुति करके भेजी हैं, उनको माना है, लेकिन पैसा नहीं दिया है । मान्यवर, माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मुख्य मंत्री जी को राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मेरा विश्वास है कि उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे और साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश कीर्तिमान स्थापित करेगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त ।

नोट :–नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

विकेन्द्रीयकरण योजना के अन्तर्गत जन सामान्य को वर्तमान समय में पुलिस,राजस्व एवं न्याय विभाग के अधिकारियों का निवास एवं कार्य मुख्यालय तहसील स्तर पर बनाये जाने की भांति चिकित्सा विभाग के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को मुख्यालय तहसील अथवा क्षेत्रीय स्तर पर बनाये जाने की मांग

*20–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत जन सामान्य को सुविधा पहुंचाने के लिये जिस प्रकार वर्तमान समय में पुलिस, राजस्व एवं न्याय विभाग के अधिकारियों का निवास एवं कार्य मुख्यालय तहसील स्तर पर बनाया गया है इसी प्रकार क्या सरकार चिकित्सा विभाग के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के मुख्यालय तहसील अथवा क्षेत्रीय स्तर पर बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो आदेश कब तक निर्गत कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी व्यवस्था सरकार भविष्य में करने पर विचार करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बाराबंकी के दरियाबाद क्षेत्र में भवनहीन प्रा० पाठशालाओं के लिये भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण

1–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद में भवन हीन प्रा० पाठशालाओं के भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत कितने भवन बने तथा कितने भवन अधूरे हैं ? क्या सरकार अधूरे भवनों को बनवाने में शीघ्रता कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

99 (निन्यानवे) भवन बने तथा 26 भवन निर्माणाधीन हैं ।

कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० के प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 1986 में बनाये गये स्टीमेट को वर्ष 1989-90 में पुनरीक्षित किया जाना

2–श्री राधे श्याम वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जो उ० प्र० के प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिये प्रदेश सरकार ने 1986 में स्टीमेट बनवाया था, उस समय एक प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण की अनुमानित लागत 90 हजार रु० आंकी गयी थी जबकि उस रुपये को वर्ष 1990-91 में तब खर्च किया जा रहा है और भवन निर्माण में लगने वाली प्रत्येक समाग्री व मजदूरी दो से ढाई गुना बढ़ चुकी है ? यदि हां, तो क्या निर्माणाधीन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व ग्राम प्रधानों को प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण के लिये मजबूर किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या भवन बनाने हेतु सीमित धन में पाठशाला भवन की मजबूती में या गुणवत्ता में गिरावट आ रही है ? क्या यह सत्य है कि विद्यालय

भवन निर्माण का इसी कारण पूर्ण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन प्राथमिक पाठशाला भवनों की बढ़ी लागत की कीमत देकर उक्त उद्देश्य को पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

वर्ष 1986 में प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण की लागत रु० 74,300 आंकी गयी जो वर्ष 89-90 में पुनरीक्षित करके रु० 90,000 की गयी है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत किसान सेवा सहकारी समिति लि० पैकौली में सचिव द्वारा की गयी अनियमितता के संदर्भ में उसके विरुद्ध कार्यवाही

3–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत किसान सेवा सहकारी समिति लि० पैकौली, विकास खण्ड देवरिया की जांच आख्या, सहायक विकास अधिकारी (सह०) द्वारा दिनांक 7-5-91 को जिला सहायक निबन्धक, सह० समितियां, उ० प्र० (देवरिया) को भेजी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या लगभग 65 हजार रुपये का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उक्त समिति के तत्कालीन सचिव के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस जांच आख्या के अनुसार प्राप्त गबन के मामले को दबाने हेतु दोषी अधिकारी को भी दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

जी हां ।

समिति के तत्कालीन सचिव को दिनांक 22-2-92 को निलम्बित कर दिया गया है और तथाकथित धनराशि की वसूली हेतु उसके विरुद्ध उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत कार्यवाही भी आरम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण को दबाने का मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में नगरपालिका देवरिया द्वारा वर्ष 1990-91 में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत दैनिक मजदूरों द्वारा कार्य कराया जाना

4–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 में नगर पालिका देवरिया में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत नगरपालिका में किये गये कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये गये हैं या दैनिक मजदूरों

द्वारा ? यदि दैनिक मजदूरों द्वारा यह कार्य कराये गये हैं, तो क्या इसका सत्यापन कराया गया है ? यदि हां, तो किससे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

नगरपालिका देवरिया में जवाहर रोजगार योजना लागू नहीं है । वर्ष 1990-91 में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत दैनिक मजदूरों द्वारा कार्य कराये गये हैं । इसका सत्यापन अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता नगर पालिका द्वारा कराया गया है ।

जनपद जालौन के जे० डी० सी० बैंक लि० उरई द्वारा वर्षवार छपाई गई स्टेशनरी तथा जिले की सहकारी समितियों को बेचे जाने के उपरान्त प्राप्त सेल्स टैक्स को शासन को अदा करने में कथित अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही

5–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जे० डी० सी० बैंक लि० उरई ने वर्ष 1986-87, 87-88, 88-89, 89-90 व 90-91 में वर्षवार कितनी स्टेशनरी छपवाकर जिले की सहकारी समितियों को बेची थी ? सहकारी समितियों से अदद के हिसाब से कितना-कितना मूल्य वसूल किया गया तथा जे० डी० सी० बैंक लि० उरई द्वारा छपाई गयी एवं सहकारी समितियों को बेची गयी स्टेशनरी का कितना सैल टैक्स शासन को अदा किया गया ? क्या सेल्स टैक्स, जे० डी० सी० बैंक, उरई ने अदा किया या प्रिंटिग प्रेसों ने ? क्या गैर पंजीकृत प्रिंटिंग प्रेसों से स्टेशनरी अधिक रेट में अवैध रूप से छपवाकर बैंक अधिकारियों द्वारा सेल टैक्स की अदायगी में अनियमितता की गयी ? यदि हां, तो क्या उन्हें दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

माननीय सदस्य द्वारा इस प्रश्न के माध्यम से चाही गयी वांछित सूचना एकत्र कर ली गयी है जो अत्यन्त वृहद एवं व्यापक है । अतः माननीय सदस्य उक्त सूचना का अवलोकन विधान भवन (मुख्य भवन) स्थित मेरे कार्यालय कक्ष संख्या–90 में कर सकते हैं ।

6–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जालौन जिला सहकारी बैंक लि० उरई (जे० डी० सी० बैंक) के प्रधान कार्यालय द्वारा वर्ष 1986-87, 87-88, 88-89, 89-90 व 90-91 में स्टेशनरी छपवाई गयी है ? यदि हां, तो कुल कितने रुपये की वर्षवार व अदद वार तथा कौन-कौन से प्रिंटिंग प्रेसों से छपवाई गयी है ? क्या स्टेशनरी छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस सेल टैक्स विभाग में पंजीकृत थी ? यदि नहीं, तो गैर पंजीकृत प्रेसों से स्टेशनरी क्यों छपवाई गयी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

माननीय सदस्य द्वारा इस प्रश्न के माध्यम से चाही गयी वांछित सूचना एकत्र कर ली गयी है जो अत्यन्त वृहद एवं व्यापक है । अतः माननीय सदस्य उक्त सूचना का अवलोकन विधान भवन (मुख्य भवन) स्थित मेरे कार्यालय कक्ष संख्या–90 में कर सकते हैं ।

जनपद जालौन के सहायक निबन्धक सहकारी समितियों ने जनपद की सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 1990-91 में औकिक तथा वस्तु विक्रेता पदों पर कथित नियुक्तियों का विवरण एवं जांच की मांग

7–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के सहायक निबन्धक सहकारी समितियों ने जनपद की सहकारी समितियों में वर्ष 1990-91 में औकिक तथा वस्तु विक्रेता पदों पर नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो किन-किन समितियों ने ? उक्त पदांकित व्यक्तियों के नाम व पते क्या हैं ? क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति जर्जर होते हुए तथा सहकारी समितियों के घाटे में होने पर भी सहायक निबन्धक ने उक्त नियुक्तियां अवैध रूप से की हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या जिले की सहकारी समितियों के पदस्थ स्टाफ का वेतन वर्ष 1991 में अनुमोदित करके कर्मचारियों का माह जनवरी से लेकर माह मार्च तक का एरियर सहायक निबन्धक ने भुगतान नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की किसी समिति का गठन करके जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

दोनों प्रश्न नहीं उठते, क्योंकि जिला सहायक निबन्धक द्वारा समितियों के कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया जाता ।

जनपद मैनपुरी के नगर क्षेत्र समिति कुसमरा की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण

8–श्री राम औतार शाक्य–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर क्षेत्र समिति कुसमरा, जनपद मैनपुरी में अधूरे क्षेत्र में पक्के खडंजे का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या मुहल्ला उजागरपुर में पक्का खडंजा लगाना अवशेष है, जिससे कीचड़ आदि होने से बीमारी फैलाने की वहां सम्भावना पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां, किन्तु वहां कीचड़ आदि होने से बीमारी फैलने की कोई सम्भावना नहीं है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1991-92 में नगर क्षेत्र समिति, कुसमरा को सड़कों के निर्माण/मरम्मत हेतु रु० 1.20 लाख स्वीकृत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

9–श्री लाल जी वर्मा–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद उन्नाव के प्राइमरी स्कूलों में भूतपूर्व सैनिकों को अध्यापक का दायित्व निर्वहन करते समय प्रोन्नति प्रदान करने में वरीयता देने की मांग

10–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगें कि उन्नाव जनपद में कितने प्राइमरी शिक्षक भूतपूर्व सैनिक हैं ? क्या भूतपूर्व सैनिकों को अध्यापक का दायित्व निर्वहन करते समय प्रोन्नति देने में कोई वरीयता दी जाती रही है ? यदि हां, तो यह वरीयता किस वर्ष तक देने का प्राविधान है ? क्या यह सच है कि वरीयता देते समय सन्, 1972 के प्रारम्भ में भर्ती हुए श्री हरिपाल सिंह सहित कई भूतपूर्व सैनिकों की उपेक्षा हुई है ? यदि हां, तो क्या भूतपूर्व सैनिक अध्यापकों की नियुक्त तिथि के क्रम में प्रोन्नति देते समय वरिष्ठता सूची का उल्लंघन किये जाने की जांच सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां,

2 प्राइमरी शिक्षक भूतपूर्व सैनिक हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । श्री हरिपाल सिंह के सेवा अभिलेख में भूतपूर्व सैनिक होने का उल्लेख नहीं था । जिसके कारण उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका । प्रकरण की जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों की पृथक वरिष्ठता सूची बनाने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्य ज्येष्ठता से अलग भू० पू० सैनिकों को पदोन्नति देने का प्राविधान ही नहीं है ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक पहाड़ी के गांव बरद्वारा में उच्च प्राथमिक पाठशाला में कक्षा 6 से आठ तक के बच्चों को आवश्यक विषय पढ़ाने के लिये अध्यापक की व्यवस्था करने की मांग

11–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक पहाड़ी के गांव बरद्वारा में उच्च प्राथमिक पाठशाला चालू है तथा कक्षा 6 से आठ तक के बच्चों के आवश्यक विषय विज्ञान का कोई अध्यापक नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्षेत्रीय उप विद्यालय निरीक्षक पहाड़ी द्वारा दी गयी आस्थाई ड्यूटी विज्ञान अध्यापक की लगा दी थी ? यदि हां, तो क्या अस्थाई ड्यूटीरत अध्यापक विज्ञान अध्यापक की अर्हता रखा है ? यदि नहीं, तो क्या विद्यालय में विज्ञान अध्यापक दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

विज्ञान अध्यापकों की पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण ।

जी हां । परन्तु क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ऐसी व्यवस्था करने के लिये अधिकृत नहीं है ।

जी हां ।

अनाधिकृत आदेश होने के कारण ।

जी हां ।

नियमित पदोन्नति द्वारा व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं ।

12–श्री राम प्रसाद सिंह–

[दि० 2-4-92 को अता० प्र० सं० 63 द्वारा उत्तरित]

13–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

जल संस्थान द्वारा केन्द्रीयित सेवा के तकनीकी अभियन्ताओं के वेतन से पी० एफ० की कटौती एवं भुगतान

14–श्री श्याद अली–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान केन्द्रीयित सेवा के तकनीकी अभियन्ताओं के वेतन से पी० एफ० की कटौती की जाती है परन्तु उक्त कटौती को निदेशक स्थानीय निकाय को नहीं भेजी जाती है जिससे सेवानिवृत्त होने वाले अभियन्ताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? क्या मंत्री जी केन्द्रीयित सेवा के तकनीकी अभियन्ताओं के वेतन से की जाने वाली पी० एफ० की कटौती को निदेशक, स्थानीय निकाय को समय से भेजने का आदेश देने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

पी० एफ० की कटौती की धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है ।

सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को सम्बन्धित जल संस्थान द्वारा पी० एफ० का भुगतान किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम सभा के कतिपय 400 की आबादी वाले गांवों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की मांग

15–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम सभा अरसौड़ा के अन्तर्गत 400 की आबादी वाले मजरा में प्राथमिक पाठशाला खुलवाया जायेगा तथा विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम गाजीपुर के मजरा गजपुरवा में 350 की आबादी वाले ग्राम में प्राथमिक पाठशाला व सिकहुला के मजरा क्योटरा में प्राथमिक पाठशाला ग्राम अमारा मरोहरा डेरा मजरा में प्राथमिक पाठशाला, विकास खण्ड तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम खप्टिहा कला के मजरा छनिहन डेरा में प्राथमिक पाठशाला खुलवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

वर्तमान मानकों के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा समिति के चयनोपरान्त विद्यालय खोले जाने की कार्यवाही की जाती है ।

जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध होने तथा जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदन होने पर विद्यालय खोले जाने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

16–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के कारण हटाया गया]

जनपद मिर्जापुर के कोटवा विकास खण्ड मड़िहान आयुर्वेदिक चिकित्सालय में दीनानाथ नाम के फार्मेसिस्ट के कार्यरत न होने की जानकारी

17–श्री भागवत पाल–

क्या मुख्य मंत्री अवगत हैं कि श्री दीनानाथ, कम्पाउन्डर, आयुर्वेदिक अस्पताल, कोटवा, मड़िहान, मिर्जापुर, विगत 5-3-91 से 14-3-91 तक सी० आर० पी० सी० की धारा 363/366 के अन्तर्गत जेल में थे ? क्या इसी दौरान इन्हें उपस्थित दिखाकर वेतन भुगतान भी किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि श्री दीनानाथ के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । कोटवा विकास खण्ड मड़िहान, जनपद मिर्जापुर आयुर्वेदिक चिकित्सालय दिनांक 27-5-87 से ग्राम भवरख, विकास खण्ड पहाड़ी, जनपद मिर्जापुर में कार्यरत है । उक्त तिथि से अब तक दीनानाथ नाम का कोई फार्मेसिस्ट उक्त चिकित्सालय में कार्यरत नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में दिनांक 22-8-87 को निर्गत मान्यता एवं सेवा नियमावली अरबी तथा फारसी मदरसे के कार्यान्वयन होने के बाद मदरसा मिस्बाहुल उलूम देवा बाराबंकी में किसी पद पर की गयी नियुक्ति की जानकारी एवं वर्ष 1987-88 में की गयी नियुक्ति का विवरण

18–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दि० 22-8-87 को निर्गत मान्यता एवं सेवा नियमावली अरबी तथा फारसी मदरसे उत्तर प्रदेश के कार्यान्वयन होने के उपरान्त मदरसा मिस्बाहुल उलूम, देवा, बाराबंकी में किसी भी पद पर कोई नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सेवा नियमावली की धारा 20 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य को साक्षात्कार में बुलाया गया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

अभिलेख उपलब्ध न हो सकने के कारण वस्तुस्थिति की पुष्टि नहीं हो सकी है ।

प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिये गये हैं ।

19–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मदरसा मिस्बाहुल उलूम, देवा, बाराबंकी में वर्ष 1987-88 में किस-किस पद पर, कितनी नियुक्तियां की गयी हैं ? नियुक्ति प्राप्त कर्मियों के नाम क्या हैं ? क्या वर्ष 1988 में लिपिक पद पर उपरोक्त मदरसे में किसी ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति की गयी है, जिसको उर्दू तथा टाइप का ज्ञान नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रबन्धक द्वारा वर्ष 87-88 में निम्नांकित नियुक्तियां की गईं :—

1–श्री सलीमुदीन, स० अ० 1-8-87

2–श्री मु० फहीम अहमद, प्र० अ० 1-7-87

3–श्री सै० अली वारिस कादरी, लिपिक 15-10-88

प्रबन्धक द्वारा नियुक्त लिपिक श्री अली वारिस कादरी के उर्दू एवं टंकण ज्ञान सम्बन्धी कोई प्रविष्टि सेवा पंजिका में नहीं है ।

प्रकरण की जांच हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

20–श्री अब्दुल ए० सलाम–

[6वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

जिला सुल्तानपुर के साधन सहकारी समिति, रामबक्शगढ़, ब्लाक जामो, तहसील गौरीगंज द्वारा माह जुलाई, 91 से दिसम्बर, 91 तक उठाई गई खाद के वितरण का सत्यापन

21–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे साधन सहकारी समिति, रामबक्शगढ़, ब्लाक जामो, तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर द्वारा माह 1 जुलाई, 91 से दिसम्बर, 91 तक कुल कितनी व कौन-कौन सी खाद उठाई गयी ? उसका वितरण किस रूप में, कैसे-कैसे किया गया ? क्या उक्त साधन सहकारी समिति की कोई खाद दिसम्बर माह में ब्लैक करते पकड़ी गयी है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन लोग पकड़े गये तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उपरोक्त साधन सहकारी समिति द्वारा उपरोक्त समय में वितरित खाद का सत्यापन कराकर लाभार्थियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

साधन सहकारी समिति लि०, रामबक्शगढ़, ब्लाक जामो, तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर द्वारा माह 1 जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक 90 टन यूरिया एवं 20 टन डी० ए० पी० उर्वरक का उठान किया गया है तथा 1-7-91 के पूर्व का संभार यूरिया 20 टन एवं डी० ए० पी० 11.678 टन था ।

खाद का वितरण माह 1 जुलाई, 91 से दिसम्बर, 91 तक निम्न प्रकार किया गया है :—

नाम उर्वरक	मात्रा टन में		योग	नकद	महायोग
	लघु/सीमान्त	सामान्य			
यूरिया	82.375	2.375	84.750	5.550	90.300
डी० ए० पी०	21.433	1.350	22.783	2.000	24.783

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लाभार्थियों की संख्या 472 थी, कोई शिकायत प्राप्त न होने के कारण सत्यापन का कोई औचित्य नहीं बनता है ।

जनपद लखनऊ के बावली हसनगंज के दुर्गा देवी लेन के अन्दर हैण्ड पम्प, मार्ग/नालियों का निर्माण, सीवर आदि की समुचित व्यवस्था की मांग के संदर्भ में बी० एन० सिंह, स० वि० प० का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

22—श्री राम पाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे बावली, हसनगंज, लखनऊ के दुर्गा देवी लेन के अन्दर (सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग गोडाउन के समीप) आवासों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने, मार्क-2 हैण्ड पम्प की व्यवस्था कराये जाने सम्पर्क मार्ग/नालियों का निर्माण कराये जाने तथा इस मार्ग में बिछी हुई सीवर लाइन को कार्य करने के उपयुक्त बनाये जाने के लिये श्री बी० एन० सिंह, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 8 जनवरी, 1991 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के बिन्दुओं पर दिनांक 27-12-91 तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? उक्त सम्पूर्ण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार—

वर्णित स्थल पर लगभग 2 कि०मी० पाइप लाइन बावली हसनगंज से बुलाकी अड्डा तक डाली जा रही है । 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है । कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा । अधिक दबाव से जलापूर्ति करने हेतु एक नलकूप का निर्माण भी प्रारम्भ कर दिया गया है । सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग गोडाउन के समीप इंडिया मार्क-II हैण्ड पम्प प्रतिस्थापित किया जा चुका है । ट्रंक सीवर लाइन की डिसिल्टिंग का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा ब्रांच सीवर लाइन की सफाई करा दी गयी है । सीवर लाइन पूरी तरह से कार्य योग्य है ।

अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान निदेशक, आयुर्वेद की तदर्थ नियुक्ति का आधार एवं प्राविधानों का अनुपालन

23—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान निदेशक, आयुर्वेद की तदर्थ नियुक्ति किस आधार पर की गयी है ? क्या उनकी नियुक्ति में वरीयता क्रम, सेवाकाल, नियुक्ति समिति आदि शासकीय अर्हताओं का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान निदेशक, आयुर्वेद की नियमित नियुक्ति चयन नियमों एवं प्रक्रिया के आधार पर की गयी है।

सेवा नियमावली के प्राविधानो का अनुपालन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

24–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

25–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

26–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के कारण हटाया गया]

जनपद सुल्तानपुर में श्रीमती रोजली अग्रवाल, स्वास्थ्य निरीक्षिका तथा श्री के० सी० अग्रवाल, प्रयोगशाला तकनीशियन के स्थानान्तरण की मांग

27–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में श्रीमती रोजली अग्रवाल, स्वास्थ्य निरीक्षिका तथा श्री के० सी० अग्रवाल, प्रयोगशाला तकनीशियन विगत 25 वर्षों से सेवारत हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी, तत्काल ही उनका स्थानान्तरण करने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जी हां।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में श्री बाबूलाल, सहायक अध्यापक, कन्या प्राइमरी पाठशाला, असोह का जेल जाने के आरोप में निलम्बन

28–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत श्री बाबूलाल, सहायक अध्यापक, कन्या प्राइमरी पाठशाला असोह को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा ने 89-90 में निलम्बित कर दिया था ? यदि हां, तो किस दिनांक को और किस आरोप में ? क्या यह सत्य है कि वह अपराध संख्या 93/89 धारा 302 ता० हि० का हत्याभियुक्त हैं तथा वर्ष 1989 एवं 90 में लगातार तीन माह से अधिक समय तक जेल में रहे हैं एवं उक्त अपराध आज भी अदालत में विचाराधीन है ? यदि हां, तो

क्या इन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या इसमें जांच करके कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

दिनांक 17-2-90 को जेल जाने के आरोप में निलम्बित किया गया ।

जी हां ।

जी हां ।

प्राप्त आख्यानुसार अध्यापक के विरुद्ध दफा 302 का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है तथा मा० न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर देने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा द्वारा अध्यापक का निलम्बन समाप्त किया गया है ।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) को जांच कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

जांच आख्या के प्राप्त होने पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

प्रश्न नहीं उठता ।

29–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री विश्राम दास तथा श्री विक्रमाजीत मौर्य–

[दि० 8-4-92 को अता० प्र० सं० 68 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त महिला बेसिक हेल्थ वर्कर की संख्या की जानकारी एवं उन्हें रोजगार दिलाये जाने की मांग

30–श्री खालिद गौरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी प्रशिक्षण प्राप्त महिला बेसिक हेल्थ वर्कर ऐसी हैं जिन्हें अब तक रोजगार नहीं मिला है ? इनको रोजगार कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश में लगभग 4048 प्रशिक्षित महिला बेसिक हेल्थ वर्कर ऐसी हैं जिन्हें अब तक राज्य सरकार द्वारा रोजगार नहीं दिया गया है ।

रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही रोजगार दिया जाना सम्भव है ।

जनपद मऊ के अपने गृह ब्लाक में स्वास्थ्य सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत श्री पारसनाथ तिवारी के स्थानान्तरण की मांग

31–श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पारस नाथ तिवारी, स्वास्थ्य सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परदहां, जनपद मऊ अपने गृह ब्लाक में लगभग 17 वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या वर्तमान स्थानान्तरण नीति इनके ऊपर लागू होती है ? यदि हां, तो क्या इनका स्थानान्तरण सुदूर जनपदों में से कहीं करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण करने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में इन्द्रानगर कालोनी में विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर जल निगम, बांदा द्वारा टंकी का निर्माण कराया जाना

32–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा नगर में इन्द्रा नगर कालोनी में 16वीं शाखा जल निगम, बांदा द्वारा शीर्ष जलाशय का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो क्या इससे इन्द्रा नगर में पानी की सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो वर्षों से बने इस जलाशय का उपयोग क्या है ? इन्द्रा नगर वासियों की पेयजल समस्या का क्या निदान किया जा रहा है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर जल निगम, बांदा द्वारा टंकी का निर्माण करके इसे माह अक्टूबर, 1990 में उपयोग हेतु टेस्ट किया जा चुका है एवं टंकी को वितरण प्रणाली से जोड़ने हेतु संयोजन कार्य अक्टूबर, 1991 में करा दिया गया है । टंकी को विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने के पश्चात् पेयजल आपूर्ति चालू होगी ।

बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा निदान किया जा रहा है ।

जनपद एटा की नगर पालिका कासगंज में संगठित विकास योजना की वर्ष 1991 की बैठक में लिये गये निर्णयों का तथा उपस्थित सदस्यों की संख्या की जानकारी

33–श्री नेतराम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले की नगरपालिका कासगंज में संगठित विकास योजना की बैठक माह सितम्बर सन् 1991 को हुई थी ? यदि हां, तो उसमें किन किन सदस्यों की उपस्थिति थी ? क्या यह सत्य है कि संगठित नगर विकास योजना के नियम व उद्देश्यों के विरुद्ध ठेके दिये गये हैं ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा संगठित विकास योजना के धन के दुरुपयोग भ्रष्टाचार अनियमितताओं के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र माह अक्टूबर सन् 1991 में मण्डल आयुक्त, आगरा मण्डल को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो जांच अधिकारी कौन थे ? क्या यह भी बतायेंगे कि नियम के विरुद्ध ठेका देने में कौन-कौन से अधिकारी दोषी थे व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

(1) डा० शशिलता चौहान, अध्यक्ष, नगरपालिका, कासगंज ।

(2) श्री मुनेश्वर साहा, संयुक्त नियोजक, इटावा ।

(3) श्री आर० के० घोष, सहायक अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, कासगंज ।

(4) श्री एस० पी० शर्मा, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कासगंज ।

(5) श्री शिव ओम शर्मा, अवर अभियन्ता, जल निगम, एटा ।

(6) श्री अशोक कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, कासगंज ।

कार्यहित में जिलाधिकारी, एटा द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार संगठित विकास योजना हेतु निर्धारित नियमों को शिथिल करते हुए निविदा आमंत्रित की गई और उसी के आधार पर ठेका दिया गया इसी परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता का पत्र भी प्राप्त हुआ जिसके संदर्भ में परगना मजिस्ट्रेट, कासगंज, एटा से मामले की जांच करायी गई । चूंकि ठेके कार्यहित में जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार नियमों को शिथिल करते हुए दिये गये थे । अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के प्रा० स्वा० केन्द्र सीयर में कार्यरत श्रीमती विमला देवी, स्वा० निरीक्षिका के आकस्मिक अवकाश पर रहने की दशा में कार्यमुक्त किये जाने का औचित्य एवं अन्य कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के स्थानान्तरण में अपनायी गयी नीति की जानकारी

34–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रा० स्वा० केन्द्र, सीयर, जनपद बलिया में कार्यरत श्रीमती विमला देवी, स्वा० निरीक्षिका को तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी ने दिनांक 5-8-91 से 7-8-91 तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो उक्त स्वा० निरीक्षिका को दिनांक 7-8-91 को कार्यमुक्त करने का क्या औचित्य है ? क्या इसमें दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

35–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के प्राथमिक स्वा० केन्द्र, सीयर में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के स्थानान्तरण के संबंध में, वर्ष 1990-91 में सरकार की नीति क्या रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1990-91 में जनपद बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के लिये अलग से कोई स्थानान्तरण नीति नहीं रही है, अपितु कार्मिक विभाग की ही सामान्य नीति लागू रही है ।

जनपद बलिया के टाउन एरिया बिल्थरा रोड के अन्तर्गत नगर क्षेत्र समिति में अंकित गृह व दुकानों की संख्या का विवरण

36–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के टाउन एरिया बिल्थरा रोड के अन्तर्गत नगर क्षेत्र समिति के रिकार्ड में कितने गृह व दुकानें वर्तमान समय में अंकित हैं ? क्या सरकार नगर क्षेत्र समिति का पुनः सर्वेक्षण करवा कर मकानों व दुकानों का नये सिरे से सर्वेक्षण कराकर गृह कर, व्यवसाय कर या जलकर सुनिश्चित कराने पर विचार करेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) वर्तमान समय में टाउन एरिया क्षेत्र में 1207 मकान तथा 1224 दुकानें अंकित हैं ।

(ख) जी हां ।

जनपद बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर में कई वर्षों से कार्यरत चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

37–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर पर कितने चिकित्साधिकारी व कर्मचारी कब-कब से तैनात हैं तथा कितने ऐसे कर्मचारी उक्त केन्द्र पर 10 वर्षों से अधिक दिनों से स्थानान्तरण आदेशों को रोकवा कर या निरस्त कराकर कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के तहत सरकारी निर्देश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर में विकास खण्डवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी समितियों को प्राप्त लाइसेन्स का प्रतिशत और लाइसेन्स धारक समितियों की संख्या का विवरण

38–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी समितियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करके सरकारी सस्ते गल्ले की व मिट्टी के तेल की दुकानों को चलाने के लिये जनपद आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर में विकास खण्डवार कितने प्रतिशत लाइसेन्स प्राप्त किये गये हैं ? वहां कितनी लाइसेन्स धारक समितियां कार्यरत हैं ? क्या सरकार सभी सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चलने वाली दुकानों की तरह संचालित करने की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जनपद आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर में विकास खण्डवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी समितियों को प्राप्त लाइसेन्स का प्रतिशत और लाइसेन्स धारक समितियों की संख्या निम्न प्रकार हैं :–

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	कार्यरत लाइसेन्स धारक सहकारी समितियों का प्रतिशत		संख्या	
		सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	मिट्टी के तेल की दुकान	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	मिट्टी के तेल की दुकान
1	2	3	4	5	6
			आजमगढ़ जनपद		
1	पल्हनी	0	0	-	–
2	तहवरपुर	1.12	0	1	-
3	रानी की सराय	1.69	1.12	1	1
4	मिर्जापुर	4.29	3.23	3	3
5	मुहम्मदपुर	0	0	-	-
6	जहानागंज	0	0	-	-
7	सठियांव	5.97	4.88	4	4
8	हरैया	0	0	-	-
9	विलरियागंज	3.03	2.34	3	3
10	महराजगंज	5.00	4.26	4	4
11	अजमतगढ़	0	0	-	-
12	फूलपुर	0.79	1.00	1	1
13	मार्टिनगंज	0	0	-	-
14	पवई	0	0	-	-
15	अतरौलिया	1.59	1.96	1	1
16	अहिरौला	0	0	-	-
17	कोयलसा	1.14	0	1	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
18	लालगंज	5.94	0.99	6	1
19	ठेकमा	1.11	1.03	1	1
20	मेहनगर	0	0	-	-
21	तरवा	0	0	-	-
	योग-..	1.463	0.942	26	19
			मऊ जनपद		
1	परहदा	1.75	5.26	1	1
2	कोपागंज	8.62	25.60	5	5
3	फत्तेहपुर मंडाव	0	0	-	-
4	घोसी	8.82	11.76	2	2
5	मुहम्मदाबाद	6.67	2.70	5	1
6	रतनपुरा	6.06	26.67	4	4
7	दोहारीघाट	7.35	21.43	3	1
8	बड़ागांव	0	0	-	-
9	रानीपुर	0	0	-	-
	योग ..	4.173	7.018	20	14
			बलिया जनपद		
1	सोहांव	7.14	6.12	2	2
2	गड़वार	2.22	1.79	1	1
3	बेलहरी	4.88	3.33	2	2
4	दुबहड़	0	0	-	-
5	हनुमानगंज	0	0	-	-
6	बांसडीह	4.44	6.12	2	3
7	बेरुआरवारी	0	0	-	-
8	नवानगर	9.52	8.82	6	6

विधान सभा

1	2	3	4	5	6
9	पन्दह	0	0	-	-
10	रेवती	10.25	9.76	4	4
11	मनियर	5.13	6.98	2	3
12	मुरली छपरा	0	0	-	-
13	बैरिया	0	0	-	-
14	रसड़ा	3.90	3.75	3	3
15	नगरा	4.55	4.46	5	5
16	चिलकहर	1.33	1.33	1	1
17	सीयर	3.51	3.49	4	4
	योग ..	3.280	3.076	32	34
			गाजीपुर जनपद		
1	गाजीपुर	0	0	-	-
2	करण्डा	0	0	-	-
3	बिरनो	8.33	8.33	4	4
4	मरदह	0	0	-	-
5	सैदपुर	4.88	4.88	4	4
6	सादात	7.41	7.41	4	4
7	जखनिया	1.67	1.67	1	1
8	मनिहारी	1.87	1.87	1	1
9	देवकली	0	0	-	-
10	मुहम्मदाबाद	2.74	15.38	2	2
11	भांवरकोल	0	0	-	-
12	बाराचवर	0	0	-	-
13	कासमाबाद	5.26	5.88	2	2
14	रेवतीपुर	4.76	4.88	2	2
15	जमानिया	3.90	6.67	3	3
16	भदौरा	0	0	-	-
	योग ..	2.674	3.281	23	23

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जी नहीं, क्योंकि सहकारी समितियां को उपविधियों में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार ही कार्य करना होता है ।

जनपद बलिया के टाउन एरिया बिल्थरा रोड के पदच्युत किये जा चुके पूर्व चेयरमैन के ऊपर लगे धन गबन के आरोपों की जांच

39–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के टाउन एरिया बिल्थरा रोड के पदच्युत किये जा चुके पूर्व चेयरमैन के ऊपर कितने धन के गबन का आरोप सिद्ध है ? क्या सरकार उक्त धन को राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली करवा कर टाउन एरिया की क्षति पूर्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

गबन की धनराशि का आंकलन किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ग्राम लहरा नृरामपुर, दिवपुर चौधरी, नगला केहरी के प्राइमरी पाठशालाओं के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण की मांग

40–श्री राम औतार शाक्य–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम लहरा नृरामपुर, दिवपुर चौधरी, नगला केहरी, विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में प्राइमरी पाठशाला के भवन जर्जर हो चुके है और कभी भी गिरकर कोई बड़ा हादसा हो सकता है ? यदि हां, तो सरकार उनके पुनः निर्माण की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कर्मचारियों की भांति बेसिक शिक्षा विभाग के पेंशनरों को भी पेंशन देने की मांग

41–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय कर्मचारियों की भांति उनके विभाग में पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 1-4-90 से (वित्त विभाग उ० प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार) 375/- (तीन सौ पचहत्तर रुपये) निर्धारित कर पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को भुगतान कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि करवाया जायेगा, तो कब तक ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

उक्त शासनादेश बेसिक शिक्षा के पेशनरों पर लागू नहीं है । प्रदेश की वर्तमान अर्थोपाय की कठिन स्थिति में सम्प्रति संभव नहीं है ।

सुलभ शौचालयों के निर्माण के लिए हरिजन स्वच्छ सुलभ सहकारी श्रम संविदा समिति का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत

42—श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सुलभ शौचालयों के निर्माण के लिये शासन मान्यता हेतु हरिजन स्वच्छ सुलभ सहकारी श्रम संविदा समिति से संबंधित पत्रावली वर्ष 1990 से सचिव, नगर विकास के समक्ष लम्बित पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संस्था को मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही, करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार—

पत्रावली लम्बित नहीं है । समिति का प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समिति को मान्यता दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में मृत अध्यापकों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन दिये जाने की नीति

43—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में वर्ष 1977 के पूर्व सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवा पत्नियों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो श्री मुश्ताक अली, प्र० लि०, बेसिक शिक्षा परिषद् बांदा, श्री मथुरा प्रसाद शर्मा, प्र० अ०, नगर क्षेत्र बांदा, श्री रज्जब खां मानक, प्र० अ०, नगर क्षेत्र बांदा, श्री मुहम्मद अली, स० अ०, नगर क्षेत्र बांदा, श्री जमुना प्रसाद कर्ण, प्र० अ०, नगर क्षेत्र बांदा व अन्य सेवानिवृत्त होकर मृत हो गये कर्मचारियों की पत्नियों को पारिवारिक पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं ? यदि पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्राविधान नहीं है, तो क्या सरकार इस संबंध में विचार कर रही है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

जी हां, लाभत्रयी योजनान्तर्गत मृत अध्यापकों की विधवाओं को अधिकतम 10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्राविधान है, पर प्रतिबन्ध यह हैं भुगतान की अवधि मृत अध्यापक की अधिवर्षता वर्ष से 5 वर्ष से अधिक न हो । 1-1-89 के पूर्व दिवंगत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के परिवार को पारिवारिक पेंशन देय नहीं है ।

श्री मुश्ताक अली, प्रधान लिपिक 1-1-89 से पूर्व दिवंगत शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं अतः इन्हें पारिवारिक पेंशन देय नहीं है ।

श्री मथुरा प्रसाद शर्मा, प्रधान अध्यापक, नगर क्षेत्र बांदा, श्री मुहम्मद अली, सहायक अध्यापक, नगर क्षेत्र बांदा एवं श्री जमुना प्रसाद कर्ण, प्रधान अध्यापक 1-3-77 के पूर्व के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं तथा अधिवर्षता वर्ष के 5 वर्ष पश्चात् दिवंगत हुये हैं । अतः लाभत्रयी योजानन्तर्गत इनके आश्रित को पारिवारिक पेंशन देय नहीं है । श्री रज्जब खां मानव प्रधान अध्यापक नगर बांदा 1-3-77 के बांद के सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं । इनके आश्रित को पारिवारिक पेंशन भुगतान की जा रही है । अन्य एक श्री रघुनन्दन प्रसाद, परिचारक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी सेवारत होते हुए 1-1-89 से पूर्व दिवंगत हुए अतः इनके आश्रित को पारिवारिक पेंशन देय नहीं है ।

जी हां ।

44–श्री प्रमोद कुमार –

[दिनांक 7-4-92 को अता० प्र० सं० 32 द्वारा उत्तरित]

45–श्री प्रमोद कुमार–

[दिनांक 7-4-92 को अता० प्र० सं० 195 द्वारा उत्तरित]

जिला उन्नाव के पी० एच० सी०, असोहा के प्रभारी चिकित्साधिकारी पर वर्ष 1989-90 व 90-91 में फर्जी नसबन्दी के आरोपों की जांच की रिपोर्ट कृत कार्यवाही की जानकारी

46–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की असोहा पी० एच० सी० के प्रभारी चिकित्साधिकारी पर वर्ष 89-90 व 90-91 में फर्जी नसबन्दी किये जाने के प्रकरणों की जांच चल रही है ? क्या सरकार अवगत है कि उक्त चिकित्साधिकारी के विरुद्ध ही प्रश्नकर्ता के गलत डाक्टरी मुआइना किये जाने विषयक पत्र दिनांक 1-12-91 जो प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को संबोधित है की भी जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी अवगत है कि अनुसूचित जाति के गरीबे ने उक्त चिकित्साधिकारी के विरुद्ध चिकित्सा उपचार न करने की शिकायतें की हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि रामपाल पासी आदि नि० भाऊमऊ का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र दिनाकं 27-12-91 पत्रांक 315/91, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को मिला है । यदि हां, तो जांच किसने की ? क्या जांच प्रश्नकर्ता के अनुरोध के अनुरूप किन्हीं सं०-निदेशक/अति० निदेशक ने की है ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है ? उक्त सभी प्रकरणों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कम्पाउण्डर पद पर की गई फर्जी नियुक्तियों तथा होम्योपैथिक निदेशालय से वर्ष 1987-88 व 88-89 के डिस्पैच रजिस्टर के खोने की मामले की जांच कराने की मांग

47–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कम्पाउण्डर पद पर फर्जी नियुक्तियों का प्रकरण प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या यह सत्य है कि होम्योपैथिक निदेशालय का डिस्पैच रजिस्टर वर्ष 1987-88 व 88-89 का गायब हो गया है ? यदि हां, तो क्या निदेशक, होम्योपैथिक को निलम्बित कर सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

विस्तृत सूचनायें परिधिगत नियुक्ति प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही हैं ।

होम्योपैथिक निदेशालय का डिस्पैच रजिस्टर कलेंडर वर्ष विशेष के लिए होता है । केवल वर्ष 1987 का डिस्पैच रजिस्टर सुलभ नहीं हो पा रहा है जिसके बारे में स्थिति ज्ञात की जा रही है । संप्रति निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के लिये रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24, चैथम लाइन्स, प्रयाग स्थित 5 एकड़ का भूखण्ड लीज पर होने की मांग

48–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के लिये रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24, चैथम लाइन्स, प्रयाग स्थित 5, एकड़ का भूखण्ड लीज पर देने हेतु सहमति दे दी गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त भूखण्ड हेतु रक्षा विभाग द्वारा लगाई गयी शर्तों को पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या वर्तमान समय में लगभग पांच करोड़ की सम्पत्ति को राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा लगाई शर्त जो नगण्य है, को ध्यान में रखते हुए जनहित में उक्त भूखण्ड लीज पर लेने का कष्ट करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के पुनर्गठन का मामला विचाराधीन है, जिसमें अन्तिम निर्णय लिए जाने के उपरान्त ही प्रश्नगत भूखण्ड को लीज पर प्राप्त किए जाने की कार्यवाही संभव होगी ।

श्रीमती फूलमती साइलेस, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य निरीक्षिका, प्रा० स्वा० केन्द्र पल्हनी ,जनपद आजमगढ़ के सेवा निवृत्ति के बाद समस्त देयों के भुगतान की मांग

49–श्री बलराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती फूलवती साइलेस, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य निरीक्षिका, प्रा० स्वा० केन्द्र पल्हनी, जनपद आजमगढ़ का सेवानिवृत्ति के बाद आज तक ग्रेच्युटी तथा अन्य देयों का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि के बाद भी भुगतान न किये जाने का कारण क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर में वित्तीय वर्ष 1991-92 में जिलाधिकारी ,रामपुर को दंगा-ग्रस्त नगर क्षेत्रों में सफाई उपकरण प्रकाश व्यवस्था आदि के संबंध में स्वीकृत धनराशि एवं किये गये कार्यों की जानकारी

50–श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत सरकार द्वारा शहर रामपुर की सड़कों को बनाने के लिये 52 लाख रुपया दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि शहर में साम्प्रदायिक दंगा होने के कारण उक्त पैसा अभी तक प्रयोग में नहीं आया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस धन का उपयोग न किये जाने का कारण क्या है ? कब तक आवंटित धन उक्त कार्यों के उपयोग में लाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां । वित्तीय वर्ष 1991-92 में जिलाधिकारी, रामपुर को दंगा-ग्रस्त नगर क्षेत्रों में सफाई उपकरण, प्रकाश व्यवस्था तथा क्षति-ग्रस्त सड़कों एवं नालियों की मरम्मत हेतु रु० 52.00 लाख स्वीकृत किया गया था ।

जी नहीं । निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु 15.00 लाख दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के भवन की मरम्मत हेतु धन का आवंटन

51–श्री खालिद गौरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत तथा नये भवनों के निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो हरदोई तथा पिहानी नगरों हेतु कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां । केवल भवनों के मरम्मत हेतु ।

भवन निर्माण हेतु कोई धन स्वीकृत नहीं हुआ ।

वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में विद्यालय भवनों के मरम्मत हेतु रु० 89,966 मात्र स्वीकृत किया गया है ।

उ० प्र० सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंकों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में ग्रामीण आवास हेतु ऋण योजना के अन्तर्गत जनपद हरदोई के पिहानी क्षेत्र में आवास हेतु ऋण की मांग

52–श्री खालिद गौरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंकों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में ग्रामीण आवास हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो कुल कितना रुपया इस मद हेतु आवंटित किया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि हरदोई जनपद के पिहानी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन हेतु कुल 7.00 करोड़ रु० की धनराशि आवंटित की गयी है । हरदोई जनपद का पिहानी विधान सभा क्षेत्र जो इस बैंक की शाखा हरदोई एवं शाहाबाद के अन्तर्गत आता है, के लिये ग्रामीण आवास योजना में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है क्योंकि उपर्युक्त शाखाओं की वसूली निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं थी ।

जनपद मऊ में प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल स्तर तक के जर्जर व भवनहीन विद्यालयों की संख्या की जानकारी तथा उनके ठीक किये जाने तथा बनाये जाने की मांग

53–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के अन्तर्गत कुल कितने प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर के विद्यालय जर्जर तथा भवनहीन हैं ? क्या यह सही है कि निवर्तमान सरकार द्वारा जनपद मऊ के सभी जर्जर एवं भवनहीन विद्यालयों को भवन बनाने हेतु जनप्रतिनिधि से सामूहिक रूप से आधार शिला रखवायी गयी थी ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने विद्यालय थे तथा उनकी आधार शिला रखवाने का औचित्य क्या था ? क्या नई सरकार विद्यालयों को जर्जर भवन पुनः बनाने हेतु अतिरिक्त धन देने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

भवनहीन तथा जर्जर प्रा० स्कूलों की संख्या क्रमशः 7 तथा 48 और भवनहीन जू० हा० स्कूलों की संख्या 6 है ।

केवल भवनहीन प्रा० स्कूलों के भवन निर्माणार्थ जनप्रतिनिधियों से शिलान्यास कराने के आदेश दिये गये थे किन्तु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ द्वारा जर्जर भवनों को बनाने हेतु भी आधार शिला रखवाई गई ।

संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार 48 जर्जर प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु भी शिलान्यास करा दिया गया था, जिनके लिए कोई आदेश नहीं थे ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इस प्रकरण पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।

जनपद अलीगढ़ में हरदुआगंज एवं जलाली तथा जनपद बुलन्दशहर की कतिपय टाउन एरिया के कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने की शिकायत

54–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया हरदुआगंज एवं जलाली तथा समस्त टाउन एरिया जनपद अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों को 8-8, 10-10 माह वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जबकि समस्त टाउन एरियाओं की बकाया वेतन की सूची शासन में उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि टाउन एरिया जेवर, जनपद बुलन्दशहर सहित प्रदेश की समस्त टाउन एरियाओं में सफाई कर्मचारियों का भुगतान समय से नहीं होता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के आदेश कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) बकाये वेतन के भुगतान का दायित्व स्थानीय निकायों का है ।

उक्त "ग" अवलोकनीय है ।

जनपद जालौन के नगर क्षेत्र कालपी स्थित परिषदीय प्राइमरी तथा जूनियर बालक/बालिका विद्यालयों के जर्जर/ध्वस्त भवनों के निर्माण की मांग

55–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या प्राथमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के नगर क्षेत्र कालपी स्थित परिषदीय प्राइमरी तथा जूनियर बालक/बालिका विद्यालय भवनों की स्थिति जर्जर है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1990-91 में ऐसे ध्वस्त विद्यालयों हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में परिषदीय प्राइमरी तथा जूनियर बालक/बालिका विद्यालय भवनों के निर्माण की भांति नगर क्षेत्र के जर्जर व ध्वस्त विद्यालय भवनों का भी निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी नहीं ।

जिला योजना में ऐसे भवनों के निर्माणार्थ परिव्यय/प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण ।

जिला स्तर से जनपद की योजना में प्रश्नगत विद्यालय भवनों के लिए परिव्यय/प्राविधान उपलब्ध होने पर इनके भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा ।

जनपद बाराबंकी के अधिकांश टाउन एरिया में सफाई कर्मचारियों को कई माह के वेतन न मिलने की समस्या तथा जनपद के कतिपय टाउन एरिया सचिवों द्वारा स्वयं तथा सहयोगियों के माध्यम से निकाले गये वेतन के प्रकरण की जांच की मांग

56–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बाराबंकी जनपद की अधिकतर टाउन एरियाओं के सफाई कर्मचारियों का वेतन पिछले 2 माह से 12 माह तक का बकाया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से टाउन एरिया के कर्मचारियों का वेतन बकाया है और किन-किन टाउन एरियाओं के सचिव अपना और अपने कुछ सहयोगियों का वेतन प्रत्येक माह निकाल रहे हैं ? यदि हां, तो किस नियम से ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) जी हां ।

(ख) टाउन एरिया हैदरगढ़ एवं दरियाबाद को छोड़कर शेष टाउन एरियाओं का वेतन बकाया है तथा टाउन एरिया जैदपुर, फतेहपुर, टिकैतनगर, बंकी के सचिव अपना वेतन प्रतिमाह निकाल रहे हैं ।

(ग) तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश संख्या–मेमो/एल० बी० सी०-प्रथम, दिनांक 25 जून, 90 के अन्तर्गत ।

(घ) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जिलाधिकारी, बाराबंकी को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद बाराबंकी के टाउन एरिया कमेटियों के सफाई कर्मचारियों को दि० 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतनमानों के एरियर का भुगतान किये जाने की मांग

57–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि समता समिति स्थानीय निकाय 1989 की संस्तुतियों के आधार पर बाराबंकी जनपद की किन- किन टाउन एरिया कमेटियों के सफाई कर्मचारियों का दि० 11-1-86 से नये वेतनमानों का वेतन निर्धारण कर दिया गया है ? उपरोक्त के आधार पर 1-1-86 से वर्ष 1989-90 तक बढ़े हुये वेतनमान के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या–8510-9-1-91 (सा०)/91, दिनांक 11 अक्टूबर, 1991 द्वारा टाउन एरियाओं को जो धनराशि आवंटित की गई है क्या उससे सफाई कर्मचारियों को पूरे एरियर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन टाउन एरियाओं में ? यदि नही, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) जी हां ।

(ख) जी हां । किन्तु कुछ टाउन एरियाओं में एरियर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

(ग) जनपद की कुल 10 टाउन एरियाओं में से टाउन एरिया सिद्धौर, फतेहपुर, सतरिख, दरियाबाद, टिकैतनगर में समस्त एरियर का भुगतान किया जा चुका है । शेष पांच टाउन एरियाओं में शासन द्वारा एरियर के भुगतान हेतु स्वीकृत अग्रिम अंशदान की धनराशि में संबंधित निकायों द्वारा अपने हिस्से की धनराशि की व्यवस्था न कर पाने के कारण पूरे एरियर का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में लगभग 20 वर्षों से कार्यरत स्थानीय अध्यापक का स्थानान्तरण न किये जाने की शिकायत

58–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में स्थानीय अध्यापक वहीं के स्नातक हैं तथा संस्था में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण कभी किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान में ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में 16 अध्यापक कार्यरत हैं, जिनमें 5 अध्यापकों का गृह जनपद हरिद्वार होने के कारण स्थानीय हैं एवं इसी संस्था के स्नातक हैं तथा 9 अध्यापक जो कि इसी संस्था के स्नातक तो हैं, किन्तु वे विभिन्न जनपदों के निवासी होने के कारण स्थानीय नहीं हैं । संस्था का प्रान्तीयकरण शासन द्वारा 10 अक्टूबर, 1974 को किया गया है । अतः प्रान्तीयकरण की तिथि के पश्चात् किसी भी अध्यापक के राजकीय सेवा में आने के 20 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं । उक्त में से डिमांस्ट्रेटर का स्थानान्तरण उक्त संस्था से हरिद्वार में ही दूसरी संस्था (गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार) में जुलाई, 1983 को निदेशालय द्वारा किया गया था ।

आचार्य रामरतन शिशु -मंदिर, मैनपुरी में कार्यरत लिपिक श्री किशोरी लाल की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र का सरकार द्वारा शासनादेश के अनुसार नौकरी न दिये जाने के कारण की जानकारी

59–श्री राम औतार शाक्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान सूची के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं लिपिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को नौकरी देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या आचार्य रामरतन शिशु-मंदिर, मैनपुरी में कार्यरत लिपिक श्री किशोरी लाल की मृत्यु होने पर उनके पुत्र श्री राजेश की नियुक्ति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री किशोरी लाल की मृत्यु उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के उपरान्त हुई है । अतः उनके पुत्र को मृत आश्रित की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता ।

जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन बेसिक विद्यालयों में पद सृजित करने के मानक की जानकारी

60–श्री राम औतार शाक्य–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि मैनपुरी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन बेसिक विद्यालयों में कितने पद इस वर्ष सृजित किये गये हैं और उसका मानक क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सीनियर बेसिक विद्यालयों में भी पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या उन पदों पर नियुक्ति का कोई मानक बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

वर्ष 91-92 में कोई पद सृजित नहीं किया गया है । प्रत्येक नवीन जूनियर बेसिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक एवं नवीन सीनियर बेसिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा दो सहायक अध्यापक के पद सृजित किये जाने का मानक है ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कार्यवाही के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय का स्थगनादेश

61–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी का आदेश पत्रांक–194/21-एल० बी० ए०-41 (89-90), दिनांक 16-10-90 जिलाधिकारी, बांदा तथा अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा को किन-किन तिथियों में प्राप्त हुआ ? उक्त आदेश के परिपालन में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि आयुक्त के आदेश के बावजूद भी अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा ने बोर्ड

की मंजूरी की प्रत्याशा में हजारों रुपये का भुगतान कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 36 तथा 48 के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार--

संदर्भगत पत्र जिलाधिकारी, बांदा को दिनांक 17-10-90 एवं नगरपालिका, बांदा को दिनांक 12-11-90 को प्राप्त हुआ था ।

उक्त आदेश का परिपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अध्यक्ष, नगरपालिका के विरुद्ध विभिन्न मामलों से सम्बन्धित 16 आरोपों पर जांच प्रारम्भ की गयी ।

जी हां,।

प्रश्नगत कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के संदर्भ में किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

प्रदेश की नगर पालिकाओं में समितियों के गठन की नीति विशेषकर जनपद बांदा की नगरपालिका द्वारा दायर मुकदमों की सूची एवं मुकदमों पर व्यय धनराशि का विवरण

62–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरपालिकाओं में सार्वजनिक निर्माण समिति/कर तथा स्वास्थ्य समिति का गठन किस उ० प्र० नगरपालिका अधिनियम/मैनुवल के अन्तर्गत किया जाता है ? क्या, यह सत्य है कि नगरपालिका, बांदा की बैठक दिनांक 19 अगस्त, 1991 के प्रस्ताव सं०–31 द्वारा उ० प्र० नगरपालिका मैनुवल 632 के नियम 16 के अन्तर्गत न कर, कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा नामांकित किये जाने का अधिकार दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रदेश की नगरपालिकाओं में समितियों, सार्वजनिक निर्माण समिति/कर तथा स्वास्थ्य समिति का गठन संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 104 से 109 के अन्तर्गत किया जाता है ।

जी हां । अधिनियम में उल्लिखित धारा-104 उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसार ऐसी समितियों विनियम द्वारा संस्तुति की जा सकती है तथा खण्ड (ख) के अनुसार ऐसी समितियों के सदस्यों को एक हस्तान्तरणीय मत द्वारा ही निर्वाचित किया जा सकता है और खण्ड (ग) के अधीन बोर्ड के संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है । ऐसी स्थिति में बोर्ड का संकल्प संख्या–31 दिनांक 19 अगस्त, 1991 अधिनियम की धारा 34(1-ख) विधि के प्रतिकूल पारित किया गया था । अतएव श्री राज्यपाल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन राज्य सरकार द्वारा उक्त संकल्प का अग्रेतर निष्पादन निषिद्ध कर दिया गया है । संकल्प निषिद्ध करने के बाद किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

63–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, 1989 से 20 दिसम्बर, 1991 तक नगरपालिका, बांदा द्वारा किन-किन व्यक्तियों पर मुकदमें दायर किये गये तथा नगरपालिका, बांदा के ऊपर किन-किन व्यक्तियों ने मुकदमें दायर किये ? उन मुकदमों में कितना रुपया नगरपालिका का व्यय किया गया ? क्या सरकार पालिका के अनावश्यक रूप से हो रहे धन के दुरुपयोग पर कोई प्रतिबन्ध लगा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

संदर्भगत अवधि में नगरपालिका, बांदा द्वारा दायर किये मुकदमों एवं नगरपालिका, बांदा के विरुद्ध दायर मुकदमों की सूची "अ" पर दिये गये व्यय विवरण के साथ संलग्न† है। कुल व्यय रु० 36,003.00 हुआ है।

यह व्यय मुकदमों की पैरवी में किया गया है। अतः अनावश्यक नहीं है। प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव की साधन सहकारी समिति असावर, ब्लाक असोहा में 10 हजार तक ऋण माफी योजना के अन्तर्गत ऋण माफ न किये जाने की शिकायत

64–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि 10 हजार तक ऋण माफी योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले की साधन सहकारी समिति असावर, ब्लाक असोहा के सदस्यों में अब तक कुल कितने रुपये का धन माफ हुआ है ? क्या यह ऋण माफी सहकारी समिति के सदस्यों बकायेदारों की पास बुक में अंकित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त समिति के सदस्यों को ऋण माफी सुविधा न मिल सकने के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? ऋण सुविधा कब तक काश्तकारों की पास में अंकित कर दी जावेगी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

सम्बन्धित समिति में अभी तक कोई धन माफ नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

समिति के दोषी सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

---

† छापी नहीं गई।

अपर निबन्धक, पर्वतीय क्षेत्र सहकारी समितियां, उ० प्र०, अल्मोड़ा के कार्यालय की स्थापना तथा पहाड़ी क्षेत्रों के अधिकांश लोगों को समायोजित किये जाने की मांग

65–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर निबन्धक, सहकारिता, पर्वतीय क्षेत्र, अल्मोड़ा के कार्यालय की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर की गयी थी ? स्थापना से लेकर अब तक उन उद्देश्यों में प्रगति क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि अपर निबन्धक के अधीन पर्वतीय क्षेत्र में किस स्तर के कितने पद किस वर्ष से रिक्त हैं ? क्या यह सच है कि वर्ग-3 की रिक्तियों की पूर्ति विभागाध्यक्षों व अपर निबन्धक के स्तर से अलग-अलग हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि रिक्तियों की आपूर्ति में पहाड़ी क्षेत्रों के कितने लोग समायोजित किये गये हैं ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

अपर निबन्धक, पर्वतीय क्षेत्र सहकारी समितियां, उ० प्र०, अल्मोड़ा का कार्यालय वर्ष 1985-86 में स्थापित किया गया था । स्थापना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र की सहकारिता आयोजनागत कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन, समन्वय, अनुश्रवण करना था ।

उद्देश्यों की पूर्ति में सातवीं योजना में उपलब्ध परिव्यय 850 लाख रुपये सापेक्ष 844 लाख परिव्यय के अन्तर्गत व 138.5 लाख रु० परिव्यय के बाहर की स्वीकृतियां, वर्ष 1991-92 में 230 लाख रु० के परिव्यय के सापेक्ष 176 लाख रु० के अन्तर्गत व 40 लाख रु० परिव्यय के बाहर स्वीकृतियां प्राप्त की गयीं । मुख्य भौतिक उपलब्धियां वर्ष 1985-86 के स्तर की स्थिति के सापेक्ष को वर्ष 1991-92 के अन्त में निम्न प्रकार बढ़ाया गया :—

अल्पकालीन ऋण वितरण रु० 1281 लाख से बढ़ाकर 2470 लाख रु० के स्तर पर, मध्यकालीन ऋण रु० 939 लाख से बढ़ाकर 1053 लाख रु० के स्तर पर, दीर्घ कालीन ऋण वितरण 95 लाख रु० से 182 लाख रु० के स्तर पर, समितियों में अंशदान वृद्धि 41.39 लाख रु० के स्तर से बढ़ाकर 112 लाख रु० के स्तर पर, उर्वरक वितरण 14.411 मै० टन से बढ़ाकर 21.522 मै० टन, बीज वितरण 633 कुन्तल स्तर से बढ़ाकर 6750 कुन्तल के स्तर पर, उपभोक्ता व्यवसाय 2890 लाख रु० के स्तर से 3192 लाख रु० के स्तर पर बढ़ाया गया ।

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जी हां ।

67 व्यक्ति समायोजित किये गये हैं ।

जिला उन्नाव की साधन सहकारी समिति, असावर, ब्लाक असोहा का कामकाज जून, 1991 से बन्द रहने की दशा में कृषि निवेश की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समीपवर्ती साधन सहकारी समिति, मोहम्मदपुर से सम्बद्ध किये जाने की कार्यवाही

66–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की साधन सहकारी समिति, असावर, ब्लाक असोहा का कामकाज वर्ष 91 के जून/जुलाई, अगस्त/सितम्बर, अक्तूबर/नवम्बर व दिसम्बर में बन्द रहा है ? क्या किसानों को समिति से खाद आदि की ऋण सुविधा मिली है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस समिति से पुनः ऋण सुविधा प्रारम्भ करायेगी ? क्या सरकार इस समिति का कामकाज पुनः प्रारम्भ होने

तक इसके किसानों को किसी अन्य समिति से सम्बद्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्नगत समिति के कृषक सदस्यों को कृषि निवेश की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समीपवर्ती साधन सहकारी समिति, मोहम्मदपुर से दिनांक 26-2-92 को सम्बद्ध कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के नगर कालपी में प्रस्तावित एवं स्वीकृत 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में जमीन के हस्तान्तरण में आ रही बाधायें दूर करने एवं प्रकरण की जांच कराने की मांग

67–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को प्रेषित पत्र दिनांक 5-7-91 के प्रत्युत्तर में मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन, उरई ने दिनांक 30-11-91 को पत्र संख्या-स० सी० एम० ओ०-91-4869 द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र की बिन्दुवार आख्या अपर निदेशक, चि० स्वा० एवं प० क०, झांसी को देते हुए उसकी एक प्रतिलिपि प्रश्नकर्ता को भी उपलब्ध करायी है ? यदि हां, तो क्या पत्र के पैरा छः में नगर कालपी, जनपद जालौन में प्रस्तावित एवं स्वीकृत 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में, जमीन के हस्तान्तरण में आ रही बाधाओं के कारण विलम्ब होना बताया है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु जमीन के हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण हुए बगैर निवर्तमान सरकार के कृषि मंत्री द्वारा शिलान्यास कराया गया है ? क्या जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन, उरई ने पूर्व कृषि मंत्री से गत 1991 के सामान्य लोक सभा व विधान सभाओं के निर्वाचन से कुछ माह पूर्व शिलान्यास करा दिया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त अधिकारियों के राजनीति से जुड़े होने की जांच कराकर उन्हें शासन द्वारा उक्त जनपद से बाहर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

68–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

स्वास्थ्य महा निदेशालय के पैरामेडिकल (4डी-2) में 5 वर्ष से अधिक एक सीट पर कार्यरत लिपिकों का स्थानान्तरण न किये जाने की नीति या नियम की जानकारी

69–श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि स्वास्थ्य महानिदेशालय के पैरामेडिकल (4 डी-2) में कार्यरत लिपिक 3 वर्ष और 5 वर्ष से अधिक एक सीट पर ही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त लिपिकों का कार्य तुरन्त बदलेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि ऐसी कोई नीति या नियम नहीं है ।

नगरपालिका, बांदा द्वारा अधिनियम के तहत बैठक न बुलाने के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही

70–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे उ० प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत नगरपालिका/बोर्ड की प्रत्येक माह कम से कम कितनी बैठकें बुलाये जाने का प्राविधान/नियम है ? क्या यह सत्य है कि अध्यक्ष, नगरपालिका बांदा ने माह जुलाई, 90, नवम्बर, 90, जनवरी, 91, जून, 91, जुलाई, 91 तथा अक्टूबर, 91 में कोई भी बैठक नहीं बुलायी है ? यदि हां, तो सरकार ने नगरपालिका अधि०, 1916 की धारा 48 के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

उ० प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-86(1) के अन्तर्गत नगरपालिका बोर्ड की कम से कम एक बैठक, उस दिन जो विनियम द्वारा निश्चित की जाय, प्रतिमास बुलाये जाने का प्राविधान है ।

जी हां ।

आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी के आदेश से विभिन्न 16 आरोपों के साथ, जिसमें एक आरोप बोर्ड की नियमित बैठकें न बुलाना भी था, दिनांक 31-10-91 को एक जांच प्रारम्भ की गयी थी जिस पर अध्यक्ष ने जांच पूरी होने से पूर्व ही दिनांक 19-11-91 को मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया अतः मा० न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष्य में कोई अन्य कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

71–श्री हरदेव सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश स्तर के उप मुख्य चिकित्साधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में जारी स्पष्ट आदेश

72–श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री अवगत हैं कि चिकित्सा अनुभाग-11 के शासनादेश दि० 18-3-88 के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों एवं चिकित्सा अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 25-6-76 के द्वारा उप मुख्य चिकित्साधिकारियों के लिये निर्धारित कार्य एवं दायित्वों को तत्कालीन निदेशक (प्रशासन) ने अपने पत्र सं०–1-एफ/1991/6574, दिनांक 1-6-91 के द्वारा अतिक्रमण करने के निर्देश समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के निर्धारित कार्य एवं दायित्व समाप्त कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों सम्बन्धी उक्त शासन के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश जारी करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में जारी अन्तिम आदेश स्पष्ट है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73–श्री हरदेव सिंह–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जिला परिवार कल्याण ब्यूरो के वेतनादि एवं परिवार कल्याण के लेखा शीर्षक सम्बन्धी बजट का आहरण आदि के विषय में नवीनतम आदेशों का कड़ाई से लागू किये जाने का निर्देश

74–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या–प० क०/3/स्था०/जी-41/1986/5398/57, दिनांक 30-4-86, 5-7-86 एवं 22-9-86 का अनुपालन किन-किन जनपदों में नहीं किया जा रहा है ? क्या अब भी जिला परिवार कल्याण ब्यूरो के वेतनादि एवं परिवार कल्याण के लेखा शीर्षक सम्बन्धी बजट का आहरण प्र० अ० के बजाय उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ही कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने हेतु शासन से आदेश जारी किये जावेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इस सम्बन्ध में नवीनतम आदेशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

जिला इटावा में ग्राम कुतुबपुर ब्लाक व तहसील भर्थना में निर्मित प्राइमरी पाठशाला के भवन चिटक जाने की शिकायत की जांच रिपोर्ट

75–श्री राम औतार शाक्य–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1990-91 में ग्राम कुतुबपुर, ब्लाक व तहसील भर्थना, जिला इटावा में निर्मित प्राइमरी पाठशाला का नवीन भवन चटक गया है और जिसकी शिकायत सितम्बर 1991 में की गई ? यदि हां, तो वहां के दोषी प्रधान एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्राप्त आख्यानुसार नव निर्मित भवन चिटकी नहीं है । प्रश्नगत शिकायत के संदर्भ में जांच करायी गयी । जांच आख्या के अनुसार भवन का निर्माण सही ढंग से हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों सम्बन्धी शोधित शासनादेश जारी करने हेतु निदेशक, परिवार कल्याण द्वारा की गयी संस्तुति की जानकारी

76–श्री श्याम लाल रावत–

प्रथम सत्र 1989 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–78 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों सम्बन्धी

चिकित्सा अनुभाग-11 के शासनादेश दि० 18-3-88 को संशोधित करके एवं शोधित शासनादेश जारी करने की संस्तुति शासन को निदेशक परिवार कल्याण ने पत्र संख्या–प० क०/3/स्था०/जी-42/88, दिनांक 28-7-88 एवं 17-7-89 के द्वारा प्रेषित की है ? क्या प्रशासनिक अधिकारी संघ के प्रत्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या संशोधित नया शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

संशोधन का औचित्य नहीं पाया गया ।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक द्वारा जनपदीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों को 5 वर्ष के उपरान्त आवंटित कार्य को बदलने के किसी निर्देश की जानकारी

77–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक द्वारा कोई सितम्बर, 1991 में ऐसे निर्देश जारी किये गये हैं कि जनपदीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के आवंटित कार्य को 5 वर्ष के बाद बदल दिया जाय ? इन निर्देशों का किन-किन जनपदों में अनुपालन नहीं किया गया है ? क्या इसका औचित्य बताते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? क्या इन निर्देशों का सभी जनपदों में पालन सुनिश्चित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

माह सितम्बर, 1991 में अथवा उसके बाद भी इस आशय के कोई आदेश/निर्देश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा नहीं प्रसारित किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के श्री मथुरा प्रसाद, फाइलेरिया फील्ड वर्कर की सेवानिवृत्ति का मामला मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन

78–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मथुरा प्रसाद, फाइलेरिया फील्ड वर्कर, जनपद बाराबंकी को सेवानिवृत्ति आयु पूर्ण करने के पूर्व ही जून, 91 में प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा सेवानिवृत्त कर उसके स्थान पर किसी अन्य को अवैधानिक ढंग से नियुक्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ मंत्री जी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री मथुरा प्रसाद, फाइलेरिया फील्ड वर्कर, जनपद बाराबंकी का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

रुदौली नगर पालिका क्षेत्र में मांस बेचने वालों को दिये गये लाइसेंस तथा कटने के पूर्व पशुओं की जांच की मांग

79–श्री राम देव आचार्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रुदौली नगर पालिका क्षेत्र जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत पशुओं के काटने तथा मांस बेचने के कितने लाइसेंस निर्गत किये गये हैं ? क्या पशुओं के काटने से पहले पशु बीमार न होने की जांच पशु चिकित्साधिकारी द्वारा होती है ? यदि हां, तो 1991 में कुल कितने पशुओं की जांच उन्हें काटने से पूर्व हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

नगरपालिका, रुदौली क्षेत्र के अन्तर्गत पशुओं के काटने व बेचने के 12 लाइसेंस वर्ष 90-91 में निर्गत किये गये हैं ।

जी हां, यह जांच नियमतः आवश्यक है ।

कोई नहीं ।

स्लाटर हाउस ध्वस्त हो जाने के कारण यह जांच नहीं हो सकी । इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी को आवश्यक निर्देश भेजे गये हैं ।

उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील के केन्द्र कस्बे को नगरपालिका बनाये जाने की मांग

80–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की तहसील पुरवा के केन्द्र कस्बा को नगर पालिका घोषित करने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाई है ? क्या सरकार टाउन एरिया पुरवा की 1981 की जनगणना के आधार पर वर्तमान जनसंख्या क्षेत्रफल आदि की समीक्षा कराते हुए उसे नगरपालिका घोषित करने का प्रस्ताव बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जिलाधिकारी, उन्नाव से दिनांक 18-12-81 को एक प्रस्ताव टाउन एरिया पुरवा को नगरपालिका घोषित करने का प्राप्त हुआ था । शासन में इस प्रस्ताव का सम्यक् परीक्षण किया गया टाउन एरिया से नगरपालिका बनने के लिये जो निर्धारित मानक आवश्यक हैं वह मानक टाउन एरिया पुरवा में पूरे नहीं मिले । अतः यह प्रस्ताव दिनांक 25-9-82 को अस्वीकृत कर दिया गया । जिला प्रशासन द्वारा प्रेषित अद्यतन विवरण के अनुसार भी पुरवा टाउन एरिया नगरपालिका के लिये निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है । शासन में कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है । अतः इस संबंध में विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के जूनियर हाई स्कूलों के विद्यालयों को स्वीकृत क्षतिपूर्ति अनुदान दिये जाने की मांग

81–श्री बसन्त लाल गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के जूनियर हाई स्कूल के विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है ? यदि हां, तो उनमें से कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनको 1985 से 90-91 तक क्षतिपूर्ति अनुदान नहीं दिया गया है ? क्या उक्त विद्यालयों के नाम सरकार बतायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

153 विद्यालय ।

उक्त विद्यालयों की सूची मा० राज्य मंत्री, बेसिक शिक्षा के कार्यालय में उपलब्ध है । मा० विधायक किसी भी कार्य दिवस में देख सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

82–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा में कुरेही ग्राम के अस्पताल में लगभग आठ माह से चिकित्सक न होने की शिकायत एवं नियुक्ति करने की मांग

83–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में कुरेही ग्राम के अस्पताल में लगभग आठ माह से डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो डाक्टर न भेजने के क्या कारण हैं ? क्या निकट भविष्य में डाक्टर की नियुक्ति शीघ्र की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

डा० नियुक्त हैं, किन्तु वे लम्बे अर्से से अनुपस्थित हैं ।

लोक सेवा आयोग से अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर दूसरे डा० की नियुक्ति करने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की टाउन एरिया व नगरपालिका कमेटियों में रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कोटे को पूर्ण किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

84–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता को एक पत्र सं०–सी० एम० वि० को०/एम-3/6-249/वृ/91, दिनांक 29 अक्टूबर, 1991 को श्री संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री द्वारा बांदा जनपद में टाउन एरिया व नगरपालिका कमेटियों द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में और शासन की नीतियों के अनुरूप कार्यालयों में रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति का कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में लिखा गया था ? यदि हां, तो उपरोक्तानुसार अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

संदर्भगत क्रमांक एवं तिथि का कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ बल्कि एक पत्र–ग-सं० 309454 दिनांक 2-8-91 जो मा० मुख्य मंत्री सचिवालय, विधायक कोष्ठक को दिनांक 3-8-91 को प्राप्त हुआ था। पत्र नगर विकास विभाग में दिनांक 20-8-91 को प्राप्त हुआ। इस पत्र के संबंध में शासन के पत्र संख्या–90ई० एम०/9-1-91, दिनांक 19 सितम्बर, 1991 द्वारा जिलाधिकारी, बांदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महुआ, जिला बांदा के जनस्वास्थ्य रक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु मा० उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश न होना

85–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महुआ (बांदा) के जनस्वास्थ्य रक्षकों का मानदेय इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या उन्हें दवाओं की किट आदि भी नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ? हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेशों के पालन न करने के लिये कौन दोषी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने श्री बृज गोपाल प्रा० स्वा० केन्द्र महुआ बनाम यूनियन आफ़ इण्डिया द्वारा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर न्यू देहली एवं अन्य वाद में पारित अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 1-10-86 में मानदेय भुगतान हेतु कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किये हैं।

जी हां किट्स की आपूर्ति बन्द हो जाने के कारण औषधि किट्स नहीं दिये जा रहे हैं।

उक्त वर्णित स्थिति में किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं है।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक शाहगढ़ के कतिपय गांवों में लगे इण्डिया मार्क-II के हैण्ड पम्पों की देखरेख में शिथिलता बरतने की शिकायत

86–श्री तेजभान सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक शाहगढ़, जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पिछौरा, मनियापुर, बेरिया दुलापुर में प्रत्येक में कितने-कितने हैण्ड पाइप (इण्डिया मार्की) लगाये गये हैं ? उक्त हैण्ड पाइपों में से कितने, कब से और किस कारण खराब हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इनके खराब होने की सूचना मिलने के बावजूद भी ठीक न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त खराब हैण्ड पाइपों का सत्यापन ग्राम प्रधानों तथा नागरिकों से कराकर इस कार्य में शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड शाहगढ़ के ग्राम पिछौरा, मनियापुर, बहोरिकपुर एवं दुलापुर में जल निगम द्वारा क्रमशः 2, 7, 6 एवं 5 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अब तक अधिष्ठापित किये गये हैं।

उक्त हैण्डपम्पों में से ग्राम पिछौरा तथा मनियापुर में एक-एक हैण्डपम्प बालू भर जाने के कारण स्थाई रूप से खराब हो गये हैं। इन हैण्ड पम्पों के खराब होने की सूचना लगभग एक माह पूर्व सर्वेक्षण के समय प्राप्त हुई।

धन की कमी।

जी नहीं। सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। उक्त हैण्ड पम्पों की मरम्मत धन की कमी के कारण नहीं कराई जा सकी है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा महानगर में खराब सार्वजनिक नलों व नलकूपों को ठीक किये जाने की मांग

87–श्री किशन गोपाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा महानगर में 60 प्रतिशत सार्वजनिक नलों की टोंटियां नहीं हैं व 60 प्रतिशत नलकूप स्थाई व अस्थाई खराब पड़े हैं ? क्या जिस दिन पाइप लाइनों में पानी नहीं आता उस दिन टैंकरों से भी जनता को पानी की पूर्ति नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्या इस कमी को तुरन्त दूर कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या और कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं। दिनांक 29-2-92 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 2199 हैण्ड पम्पों में से 73 अस्थाई तथा 160 स्थायी रूप से खराब हैं।

अति अभावग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति की जाती है।

जी हां।

सिकन्दरा के पास 120 एम० एल० डी० क्षमता के द्वितीय वाटर वर्क्स के निर्माण का प्रस्ताव है। निर्माण कार्य वर्ष 1995 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। तात्कालिक संकट से निपटने के लिये 200 नये इण्डिया मार्क-II के हैण्ड पम्प अधिष्ठापित करने तथा स्थायी रूप से खराब हैण्ड पम्पों की शीघ्र ही बोरिंग कराने की योजना है।

आगरा नगर पालिका द्वारा श्री गुलाब सिंह को लुहारगली व टकसाल गली के मरम्मत हेतु दिये गये ठेके में हुई कथित धांधली की जांच की मांग

88–श्री किशन गोपाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा नगर महापालिका द्वारा श्री गुलाब सिंह को लुहारगली व टकसाल गली का लगभग 54000/- ठेका दिया गया कार्य पूरा होने के बाद परम्परागत 9000-कमीशन लिपिक उत्तम चन्द ने चीफ इंजीनियर, नगर अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता व जे० ई० को पेमेन्ट लेने हेतु दी गयी लेकिन पेमेन्ट का बिल भुगतान का चैक कोई फर्जी गुलाब सिंह बनकर चेक ले गया व गुलाब सिंह के नाम से कार्य कराये भी जा रहे हैं ? क्या गरीब गुलाब सिंह ठेकेदार के कार्य का भुगतान दिलाने व फर्जी गुलाब सिंह के नाम पर कार्य करने व उसकी चेक लेने के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायगी व फर्जी कार्य करने वालों, कमीशन लेने वाले अधिकारियों की जांच कर कठोर कार्यवाही की जायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की नगर महापालिकाओं को नगर प्रमुख एवं मुख्य नगर प्रमुखों को अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों की जानकारी

89–श्री किशन गोपाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की नगर महापालिकाओं में उप नगर प्रमुखों को कोई अधिकार नहीं है और न ही रोड ग्रान्ट का फण्ड खर्च करने का कोई अधिकार है जबकि मेयरों को लगभग 20 से 25 लाख व एम० एन० ए० को 5 से 10 लाख तक खर्च करने का अधिकार है ? क्या इन अधिकार विहीन उप नगर प्रमुखों को मेयर के बराबर आधा-आधा अधिकार बांटने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्या उप नगर प्रमुख पद समाप्त कर सभासदों में से ही मेयर चुनने की योजना शासन बना रहा है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

नगर प्रमुख एवं उप नगर प्रमुखों के अधिकार, उ० प्र० नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की संगत धाराओं में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निर्धारित है ।

अधिकार नियमानुसार ही निर्धारित है । अतः पुनः बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी की समस्त टाउन एरियाओं व नगर पालिकाओं के चेयरमैनों के विरुद्ध की गयी शिकायतों का विवरण एवं कृत कार्यवाही न किये जाने की शिकायत

90–श्री राम देव आचार्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की समस्त टाउन एरियाओं नगर पालिकाओं के चेयरमैनों के विरुद्ध कौन-कौन सी शिकायतें वर्ष 1990-91 में जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शिकायतों को स्थानीय निकाय लिपिक ने रोक रखा है ? यदि हां, तो लिपिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) जी हां । प्राप्त शिकायतों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है ।

(ख) शिकायतों की जांच संबंधित परगना मजिस्ट्रेट के माध्यम से अलग-अलग करायी जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 193-194 पर)

91–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

92–डा० दिनेश जौहरी तथा श्री बच्ची सिंह रावत–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

93–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

गोविन्द बाग प्राइमरी पाठशाला नगरपालिका, बलरामपुर, गोण्डा में अध्यापक पद पर कार्यरत श्री हर्ष चौधरी की मृत्यु सेवाकाल में होने के कारण आश्रितों को मिलने वाली सहायता एवं लाभ देने की मांग

94–श्री महाराज सिंह यादव तथा श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री हर्ष चौधरी, गोविन्द बाग प्राइमरी पाठशाला नगरपालिका बलरामपुर, जनपद गोण्डा में अध्यापक के पद पर वर्ष 1950 से कार्यरत थे और उनके सेवाकाल में ही 17 अगस्त, 1972 को मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो उ० प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उ० प्र० अधिनियम संख्या-34 सन् 1972) की धारा–13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उनके परिवार के आश्रितों में उनके पुत्र अनिल कुमार चौधरी को अब तक सेवा में न लिये जाने का क्या कारण है ? इन्हें सेवा में कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

श्री हर्ष चौधरी दिनांक 1-7-69 तक अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे । दिनांक 2-7-69 से बिना आवेदन पत्र/सूचना के अपने विद्यालय से लापता हो गये ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन की तिथि दिनांक 25-7-72 को उनकी सेवायें बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित ही नहीं हुई अस्तु परिषदीय कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ श्री हर्ष चौधरी के आश्रितों को प्राप्त नहीं हो सकता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुराना किला रेलवे क्रासिंग, लखनऊ के पास बने माता वैष्णों मंदिर के बगल में स्थित पोर्क शाप को हटाये जाने की मांग

95–श्री महाराज सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुराना किला रेलवे क्रासिंग के पास माता वैष्णों देवी का मन्दिर तथा पौशाला बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मन्दिर के ठीक सामने 100 गज की दूरी पर अनिल पोर्क शाप तथा भारत पोर्क शाप की दुकान है जो कानूनन किसी भी धार्मिक स्थल के अगल-बगल या सामने नहीं होनी चाहिए ? क्या मंत्री जी पवित्र मन्दिर माता वैष्णों देवी के सामने से उक्त दुकानें हटवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां । 25 साल पुराने हैं ।

वैधानिक दृष्टिकोण से आपत्तिजनक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में पूर्व विधायक मांट श्री कुशलपाल सिंह का आत्मनिर्भर सहकारी समिति बैसला नगला, तहसील मांट, मथुरा में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

96–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री की जानकारी में है कि पूर्व विधायक मांट श्री कुशलपाल सिंह ने दिनांक 11-9-90 को आत्मनिर्भर सहकारी समिति बैसला नगला, तहसील मांट, मथुरा में 20 लाख धन के हड़पने के बारे में एक शिकायती पत्र मा० मुख्य मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ए० आर० कोआपरेटिव मथुरा द्वारा जांच हेतु बनायी गयी समिति ने जांच करने से मना कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस गम्भीर भ्रष्टाचार के मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में पी० सी० यू० एवं प्राधिकारी संघ के कर्मचारियों को पेंशन सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन

97–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के प्रशासक द्वारा वर्ष 1991 में पी० सी० यू० एवं प्राधिकारी संघ के कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन में खण्ड विकास कुठौन्द के कतिपय आबादी वाले गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले जाने की मांग

98–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में खण्ड विकास कुठौन्द के काफी आबादी वाले ग्राम, जुगियापुर, रन्धीरपुर तथा खण्ड विकास महवा के ग्राम सोहरापुर आटा, मघापुर लौना, सोहरापुर कालपी, सिकन्ना कुकोहनु कीरतपुर, गढ़गुवा कालपी तथा खण्ड विकास कदौरा के ग्राम रामपुर, लोधीपुर, अभिरवा, कुनेहटा, नगवां हेमनपुरा में प्राइमरी पाठशालायें शासन द्वारा अब तक खोली गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्या उक्त ग्रामों के बालक/बालिकायें दूसरे ग्रामों में पढ़ने जाते हैं ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय विहीन ग्रामों में कितनी-कितनी दूरी पर विद्यालय स्थित हैं ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय विहीन ग्रामों में बालिकाओं की शिक्षा कोई भी विद्यालय वहां न होने से शून्य है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 92-93 की योजना में शासन द्वारा उक्त ग्रामों में नवीन प्राथमिक पाठशालायें खोली जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

जी हां ।

1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय स्थित है ।

जी नहीं, परन्तु कम अवश्य है ।

जिला योजना में अनुमोदित परिव्यय एवं स्वीकृति के अनुसार तथा जिला बेसिक शिक्षा समिति के निर्णयोपरान्त विद्यालय खोले जा सकेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा द्वारा वर्ष 1990-91 व 1991-92 में की गई तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में नियुक्तियां तथा बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापकों के समायोजन में हुई अनियमितता की जांच की मांग

99–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा द्वारा वर्ष 1990-91 व वर्ष 1991-92 में अब तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि में कितने बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापकों को समायोजित किया गया है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इन नियुक्तियों तथा समायोजन में बड़े भारी पैमाने पर अनियमिततायें बरती गयी हैं तथा घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या इन सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

वर्ष 1990-91 में 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है । वर्ष 1991-92 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी । तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं है ।

वर्ष 1990-91 में कोई नहीं । वर्ष 1991-92 में 86 बी० टी० सी० अध्यापकों की नियुक्ति चयन समिति के अनुमोदन के पश्चात् किया गया है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में भोलानाथ गुलाब चन्द्र विद्या मंदिर जू० हा० स्कूल सहादरा, आगरा में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के रिक्त पद पर की गयी सवर्ण की नियुक्ति के प्रकरण की जांच कराने की मांग

100–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भोलानाथ गुलाब चन्द्र विद्या मंदिर जू० हा० स्कूल सहादरा, जनपद आगरा में बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ने उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति से सांठ-गांठ करके प्रबन्ध समिति के ही परिवार के 40 वर्षीय श्री मुन्ना लाल नामक व्यक्ति को जो सवर्ण जाति का है अनु० जाति के रिक्त स्थान पर चयनित कर लिया है ? क्या प्रश्नकर्ता के जिला अधिकारी, आगरा को सम्बोधित पत्र दिनांक 28-12-91, जिसमें अवैध रूप से चयनित किये गये व्यक्ति को वेतन भुगतान न करने के अनुरोध के बावजूद उक्त कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश दि० 29-8-91 एवं जिला सरकारी अधिवक्ता आगरा की विधिक राय दिनांक 17-12-91 के आधार पर लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की गयी ।

प्रकरण में जांच हेतु मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) आगरा को निर्देशित किया गया है ।

आगरा मेडिकल कलेज, आगरा में प्रवेश में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दि० 3-10-91 का पत्र तथा इस संदर्भ में कृत कार्यवाही की जानकारी

101–श्री विजय सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 3-10-91 का आगरा मेडिकल कालेज में प्रवेश में बरती गयी अनियमितताओं से संदर्भित पत्र मिला है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अनियमित प्रवेशार्थियों का प्रवेश निरस्त किया गया ? क्या दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) दिनांक 31-10-91 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रकरण मा० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

102–श्री अब्दुल ए० सलाम–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

इलाहाबाद के चायल विधान सभा क्षेत्र में असहायिक स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की संख्या तथा अनुदान सूची में लिये जाने की मांग

103–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र चायल में कुल कितने व कौन-कौन से असहायिक स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं ? उन्हें अनुदान सूची में

कब लाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बी० पी० बी० आर० यादव जूनियर हाई स्कूल, मखऊपुर, श्री प्रयाग दास संस्कृत विद्यालय, हर्रायपुर (नेवादा ब्लाक) सरदार बल्लभ भाई पटेल जूनियर हाई स्कूल मजौरी एवं गया प्रसाद केसरवानी मेमोरियल हाई स्कूल, शेरगढ़ (मूरतगंज ब्लाक) अनुदान सूची में हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उन्हें अनुदान सूची में लाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

उक्त क्षेत्र में कुल 18 असहायिक स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं। (सूची संलग्न)

निर्धारित नियम/शर्तों के पूर्ण होने तथा शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में यथा समय अनुदान सूची पर लाया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति न करने के कारण अनुदान सूची पर नहीं लिया जा सका।

निर्धारित नियम/शर्तों के पूर्ण होने तथा शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें यथा समय अनुदान सूची पर लिया जा सकेगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 195 पर)

निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र०, लखनऊ तथा अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा द्वारा किये गये स्थानान्तरण व नियुक्ति का प्रकरण तथा सड़क अनुदान में मिलने वाली 30,000 रुपये की धनराशि का देर में प्राप्त होना

104–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह दिसम्बर, 1988 से 20 दिसम्बर, 1991 तक निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र०, लखनऊ तथा अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा ने नगरपालिका, बांदा में किन-किन अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण तथा दैनिक वेतन में नियुक्तियां की हैं ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि पर्याप्त संख्या में अवर अभियन्ताओं की मौजूदगी के बावजूद भी जिलाधिकारी/प्रशासक द्वारा माह नवम्बर, 1988 में निर्गत किये गये सड़क अनुदान का तीस लाख रुपये का उपभोग नहीं किया जा सका था ? यदि हां, तो सरकार ने नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

उक्त अवधि में निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र० ने सर्वश्री देवीशरण पाण्डेय व जी० एन० द्विवेदी, अवर अभियन्ताओं को नगरपालिका, बांदा के लिये स्थानान्तरित किया था। अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा द्वारा कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया और न ही दैनिक वेतन पर किसी अवर अभियन्ता की नियुक्ति की है।

यह कथन सत्य नहीं है कि पालिका में पर्याप्त संख्या में अवर अभियन्ता थे। नगरपालिका, बांदा में अवर अभियन्ता के 3 पद पर मात्र एक ही अवर अभियन्ता कार्यरत नियमित रहा है।

माह नवम्बर, 88 में प्रशासक काल समाप्त हो जाने के पश्चात् बोर्ड को प्रशासक द्वारा मु० 23,45,268/- की अवशेष सड़क अनुदान धनराशि उपभोग हेतु प्राप्त हुई थी। बोर्ड द्वारा मु०

18,21.960/- सड़क अनुदान का उपभोग हो चुका है । अवशेष बची हुई धनराशि का उपभोग आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी के निर्देशों के अनुसार उपभोग हो रहा है । अवशेष बची हुई धनराशि का उपभोग करने के लिये 31-3-92 तक की अवधि आयुक्त, झांसी मण्डल द्वारा दी गयी है जिसका अनुपालन किया जा रहा है ।

उपर्युक्त स्थिति में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद बांदा की नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा श्री ओम प्रकाश शुक्ल, सदस्य ,नगरपालिका, बांदा को निरीक्षण हेतु दी गयी पत्रावलियों का विवरण

105–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर, 1991 में नगर पालिका, बांदा के सदस्य, श्री ओम प्रकाश शुक्ल ने नगरपालिका अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका , बांदा से किन-किन तिथियों में पालिका के कार्यों आदि के निरीक्षण हेतु संबंधित पत्रावलियों की मांग की तथा किन-किन तिथियों में उन्हें निरीक्षण कराया गया? क्या यह सत्य है कि नगरपालिका अधिनियमों का उल्लंघन करके श्री शुक्ला को कोई पत्रावलियां नहीं दिखाई गई हैं ?यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

श्री ओम प्रकाश शुक्ला से दिनांक 14-8-1991, 7-9-91 व 20-9-91 को पत्रावलियां आदि के निरीक्षण हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए । अधिशासी अधिकारी ने श्री शुक्ला को दिनांक 25-9-91 व 5-10-91 को पत्रावलियों का निरीक्षण कराया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उटता ।

जनपद आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय के फार्मेसिस्ट श्री एच० एन० सिंह के विरुद्ध कई विधायकों के आरोप-पत्र तथा मुख्य चिकित्साधिकारी की एफ० आई० आर० के बावजूद भी श्री सिंह द्वारा अनाधिकृत रूप से दवा का बांटा जाना

106–श्री बलराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ के फार्मेसिस्ट श्री एच० एन० सिंह के विरुद्ध वर्ष 1987-88 में तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी ने अपराध सं०–187-88 धारा 409, 420, 467, 468, भा० द० वि० के अन्तर्गत थाना कोतवाली, आजमगढ़ में अंकित कराया था तथा इसके पूर्व वर्ष 1985-86 में जनपद के समस्त माननीय विधायकों ने भी तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को इनके द्वारा किये गये घोटालों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों ने अपराध सं०–127/88 के अन्तर्गत धारा–409 भा० दं० वि० तथा 13/2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत श्री एच० एन० सिंह का चालान कर दिनांक 26-11-91 को जेल भेज दिया ? इतनी शिकायतों एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के मुकदमा कायम कराने के बावजूद भी कोई विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या वर्तमान मुख्य चिकित्साधिकारी इनके पे रोल पर आने के बाद से इनसे स्टोर से दवा बांटने का कार्य दिसम्बर, 91 एवं जनवरी, 92 से ले रहे हैं ? यदि

हां, तो क्यों तथा इसके लिये दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1985-86 में जनपद आजमगढ़ के तत्कालीन सात विधायकों ने श्री सिंह द्वारा किये गये घोटालों के संबंध में मा० मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया था ।

जी हां ।

विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

जी नहीं, अब श्री सिंह से स्टोर से दवा बांटने का कार्य नहीं लिया जा रहा है । माह दिसम्बर, 1991 एवं जनवरी, 1992 में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी स्टोर के मना करने के बावजूद भी श्री सिंह अनाधिकृत रूप से दवा वितरित करते रहे ।

तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी डा० आर० पी० यादव को श्री एच० एन० सिंह द्वारा अनधिकृत रूप से दवा वितरित किये जाने एवं उनके निलम्बन आदेशों को तामील कराने में लापरवाही बरतने के लिये सचेत कर दिया गया है ।

जनपद बाराबंकी में प्राइमरी पाठशाला पूरे कलहंस ग्राम सभा बरांवा, विकासखण्ड रुदौली में 15 अगस्त 1991 को गांव प्रधान द्वारा निरीक्षण तथा पाई गयी अनियमितता का विवरण

107–श्री उम्मेद सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 अगस्त, 1991 से अब तक ग्राम प्रधान के द्वारा प्राइमरी पाठशाला पूरे कलहंस ग्राम सभा बरांवां, विकास-खण्ड रूदौली, जनपद बाराबंकी का निरीक्षण कब कब और कितनी बार किया गया ? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या शिकायतें अंकित की गयीं ? उन शिकायतों के निदान हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

विद्यालय के पत्र व्यवहार पंजिका के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 15-8-91 तथा 16-8-91 को निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित शिकायतें अंकित हैं :–

1–दिनांक 15-8-91 को प्रधान अध्यापक आधे घन्टे विलम्ब से विद्यालय आये ।

2–उक्त तिथि को 10.00 बजे तक विद्यार्थी नहीं आये थे और उस समय तक ध्वजारोहण नहीं हुआ था ।

3–विद्यालय के कमरों में कूड़ा कचरा भरा हुआ था ।

प्रकरण की जांच एवं आख्या हेतु निर्देश दे दिये गये हैं । सम्प्रति विद्यालय के प्रधान अध्यापक निलम्बित हैं ।

108–श्री उम्मेद सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त व सितम्बर, 1991 में प्राइमरी पाठशाला पूरे कलहंस, ग्राम सभा-बरांवा, विकास खण्ड-रूदौली, जनपद बाराबंकी के सहायक

अध्यापक/प्रधानाध्यापकगण कब-कब और कितने दिन अनुपस्थित रहे ? उनमें से किन-किन अध्यापकों/प्रधानाध्यापक को अवकाश स्वीकृत किये बिना उक्त माह का वेतन भुगतान कर दिया गया है ? उक्त वेतन भुगतान का औचित्य क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सन्दर्भित विद्यालय का कोई अध्यापक/प्रधानाध्यापक अगस्त व सितम्बर, 91 में अनुपस्थित नहीं रहे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठना ।

109–डा० दिनेश जौहरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नगर क्षेत्र बांदा के लगभग प्राथमिक विद्यालयों के जीर्ण व जर्जर भवनों को बनाये जाने की मांग

110–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि नगर क्षेत्र बांदा के लगभग 50 प्रतिशत विद्यालय भवन के जीर्ण, शीर्ण अवस्था में होने के कारण कई बार इन भवनों के गिरने के संबंध में अभियन्ता आदि ने यह रिपोर्ट दी है कि ये भवन कभी भी गिर सकते हैं और भारी दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इसके बावजूद भी इन विद्यालयों में बच्चे आज भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दुर्घटना बचाने और सैकड़ों बच्चों व अध्यापकों की जानें बचाने हेतु बारादरी क्योटरा पहाड़, खिन्नी नाका, रपुटला छत्रशाल व अन्य जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े विद्यालय भवनों का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

नगर क्षेत्र बांदा के लगभग 50 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय जीर्ण, शीर्ण अवस्था में होने की सूचना संबंधित अध्यापकों द्वारा दी गई है ।

जी हां । परन्तु सभी संबंधित अध्यापकों को निर्देशित कर दिया गया है कि खतरे की स्थिति में भवन विशेष में अध्यापन कार्य न करें । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्रकरण पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।

जनपद मैनपुरी की स्थानीय निकायों (नगर पालिका टाउन एरिया) के मृत, सेवा निवृत्त, त्याग-पत्र देने वाले कर्मचारियों को सामूहिक बीमा से प्राप्त होने वाली देय धनराशि न प्राप्त होने की शिकायत

111–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद मैनपुरी की स्थानीय निकायों (नगरपालिका टाउन एरियाओं) के कर्मचारियों जिसमें से कुछ दिवंगत हो चुके हैं कुछ सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा कुछ

त्याग-पत्र दे चुके हैं, को सामूहिक बीमा योजना की देय धन राशि की नियमित रूप से अदायगी की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या दिनांक 1-4-85 से 31-10-91 तक स्थानीय निकाय निदेशालय लखनऊ में जनपद मैनपुरी से भेजे गये बीमा दावा प्रपत्रों के आधार पर अदायगी कर दी जावेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं ।

32 बीमा दावा प्रपत्र स्थानीय निकाय निदेशालय में, 10 भारतीय जीवन बीमा लखनऊ में तथा 22 बीमा दावा प्रपत्रों में निदेशालय द्वारा आपत्तियां लगाकर वापस कर देने के कारण नगर क्षेत्र समितियों में निराकरण के लिये लम्बित है जिनको शीघ्र निराकरण के उपरान्त स्थानीय निकाय निदेशालय भेज दिया जायेगा ।

112–श्री अब्दुल ए० सलाम–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

उत्तर प्रदेश में रीजनल कैन्सर सेन्टर्स की स्थापना बरेली में किये जाने का सुझाव

113–डा० दिनेश जौहरी तथा श्री नन्द राम–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में रीजनल केन्सर सेन्टर्स की स्थापना के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोग कर रहा है ? यदि हां, तो क्या बरेली, कुमाऊं व मुरादाबाद मण्डल की आवश्यकता को देखते हुए उक्त सेन्टर बरेली में खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार कब से इसे बरेली में स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में आयुर्वेदिक ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेन्ट सेन्टर खोले जाने का प्रस्ताव

114–डा० दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में आयुर्वेदिक ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेन्ट सेन्टर खोले जाने हेतु एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या मानसिक चिकित्सालय में उक्त सेन्टर शीघ्र खोल दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आयुर्वेदिक ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेन्ट सेन्टर खोले जाने का नहीं बल्कि केन्द्रीय आयुर्वेदिक एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के मानसिक चिकित्सालय आगरा अथवा बरेली में परिषद् की एक सहयोगी परियोजना-आयुर्वेदिक सिद्ध अनुसंधान इकाई जो बंगलौर में कार्य कर रही है, को

स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । चूंकि मानसिक चिकित्सालय, बरेली में पर्याप्त भवन एवं उपचारिका सेवायें उपलब्ध नहीं हैं, अतः इसे मानसिक चिकित्सालय आगरा में स्थानान्तरित किये जाने हेतु उक्त प्रस्ताव विचाराधीन है । समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने पर ही इसे मूर्तरूप दिया जाना संभव है ।

जिला आगरा की साधन सहकारी समिति धरैरा लि० विकास खण्ड ऐत्मादपुर में सचिव द्वारा की गई खाद की चोरी का मामला

115–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-11-91 को साधन सहकारी समिति धरैरा लिमिटेड, धरैरा, विकास खण्ड ऐत्मादपुर, जिला-आगरा के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह सांगर व विक्रेता श्री राजेन्द्र सिंह त्यागी के विरुद्ध करीब चार लाख रुपये के खाद की चोरी करके बिक्री करने की रिपोर्ट समिति के चौकीदार द्वारा थाना ऐत्मादपुर, जिला-आगरा में दर्ज की गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है और इतनी बड़ी धनराशि के लिए किस अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं, अपितु आवश्यक जांचोपरान्त अपर जिला सहकारी अधिकारी, ऐत्मादपुर आगरा द्वारा समिति के दोषी सचिव के विरुद्ध थाना ऐत्मादपुर में दिनांक 14-11-91 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई । बाद में इस केस को दिनांक 17-1-91 को विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) आगरा को हस्तान्तरित कर दिया गया है, जहां यह विवेचनाधीन है । मुख्य विकास अधिकारी आगरा से प्राप्त निर्देशों के आधार पर प्रश्नगत घटना के पूर्व ही समिति के सचिव को दिनांक 1-11-91 को निलम्बित कर दिया गया है तथा उन्हें जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है । इस प्रकरण में सचिव को दिनांक 22-1-92 को आरोप पत्र भी दिया गया है और इसमें सचिव के अतिरिक्त अन्य कोई कर्मी दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा की तहसील ऐत्मादपुर के शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों में दिये गये ऋण का विवरण

116–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील ऐत्मादपुर जनपद आगरा के शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष में कितने किसानों को किन-किन मदों में कितनी धनराशि का कर्जा दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि अवमुक्त कर्जे के वितरण में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस शाखा में की गई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच किसी उच्च प्रशासनिक अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि० की शाखा ऐत्मादपुर जनपद आगरा के (वित्तीय वर्ष 91-92 में माह जनवरी 92 तक) कुल 577 कृषकों को मु० 63.50 लाख रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया है। मदवार सूचना निम्नवत् है :—

उद्देश्य	संख्या	धनराशि (लाखों में)
लघु- सिंचाई	523	52.38
ट्रैक्टर	5	06.55
बागवानी योजना (अमरूद)	16	01.36
मत्स्य योजना	1	00.20
डेयरी	23	02.41
अकृषि क्षेत्र	3	00.60
योग–	571	63.50

वित्तीय वर्ष 1991-92 में अवमुक्त ऋण वितरण में भारी अनियमिततायें बरती जाने के बारे में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम सरोज में जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त विद्यालय खोले जाने की कार्यवाही

117–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी अन्तर्गत ग्राम खप्टिहा कला के मजरा छनिहन डेरा में प्राथमिक विद्यालय खुलवाया जायेगा जहां पर किकछार डेरा, शिवपाल का डेरा, छनिहन डेरा मिला कर 500 से अधिक की आबादी है और जहां से चार कि० मी० दूर नदी पार प्राथमिक विद्यालय पड़ते हैं ? क्या यह सत्य है कि विद्यालय के लिए ग्राम सरोज की मौके पर जमीन भी मौजूद है ? यदि हां, तो विद्यालय कब तक खुलवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त विद्यालय खोले जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका बांदा के अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों के स्वागत अभिनन्दन समारोह में व्यय किये गये धन का ब्यौरा

118–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरपालिकाओं में शासन के मंत्रियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों के स्वागत/अभिनन्दन समारोहों में कितना-कितना धन व्यय किये जाने के आदेश हैं ? माह जनवरी, 89 से 15 दिसम्बर, 1991 तक नगर पालिका बांदा में किन-किन मंत्रियों/विशिष्ट व्यक्तियों के स्वागत/अभिनन्दन समारोहों में धन व्यय किया गया है ? क्या यह सत्य है कि अध्यक्ष नगरपालिका बांदा ने शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए अधिक धन व्यय किया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

न तो नगरपालिका अधिनियम में कोई प्राविधान और न ही शासन के आदेश हैं । उक्त अवधि में नगरपालिका बांदा में श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्रीमती सुखदा मिश्रा, नगर विकास मंत्री, उ० प्र० शासन न्याय मूर्ति राजा रमाकान्त त्रिवेदी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, श्री वी० के० सिंह चौधरी, महाधिवक्ता, उ० प्र० सरकार के नागरिक अभिनन्दन समारोह करने में कुल रु० 16,624 की धनराशि व्यय की गयी है ।

नगर पालिका बांदा द्वारा मंत्रियों/विशिष्ट व्यक्तियों के स्वागत/अभिनन्दन समारोहों में व्यय की गई धनराशि की नगरपालिका बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका अध्यक्ष बांदा द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को अनियमित ढंग से स्थानान्तरित एवं कार्यमुक्त करने की शिकायतों पर कार्यवाही

119–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र०, लखनऊ में माह नवम्बर, 1988 से माह अक्टूबर, 1991 तक नगरपालिका बांदा में तैनात अवर अभियन्ता, श्री जी० एन० द्विवेदी, अवर अभियन्ता, श्री डी० एस० पाण्डेय, स्वास्थ्य निरीक्षक, श्री योगेन्द्र नाथ त्रिपाठी तथा प्रधान लिपिक, श्री रघुवीर सिंह चौहान का किन-किन तिथियों में स्थानान्तरण आदेश किया गया है ? क्या यह सत्य है कि अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र० के आदेश के उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को जबरन कार्यमुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

सर्वश्री जी० एन० द्विवेदी, अवर अभियन्ता, डी० एस० पाण्डेय, अवर अभियन्ता, रघुवीर सिंह चौहान, प्रधान लिपिक एवं योगेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सफाई निरीक्षक को क्रमशः दिनांक 30-8-90, 9-10-90, 1-7-91 एवं 16-9-91 से स्थानान्तरित किया गया ।

जी हां ।

अध्यक्ष, नगर पालिका, बांदा से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

जनपद आगरा पश्चिम के कुओं की सफाई हेतु स्वीकृत की गई धनराशि की जानकारी

120–श्री किशन गोपाल–

क्या नगर विकास मंत्री आगरा पश्चिम के 15 कुओं की सफाई हेतु कुल 15 हजार रुपये की स्वीकृति देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

नगर पालिका आगरा के वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में कुओं की सफाई एवं मरम्मत हेतु रुपया 25,000 का प्राविधान है ।

जनपद आगरा पश्चिम के अधिकांश बेसिक प्राइमरी विद्यालयों की मरम्मत तथा अध्यापकों व छात्रों की बैठने की व्यवस्था सुव्यवस्थित करने की मांग

121–श्री किशन गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आगरा पश्चिम के अधिकांश में बेसिक प्राइमरी विद्यालयों की छतें एवं दीवारें टूटी हैं तथा छात्रों के बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है एवं अध्यापकों के लिए टेबिल कुर्सी भी नहीं है ? क्या मंत्री जी आगरा पश्चिम के बेसिक प्राइमरी विद्यालयों का निरीक्षण कराकर टूटे विद्यालयों की मरम्मत कराने व अध्यापकों व छात्रों के बैठने की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

अधिकांश परिषदीय विद्यालय किराये के भवनों में संचालित होने के फलस्वरूप तथा भवनों का किराया कम होने के कारण भवन स्वामी मरम्मत नहीं कराते । छात्रों एवं अध्यापकों के लिए आसन व्यवस्था उपलब्ध है ।

शासन को प्राप्त आख्यानुसार जनपद आगरा के पश्चिम क्षेत्र के 8 विद्यालयों को जिनमें परिषदीय भवन की दशा सुधारने हेतु विशेष रूप से अतिरिक्त मरम्मत की धनराशि स्वीकृति की गयी है और उनकी दशा सुधरवा दी गयी है । पाठशालाओं की स्वीकृत, मरम्मत धनराशि तथा विद्यालयों की अभिदान शुल्क से भवनों का मरम्मत कराये जाने के विभागीय निर्देशों से अवगत कराते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक, शिक्षा अधीक्षिका एवं नगर महापालिका, आगरा को निर्देश दिये जा चुके हैं । छात्र/छात्राओं तथा अध्यापकों की आसन की व्यवस्था हेतु वर्ष 1991-92 में पश्चिम क्षेत्र की पाठशालाओं को पर्याप्त मात्रा में सामग्रियां उपलब्ध करा दी गयी हैं ।

122–श्री किशन गोपाल–

[8वें गुरूवार में अता० प्र० सं० 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश की कतिपय तहसीलों में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि० की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव

123–श्री सुखदेव–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी ऐसी तहसील हैं जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि० की शाखा नहीं है ? क्या उन तहसीलों में बैंक की शाखा खोली जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

प्रदेश में कुल 62 तहसीलें ऐसी हैं जहां पर उ० प्र० राज्य कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि०, लखनऊ की शाखायें नहीं हैं ।

जो तहसीलें नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करेंगी उनमें नई शाखा खोलने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिये नाबार्ड को प्रस्ताव यथासमय भेजे जायेंगे ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उ० प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि० की बड़ी शाखाओं को विभाजित करने के मापदण्ड की जानकारी

124–श्री सुखदेव–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उ० प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि० की बड़ी शाखाओं को विभाजित करने के लिए बैंक का क्या मापदंड है ? क्या उक्त मापदण्ड के अनुसार बड़ी शाखाओं के विभाजन की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

नाबार्ड की अनुमति से बैंक की नई शाखायें खोली जाती हैं । नाबार्ड द्वारा निर्धारित मुख्य मापदण्ड निम्नवत् हैं:–

(अ) विभाजन के पश्चात् प्रत्येक शाखा का ऋण व्यवसाय 70-70 लाख रुपये अवश्य होना चाहिए ।

(ब) ऋण वितरण की संभाव्यता का व्यापक सर्वेक्षण प्रस्तावित शाखा/स्थान का करा लिया गया है ।

(स) प्रस्तावित नई शाखा 3 से 5 वर्षों में अपने संचालन व्यय को वहन करने में सामर्थ्य प्राप्त कर लें ।

(द) मात्र शाखा विभक्तीकरण के समय लाभ में चल रही हो ।

निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 36 बड़ी शाखाओं के विभक्त करने का प्रस्ताव बैंक एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० के स्तर से नाबार्ड को भेजा गया है, जो उनके यहां विचाराधीन है ।

बैंक स्तर से नई शाखायें खोलने हेतु नाबार्ड से यथाशीघ्र अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है और इसके लिये समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ में उप प्रबन्धक (लेखा) के पदों पर प्रोन्नति का मामला

125–श्री सुन्दर लाल–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ में उप प्रबन्धक (लेखा) के पदों पर दिनांक 1-2-88 से कनिष्ठ व्यक्तियों की और दिनांक 13-4-91 को वरिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नतियां की गयी हैं । यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार वरिष्ठता क्रम बनाये रखने के लिए इनको भी दिनांक 1-2-88 से पदोन्नति दिये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं । आदेश दिनांक 13-4-91 के द्वारा श्री राम प्रसाद अधीक्षक (लेखा) की पदोन्नति उप प्रबन्धक (लेखा) के पद पर की गयी ।

श्री राम प्रसाद को वर्ष 86-87 विशेष प्रतिकूल प्रविष्ट के कारण गणक के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया था । दिनांक 9-2-88 को उप प्रबन्धक (लेखा) के प्रोन्नति के समय इनके विरुद्ध विभागीय जांच स्थापित थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर क्षेत्रों में बेसिक विद्यालयों के लिए भूमि/भवन क्रय करने का प्रस्ताव

126–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्रों में बेसिक विद्यालयों के लिए भूमि भवन क्रय करने हेतु 1988-89 में जो प्रस्ताव भेजे गये थे उनको क्रय की कार्यवाही में तीन वर्ष लगे हैं यदि हां, तो वर्ष 1989–91 में जो प्रस्ताव भेजे गये हैं वह भूमि भवन कब तक क्रय कर लिये जायेंगे ? क्या इसकी समय सीमा को निर्धारित किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

भूमि/भवनों के स्वामियों के साथ अनुबन्ध एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कराने के पश्चात् यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

भूमि/भवनों की औपचारिकताओं को पूर्ण कराना भूमि/भवन स्वामियों का एवं विभाग का संयुक्त दायित्व है । औपचारिकताओं की पूर्ति भूस्वामियों द्वारा कराये जाने के पश्चात् ही कार्यवाही संभव है ।

नगर पालिका बांदा के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध विकास कार्यों में हो रही अनियमितता के संदर्भ में शिकायत तथा उसकी जांच की मांग

127–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा नगरपालिका बांदा के अधिशासी अधिकारी को पत्र सं-क नं०–293956, दिनांक 25-10-91 को व इससे पूर्व भी (विकास कार्यों से संबंधित) जानकारी के संबंध में पत्र लिखे गये हैं ? यदि हां, तो ई० ओ० द्वारा आज तक उपरोक्त पत्रों का उत्तर न देने का क्या कारण है ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा नगरपालिका बांदा में अनियमिततायें बरतने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच हुई है ? यदि जांच, नहीं की गई है तो क्या शासन द्वारा उपरोक्त पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं की उच्च स्तरीय जांच करवाई जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रश्नकर्ता के संदर्भित पत्र के अतिरिक्त पूर्व पत्र नगरपालिका बांदा में प्राप्त नहीं हुए हैं ।

संदर्भित पत्र दिनांक 25-10-91 में वांछित सूचना सहित उत्तर प्रश्नकर्ता को यू० पी० सी० डाक द्वारा दिनांक 26-12-1991 को भेजा जा चुका है ।

प्रश्नकर्ता का कोई भी शिकायती पत्र नगरपालिका बांदा में प्राप्त न होने के कारण जांच कराने का प्रश्न हीं नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में किसान सेवा सहकारी समिति लि० पकौली विकास खण्ड देवरिया के सचिव श्री सुदामा दुबे द्वारा किये गये गबन के कारण निलम्बन

128–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत किसान सेवा सहकारी समिति लि० पैकोली, विकास खण्ड देवरिया का चार्ज 21-11-90 को सचिव श्री सुदामा दुबे को दिया गया था ? यदि हां, तो ये कितने दिन तक इस पद पर कार्यरत थे ? क्या इस अवधि में इन्होंने समिति का लगभग 73 हजार रुपया गबन किया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच आख्या दि० 7-5-91 को जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां, उ० प्र० जनपद देवरिया को सौपी गयी ? यदि हां, तो इस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या आज भी वह सचिव सेवा में कार्यरत है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

दिनांक 21-11-90 से दिनांक 22-3-91 तक ।

सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) देवरिया ने समिति के सचिव श्री सुदामा दुबे द्वारा रु० 73,000/- के गबन के स्थान पर रु० 47,852.50 की धनराशि के अनियमित भुगतान के संबंध में शिकायत दिनांक 7-5-91 को जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां, देवरिया को प्रस्तुत की गयीं ।

सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) देवरिया ने दिनांक 7-5-91 को जांच आख्या के स्थान पर मात्र शिकायत जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, देवरिया को सौंपी थी । इस शिकायत की जांच उनके द्वारा अपर जिला सहकारी अधिकारी (अधिकोषण), देवरिया से कराई गई और जांच आख्या उन्हें दिनांक 1-6-91 को प्राप्त हुई ।

जांच आख्या के आधार पर समिति के सचिव श्री सुदामा दुबे को दिनांक 7-6-91 को आरोप-पत्र दिया गया और कई अनुस्मारक-पत्र दिये जाने के उपरान्त भी आरोप-पत्र का उत्तर न प्राप्त होने के कारण श्री दुबे को दिनांक 22-2-92 को निलम्बित कर दिया गया है । इसके साथ ही उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत तथा कथित अनियमित रूप से भुगतान की गई धनराशि की वसूली की कार्यवाही भी आरम्भ कर दी गई है । समिति के सचिव श्री सुदामा दुबे निलम्बित चल रहे हैं और उन्हें जिला प्रशासनिक कमेटी, देवरिया से संबद्ध कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर देहात में नसबंदी के दौरान श्रीमती रानीदेवी ग्राम नन्दना थाना सिकन्दरा की मृत्यु के संबंध में किसी का दोषी न होना तथा मृतका के पति को अनुग्रह राशि का भुगतान

129–श्री रामस्वरूप वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें नसबन्दी के दौरान श्रीमती रानी देवी ग्राम नन्दना थाना सिकन्दरा जिला कानपुर देहात की हुई मौत के बारे में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 9-1-92 को मय संलग्नकों के प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो उस पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और मांग के मुताबिक सरकार कब तक मुआवजा दे देगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जिला अधिकारी कानपुर (देहात) द्वारा गठित जांच समिति से प्रकरण की जांच कराई गई । जांच आख्या के अनुसार कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया । नियमानुसार मृतका के पति को रु० 10,000/- की अनुग्रह धनराशि का भुगतान 27-12-91 को कर दिया गया है ।

आयुर्वेदिक कालेज, बरेली में पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर शिक्षा प्रशिक्षण कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

130–डा० दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आयुर्वेदिक कालेज, बरेली में पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर शिक्षा का प्राविधान नहीं है, जिसके कारण अनेक मेधावी छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बरेली आयुर्वेदिक कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । वित्तीय संसाधनों के अभाव में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बरेली में पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण कोर्स की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है ।

131–श्री श्रीराम सिंह तथा श्री तुलसी दास–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

नगरपालिका बांदा में स्वीकृत सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

132–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कई महीनों से 32 पद सफाई कर्मचारियों के नगरपालिका, बांदा में स्वीकृत होने के बाद भी रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो भर्ती न करने का क्या कारण है ? क्या इसकी भर्ती शीघ्र की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

नगरपालिका, बांदा में सफाई कर्मचारियों के 32 पद नहीं बल्कि 27 पद रिक्त हैं ।

प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति की व्यवस्था की जायेगी ।

बांदा नगरपालिका में शहर के मलवे इत्यादि को उठाने के लिये और ट्रैक्टरों को उपलब्ध कराने की मांग

133–श्री नसीम उददीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री को यह ज्ञात है कि बांदा नगर पालिका में काफी समय से शहर के मलवे इत्यादि को ढोने के लिये केवल एक ही ट्रैक्टर है ? यदि हां, तो क्या शीघ्र ही बांदा नगर पालिका में सफाई कार्य हेतु आवश्यकतानुसार वाहनों को उपलब्ध करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं । नगरपालिका बांदा में दो ट्रैक्टर कार्यरत हैं ।

वर्तमान में सफाई कार्य के लिये दो ट्रैक्टर पर्याप्त हैं । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा द्वारा टेलीफोन सुविधा का खर्च स्वयं वहन किया जाना

134–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को विभागीय खर्च से टेलीफोन लगवाने तथा टेलीफोन उपयोग करने की सुविधा नियमानुसार देय है ? यदि नहीं, तो डा० एस० सी० गुरुदेव, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा ने अपने निवास, जो सरकारी भवन में नहीं है, में टेलीफोन लगवा कर उसका उपयोग सरकारी खर्चे पर कर रहे है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये सरकारी धन व पद के दुरुपयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

डा० एस० सी० गुरूदेव, उप मुख्य चिकित्साधिकारी के निवास पर टेलीफोन संख्या–5225 लगा हुआ है , जो उन्होंने स्वयं के खर्चे पर लगवाया है और उसका व्यय स्वयं वहन कर रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में चालू वित्तीय वर्ष में दिये गये फुटकर व थोक एलोपैथिक औषधियों की [illegible] लाइसेन्स का विवरण

135–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में बांदा जनपद में फुटकर और थोक के एलोपैथिक औषधियों की बिक्री हेतु कितने लाइसेन्स, किस-किस व्यक्तियों को किस-किस स्थान हेतु दिये गये हैं ? क्या शासन ने एलोपैथिक औषधियों की बिक्री थोक व फुटकर दोनों के लिये लाइसेन्स निर्गत किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया है ? यदि हां, तो किस अवधि तक यह प्रतिबन्ध प्रभावी रहेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 196-197 पर)

136–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

137–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अन्वेषक एवं संगणक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति का प्राविधान

138–श्री खालिद गौरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अन्वेषक एवं संगणक पदों के लोगों को संख्या अधिकारी के पद पर कब तक पदोन्नति कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रस्तावित सेवा नियमों में अन्वेषक एवं संगणक के पदधारकों को सीधे संख्या अधिकारी के पद पर पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1991 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत पुरुष महिला नसबन्दी की जानकारी तथा फर्जी नसबन्दी में हुई धांधली में मुख्य चिकित्साधिकारी का निलम्बन

139–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991 में कितने लागों की नसबन्दी की गयी ? क्या यह सच है कि जनपद में फर्जी नसबन्दी के केस पकड़े गये ? यदि हां, तो घोटाले में दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1991 (जनवरी से दिसम्बर तक) जनपद में 3143 पुरुष तथा 3853 महिला कुल 6996 नसबन्दी की गयी है ।

जी हां ।

सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1985 से जून, 1991 तक सेवानिवृत्त एवं मृत अध्यापकों की संख्या तथा उनके रिक्त स्थानों पर की गई नियुक्तियों का विवरण

140–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में सन् 1985 से लेकर जून, 91 तक बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कितने अध्यापक सेवा निवृत्त हुए और कितनों का सेवा-काल में निधन हुआ ? क्या उनके रिक्त स्थानों पर कोई नियुक्तियां की गयी ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस दौरान सामान्य नियुक्तियां भी की गयीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1985 से जून 91 तक 441 अध्यापक सेवा निवृत्त हुए एवं 97 अध्यापकों की सेवा काल में मृत्यु हुई ।

जी हां ।

474 नियुक्तियां की गयी जिनमें मृतक आश्रितों की संख्या 70 है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ।

जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों का वेतन भुगतान माह के प्रथम सप्ताह में करने का स्थाई आदेश

141–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मैनपुरी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का मासिक वेतन जून, 91 के बाद से विलम्ब से ही भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जुलाई, 91, नवम्बर, 91, दिसम्बर, 91 एवं जनवरी, 92 का वेतन भुगतान करने में विलम्ब हुआ है।

वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रक्रियान्तर्गत कोषागार से धनादेश विलम्ब से पारित होने के कारण ।

जी हां । प्रथम सप्ताह में भुगतान कराने के स्थायी आदेश हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जूनियर हाईस्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद सृजन एवं कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

142–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जूनियर हाईस्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद दिसम्बर, 91 तक सृजित किये गये हैं ? उन सृजित पदों पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने स्थान रिक्त हैं ? उन पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

कोई पद सृजित नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला आगरा के साधन सहकारी समिति टेहूं, विकास खण्ड ऐत्मादपुर के सचिव के विरुद्ध किसानों के नाम फर्जी खाद अंकित करने के कारण निलम्बन का आदेश

143–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, टेहूं, विकास खण्ड ऐत्मादपुर, जिला–आगरा के सचिव के विरुद्ध मौजूदा वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये की धनराशि का किसानों के नाम में फर्जी खाद अंकित करने का मामला जिला प्रशासन, आगरा के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

साधन सहकारी समिति लि० टेहूं, विकास खण्ड ऐत्मादपुर, जिला–आगरा के सचिव के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष (1991-92) में पांच लाख रुपये के स्थान पर रु० 1,45,995.30 की धनराशि का किसानों के नाम फर्जी खाद अंकित करने का मामला दिनांक 22-9-91 को जिला स्तर पर प्रकाश में आया है । समिति के दोषी सचिव को दिनांक 1-10-91 को निलम्बित करके जिला मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है और उन्हें दिनांक 13-12-91 को आरोप पत्र भी दे दिया गया है । विभागीय कार्यवाही प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के फतेहाबाद प्रा० स्वा० केन्द्र पर डा० सुरेन्द्र कटारा का 20 वर्षों से लगातार कार्यरत रहने का औचित्य

144–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–आगरा के फतेहाबाद प्रा० स्वा० केन्द्र पर डा० सुरेन्द्र कटारा विगत 20 वर्षों से लगातार नियुक्त हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? उन्हें कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

145–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[दि० 21-2-92 को अता० प्र० सं० 146 द्वारा उत्तरित]

146–147–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के कारण हटाये गये]

जिला सहकारी बैंक लि० शाहजहांपुर के एकाउन्टेन्ट का निलम्बन मा० उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करने की जानकारी

148–श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि० शाहजहांपुर के एकाउन्टेन्ट का मई, 1973 में किया गया निलम्बन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1979 में अवैध घोषित

किया गया ? यदि हां, तो अवैध निलम्बन आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पोलीथीन औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि०, बरेली को नियमानुसार ऋण स्वीकृत किया जाना

149–श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि०, बरेली के तत्कालीन कार्यवाहक सचिव श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा पोलीथीन औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि० को बिना संचालन मण्डल द्वारा सीमा ऋण स्वीकृत किये हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लम्बित रहते हुए भी 1988-89 में 7.50 लाख रुपये दे दिया गया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है व दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

पोलीथीन औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि०, बरेली द्वारा उ० प्र० वित्त निगम से ऋण लेकर भोजीपुरा में पोलीथीन की थैलियां एवं बैग बनाने की फैक्ट्री स्थापित की । उद्योग विभाग द्वारा निर्गत 90 प्रतिशत शासकीय गारण्टी व उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक एवं निबन्धक, सहकारी समितियों के निर्देशानुसार कार्यशील पूंजी हेतु 22-11-88 को 5 लाख रुपया व 30-3-89 को 2.50 लाख कुल 7.50 लाख रुपया के आहरण की स्वीकृति सचिव व वरिष्ठ प्रबन्धक (निरीक्षण/संग्रह) द्वारा प्रदान की गयी व अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक लि०, बरेली के लिखित आदेश के पश्चात् उक्त ऋणों को आहरण समिति द्वारा किया गया । इस तरह ऋण नियमानुसार स्वीकृत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के ब्लाक फूलपुर केन्द्र पर बन रहे अस्पताल को तुरन्त पूरा किये जाने की मांग

150–श्री विक्रमाजीत मौर्य, श्री भोला सिंह, श्री विश्राम दास तथा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद के ब्लाक फूलपुर केन्द्र पर बन रहे तीस शैय्या वाले अस्पताल का निर्माण क्यों रोक दिया गया है ? यह निर्माण कार्य जनहित में कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

151–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बहराइच के नगरपालिका बोर्ड को भंग करने की मांग

152–श्री बृज राज त्रिपाठी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच नगर पालिका का बोर्ड किन कारणों से अब तक भंग नहीं किया जा सका है ? क्या नगर विकास विभाग, उ० प्र० सचिवालय की लापरवाही के कारण नगरपालिका को भारी आर्थिक क्षति हो रही है और जनधन का दुरुपयोग हो रहा है ? क्या शासन वर्तमान बोर्ड को तत्काल भंग कराकर जनहित में नगर की दुर्व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

नगरपालिका बोर्ड बहराइच को भंग करने का कोई भी प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है । अतः इसे भंग किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

शेष का भी प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारिता विभाग में लेखा संवर्ग में तीन वर्ष से स्वीकृत पदों का विवरण और उन्हें स्थायी करने की मांग

153–श्री सतीश भाटिया–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में लेखा संवर्ग में कितने पद तीन वर्ष से अधिक अवधि पूरी होने के बाद भी स्थाई नहीं किये गये हैं ? इनको स्थाई न करने का क्या कारण है ? ये पद कब तक स्थाई कर दिये जायेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

सहकारिता विभाग में सहायक लेखाकार के 164 पद तथा लेखाकार के 18 पद ऐसे हैं जिन्हें स्वीकृत हुए 3 वर्ष से अधिक हो गये हैं किन्तु इन पदों को अभी तक स्थाई घोषित नहीं किया गया है । इन अस्थायी पदों को स्थाई करने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ।

जनपद मैनपुरी में चिकित्सा विभाग में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जनपद के अस्पतालों की रंगाई-पोताई का ठेका दिये जाने में अनियमितता किये जाने की शिकायत

154–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद में चिकित्सा विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद के अस्पतालों का रंगाई-पोताई का इस वर्ष का ठेका किस व्यक्ति को दिया ? क्या ठेके के सम्बन्ध में कोई टेण्डर डाले गये ? क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने आदेश पत्रांक–सी० एम० ओ०/जे० वर्मा/91-92 4705-3 दिनांक 9-12-91 को श्री प्रेम नारायण दीक्षित उर्फ पउआ महाराज निवासी बेबर का ठेका, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० की आख्या दिनांक 4-12-91 के आधार पर अपात्र होने के कारण निरस्त कर दिया था ? यदि हां, तो पुनः उसी व्यक्ति को जिसकी बंधक के रूप में जमा प्रतिभूमि निकाल ली गयी थी, को अधिक रेट पर ठेका क्यों दिया गया ? क्या यह सही है कि श्री मनोज दूबे जो पात्र ठेकेदार है का टेण्डर कम रेट पर होते हुए निरस्त किया गया ? क्या इस अनियमितता के कारण सरकार का अतिरिक्त डेढ़ लाख रुपया अनावश्यक खर्च होगा ? यदि हां, तो सी० एम० ओ० मैनपुरी व अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इस वर्ष रंगाई पुताई का ठेका श्री प्रेम नारायन दीक्षित उर्फ पउवा महराज को दिया गया है ।

जी नहीं ।

इस वर्ष कोई टेण्डर निर्गत नहीं किया गया । गत वर्ष के अनुमोदित ठेकेदार को ही पुरानी दरों पर कार्य करने के लिये समयवृद्धि प्रदान की गयी है ।

इस वर्ष कोई टेण्डर निर्गत नहीं किया गया, अतः कोई टेण्डर निरस्त नहीं किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के कतिपय प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों के बकाये बोनस एरियर के भुगतान की मांग

155–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–गौरीगंज, जामो, अमेठी में कितने कर्मचारियों का एरियर बोनस बकाया पड़ा है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त बकाये धन को तत्काल कर्मचारियों को दिलाने की अनुमति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद सुल्तानपुर में गौरीगंज तथा जामो में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है । वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है और वहां के कर्मचारियों का कोई एरियर बोनस भुगतान हेतु शेष नहीं है ।

केवल अमेठी में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जहां के केवल 9 कर्मचारियों का एरियर बोनस भुगतान हेतु शेष था । उनमें से 3 कर्मचारियों के एरियर बोनस बिल बनाकर कोषागार में लगा दिये गये हैं, और शेष 6 के भी एरियर बोनस बिल अविलम्ब बनाकर शीघ्र भुगतान करने के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद सुल्तानपुर में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जीरो से एक वर्ष के सभी बच्चों व गर्भवती, धात्री महिलाओं का टीकाकरण समय से कराने हेतु आदेश

156–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सुल्तानपुर में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जीरो से एक वर्ष के सभी बच्चों व गर्भवती, धात्री महिलाओं का लंछित टीकाकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इसी जनपद के ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम का समुचित कार्य नहीं किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी जनपद-सुल्तानपुर के सभी 0–1 वर्ष के बच्चों व गर्भवती धात्री महिलाओं का टीकाकरण समय से कराने के आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी जीरो से एक साल तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं होती हैं। चूंकि लाभार्थियों की संख्या कभी स्थिर नहीं होती, अतः सभी लाभार्थियों को अंक समयावधि अन्तर्गत आच्छादित किया जाना सम्भव नहीं है। धात्री माताओं के लिये टीकाकरण कार्यक्रम नहीं होता है।

जी नहीं, उपलब्ध संसाधनों एवं जनशक्ति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद के ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों पर टीकाकरण का समुचित कार्य किया जा रहा है।

0–1 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के आदेश पूर्व ही दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमेठी, गौरीगंज, भेटुआ में 15 वर्षों से कार्यरत स्वास्थ्य सहायक व स्वास्थ्य निरीक्षकों के स्थानान्तरण किये जाने की मांग

157–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमेठी, गौरीगंज, भेटुआ में ऐसे कितने स्वास्थ्य सहायक व स्वास्थ्य निरीक्षक हैं जो एक ही स्थान पर विगत 15 वर्षों से भी अधिक समय से सेवारत हैं ? क्या मंत्री जी उन सभी का स्थानान्तरण दूसरे मण्डल के जनपदों में तत्काल करने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत केन्द्रों पर केवल चार स्वास्थ्य सहायक 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

जी हां,

आगामी स्थानान्तरण सत्र में अन्यत्र स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के कतिपय सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वरिष्ठ लिपिकों के स्थानान्तरण का मामला तथा बकाये एरियर के भुगतान की मांग

158–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में ऐसे कितने सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिन पर वरिष्ठ लिपिक विगत एक वर्ष से कई बार स्थानान्तरित किये जा रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि इसी कारण से वहां कार्यरत कर्मचारियों का बकाया एरियर व मासिक वेतन का समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनपद के प्रत्येक सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वरिष्ठ लिपिक तैनात करके प्रत्येक कर्मचारी का सभी बकाया एरियर व वेतन समय से दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद सुल्तानपुर में केवल अमेठी ही एकमात्र ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जिस पर वरिष्ठ लिपिक का पिछले वर्ष में 2 बार स्थानान्तरण करना पड़ा था। इस कारण वहां के कर्मचारियों के बकाया

आदि के भुगतान में अवश्य कुछ व्यवधान पड़ा। वहां पर पिछड़े कार्यों के निस्तारण हेतु एक अतिरिक्त लिपिक भी वरिष्ठ लिपिक के साथ तैनात कर दिया गया है तथा सभी अवशेषों का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित किये जाने के आदेश भी दे दिये गये हैं।

जनपद सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरीगंज, अमेठी, जामो में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण व परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के कारण प्रोत्साहन देने की मांग

159–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरीगंज, अमेठी, जामो के कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय टीकाकरण व परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाने में अपना वांछित योगदान प्रदान किया है ? क्या ऐसी सभी कर्मचारियों जिन्होंने उपरोक्त कार्यक्रमों को पूर्ण सफल बनाया है, शासन कोई प्रोत्साहन देने की कार्यवाही करने जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों गौरीगंज, अमेठी एवं जामों में वर्ष 91-92 में 29-2-92 तक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी एवं टीकाकरण कार्यक्रम में किसी भी कर्मचारी ने लक्ष्यों के अनुरूप शतप्रतिशत उपलब्धि नहीं की है।

फिलहाल इस प्रकार के किसी प्रोत्साहन देने की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बालक/बालिका जूनियर हाईस्कूल व प्राइमरी पाठशालाओं में नियुक्त अंशकालिक कर्मचारियों का वेतनक्रम का विवरण

160–श्री श्रीराम (जालौन)

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बालक/बालिका जूनियर हाईस्कूलों तथा प्राइमरी पाठशालाओं में नियुक्त अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1.00 रु० से लेकर 53.00 रु० तक के वेतनक्रम में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राजाज्ञा सं०–8831/15(5)/78-449-76, दिनांक 14 जून, 1978 द्वारा 1 अक्टूबर, 1977 से पूर्णकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानते हुए उनका वेतन निर्धारण किया गया था ? यदि हां, तो प्रति कर्मचारी कितना वेतन निर्धारण किया गया था ? क्या जनपद जालौन में सन् 1982 माह दिसम्बर तक नियुक्त ऐसे कुछ और कर्मचारी बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन की लापरवाही से राजाज्ञानुसार पुनरीक्षित व निर्धारित वेतन प्राप्त करने से वंचित हैं ? यदि हां, तो कितने और कहां ? क्या वर्ष 1982 के बाद 31 दिसम्बर, 1985 तक नियुक्त किये गये ऐसे कर्मचारियों को पूर्णकालिक कर्मचारी मानकर उन्हें निर्धारित वेतनमान दिलाये जाने हेतु शासन के पास कोई कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों भविष्य में वेतन निर्धारण की कोई कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

अंशकालिक कर्मचारियों को वेतनक्रम अनुमन्य नहीं है वरन् उन्हें नियत वेतन/पारिश्रमिक दिया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अंशकालिक कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए सम्प्रति कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जी नहीं । अंशकालिक कर्मचारियों के वर्तमान पद धारकों के कार्यरत अवधि समाप्त होते ही पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे । ऐसी स्थिति में इनके वेतन निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासक नगरमहापालिका कानपुर द्वारा रामदेव मिश्र, भू० पू० प्रधान लिपिक की भेजी गयी पत्रावली पर उ० प्र० शासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

161–श्री भगवती सिह विशारद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रशासन नगर महापालिका कानपुर ने पत्र संख्या-181अभ्यावेदन/ 89/5,द्वारा श्री रामदेव मिश्र, भूतपूर्व प्रधान लिपिक, नगर महापालिका, कानपुर की पत्रावली एवं पुस्तिका संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ तथा सहायक निदेशक, लेखा, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश-4, प्रयाग नारायण रोड, लखनऊ को दिनांक 18-1-89 को भेजी है ? यदि हां, तो उक्त पत्रावली क्यों भेजी गयी है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

उक्त पत्रावली विधान परिषद् की याचिका समिति को उत्तर देने हेतु भेजी गयी थी । याचिका समिति को उत्तर दे दिया गया है ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर के सगवर व अन्य ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के असफल होने पर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपाइप अधिष्ठापित किया जाना

162–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर के सगवर निहाली खेड़ा, झगरपुर आदि ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्रुप संख्या–92 सगवर ग्राम समूह पेयजल योजना की सारी प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के विकास खण्ड बीघापुर के ग्राम सगवर व अन्य 8 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजना का विरचन पूर्व में

विचाराधीन था परन्तु इन ग्रामों में हैण्डपम्प सफल हैं । सफल हैण्ड पम्प वाले क्षेत्र में पाइप योजना न बनाने की शासन की नीति के आधार पर उक्त योजना छोड़ दी गयी एवं अब इसका कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उक्त 9 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु 24 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं ।

प्रदेश के प्राइमरी स्तर की उर्दू पाठ्यक्रम की पुस्तकें प्रत्येक स्कूलों में उपलब्ध कराये जाने की मांग

163–श्री श्याद अली–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतालायेंगे कि प्राइमरी स्तर की उर्दू पाठ्यक्रम की पुस्तकें प्रत्येक स्कूल में उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी नहीं ।

प्रदेश के प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में उर्दू की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है ।

जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं अस्पताल के उच्चीकृत भवन का कार्य पूर्ण करने की एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

164–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के मड़ियाहू अस्पताल के उच्चीकृत भवन को अब तक क्यों नहीं पूर्ण किया गया ? क्या भवन निर्माता (हरिजन निर्बल आवास विभाग इकाई जौनपुर) के लापरवाही के कारण सरकार को आवंटित धनराशि के अतिरिक्त पुनः धनराशि देनी पड़ी ? इस अतिरिक्त धनराशि के लिये क्या मंत्री जी निर्माता इकाई के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? उच्चीकृत भवन कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

श्री कल्याण सिंह–

अधिग्रहीत भूमि पर विवाद उत्पन्न होने व हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य न करने के कारण ।

जी हां ।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण करके कार्यवाही करने हेतु महाप्रबन्धक (निर्माण) हरिजन एवं निर्बल आवास निगम लि०, लखनऊ को लिखा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 में ।

जिला उन्नाव के जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान, गणित व अंग्रेजी के अध्यापकों के अभाव को दूर किये जाने की मांग

165–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान, गणित व अंग्रेजी के अध्यापकों का अभाव है ? यदि हां, तो कितने स्कूलों में उक्त तीनों विषयों के अध्यापकों की कमी है ? इस कमी की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

48 विद्यालयों में ।

यथाशीघ्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव को प्रोन्नति द्वारा व्यवस्था करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद मैनपुरी में ब्लाक सुल्तानपुर के ग्राम गोसलपुर, नसीरपुर, भोजपुर में प्राइमरी पाठशाला के भवनों के निर्माण कार्य का विवरण

166–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई एवं अगस्त, 1991 में मैनपुरी जनपद में ब्लाक सुल्तानपुर के ग्राम गोसलपुर की बजाय ग्राम भोजपुर एवम् विकास खण्ड बेवर में नसीरपुर के बजाय ग्राम सुल्तानपुर व नवादा के मध्य गाटा संख्या-153/25 पर प्राइमरी पाठशाला के नवीन भवनों के निर्माण कराये जाने के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो परिवर्तित स्थानों पर भवन निर्माण के लिये पुनः स्थान चयन करेगी ? क्या यह सत्य है कि ग्राम भोजपुर में कोई विद्यालय नहीं है तथा वहां बच्चे शिक्षा से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या गोसलपुर में भवन निर्माण का कार्य अदालत द्वारा भी रोका गया है ? यदि हां, तो ग्राम भोजपुर में प्राइमरी पाठशाला भवन के निर्माण में क्या परेशानी है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

स्वीकृति के अनुसार ग्राम गोसलपुर स्थित प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण गोसलपुर में प्रारम्भ हो चुका है और निर्माण कार्य प्रगति पर है । नसीरपुर के विद्यालय भवन के निर्माण के संबंध में स्थल विवाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय द्वारा जब तक प्रकरण में निर्णय नहीं होता, स्थल परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, भोजपुर में विद्यालय नहीं है, यहां के बच्चे आसपास के गांव में स्थित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं ।

जी नहीं । भवन निर्माण कार्य गोसलपुर में चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उन्नाव में बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर किये जाने की मांग

167–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो जिले के कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक ही अध्यापक है और कितने समय से हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि मात्र एक अध्यापक वाले विद्यालयों में अध्यापक द्वारा अवकाश लेने पर क्या विद्यालय बन्द कर दिये जाते हैं ? यदि हां, तो वहां अध्यापकों की कमी कब तक दूर होगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

दिसम्बर, 90 से खोले गये 45 प्राथमिक विद्यालयों में एक ही अध्यापक है तथा जनवरी, 90 में प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति हो जाने के कारण 30 अन्य प्राथमिक विद्यालयों में भी एक ही सहायक कार्यरत है।

जी नहीं, अध्यापक के अवकाश, एकल अध्यापकीय विद्यालयों में अध्यापकों की व्यवस्था हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

168–170–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाये गये]

प्रदेश में ऐड्स की जांच तथा रोकथाम के लिये चिकित्सकों की संख्या तथा इसके रोकथाम के लिये किये गये उपायों की जानकारी

171–डा० दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने चिकित्सक ऐसे हैं जिन्होंने ऐड्स की जांच या रोकथाम में विशेष योग्यता प्राप्त की है ? सरकार इन ऐड्स के विशेषज्ञों का इस भयंकर बीमारी के रोकथाम में क्या सहयोग ले रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में पी० एम० एच० एस० संवर्ग के कुल दो चिकित्साधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने ऐड्स की जांच या रोकथाम में विशेष योग्यता प्राप्त की है।

इन ऐड्स विशेषज्ञों से जोनल रक्त परीक्षण केन्द्र जिला अस्पताल गोरखपुर में रक्त परीक्षण ऐड्स स्क्रीनिंग का कार्य लिया जा रहा है।

जनपद बांदा के ब्लाक पहाड़ी अठगवा क्षेत्र में कन्या जूनियर हाईस्कूल की स्थापना की मांग

172–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक पहाड़ी अन्तर्गत अठगवां क्षेत्र के प्रधान, गांव सभा देहसद्धमाफी ने दिनांक 18-9-90 को जिला अधिकारी बांदा को सम्बोधित एवं मुख्य मंत्री उ० प्र० शासन तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा शिक्षा मंत्री को पृष्ठांकित पत्र कन्या जूनियर हाईस्कूल की स्थापना हेतु दिया है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस दूरदराज के देहाती क्षेत्र में कन्या शिक्षा के विस्तार के लिये कन्या जूनियर हाईस्कूल की स्थापना शीघ्र की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने तथा बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त विद्यालय के स्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

173-174–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाये गये]

जिला उन्नाव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मवई व ओगरापुर में चिकित्सक व अन्य स्टाफ मानक के अनुरूप तैनात किये जाने की मांग

175–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मवई व ओगरापुर में चिकित्सक व अन्य स्टाफ मानक के अनुसार तैनात हैं ? यदि नहीं, तो वर्तमान में उक्त दोनों अस्पतालों में स्टाफ व चिकित्सकों की कितनी कमी है ? स्टाफ की यह कमी कब तक दूर कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मवई में एक चिकित्साधिकारी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ओगरापुर में एक फार्मेसिस्ट एवं एक स्वीपर कम चौकीदार की कमी है ।

यथाशीघ्र कमी पूरी की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उन्नाव की तहसील पुरवा में महिला चिकित्सक तैनात किये जाने की मांग

176–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील मुख्यालय के महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक किस वर्ष से तैनात नहीं हैं ? कब तक वहां महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक दिनांक 22-8-91 से तैनात नहीं है ।

नयी नियुक्तियां होने पर अथवा वार्षिक स्थानान्तरण के समय महिला चिकित्सक की नियुक्ति पर विचार किया जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के पश्चिमी क्षेत्र विकास के लिए शौचालय, सीवर, सड़क इत्यादि के निर्माण हेतु 150 लाख रु० की प्रश्नकर्ता द्वारा मांग तथा एतद्विषयक पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

177–श्री किशन गोपाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पिछली विधान सभा में श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में प्रश्नकर्ता द्वारा आगरा पश्चिमी क्षेत्र के विकास हेतु 26 पत्र देकर कुल 150 लाख रु० की मांग की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त विषय पर वर्तमान मुख्य मंत्री को 18 पत्रों द्वारा आगरा पश्चिमी क्षेत्र के विकास हेतु 150 लाख रु० की मांग भी गई है ? यदि हां, तो क्या आगरा

पश्चिमी क्षेत्र जो कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, में शौचालय, सीवर, सड़क, गन्दे पानी की निकासी हेतु नाले व नालियां बनाने व जगह-जगह बीच आजादी में बने गन्दे पानी के गड्ढों को बन्द कराने हेतु अनुदान देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां, तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री जी (श्री मुलायम सिंह यादव) एवं वर्तमान मा० मुख्य मंत्री जी के शासनकाल में विभिन्न पत्रों द्वारा आगरा पश्चिमी क्षेत्र के विकास हेतु 150 लाख रु० की मांग की गयी थी ?

जी नहीं। किसी क्षेत्र विशेष के लिए शासन से धनराशि न देकर महापालिका से दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

महापालिका द्वारा वर्ष 90-91 में रुपया 45.55 लाख तथा वर्ष 91-92 में रु० 88.61 लाख से मार्ग निर्माण/सुधार कार्य कराये गये हैं। साथ हीं 7.00 लाख रु० व्यय करके 71 नाली का सुधार कार्य किया गया है एवं विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत आगरा पश्चिमी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में वर्ष 90-91 व 91-92 में क्रमशः रु० 53.47 लाख व रु० 71.91 लाख व्यय कर विकास कार्य कराये गये। साथ ही जल निकासी की व्यवस्था हेतु रु० 43.58 लाख व्यय कर 4 नालों का निर्माण कार्य एवं मार्गों के सुधार हेतु ट्रैफिक कार्यांश में रु० 68.78 लाख व्यय करके सुधार कार्य कराया जा रहा है।

जनपद आगरा में सहकारी बैंकों के व सहकारी समितियों के चेयरमैन व सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद नयी समिति के गठन करने की मांग

178–श्री किशन गोपाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा में सहकारी बैंकों के व सहकारी समितियों के चेयरमैन व सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा वे अब भी सहकारी बैंकों व सहकारी समितियों के चेयरमैन व सदस्य अवैधानिक रूप से बने रहकर कार्य संभाल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इन पुरानी सहकारी बैंकों व सहकारी समितियों के चेयरमैन व सदस्यों को, जिसमें से कुछ ने कोर्ट स्टे ले रखा है, को हटाते हुए नई समिति के गठन की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां, तो परन्तु ऐसी स्थिति केवल उन्हीं सहकारी संस्थाओं में है जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमायूं जल संस्थान, नैनीताल में श्री जेड० आर० सिद्दीकी, महाप्रबन्धक द्वारा की गई हेराफेरी की जांच की मांग एवं निलम्बन की कार्यवाही

179–श्री धनीराम वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री जेड० आर० सिद्दीकी, महाप्रबन्धक, कुमायूं जल संस्थान, नैनीताल द्वारा वर्ष 84 से 87 की अवधि में, जब वे अधिशासी अभियन्ता के पद पर कुमायूं जल संस्थान, हल्द्वानी में कार्यरत थे, तब करोड़ों रुपये की सामग्री केन्द्रीय भण्डार अभिलेख तक गायब करा दिये गए ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी करोड़ों रुपये के गबन में श्री सिद्दीकी की संपत्ति से सरकारी धन की रिकवरी करके उन्हें बर्खास्त करने अथवा निलम्बित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

श्री जेड० आर० सिद्दीकी, महाप्रबन्धक, कुमायूं जल संस्थान को केन्द्रीय स्टोर, हल्द्वानी में रु० 2.40 लाख की स्टोर सामग्री की हेराफेरी करने तथा अभिलेखों को पूर्ण न कराने के आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये गये हैं।

विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये दिनांक 22-1-92 को निलम्बित कर दिया गया है।

180– श्री धनीराम वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री जेड० आर० सिददीकी, महाप्रबन्धक, कुमायूं जल संस्थान, नैनीताल के भ्रष्टाचार एवं पद एवं अधिकारों के दुरुपयोग के संबंध में श्री वंशीधर भगत, विधायक, नैनीताल एवं अन्य विधायकों के हस्ताक्षर युक्त पत्र दि० 18-7-91 व 29-8-91 मिले हैं ? यदि हां, तो क्या उस पर उनके स्थानान्तरण के जांच के आदेश दिए गये तथा जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो क्या उसमें श्री सिद्दीकी दोषी पाये गये ? यदि हां, तो श्री सिद्दीकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर मामले में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री सिद्दीकी का कुमाऊं से स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रेमलता कटियार–

मात्र पत्र दिनांक 18-7-91 प्राप्त हुआ है।

शिकायतों को प्राथमिक जांच कराई गई और जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है।

जी हां, प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं।

निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, आयुर्वेदिक, लखनऊ द्वारा फरवरी, मार्च 1991 में की गई नियुक्तियां एवं उनके वेतन भुगतान का प्रकरण

181– श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, आयुर्वेद, लखनऊ द्वारा कितने फार्मेसिस्टों की नियुक्ति फरवरी, मार्च, 1991 में की गई है, उनमें से किसको, किस स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया गया है ? कितनों को वेतन भुगतान कराया जा रहा है तथा कितने कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं कराया जा रहा है ? क्या सरकार बकाये वेतन का भुगतान तत्काल कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

माह फरवरी/मार्च, 1991 में 221 फार्मेसिस्टों की नियमित नियुक्तियां की गयी हैं।

उक्त फार्मेसिस्टों की तैनाती स्थल की सूची संलग्न है। †

---

† छापी नहीं गई।

उक्त सभी फार्मेसिस्टों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता ।

182–श्री स्वामी नाथ यादव–

[दि० 23-3-92 को अता० प्र० सं० 202 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा के मुख्य चिकित्साधिकारी और आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग में की गई स्वीपरों की नियुक्ति का मामला

183–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी, डा० एस० पी० गुलाटी और आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने अपने-अपने विभाग में स्वीपरों के रिक्त पदों में पिछली जाति के लोगों की भर्ती की है ? यदि हां, तो किस नियमावली के तहत ? क्या इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायी जावेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा परिषदीय नियंत्रणाधीन विभिन्न ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रीय प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल में विज्ञान/उर्दू/संस्कृत के अध्यापक/अध्यापिकाओं के रिक्त पदों को भरने की मांग

184–श्री देवेन्द्र पाल सिंह तथा श्री कोबिन्द कुमार सिंह–

क्या शिक्षा- मंत्री (बेसिक) कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा परिषदीय नियंत्रणाधीन विभिन्न ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रीय प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में विज्ञान/उर्दू/संस्कृत एवं समान्य शिक्षक शिक्षिकाओं के कौन-कौन से पद किस-किस विद्यालय में कब से रिक्त पड़े हैं ? क्या शासन अपने स्तर से पात्र व्यक्तियों की वहां नियुक्तियां शीघ्र करवा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइमरी स्कूलों में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 5 तक अलग-अलग दी जाने वाली छात्रवृत्ति की जानकारी

185–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मिकी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी स्कूलों में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 5 तक अलग-अलग कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है ? क्या यह सही है कि कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार कक्षा 1 से 5 तक प्रति विद्यालय केवल कक्षा 3, 4 व 5 में पिछड़ी जाति के एक-एक विद्यार्थियों को छात्रवत्ति प्रदान की जाती है ।

जी हां ।

कक्षा 1 व 2 में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने का निर्णय नहीं है ।

186–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

187–श्री विश्वनाथ–

[दि० 23-3-92 को अता० प्र० सं० 203 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई में अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 1991 में की गई नियुक्ति में कथित धांधली की शिकायतें एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

188–श्री खालिद गौरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 1991 में कुछ नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे बिना किये जाने के संबंध में विभागीय जांच की जा रही है ? यदि हां, तो कुल कितनी नियुक्तियां किन-किन तिथियों को की गयीं इस हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद हरदोई में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियुक्ति तथा जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु अंशकालिक पर्यवेक्षकों को आमंत्रण पत्र निर्गत करने के संबंध में जांच संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० द्वारा की गई है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी के 9 पदों पर दिनांक 24-4-91 को नियुक्तियां की गईं । जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 30 अभ्यर्थियों को आमंत्रण पत्र निर्गत किये गये हैं इसमें से 7 आमंत्रण पत्र दिनांक 29-4-91 तथा 31 आमंत्रण पत्र दिनांक 5-6-91 को निर्गत किये गये हैं ।

जांच आख्या के आधार पर संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है । स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

नगर पालिका बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा निर्मित की गई दुकानें तथा उनके आवंटन का मामला

189–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अब तक कितनी दुकानें नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत मंगल बाजार में निर्मित कराई गईं ? उक्त निर्मित दुकानों के आवंटन हेतु कितने व्यक्तियों ने जमानत की धनराशि जमा की है ? क्या धनराशि जमाकर्ता सभी को दुकानें उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

कुल 28 दुकानों का निर्माण कराया गया है ।

30 व्यक्तियों ने आवंटन हेतु जमानत की धनराशि जमा की थी, जिनमें से 6 व्यक्तियों ने निर्माण से पूर्व ही जमानत की धनराशि वापस ले ली ।

निर्माण हो जाने के उपरान्त 24 दुकानें 21 व्यक्तियों को आवंटित की गयीं तीन व्यक्तियों, जिनकी जमानत की धनराशि जमा है, को दुकानें उपलब्ध नहीं करायी जा सकी हैं क्योंकि 4 दुकानों के संबंध में मुंसिफ न्यायालय, बांसी में वाद लम्बित है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में अध्यक्ष नगर पालिका बांसी में दफ्तरी मोहरिर्र के पद पर कार्य कर रहे कर्मचारी का प्रकरण

190– श्री जय प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष नगर पालिका बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा पालिका में कोई असृजित दफ्तरी मोहर्रिर पद पर कर्मचारी नियुक्त कर माह मई 1990 से नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुकूल है ? यदि नहीं, तो क्या पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रेमलता कटियार–

जी नहीं । श्रम न्यायालय में लम्बित वाद में नगरपालिका बोर्ड के सदस्यों की संस्तुति के आधार पर किये गये समझौते के अनुसार दफ्तरी मोहर्रिर पद पर नियुक्त कर्मचारी को दिनांक 16-4-1991 से वेतन का भुगतान किया जा रहा है । जी हां, शासन द्वारा दिनांक 3-2-92 को पद सृजित करके विनिममित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में नगरपालिका बांसी में कार्यरत सचिव (बक्शी) को पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिशासी अधिकारी केन्द्रीयित सेवा पद का वेतनमान भुगतान किये जाने की शिकायत

191–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत सचिव (बक्शी) श्री ओम प्रकाश गुप्त को पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिशासी अधिकारी केन्द्रीयित सेवा पद वेतनमान 1,400-2.300 के अन्तर्गत वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 3767/11-4-90 डब्लू/90 नगर विकास अनुभाग–4, लखनऊ दिनांक 7 सितम्बर, 1990 का उल्लंघन करने का क्या कारण है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रमाणित वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायी पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

1 जनवरी, 1989 से अक्टूबर, 91 तक मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से विभिन्न जनपदों के विद्यालयों को दी गई धनराशि का विवरण तथा उसके प्रयोग किये जाने में किसी शिकायत का न पाया जाना

192–श्री उदय प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1989 से अक्टूबर, 91 तक मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से उ० प्र० के किन-किन जनपदों में किस-किस विद्यालय को कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या आवंटित धनराशि का सदुपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रबन्धकों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराकर धनराशि का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रश्नगत अवधि में प्रदेश के जिन विद्यालयों को मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है, उनकी सूची संलग्न है । †

आवंटित धनराशि के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 10 अप्रैल, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई हैं :–

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर और श्री भागवत पाल उपस्थित नहीं है, इसलिये प्रतीक्षा सूची की दो सूचनायें श्री निर्वेन्द्र कुमार मुन्ना की और श्री राम गोविन्द चौधरी की सूचनाओं को उनके स्थान पर लिया जाता है ।

एक सदस्य–

मैंने भी नियम 301 में दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

वह शलाका में नहीं आयी होगी ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(संलग्न 301 की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया)

---

† छापी नहीं गई ।

एस० एम० आई०, मुरादाबाद द्वारा अस्वीकृत खाद्य पदार्थ जनता में वितरित कराने से मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

[मान्यवर, गत सप्ताह उक्त विषयक एस० एम० आई० ने शक्ति राइस मिल, चन्दौली, मुरादाबाद से साठ-गांठ करके ढाई हजार बोरी चावल खरीद लिया जो सड़ा गला था तथा उसमें कीड़े पड़े हुए थे, इसी कारण खाद्य निगम द्वारा यह चावल पहले ही अस्वीकृत किया जा चुका था, एम० एम० आई उपरोक्त ने यह चावल शीघ्र उठाकार राशन विक्रेताओं की मारफत इसका निपटारा किया है। इस चावल की काफी बड़ी मात्रा अन्य नगरों के लिये भी जारी की गयी है। परगनाधिकारी चन्दौसी श्री डी० के० तोमर ने इस चावल का नमूना लखनऊ भिजवाया है।

अतः मानव जीवन से खिलवाड़ करने वाले एम० एम० आई० तथा राइस मिल स्वामी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने तथा आज सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की मांग करता है]

जनपद मथुरा में भांट ब्रांच कैनाल व राजबहा की सफाई न कराने से सिंचाई जल के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नवाब सिंह–

[मान्यवर, मथुरा जनपद के गोकुल क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य स्रोत भांट ब्रांच कैनाल एवं उससे निकले रजबहा हैं मुख्य नहर तथा रजबहों की सफाई शासनादेश के अनुरूप ग्राम प्रधान की देखरेख में श्रमिक मुखिया चुनकर नहीं कराई गई आधिकांश कार्य पुराने ठेकेदारों से कमलकर विभागीय इंजीनियरों व ओवरसिवरों ने कराया है, बाद में कुछ प्रधानों से संस्तुति लिखवा ली है इससे सफाई उचित ढंग से न हो पाने तथा सिचाई जल का आवंटन कम मिलने के कारण फसलें सूख रही हैं कृषकों में भारी असंतोष व क्षोभ व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 17-2-92 को रोस्टर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम के अनुरूप नहर नहीं चलाई गई इससे कृषकों की फसलों में 50 प्रतिशत क्षति हुई है।

उक्त लोक अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा पानी का आवंटन बढ़ाने की मांग करता है]

जनपद देवरिया की सलेमपुर तहसील में नहर व नलकूपों की कमी से सिंचन में असुविधा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी नाथ यादव–

[मान्यवर, देवरिया जनपद के सलेमपर तहसील में सिंचाई हेतु नहर का निर्माण नहीं हुआ है जिससे तहसील का सम्पूर्ण किसान सरकारी नलकूपों तथा ईश्वरी वर्षो पर निर्भर रहता है। खास कर इस तहसील के विकास खण्ड सलेमपुर, लार, भटनी, माटयार सानी, बकनटा तथा मलुअनी में सिंचाई का

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अत्यन्त ही अभाव है, राजकीय नलकूप नगण्य के समान हैं, यहां का किसान मध्यम वर्ग का है जिससे निजी साधन करने में उसकी आर्थिक स्थिति आड़े आती रहती है ।

इस संबंध में सरकार ने अतिरिक्त व्यवस्था के द्वारा नलकूपों के लगाने की यदि व्यवस्था नहीं की तो सिंचाई के अभाव में यहां के किसानों की हालत बद से बदतर हो जायेगी ।

लोकहित के अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

हापुड़ नगर में हड्डी मिल व सरेस फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजेन्द्र कुमार–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निम्न लोक-महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

हापुड़ प्रमुख व्यापारिक मण्डी है, यहां घनी आबादी के पास 3 हड्डी मिलें व 25 सरेस फैक्ट्रियां कार्यरत हैं । इनके चलने में सफेद दम घोटने वाला धुआं से इतना अधिक प्रदूषण होता है कि हापुड़ और आसपास के 30 ग्रामों में रहने वाले लाखों लोगों का जनजीवन असुरक्षित है । सैकड़ों लोग संक्रामक रोगों के शिकार हो रहे हैं । आने वाली संतति में भी दोष पैदा हो रहे हैं यह लाखों के जीवन से जुड़ा प्रश्न है । अतः आपसे निवेदन है कि इस पर अविलम्ब समुचित कार्यवाही की जाय]

बदायूं बिलसी वाई पास के बिजली उपस्थान के सामने नाले का निर्माण नाबालिग ठेकेदार के नाम से फर्जी कराकर बिलसी नगरपालिका को लाखों की क्षति पहुंचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भोला शंकर मौर्य–

[मान्यवर, नगर पालिका बिलसी जनपद बदायूं स्टैट हाई वे नं० 51 बदायूं बिजनौर के बिलसी वाई पास के चौराहे से बिजली उपस्थान के सामने एक नाले का निर्माण कराया है और इस निर्माण कार्य को एक नाबालिक ठेकेदार के नाम से फर्जी कराया है तथा नगर पालिका के लाखों रुपये भी भूमि को छोड़कर बनाया है जिसके कारण नगरपालिका बिलसी के पूर्व चेयरमैन एवं उसके परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाया गया है । निर्माण कार्य हो जाने के कारण नगरपालिका की भूमि पर पूर्व चेयर मैन का परिवार अतिक्रमण करके अपने खेत में मिला रहा है जिसके कारण नगर पालिका बिलसी को लाखों रुपये की हानि हो रही है इससे बिलसी नगर की जनता में व्यापक रूप से आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त हो गया है । मामला महत्वपूर्ण एवं लोक-महत्व अविलम्बनीय होने के कारण सदन के संज्ञान में लाकर सदन का ध्यान आकर्षण करता हूं ।

अतएव इस लोक-महत्व एवं अविलम्बनीय मामले मे शासन को जांच करा कर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु शासन को निर्देश करने का कष्ट करें ।]

जनपद खीरी निघासन में गन्ना समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों के असहयोग से किसानों को गन्ना सप्लाई में कठिनाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* निर्वेन्द्र कुमार

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लोकमहत्व की सूचना लाना चाहता हूं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र 72 निघासन खीरी में सहकारी गन्ना समिति संघ सम्पूर्णानन्द में समिति के ही संचालक मण्डल के उपाध्यक्ष श्री हरदेव सिंह के द्वारा गन्ना सप्लाई टिकट की बुकों को फाड़ डाला गया तथा उक्त समिति के पर्ची

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जारी करने वाले कलेण्डरों को समिति से उठा ले गये जिसके कारण हजारों किसानों को गन्ना सप्लाई करने में बाधा उत्पन्न हो गई ।

परन्तु जनपद लखीमपुर खीरी के गन्ना विभाग के कर्मचारियों द्वारा उक्त घटना कि प्राथमिक सूचना किसी भी थाने में अंकित नहीं कराई गई जिससे स्पष्ट है कि उक्त गन्ना समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण उक्त घटना घटित हुई । उक्त समिति में संचालक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुमोदन के बिना ही संचालक मंडल के प्रस्तावों के अनुसार क्रियान्यवन कर दिया जाता है ।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं की उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना थाने में अंकित कराते हुए दोषी व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय]

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम गोरखपुर द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच करने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[मान्यवर, सिंचाई खण्ड प्रथम गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता मुख्य पश्चिमी नहर गण्डक देवरिया ब्रांच पर नहरों के संचालन हेतु जितने रेगुलेटर बने हैं, उनका फर्जी रिपेयर एवं गेयर बदलने इत्यादि के क्रय पर लाखों रुपये का फर्जी भुगतान मैकेनिकल कार्यो पर किया गया है जबकि रिपेयर केवल रेगुलेटर कि०मी० 33-600, 40-140 एवं 47-140 पर ही गत वर्ष हुआ है । हर माह में फर्जी भुगतान किया जा रहा है इसी माह में ही 1-50 लाख रुपया रेगुलेटरों के पटरे बदलने का किया है ।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनेकों बार नैपाल राज्य स्थित बी गेप बांध के निरीक्षण गृह पर अनाधिकृत रूप से रात्रि निवास एवं उसे सरकारी कार्य दिखाकर लाखों रुपये का यात्रा भत्ता का भुगतान भी लिया है ।

भ्रष्टाचार एवं आतंककारी गतिविधियों में लिप्त होने का यह प्रमाण है कि माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर, 1990 में पंजाब और जालंधर (सरकारी टेलीफोन से) बातचीत कर लाखों रुपये का भुगतान सरकारी कोष से किया है । सिंचाई खण्ड प्रथम गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा ऐसा अवैधानिक कार्य किये जाने से न केवल अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों में आतंक, रोष और क्षोभ व्याप्त हो गया है बल्कि इसकी चर्चा पूरे जनपद गोरखपुर में की जा रही है ।

अतः अविलम्बनीय लोक-महत्व के सुनिश्चित विषय पर कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अंतर्गत मैं मांग करता हूं कि उक्त पूरे प्रकरण की जांच कर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय]

नोट.–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत कल मैंने 4 सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुनने के लिये कहा था, तो आज थोड़ी देर में उनको सुने ले रहा हूं। इसके अतिरिक्त कुछ सूचनायें आज आयी हैं। कल की सूचनाओं को मैं पहले ले रहा हूं।

प्रथम सत्र 1992 के 5 वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न दिया था, जो 5 वें बुधवार के लिये निर्धारित था और 126 वें नम्बर पर था। यह प्रश्न प्रदेश में जनपदीय न्यायालयों में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं के रेन्यूवल किये जाने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी और क्या यह सच है कि वर्तमान प्रदेश सरकार पूर्ण सरकार द्वारा नियुक्त सभी शासकीय अधिवक्ताओं को हटा रही है और क्या यह भी सच है कि मैनपुरी के जिलाधिकारी द्वारा अधिकांशतः पिछड़े वर्ग से संबंधित किसी शासकीय अधिवक्ता के रेन्यूवल की संस्तुति नहीं की है। इसका जो उत्तर आया है, उस पर माननीय मंत्री जी के हस्ताक्षर नहीं हैं, यह प्रक्रिया बड़ी गम्भीर है, जो समय चल रहा है उसको शासन स्तर पर गम्भीरता के साथ नहीं लिया जा रहा है। प्रश्न के प्रस्तर में पूरी भाषा भी नहीं है और जान बूझकर उत्तर ठीक से नहीं दिया गया है, तो इस तरह से होता है और बहुत सी शिकायतें आती हैं। इसका सारा मामला रूबरू आपके समक्ष है सारी बातें आपके संज्ञान में हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक बात है और बहुत ही गंभीर बात है इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

* वित्त, संस्थागत वित्त संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री–(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जिस बात की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है पहली बात तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नों के बारे में यह नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया जाय यह कोई परिपाटी नहीं है। अगर किसी माननीय सदस्य को प्रश्न के जारिये समाधान नहीं होता है तो दूसरा पूरक प्रश्न पूछ लें।

(व्यवधान)

मान्यवर, जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है इसमें मुझको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो पूरक प्रश्न मुद्रित होता था, साइक्लेस्टाइल होना था, उसमें नीचे का अंश छूट गया है उसके लिये मैं खेद प्रकाश करता हूं और यह निदेश देता हूं कि भविष्य में इस तरह की चूक न की जाय।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्यमंत्री के खेद प्रकाश 300 के अन्तर्गत शाक्य जी की सूचना नहीं आती है, शासन का समुचित उत्तर मिल जाय इसके लिये सावधानी बरतेंगे। इसको अस्वीकार करता हूं।

प्रथम-सत्र 1992 के 6ठें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या–1 को गोपनीयता के आधार पर निरस्त किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदयनारायण दीक्षित–

मान्यवर, हम विधायकों को इस आदरणीय सदन की सेवा में जिन कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है इस संबंध में तमाम जानकारियां हासिल करने के लिए, तमाम अपने जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने के लिए सरकार को तमाम पत्र लिखने रहते हैं। मान्यवर, जब से नई सरकार आई है यद्यपि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको 10 माह हो गये हैं लेकिन अभी मैं इसलिये कह रहा हूं कि उसको काम करने का सलीका नहीं आया है । श्रीमन्, हम विधायक लोग माननीय मुख्य मंत्री जी को जो भी पत्र लिखते हैं उन पत्रों को जहां तक मेरी जानकारी है, उनके द्वारा पढ़ा नहीं जाता, उनके सचिवालय के किसी अधिकारी द्वारा पढ़ा नहीं जाता । सचिवालय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है उसके किन्हीं अधिकारियों द्वारा एक काम होता कि जिस विभाग से संबंधित वह पत्र होता है उस पर लिख दिया गया सचिव राजस्व और किन्हीं अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये उसमें यह नहीं लिखा होता कि इस पत्र पर कार्यवाही की जाय, इसको देख लिया जाय, इसको कहां भेजें और भेज कर कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय । चूंकि यह प्रक्रिया जिसे मैं आपके सामने उठा रहा हूं माननीय मुख्य मंत्री जी के सचिवालय की है, श्रीमन् वह भारतीय संविधान के उपबन्ध से केवल बहुमत दल के नेता नहीं हैं, सदन के नेता हैं, उनसे हम मदद लेते हैं, हम लोग जो पत्र लिखें उसका विधिवत् उत्तर आवे इस बात की जानकारी के लिए जो प्रश्न पूछने का हम लोगों का अधिकार है उसे आप संरक्षण दें । हमने सचिवालय में एक प्रश्न दिया आपके सचिवालय के तरफ से हमको बुलाया गया हमने उसका स्पष्टीकरण दे दिया । आपके सचिवालय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मुख्य मंत्री जी के सचिवालय से उत्तर आया, प्रश्न बड़ा सामान्य सा है इसकी एक लाइन पढ़े देता हूं –क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर 91 के चार माह में उनको सम्बोधित विभिन्न दलों के विधान मंडल के पदाधिकारियों मान्यवर, अगर कोई विधायक लिखता है तो कोई टिप्पणी नहीं होती, मान्यवर, आगे है कि विधायकों के अधिकांश पत्रों पर बिना कोई आदेश/निर्देश/सुझाव अंकित किये ही संबंधित विभाग को मुख्य मंत्री जी/उनके सचिव/संयुक्त सचिवों द्वारा प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्रों पर बिना कोई टिप्पणी किये ही केवल विभागाध्यक्षों/अधिकारियों को प्रेषित करने का क्या औचित्य है ? मान्यवर, उसका हां या नहीं में उत्तर होता था लेकिन उस पर यह कहा गया कि यह मामला गोपनीय है । मान्यवर, आपके सचिवालय पर मुझे कुछ नहीं कहना है ।

मान्यवर, इस तरह से पत्रों को अगर नजरन्दाज किया गया तो आप सहमत होंगे कि कभी-कभी सदस्यगण इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने पत्र द्वारा यह जानकारी चाही थी । विधान सभा में इस प्रकार के सैकड़ों सवाल आते हैं । माननीय मंत्री जी या संबंधित अधिकारी हमारे प्रश्नों का ठीक ढंग से और समय से उत्तर नहीं देते है । मैं आपकी अनुमति से उ० प्र० शासन के संसदीय कार्य अनुभाग से जो संसद/विधान सभा/परिषद् के सदस्यों तथा प्रशासन के बीच संबंध, सदस्यों के प्रति सौजन्य एवं शिष्टता प्रदर्शन आदि विषयों पर विभिन्न विभागों द्वारा जारी किया गया जो संकलन है उसमें दिनांक 16 अगस्त, 1969 के शासनादेश ने श्री विपिन बिहारी लाल, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया है कि संसद सदस्यों तथा प्रदेशीय विधान मंडल के सदस्यों के पत्रों की प्राप्ति की सूचना उनके लेखकों को शीघ्र दे दी जानी चाहिए और उसके बाद उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी, इसका भी विवरण उनके पास शीघ्र से शीघ्र भेज देना चाहिए । अब अगर इसको गोपनीय मान लें तो पुस्तिका में दूसरा शासनादेश है सुमन कुमार माडवल, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार विभाग का अर्ध शासकीय पत्र संख्या–631 /सत्ताइस -1-185 (1)-197 दिनांक 7 मार्च, 1979 इसमें स्पष्ट कहा गया है कि संसद सदस्यों तथा विधायकों से प्राप्त पत्रों के रजिस्टर को आप प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में देख लिया करें ताकि ऐसे संदर्भों के निस्तारण में कोई चूक न हो । परन्तु मान्यवर, ऐसा होता नहीं है । सचिवालय में पत्रों से संबंधित तमाम सवाल आते हैं परन्तु उनकी कोई सूची नहीं बनाई जाती है । इसी के संबंध में एक शासनादेश संसदीय अनुभाग का दिनांक 21 जुलाई, 1972 का श्री प्रेम प्रकाश सचिव का है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि विधान सभा परिसर में ऐसे प्रश्नों को नियंत्रित करने तथा उनके उत्तर में अनावश्यक लग रहे श्रम, समय और व्यय को बचाने के लिये यह निश्चय किया गया है कि यदि ऐसे विषयों पर प्रश्नों, जो लोक-महत्व अथवा सार्वजनिक हित के न होकर स्थानीय महत्व के या व्यक्ति विशेष से संबंधित है, सदन में उत्तर के लिये ग्राह्य न करके सदस्यों से सीधे सूचना मांगने को कहा जाय और सदस्य तदनुसार

आपसे सूचना मांगें तो आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार मांगी गई ऐसी समस्त सूचना जो गोपनीयता भंग किये बिना आपके विभाग अथवा संबंधित अधिकारियों द्वारा दी जा सकती हो, अविलम्ब सदस्यों को दे दी जाया करें और यदि ऐसी सूचना देना गोपनीयता के या अन्य किसी कारणवश व्यवहारिक न हो तो विनम्रतापूर्वक तद्नुसार इन्हें सूचित कर दिया जाय। ऐसे मामलों में उसी तत्परता से कार्यवाही करना अपेक्षित है जैसी कि विधान सभा/परिषद् के प्रश्नों के बारे में सामग्री उपलब्ध कराने में की जाती है क्योंकि एक प्रकार से यह उन्हीं प्रश्नों का निस्तारण जो अन्यथा सदन में उठाये जा सकते हैं। मान्यवर, जब पत्रों के उत्तर नहीं आते हैं तो हम लोग सदन में सवाल करते हैं जिससे व्यर्थ में आदरणीय सदन का समय नष्ट होता है और प्रदेश के महत्वपूर्ण विषय चर्चा से वंचित रह जाते हैं। मुख्य मंत्री सचिवालय में एक विधायक सेल है उसमें मा० विधायकों के नाम से अलग-अलग रजिस्टर है उसमें लिखा होता था कि किस का पत्र है और कहां जाना है तथा क्या आदेश हुए ? नीचे लिखा होता था फलां सचिव–किसी सचिव का नाम और किसके आदेश कृपया बतायें, आवश्यक कार्यवाही करें। परन्तु अब जो वर्तमान प्रक्रिया है वह बिल्कुल भिन्न है। अब ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह आरोप है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह अगर आप की दृष्टि में आरोप है तो मैं वापस लेता हूं। मैं आपको अपना दुख और वेदना बता रहा हूं कि इतना अवमूल्यन विधायकों का कभी नहीं हुआ और मान्यवर, जो मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं आया। लेकिन मान्यवर, आप सरकार को निदेश दें, विधायक चाहे इस दल के हों या उस दल के इस प्रकार अवमानना लोकतंत्र की अवमानना है। विधायक अपने पत्रों का उत्तर मांगेंगे यह उनका अधिकार है।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय दीक्षित जी ने बहुत विस्तार से बात कही जो विषय वस्तु है वह सीमित महत्व की है। तमाम आरोप लगाये गये हैं माननीय मुख्य मंत्री जी पर आरोप लगाया कि वे पत्र नहीं पढ़ते हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैंने कहीं कोई आरोप नहीं लगाया अगर आरोप लगता है तो उसे वापस लेता हूं। मैं आरोप कभी नहीं लगाता न लगाया। वस्तुस्थिति बतायी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने जो आरोप शब्द का प्रयोग किया मैं उस आरोप शब्द को वापस लेता हूं। माननीय दीक्षित जी ने जिन तथ्यों की जानकारी दी है वह तथ्य सही नहीं हैं और हकीकत पर आधारित भी नहीं हैं। जो भी पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित किये जाते हैं एक-एक पत्र को पढ़कर यथोचित कार्यवाही की जाती है। पत्रावली पर कोई मंत्री क्या आदेश देता है क्या लिखता है, क्या उसके बारे में जानकारी आदरणीय सदन को दी जायेगी ?

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

पत्र पर जो आदेश होते हैं वह उस सेल में लिखे जाते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह कहा गया कि मुख्य मंत्री जी की ओर से मार्क कर दिया जाता है यह तथ्यों पर आधारित नहीं है एक-एक पत्र को पढ़ा जाता है यथोचित कार्यवाही की जाती है । उस सवाल को ग्राह्य करेंगे या न करेंगे यह आपका कार्य है आपके कार्य को चुनौती नहीं दी जा सकती है । जो प्रश्न आते हैं उसे आपका प्रश्न अनुभाग देखता है उसको आपके अधिकारी देखते हैं उसके बाद आप या माननीय उपाध्यक्ष देखते हैं, उसके कुछ आधार हैं । यह सवाल जो दिया गया है वह दो आधारों पर अस्वीकार किया गया है––गोपनीय और विस्तीर्ण ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रेषित पत्रों पर उनका सचिवालय आदेश करता हो, 50 प्रतिशत पत्रों पर भी आदेश होते हों तो बता दें वहां से आदेश ही नहीं होते ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने कहा कि एक-एक पत्र को पढ़कर उस पर यथोचित कार्यवाही की जाती है ।

आप जब मंत्री हो जायेंगे तो समझ जायेंगे, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी से पूछ लीजिये । मान्यवर, आपने जो भी उचित समझा, अग्राह्य किया, आपने अथवा आपके सचिवालय ने सही अग्राह्य किया, इतना विस्तीर्ण है और गोपनीय प्रकृति का है । किसी माननीय मंत्री के पास किसी विधायक का पत्र जाता है हम सबके कार्यालय में रजिस्टर है उस प्रक्रिया के अनुसार सारी बातें लिखी जाती हैं सब कार्यवाही की जाती है । मैंने स्वयं यह व्यवस्था की है, सचिवालय को कहा है बहुत से नये सदस्य आये हैं, सदस्यों के बारे में हमारे अधिकार कार्य शैली क्या है, जितने भी शासनादेश हुए हैं उन सब शासनादेश के साथ जानकारी हम आपको पत्र के रूप में देंगे । माननीय सदस्य अधिकारों के बारे में जागरूक रहें, कहीं कमी हो हमें रोकें । हर पत्र का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है । जहां तक प्रश्न की अग्राह्यता का सवाल है वह माननीय अध्यक्ष का सवाल है उस पर टिप्पणी नहीं करनी है ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, पहले परम्परा रही है, विधायक जो पत्र माननीय मुख्य मंत्री, माननीय मंत्रिगणों को लिखते हैं उसकी प्राप्ति स्वीकृति की कम से कम सूचना माननीय मुख्य मंत्री या सम्बन्धित मंत्री के हस्ताक्षर से आती हैं । अधिकारी बाद में उत्तर देते थे । बहुगुणा जी के समय में, तिवारी जी के समय में माननीय मुलायम सिंह जी के समय में यह देखा कि स्वयं मुख्य मंत्री विधायकों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकृति के वहीं उत्तर देते थे कार्यवाही की जानकारी अधिकारी देते थे । आज यह देखा जा रहा है कि मुख्य मंत्री को तो छोड़ दीजिये मुख्य मंत्री कार्यालय के अनुसचिव, संयुक्त सचिव प्राप्ति की सूचना देते हैं । जो राजाज्ञा है उसमें है कि विधायक का सम्मान मुख्य सचिव से ज्यादा है यह अवमानना हो रही है अनुसचिव संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से प्राप्ति की सूचना देकर एक नयी परम्परा डाली जा रही है कार्यवाही की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सूचना नहीं देते हैं । मुख्य मंत्री, मंत्री पत्र की प्राप्ति स्वीकृति की सूचना दें, अधिकारी कार्यवाही की सूचना दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय वर्मा जी ने दो बातें कहीं, पहली बात माननीय विधायकों के सम्मान की अवमानना हो रही है । दीक्षित जी ने बात कही थी उसका पहले उत्तर जानबूझकर नहीं दिया कि उत्तर देंगे तो विवाद की बात पैदा हो जायेगी ।

(घोर व्यवधान)

अभी उत्तर दिया नहीं कि विवाद शुरू हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं । शान्ति बनाये रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय सदस्यों का सम्मान पूरा हो इसका ध्यान हमें है किसी तरह से किसी की अवमानना करने का इरादा सरकार का नहीं है । जो भी प्रक्रिया चली आयी है अभी वर्मा जी ने कहा कि माननीय मंत्रियों के स्वयं हस्ताक्षर से माननीय सदस्यों को सूचना मिलनी चाहिए दूसरी कही कि कृत कार्यवाही की जानकारी अधिकारी के माध्यम से मिलनी चाहिए । मान्यवर, जो जानकारी है हम माननीय मंत्रियों के हस्ताक्षर से ही पत्र जाते हैं अगर कहीं कोई चूक हो रही है .....

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

एक भी उदाहरण दे दें जिसमें कार्यवाही पूर्ण होने के बाद जवाब आया हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्री वर्मा जी ने कहा कि उत्तर दिये जायं, परिपाटी की व्यवस्था यह है, अगर कहीं कोई चूक हो रही है, यहां माननीय मंत्रिगण बैठे हैं, सुन रहे हैं, दिखवा लेंगे व्यवस्था सही होगी कि माननीय मंत्रियों के हस्ताक्षर से माननीय विधायकों के उत्तर मिले और कृत कार्यवाही जो होती है, उधर के भी लोग मंत्री रहे हैं जानते हैं कृत कार्यवाही दो दिन में होती नहीं कभी-कभी काफी समय लग जाता है आलेख्य बनता है, व्यवस्था की जायेगी कि जो परिपाटी रही है उसका पालन किया जायेगा । कहीं कोई चूक हो रही है तो उसकी व्यवस्था को सही करने की पूरी कोशिश की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया मुझे अपनी व्यवस्था देने दें । वैसे तो माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित और माननीय श्री शिव कुमार बेरिया जी की जो सूचना है वह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है लेकिन मैं यह अपेक्षा करता हूं कि जब भी कोई माननीय विधायक पत्र लिखे तो उसकी प्राप्ति की सूचना देना सुनिश्चित कर लिया जाये और उस पर अन्त में जो कार्यवाही होती है उसकी सूचना यथासम्भव दी जाये । मैं इनकी सूचना को अग्राह्य करता हूं

प्रथम सत्र 1992 के छठे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या–16 का स्पष्ट उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगली सूचना जो कि माननीय राम गोविन्द चौधरी जी की है को ले रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, मैंने बहुत ही विवश होकर नियम–300 के अन्तर्गत यह सूचना दी है । विवश होकर इसलिये कि मैंने इसे नियम 51 के अन्तर्गत भी उठाया था आपने स्वीकृति भी दे दी थी लेकिन जो इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया था वह सत्य से परे था तो मैंने पुनः एक पत्र माननीय अध्यक्ष को दिया और उसे अध्यक्ष के निदेशों के अन्तर्गत नियम 165 (2) में पुनः उठाने की अनुमति चाही थी लेकिन उसे संयुक्त सचिव के पत्र को आधार मानते हुए उसे अग्राह्य कर दिया तब मैंने इसे प्रश्न के माध्यम से उठाया मगर जो प्रश्न का उत्तर आया वह सत्य पर आधारित नहीं था, सत्य से परे था इसलिये मजबूर होकर मैंने इसे नियम-300 के अन्तर्गत उठाया है । श्रीमन्, बुनकर सहकारी समितियों का इतना ही कहना था कि उनको जो सरकार 15 प्रतिशत ऋण अदायगी दे रही है उसको 25 प्रतिशत कर दिया जाये क्योंकि पूरे प्रदेश की बुनकर सहकारी समितियां ऋण भार से और सरकारी नीतियों के कारण मृतप्राय हो गयी हैं । हमारी पिछली सरकार ने उनकी मजबूरी को समझा । उसने यह कहा कि अब हम सहकारी समितियों को 15 प्रतिशत ऋण आपके माध्यम से दे देंगे, बुनकर सहकारी समिति के सदस्यों का कहना था कि 15 प्रतिशत से हमारा काम नहीं चलेगा आप हमको 25 प्रतिशत दीजिये । श्रीमन्, मैंने इसमें अनेक संलग्नक लगाये हैं । इसमें एक पत्र में संयुक्त सचिव का है जो इस बात को स्वीकार किया है कि जो सहकारी समितियां अवैध रूप से पहले धन दे दिया करती थीं उनको ऋण मिल जाता था लेकिन जो उन्हें नहीं दे पाती थीं उनको ऋण की सुविधा नहीं मिल पाती है इसलिये 124 समितियों को ऋण दिया है, जबकि इस प्रदेश मे समितियों की संख्या 5404 है । श्रीमन्, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जो 15 प्रतिशत ऋण अदायगी केवल 124 समितियों को दिया जाता है तो वह पूरे को क्यों नहीं दिया जाता है ? प्रशासन ने यह माना भी है कि ऐसे लोगों को अनुचित लाभ देकर ऋण दिये गये, तो मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो हम लोग सूचना सरकार से चाहते हैं जनता के लिये, उस सूचना का उत्तर देने का दायित्व सरकार का है और अगर सरकार इस बात का सही उत्तर नहीं देती है, तो आपको अधिकार है कि आप सरकार को यह सलाह दें कि वह सूचनाओं का सही उत्तर दे । अगर उसके बाद भी सरकार सही उत्तर नहीं देती है और आपको विश्वास हो जाय कि उत्तर सही नहीं आया है, तो फिर आप व्यवस्था भी कर सकते हैं कि इसमें यह होना चाहिए । इसके बाद सरकार का काम है कि वह इसे करे या न करे । मैंने सबसे पहले नियम- 51 में दिया, आपके पुराने अध्यादेशों में 165(2) में दिया, प्रश्नों के माध्यम से लाये अब इसके बाद कोई ऐसा नियम नहीं है, जिससे मैं इस बात को पुनः सदन में ला सकूं । अब मजबूर होकर मैंने इसे 300 में प्रस्तुत किया है । मेरा निवेदन है कि आप पूर्ण तथ्यों को देखकर, पढ़कर, भले ही आज निर्णय न दें, दूसरे दिन दें या जब चाहें, तब दें, लेकिन मेरी जो इच्छा है, बुनकर सदस्यों की जो परेशानी है, उसका समाधान करने की दृष्टि से आप अपनी व्यवस्था दें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जिस गम्भीर समस्या की ओर माननीय चौधरी जी ने ध्यान आकृष्ट किया है, उस पर नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया गया था, सब बातें उसमें आ गयी थीं उसके बाद भी यदि कोई शंका है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पुनर्वासन की पूरी योजना सरकार के पास है और वह मुझसे, सहकारिता मंत्री से मिलकर कक्ष में बात कर लें । अभी बुनकरों का एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था, उन्होंने तमाम समस्यायें रक्खी हैं, उनका हम परीक्षण करा रहे हैं । मैं मानता हूं कि वह कमजोर वर्ग के हैं और उनका पुनर्वासन होना चाहिए, जिससे हमारे प्रदेश का महत्वपूर्ण उद्योग खत्म न हो और सही मायने में उनका पुनर्वासन हो सके ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

केवल 124 समितियों को सुविधा मिल रही है तो बाकी समितियों को क्यों न मिले ? दूसरी बात जो 15 परसेंट है, उसको 25 परसेन्ट करने करने पर विचार कर लें, यही आप कर दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पुनर्वासन के संबंध में नियमावली बनी हुई है । बहुत सी समितियां कोआपरेटिव बैंक्स से ऋण लेती हैं और समय से अदा न करने के कारण डिफाल्टर हो जाती हैं । हम चाहते हैं कि नियम भी कायम रखें और पुनर्वासन की व्यवस्था भी कर सकें, इस प्रकार की हम चेष्टा कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी जी के वक्तव्य को सुनने के पश्चात् तथा संसदीय कार्य मंत्री जी का स्पष्टीकरण सुनने के पश्चात् यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत ग्राह्य किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता । अगली सूचना श्री हरि चरण यादव की है ।

अमेठी, सुल्तानपुर के ग्राम डींगरपुर की घटना के बारे में नियम 51 में दी गयी सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री हरि चरण यादव–

मान्यवर, जो प्रश्न मैंने नियम 300 में आपके सामने रखा है, उस विषय को मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है । आज मुझे जनता ने जिस काम के लिये चुना है और क्षेत्र की जनता जिस बात की उम्मीद करती है, उसको पूरा करना मेरा दायित्व है, लेकिन उसको भी करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है । विधान सभा क्षेत्र अमेठी में 17-3-92 को एक गांव डींगरपुर में रात 11.30 बजे 25–30 लोगों ने दो तरफ से असलहों से हमला किया और 8 घरों में आग लगा दी, वह जलकर खाक हो गये । उसमें 2–3 जानवर और एक आदमी भी मर गया । इसकी सूचना श्रीमन्, मैंने यहां 23-3-92 को नियम 51 के अन्तर्गत दी । माननीय अध्यक्ष जी, आपने उसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया । जिला प्रशासन की तरफ से माननीय गृह राज्य मंत्री जी के पास रिपोर्ट आयी । गृह राज्य मंत्री ने दिनांक 7-4-92 को वक्तव्य न देकर उस पर समय की मांग की, जबकि उन्हें घटना की जानकारी थी, जिला प्रशासन को भी थी, इसमें दो खामियां थीं । ऐसा नहीं है कि यह घटना अकस्मात हो गयी, यदि ऐसा होता तो कोई बात नहीं थी । लेकिन 7 दिन पहले से आशंका थी और थाना पीपरपुर के थानाध्यक्ष डी० एन० सिंह के पास लोगों ने जाकर 3 बार कहा था कि गांव की रक्षा की जाय, मैंने स्वयं 16 तारीख को क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी को कहा था कि गांव के लोगों की शंका है कि उनके घर जलाये जायेगे । इस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि हम पुलिस फोर्स की व्यवस्था करेंगे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं कराई गई एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के बारे में सैकड़ों लोगों के सामने क्षेत्राधिकारी से कहता है कि ऐसी घटना होने की सम्भावना है । यह सरकार भय मुक्त समाज की बात कहती है । इसके बावजूद भी उस गांव में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई । जब उस गांव में आग लग गई तो थानाध्यक्ष श्री के० एन० सिंह गांव

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लोगों से कहते हैं कि किसी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज मत करना । यदि आपने ऐसा किया तो इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे और आप लोगों को मार डाला जायेगा । मैं एस० पी० के साथ मौके पर गया और उनसे दोषी लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने व कार्यवाही करने के लिये कहा । यह मैंने भी कहा कि निर्दोष लोगों को इसमें न फंसाया जाय ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सत्ता पार्टी के तीन लोग शामिल हैं, जो जातिगत भावना भड़का कर, इसे जातीय संघर्ष का रूप देना चाहते हैं । मैंने जिला प्रशासन से कहा कि यह कुछ असामाजिक तत्वों का काम है, जातीय संघर्ष इसमें नहीं है । मैं कोई राजनैतिक विद्वेष से नहीं कह रहा हूं। आठ घर जल गये और दो-तीन पशु मर गये, परन्तु आपकी पार्टी के लोग उन असामाजिक तत्वों को संरक्षण देकर घूमते रहे । थानाध्यक्ष श्री के० एन० सिंह व क्षेत्राधिकारी जसवन्त सिंह ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । जब मैं अभी अपने निर्वाचन क्षेत्र से आ रहा था तो मेरे ऊपर पत्थर व ढेले फेंके गये और मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ । उन असामाजिक तत्वों को थानाध्यक्ष व क्षेत्राधिकारी पूर्ण संरक्षण दिये हुए हैं । प्रदेश की जनता को और वहां की जनता को इस बात को लेकर आतंकित करना चाहते हैं कि वहां पर लोक सभा के उप चुनाव में उसी ब्लाक का और उसी थाने का एक बी० जे० पी० का प्रत्याशी था । वह वहां पर सबसे कम वोट पाया । 1989 से लेकर आज तक वहां से कांग्रेस प्रत्याशी ही जीतता रहा है । मेरा तो यह कहना है कि वहीं से बी० जे० पी० के श्री राम प्यारे शुक्ला जो हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं से इसकी जांच करा ली जाय । यदि मैं गलत हूं तो मुझे दण्ड दिया जाय अन्यथा जो लोग दोषी हैं, उन्हें दण्ड दिया जाय । मैं बता देना चाहता हूं कि वह स्व० राजीव गांधी की हृदय स्थली है, कर्म स्थली है । वहां पर आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई । मुझे अमेठी में शान्ति कायम करने के लिये अगर अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो मैं उसके लिये तैयार हूं । माननीय गृह मंत्री जी इस पर कार्यवाही अवश्य करें ।

* गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, संबंधित गांव में जो आग लगने की घटना हुई थी उसमें नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उदासीनता बरतने पर वहां के थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण कर दिया गया है और मामले की जांच कराई जा रही है । लेकिन इस प्रकार का आरोप लगाना कि किसी प्रकार की कोताही बरती जा रही है कदापि सही नहीं और न हमारी पार्टी का किसी प्रकार का कोई हाथ उसमें रहा है । यह साधारण आग की घटना है कोई जातिवाद या वर्गसंघर्ष की घटना नहीं है । वहां पर पी० ए० सी० तैनात कर रखी है, कोई कठिनाई नहीं है । माननीय सदस्य के जानमाल के हिफाजत की पूरी व्यवस्था है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह मेरे दल के सदस्य का मामला है जब माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया और एस० ओ० को स्थानान्तरित कर दिया तो मतलब है इसमें सी० ओ० का संबंध स्पष्ट दिखाई दिया और माननीय सदस्य के प्राणों की रक्षा का भी संबंध है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गृह राज्य मंत्री जी का उत्तर सुनने के बाद माननीय विधायक की सुरक्षा का आश्वासन या है। यह नियम 300 में नहीं आता है इसलिये इसे मैं अग्राह्य घोषित कर रहा हूं।

श्री हरीचरन यादव–

मान्यवर, मैंने क्षेत्राधिकारी से खुद कहा था उसे भी हटा दिया जाय।

श्री विजय सिंह राणा–

हमारी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

यह सब कल की थी।

आज नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें माननीय निर्वेन्द्र कुमार की सूचना किसी तरह से नियम 300 में नहीं आती है मैंने उसे अग्राह्य कर दिया है।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

वह नियम के अन्तर्गत नहीं आती है मैंने अग्राह्य कर दी है।

दूसरी सूचना माननीय राम औतार शाक्य जी की है। अग्राह्यता पर आप कहें।

प्रथम सत्र 1992 के दूसरे मंगलवार के अता० प्रश्न संख्या 64 एवं प्रथम सत्र 1992 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के बारे में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जुलाई-अगस्त के सत्र में मैंने एक सवाल किया था उसमें केवल यह कहा था कि एक गांव में आधा खड़ंजा लगा हुआ है और आधे गांव में नहीं लगा है तो क्या अवशेष गांव की सोलिंग करा देंगे। तो उस वक्त उस सत्र में यही उत्तर आया कि सूचना एकत्रित की जा रही है उसके बाद इस सत्र में वही प्रश्न स्थानान्तरित होकर आया, 8, 9 महीने बाद कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह आदरणीय सदन की कार्यवाही जैसे अभी चल रही है, मैंने पिछली बार 300 में कहा था कि सदन की इस प्रकार गरिमा घटती जा रही है, कोई डिगनिटी मेंटेन नहीं की जा रही है। माननीय मंत्री अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और न विभाग के

अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इस प्रकार का उत्तर बहुत से माननीय सदस्यों के प्रश्नों का आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, तो मान्यवर, यह सारी बातें आपके समक्ष हैं मैं इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं कि इतने छोटे से काम में इतना समय नहीं लगना चाहिए बात सही है। लेकिन आप नियमों को देखें कि एक बार सूचना एकत्रित की जा रही है उत्तर आने के बाद फिर जब प्रश्न आयेगा तो उसमें उत्तर आयेगा। नियमों का पालन किया जायेगा मैं इसमें जरूर इतना कहना चाहता हूं कि इतना समय नहीं लगना चाहिए था खड़ंजा इतना लगना था आना चाहिए था कि इतनी वित्तीय व्यवस्था थी या नहीं थी इतना उत्तर आ जाना चाहिए था, यह नहीं आया इसकी मुझे चिन्ता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम औतार शाक्य ने जो सूचना नियम 300 के अन्तर्गत दी है यह इसके अन्तर्गत नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी 6 महीने के अन्दर दो बार यदि यह उत्तर आये कि सूचना एकत्रित की जा रही है कि गांव में खड़ंजा कहां तक लग गया और शेष आधे गांव में खड़ंजा कब तक लग जायेगा। यह तो चिन्ता की बात है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने दुःख प्रकट किया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं चाहूंगा कि जब मेरे विधान सभा सचिवालय से पत्र जाता है सचिव के पास तो यह कहा जाता है कि विधान सभा में यह प्रश्न पूछा गया है और सदन में उत्तर देने के लिये उत्तर चाहिए और अगर इतनी लापरवाही हो जाती है कि 6 महीने तक एक गांव में जाकर अधिकारी सूचना एकत्रित नहीं कर सकेगा तो फिर स्वाभाविक है कि अध्यक्ष के नाते मुझे चिन्ता हो जायेगी कि माननीय सदस्य प्रश्न करें और उत्तर न प्राप्त हो पाये। शासन को इस सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी बरतनी होगी।

दूसरी सूचना माननीय नरेश अग्रवाल की है।

दिनांक 8 अप्रैल, 1992 के मत्वी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैंने औचित्य के प्रश्न से महत्वपूर्ण एक बात उठायी है। श्रीमन्, यह प्रथा इस सदन में बनती जा रही है कि माननीय मंत्रीगण समुचित उत्तर न देकर इस सदन को ऐसे उत्तर देते हैं जिससे सदन की अवमानना होती है और हमारे अधिकारों का हनन होता है। मैं आपका ध्यान दिनांक 8-4-92 को श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा पूछे गये प्रश्न की ओर ले जाना चाहता हूं। उन्होंने प्रश्न किया था कि उत्तर प्रदेश में मण्डी के अध्यक्षों का जो निर्वाचन हुआ है, मनोनयन हुआ है उसमें किस प्रकार के लोगों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का मनोनयन हुआ है ? माननीय कृषि मंत्री ने उत्तर दिया था कि आवश्यक नहीं है कि उसमें व्यापारी वर्ग न हो । श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम की धारा–13 की ओर ले जाना चाहूंगा । मान्यवर, इसमें लिखा है कि कान्स्टीट्यूट आफ द कमेटी और मान्यवर, इसकी धारा–1 की उपधारा–7 में साफ लिखा है कि "फौलोइंग नम्बर आफ रिप्रेजेन्टेटिव आफ ट्रेडर्स कैरिग आन बिजनेस" । मान्यवर, इसमें दिया है कि कितने मेम्बर व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि होंगे ?

श्री अध्यक्ष–

हिन्दी में कर दें । यहां के नियमों के अनुसार हिन्दी में बता दें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, उसमें दिया है कि कितनी संख्या व्यापारियों में से होगी । मान्यवर, उपधारा–7 में दिया है कि "फौलोइंग नम्बर आफ प्रोड्यूसर आफ मार्केट एरिया" । किसान कितने सदस्य होंगे उसका उल्लेख धारा डब्ल्यू, एक्स, वाई, जैड में दिया है । कौन-कौन लोग वोटर होंगे । अब धारा-13 का 7 देखें । द कमेटी कान्स्टीट्यूटेड अन्डर सब-सेक्शन–(6) शैल इलेक्ट इट्स चेयरमैन एण्ड वाइस चेयरमैन फ्राम अमंग द प्रोड्यूसर मैम्बर्स । उत्पादक सदस्य होते हैं उनमें से वह चेयरमैन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकता है । मंत्री जी ने उत्तर दिया कि किसान भी हो सकता है और व्यापारी भी हो सकता है । जबकि कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम का ध्येय इतना था कि प्रदेश के किसानों का व्यापारियों द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, उसको रोकें ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश कृषि मंडी अल्पकालिक व्यवस्था अधिनियम की धारा–3 देख लें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, देख लेंगे । मान्यवर, धारा–14 में कान्स्टीट्यूशन आफ फर्स्ट कमेटी और ए न्यू कमेटी । चेयरमैन के लिये इसमें दिया है । द चेयरमैन एण्ड द वाइस चेयरमैन फ्राम एमंग द पर्सन हू इज द ओपीनियन आफ द स्टेट गवर्नमेन्ट आर सूटेबिल । श्रीमन्, उसका यह मनोनयन कर सकते हैं । धारा–14 में दिया है, इसमें स्पष्ट दिया है "दीज कमेटी आर ए न्यू कमेटी ।" जब मंडियों का गठन किया गया, जब नयी मंडी समिति घोषित कर दी, तो उसकी जो पहली कमेटी बनेगी, उसका चेयरमैन कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको प्रदेश सरकार उचित समझती है । जब इन मंडियों का गठन हुआ था तो पहली बार जब चौधरी चरण सिंह जी थे तब गठन हुआ था । दूसरी बार जब माननीय बनारसीदास जी थे 1979 में तब हुआ था । इसलिये धारा–14 के बारे में कहा । उच्चतम न्यायालय का मुकदमा इसमें वर्णित किया गया है यह रामचन्द्र कैलाश कुमार का था । आप पृष्ठ 1124 को देख लें उसमें बड़ा ही स्पष्ट है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इन मंडी समितियों का उद्देश्य जो वह काश्तकार के हितों के लिये है । इसमें न्यायालय ने खेद प्रकट किया है कि इतने साल होने के बाद भी मंडी समिति का चुनाव नहीं कराया । उसमें आशय स्पष्ट है इसके बावजूद भी इस सरकार ने गठन कर दिया और अध्यक्षों का मनोनयन कर दिया । उसके बाद व्यापारी वर्ग को उसमें अध्यक्ष बना दिया जो किसानों का शोषण करते रहे हैं । जब व्यापारी पहले से ही किसानों का शोषण करते हैं अब उनको अध्यक्ष बना दिया गया है तो वह और किसानों का शोषण करने लगेंगे । फिर अधिनियम का औचित्य क्या है ? इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है । मान्यवर, जिनके माध्यम से हम चुनकर आये हैं अगर उनके अधिकारों का हनन हो, यह सही नहीं है ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय सदस्य ने किसी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में कहा है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह उच्चतम न्यायालय के लिये "किसी" शब्द का प्रयोग करके उसकी गरिमा को गिरा रहे हैं इसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसको देख लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

किसी निर्णय का उल्लंघन किया गया है यह सन् 1980 का निर्णय है । इसमें सरकार द्वारा चुनाव न कराने की भर्त्सना की गयी है मैं किताब आपके पास भेज रहा हूं आप इसको देख लें ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, यह कहा गया कि व्यापारी बेईमान होता है यह सही बात नहीं है मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वह स्वयं अपने को बेईमान कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है 1980 का निर्णय है इसमें भर्त्सना की गयी है, तो आप बता दें कहां की गयी है । इस अधिनियम की धारा–13 (7) में लिखा गया है जिसमें कि चुनाव का प्राविधान है । इसमें दिया गया है कि समिति नियत रीति से अपने प्राथमिक सदस्यों में से अपने उप सभापति का निर्वाचन करेगी । नामांकन की व्यवस्था इसमें दी गयी है अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत । इसमें यह कहा गया है कि 11 सदस्यों की समिति बनेगी और 11 सदस्यों में से 5 सदस्य उत्पादकों में से नामित किये जायेंगे और 4 सदस्य शासन अपने विवेक से नामांकित करेगा । आपके माध्यम से मैं आदरणीय सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि हमने इस बात का ध्यान दिया है कि 11 सदस्यों में से बहुमत किसानों का हो जाय, 4 जो अपने विवेक से नामित करने की बात है उसमें किसानों को स्थान देने का प्रयास किया है जिससे बहुमत किसानों का हो जाय । एक बात मैं अग्रवाल जी से कहना चाहता हूं कि मान लीजिये किसान वर्ग से भिन्न कोई सभापति नामित हो जाय तो क्या वह सिर्फ अपने ही वर्ग की सोचेगा दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा । ऐसी बात नहीं है । मैं समझता हूं कि यह सोच हल्का है । एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग के बारे में सोचेगा ऐसा मेरा मानना है । जो कृषि उत्पादन मंत्री समितियां हैं उनमें किसान का हित होना चाहिए । किसान के जो उत्पाद हैं उनका उचित मूल्य किसान को मिलना चाहिए इसका हमने प्रयास किया है । सीतापुर में नामांकन हुआ, लखीमपुर में हुआ । हरदोई में नामांकन हुआ होगा । अधिकांश जगहों पर हुआ होगा ।

पूरा प्रयास किया गया है किसानों का हित हो । अग्रवाल साहब व्यापारी हैं तो क्या वह सिर्फ अपने ही वर्ग के बारे में सोचते हैं ?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, अग्रवाल जी उद्योगपतियों के हिमायती हैं, गुप्ता जी उद्योगपतियों के हिमायती हैं, खामखां की चर्चा कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को यह शंका है कि कहीं किसानों के हित का तो दुर्लक्ष्य नहीं किया गया है । मान्यवर, हमारी सरकार ने किसानों का हित संरक्षण करने के लिये और नौकरशाही को वहां से निकाल कर इस मामले में जन प्रतिनिधियों को रखने का प्रयास किया है । आदरणीय सदन में यह बात उठा करती हैं कि चुनाव नहीं करा पाते हैं तो कम से कम सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रबन्ध दीजिये । हमने केवल इसी बात का समादर किया है जिसके लिये आपको हमें बधाई देनी चाहिए । चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है । माननीय मंत्री जी ने विस्तार के साथ बताया है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी ? हम दीर्घकाल तक यह नामांकन नहीं रखना चाहते हैं । हमारा प्रयास होगा कि इलेक्टेड जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्था करें और जब तक यह व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती तो जो विधिक व्यवस्था है उसके तहत नामांकिन किया है और इसका ध्यान दिया है कि किसानों का हित संरक्षण हो इसीलिये सामाजिक कार्यकर्ताओं को नामित किया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह कहीं नहीं दिया है कि कोई भी होगा किसान नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये मैं अल्पकालिक व्यवस्था अधिनियम की धारा–2 की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

जो सूचना माननीय नरेश अग्रवाल ने दी है.....

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जो नामांकन हुआ है, मेरी जानकारी है कि पहले हमेशा किसानों का ही नामांकन हुआ है। यह पहली सरकार है जिसने व्यापारियों का नामांकन किया है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

पिछली सरकारों ने आज तक कभी व्यापारियों का नामांकन नहीं किया तो इन्होंने क्या व्यापारियों का नामांकन कर दिया ।

श्री अध्यक्ष–

श्री नरेश अग्रवाल और श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी की जो सूचना नियम 300 की है उसका आधार उ० प्र० कृषि उत्पादन मण्डी समिति अधिनियम, 1964 बताया गया है, जबकि वह उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम से आच्छादित है । इसके अलावा

श्री नरेश अग्रवाल ने अपनी सूचना में सदन के विशेषाधिकार का भी उल्लेख किया है, इसलिए यह सूचना नियम 305 से भी बाधित है, इसलिए इसको अस्वीकृत करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना 10 बजकर 21 मिनट पर आयी थी। मैंने उसी समय निवेदन कर दिया था कि सूचना 10.21 बजे आयी है।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के बारे में विभिन्न प्रश्नों के विरोधात्मक उत्तर दिये जाने के बारे में औचित्य का प्रश्न

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरी सूचना माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय द्वारा बाल कल्याण सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के सम्बन्ध में दिये गये विरोधात्मक उत्तर के सम्बन्ध में है। इसमें मान्यवर, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना शत प्रतिशत केन्द्र सरकार, यूनिसेफ एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत घोषित है। इसका सारा पैसा केन्द्र सरकार के जरिये आता है। इसमें वर्ष 1989-90 में और 1990-91 में मान्यवर, 12749.25 मै० टन एस०एस० बी० डब्लू० और 1282.038 मै० टन एस० एस० आयल विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत आया था और भारत सरकार से 4661.65 लाख रुपये तथा 114 जीपें इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिये आई थीं। व्यवस्था यह है कि जितना पैसा भारत सरकार देती है, क्योंकि यह केन्द्र पोषित योजना है, यदि उत्तर प्रदेश सरकार या प्रान्तीय सरकार शत प्रतिशत उपयोग कर लेती है तो इतना ही अनुदान ले सकती है। उत्तर प्रदेश में इसकी बाबत 1990-91 में 68 योजननाएं मैदानी क्षेत्र के लिए स्वीकृत थीं और 15 पहाड़ी क्षेत्र के लिये थीं। इसमें स्टाफ रखने, साज-सज्जा और उस कार्यक्रम को चलाने के लिये सारी व्यवस्था जो थी उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता, वहां पर जो.....

श्री अध्यक्ष–

कृपया ग्राह्यता पर बोलें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उसी पर आ रहा हूं। वहां पर जो अधिकारी नियुक्त था, शिड्यूल्ड कास्ट का था। उन्होंने स्टाफ रखा और उस योजना को संचालित करने का प्रयास किया। यह सरकार आयी तो उसको हटाकर एक सवर्ण अधिकारी को नियुक्त कर दिया और योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप पैसा वापस करना पड़ा। इसमें श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा पूछे गये विधान सभा के पहले सत्र 1992 के छठे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या–1 का जो उत्तर आया है उसमें जो इससे संबंधित भाग है, पढ़ रहा हूं कि क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश को वर्ष 1989-90 व 1990-91 में विश्व खाद्य कार्यक्रम व भारत सरकार आदि से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुल कितना अनुदान एवं जीपें प्राप्त हुईं । इसके उत्तर में था कि 4661.65 लाख की धनराशि तथा 114 जीपें प्राप्त हुई हैं । आगे पूछा है कि क्या प्राप्त सम्पूर्ण अनुदान का सदुपयोग कर लिया गया है ? जी हां । इसी तरह से मान्यवर, माननीय सदस्य दुर्गा प्रसाद यादव जी के ही विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पांचवें गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आया है कि, प्रश्न यह था कि भारत सरकार से कितनी धनराशि मिली तथा उसमें कितनी समर्पित की गई, उत्तर आया कि उक्त धनराशि में से कोई धनराशि भारत सरकार को समर्पित नहीं की गयी । इन दोनों के माने यह होता है कि हम भारत सरकार द्वारा दिये गये सम्पूर्ण पैसे को खर्च कर डालें, कोई पैसा भारत सरकार को समर्पित नहीं किया और इसी सत्र में चौथे गुरुवार को माननीय दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर जो आया है, जिसमें यह पूछा गया कि पिछले दो वर्षों में कितना पैसा समर्पित हुआ, उत्तर हुआ कि वर्ष 90-91 में यह योजना शुरू हुई है, इसलिये 89-90 में धन वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । वर्ष 90-91 में कुल रु० 239.358 लाख की धनराशि भारत सरकार को समर्पित हुई । दो दिनों के उत्तर में ये कहते हैं कि सब धन हम खर्च कर डाले और एक दिन के उत्तर में कहते है कि हमने समर्पित कर दिया । तीसरे उत्तर में इन्होंने समर्पित करने की बात कही । इस तरह से ये दोनों विरोधात्मक उत्तर हैं । इसमें से हम कौन से उत्तर को सही मानें, समर्पित किया गया या नहीं किया गया ? हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पैसे का उपयोग न करके, जिससे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बच्चों का विकास होता एवं गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार मिलता, इससे वे वंचित हो गये और जितना बजट मिलता है, उतना ही पैसा अनुदान में जो केन्द्र सरकार से मिलने वाला था, उससे वंचित रहा । इसमें जानबूझकर अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी की गयी है । मैं चाहता हूं कि जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोलें, तो दो चीजों का स्पष्टीकरण दें । पहला कि इसमें जितने दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने लाखों रुपये का घोटाला किया है, जिनकी कमी के कारण प्रदेश कई करोड़ रुपयें भारत सरकार से पाने में वंचित हो गया, इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप तो चर्चा कर रहे हैं । अब आप समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, हम सदस्यों का प्रश्न पूछने का जो अधिकार है, कार्य संचालन नियमावली के तहत सदन चलाने की जो व्यवस्था है, वह इस तरह के विरोधात्मक उत्तर देने से गुमराहियत पैदा होती है, इसलिये यह सदन के संज्ञान में है और कार्य-संचालन नियमावली से संबंधित है, इसलिये औचित्य का प्रश्न बनता है, इसलिये इस पर व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी को सुनने के पश्चात् इसको निरस्त करता हूं, माननीय सदस्य यदि चाहें तो वह निदेश 165 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं ।

तहसील सदर, मुरादाबाद के ग्रामों को रामगंगा नदी के कटान से न बचाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सुनने की कृपा की । मान्यवर, मैं अपने प्रश्न की ग्राह्यता पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि ग्राम्य विकास अभिकरण, मुरादाबाद ने मेरे विधान सभा क्षेत्र की 5 पुलियों की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 87-88 में दी थी और इस हेतु 1 हजार एम० एम० के 65 पाइप कार्य-स्थल पर डाल दिये हैं, ये पाइप किसी के चार्ज में नहीं हैं और चोरी हो रहे हैं। इन पाइपों के द्वारा अब तक पुलिया नहीं बनवाई गयीं, पुलियां न होने से ग्रामीण बहुत परेशान हैं और हर वर्ष उनके जानवर बाढ़ में बह जाते हैं और ग्रामीण भी डूबकर मर जाते हैं। चार वर्षों से यह पाइप पड़े हैं, तो कितने दिन और पड़े रहेंगे ? मेरी मांग है कि इन पाइपों के द्वारा तुरन्त पुलियों का निर्माण करा दिया जाय, जिससे कि इन सड़कों का उपयोग हो सके। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज समस्त कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवा दी जाय। मान्यवर, विकास खण्ड भगतपुर टांडा के कुकर झुंडी मंगावाला रोड के नचना नाले पर 15 पाइप पड़े हैं और उस पर 5 रो की पुलिया स्वीकृत हैं, मंगावाले से आगे की सड़क पर 9 पाइप पड़े हैं वहां पर 3 रो की पुलिया बननी है, समदा से रामपुर मार्ग पर 15 पाइप पड़े हैं, और 5 रो की पुलिया बननी है, रतनपुरा वाली रोड पर 9 पाइप पड़े हैं वहां पर 3 रो की पुलिया बनेगी और इसी प्रकार से किचुआ नाला मार्ग जो विकास खण्ड मूंदां पांडा में पड़ता है, 15 पाइप पड़े हैं उस पर 5 रो की पुलिया बननी है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

क्या आप नियम 300 में बजट भाषण सुन रहे हैं।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

यह पाइप किसी के चार्ज में नहीं हैं और इस कारण चोरी हो रहे हैं। यह सारी पुलिया स्वीकृत हैं, इनको बनाया नहीं जा रहा है।

* श्री विजय सिंह राणा–

आप एक मिनट सुन लें। सत्ता के विकेन्द्रीयकरण करने के लिये जिले में गवर्निंग बाडी बनायी गयी है, जिले में जितने भी विकास कार्य होते हैं, उसी के माध्यम से होते हैं। जिलों में विकास कार्य हों, इसलिये गवर्निंग बाडी की संरचना की गयी है। जो काम हुआ है वह तो अपनी जगह पर है। उसकी संरचना हो गयी है और हम लोग उसके सदस्य हैं और उसमें जो निर्णय लिये जाते हैं, वह हम लोगों की अनुमति से लिये जाते हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। मैंने इसी तरह का एक विषय लिखकर आपको दिया था। मान्यवर, जो ब्यूरोक्रेसी है, जिलाधिकारी हैं, विकास अधिकारी हैं वह अपनी तरह से उन कामों का कार्यान्वयन करते हैं। निर्णय हो जाता है, लेकिन फिर भी उन कामों का कार्यान्वयन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है। बहुत से कार्य हैं, स्वीकार कर लिये जाते हैं लेकिन वह होते नहीं हैं, उनके लिये जो पैसा स्वीकार किया जाता है, वह पता नहीं कहां पर चला जाता है और जब उसके विषय में पूछा जाता है तो कोई बताने के लिये तैयार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। इसलिये यह नियम 300 का विषय बनता है। जो दिक्कतें रिजवानुल हक जी ने उठाई हैं, वह दिक्कतें हम सभी की हैं, इसलिये इस पर अनुकूल निर्णय देने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में तो नहीं आता है, लेकिन इसकी ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रथम सत्र 1992 के चौथे शुक्रवार के अता० प्रश्न संख्या 3 एवं 128 के उत्तरों में अन्तर होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, एक सवाल का उत्तर आया और उसमें कहा गया कि 65 हजार रुपया लूट लिया और उसी दिन कहा जा रहा है कि 47 हजार रुपया लूट लिया एक जगह कहा जा रहा है कि ऋण वितरण के कारण चेतावनी दी गयी है और फिर जब सवाल आया तो कहा जा रहा है कि निलम्बित कर दिया गया है । तो तीन प्रश्नों का उत्तर तीन प्रकार से आ रहा है, तो अगर इस तरह से उत्तर दिया जायेगा, तो कैसे काम चलेगा । एक ही व्यक्ति के बारे में कई तरह से उत्तर दिये जायेंगे तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक व्यक्ति ने दो साधन सहकारी समितियों को लूट लिया उसके बारे में जवाब सुना तो उसके बारे में एक और सवाल दिया है निदेश संख्या 165-166 में लिखकर दिया । वह व्यक्ति किस विद्यालय में पढ़ा है क्या योग्यता रखता है । सदन में कहा गया है कि शपथ-पत्र के आधार पर उसकी योग्यता यह है, जो किसी संस्था में पढ़ा ही नहीं और शपथ-पत्र दे दिया और यह सरकार मान ले कि तो फिर पढ़ाई लिखाई की कोई दिक्कत नहीं रह जाती और दूसरा प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर आ गया आपके संज्ञान में यह निदेश संख्या में ले आया, 300 में भी लाया तो हमें किस तरह से न्याय दिलाया जायेगा ? मेरा मात्र इतना ही निवेदन है कि जो अधिकारी सारे तथ्यों को छिपाकर समितियों को लुटवा रहे हैं तो निश्चित उस अधिकारी को दण्डित करने का निदेश दे दें । जो इस तरह से समितियों को लुटवा रहे हैं और इस तरह से शासन को गलत सूचना दे रहा है इसलिये शासन को गलत सूचना देने के आधार पर यह नियम 300 में आता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय स्वामी नाथ जी की जो सूचना है उसमें यदि चाहें तो निदेश संख्या 165 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं । 300 में माननीय स्वामी नाथ जी की सूचना नहीं आती है इसलिये इसको अग्राह्य घोषित कर रहा हूं । अगली सूचना दिनेश चन्द्र सोनकर की है, सोनकर जी के अगर यही हस्ताक्षर हैं तो ठीक है, हाथ से लिखा है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, हाथ से लिखा है ।

श्री अध्यक्ष–

हाथ की लिखावट है लेकिन हस्ताक्षर नहीं है । आपने इसको स्वयं लिखा होता तो मान लिया जाता, इसको अगली बार आप दे दें ।

माननीय राणा जी और विजय पाल सिंह की सूचना बहुत विलम्ब से प्राप्त हुई थी, मैं निवेदन करूंगा कि समय से अगली बार सूचना दे दें । अब मैं मद संख्या 3 लेता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कोई समय सीमा नहीं है इसलिये पवन कुमार पाण्डे जी कहना चाहते हैं, मान्यवर, इनको कह लेने दें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

नियमावली में समय की सीमा नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उसकी वजह यह कि समय के अन्दर आ जाती है तो संसदीय कार्य मंत्री को उसकी प्रति भेजते हैं, समय से नहीं आती है तो नहीं भेजते हैं।

पवन कुमार पाण्डे जी की जो सूचना है वह अभी दी है 12 बजकर 12 मिनट पर प्राप्त हुई है। माननीय पाण्डे जी, अगर आपकी सूचना को शब्दशः भी पढ़ दें तो 300 में कैसे आयेगी ? माननीय वर्मा जी के हस्ताक्षर हैं, नरेश जी के हस्ताक्षर हैं, राम नरेश के हस्ताक्षर हैं तो कोई एक माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर दें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न नियम 300 में है और मैं ग्राह्यता के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपने कहा है कि पवन कुमार पाण्डेय की सूचना पर आप बोलेंगे।

जनपद आगरा की जयश्री प्लास्टिक फैक्ट्री में विजिलेंस द्वारा पकड़ी गयी विद्युत चोरी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आप आपस में तय कर लें कि कौन पहले बोलेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत हमारे अधिकारों का हनन हो गया।

श्री अध्यक्ष–

कोई एक माननीय सदस्य बोल लें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप आपस में तय कर लें। श्री राणा जी आप किस विषय में बोलना चाहते हैं ?

श्री विजय सिंह राणा–

मेरी सूचना नियम 300 में आती है।

श्री अध्यक्ष–

मेरे इस निर्णय को किसी भी प्रकार का पूर्व निर्णय न समझा जाय कि समय के बाद आने वाली सूचनाओं को मैं ले लूंगा। सिर्फ आज अवसर दे रहा हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य हैं । सदन की व्यवस्था संबंधी कार्य विन्यास सम्बन्धी सभी विषय कार्यसूची के अन्दर महत्वपूर्ण विषय हैं । मान्यवर, मैंने कई बार कहा है, आपके कक्ष में भी आकर अनुरोध किया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह आप कौन सा नियम पढ़ रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

नियम 300 मान्यवर । यह कार्य विन्यास के साथ-साथ उसमें महत्वपूर्ण कार्यसूची सम्मिलित है । मैं जिस विषय पर बोल रहा हूं वह प्रश्नों से संबंधित है । हम प्रश्न करते हैं तो सत्तापक्ष उसका जवाब नहीं देता है हमारी भावनाओं को सत्तापक्ष सन्तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है । प्रश्नों का समय पर और सही ढंग से उत्तर आये उसकी सच्चाई का ज्ञान हो ऐसा नहीं होता है अब तो प्रश्न और उत्तर आ रहे हैं वह एक बहुत ही ऐसी परम्परा है कि हमको या किसी को भी ग्राह्य नहीं हो सकती है । मान्यवर, एक प्रश्न है श्री विजय पाल सिंह का । आगरा में जयश्री के नाम से दो फैक्टरी हैं एक जयश्री प्लास्टिक तथा दूसरी जयश्री के नाम से है । वहां पर 8-11-88 को विजिलेंस ने छापा मारा वहां 95 हार्स पावर स्वीकृत था परन्तु 177.65 का प्रयोग किया जा रहा था । इसी प्रकार दूसरी फैक्टरी में 100 के बदले 348.50 का प्रयोग किया जा रहा था जो कम्पनी में मौके पर अतिरिक्त भार पकड़ा गया वही स्वीकृत भार से दुगुना-तिगुना खर्च कर रहे थे । उसको मौके पर पकड़ा, यह केस 8-11-88 का है, इसके संबंध में सदस्य ने प्रश्न उठाया कि सतर्कता अधिष्ठान की रिपोर्ट आ गयी या नहीं उत्तर दिया कि रिपोर्ट आ गयी है । उसमें बात पूछी गयी कि जब रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी मान्यवर, यह यहां व्यवस्था रही है कि पूरी बात सदन के संज्ञान में आ जाय मान्यवर, जब पूरी-पूरी रिपोर्ट आ गयी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना तो दूर रहा, बल्कि यह बात भी कही गयी जब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने प्रश्न का एक भाग बनाकर पूछा कि यदि हां तो रिपोर्ट को सदन के पटल पर कब तक प्रस्तुत करेंगे माननीय मंत्री जी ने कहा कि जी नहीं जनहित में रिपोर्ट नहीं रखेंगे । यह जनहित का मामला इसमें कहां से आ गया एक कम्पनी विद्युत विभाग की चोरी कर रही है खुले आम मौके पर पकड़ी जा रही है अब कहां से जनहित का आ गया । सदन के पटल पर कार्यवाही क्यों नहीं प्रस्तुत करेंगे, आपकी विवशता है कार्यवाही प्रस्तुत करने की यह जो कहा गया कि जनहित में प्रस्तुत नहीं करेंगे पूर्णतया गलत है । उस रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर राज्य विद्युत परिषद् को निर्देश दिये गये वहां कहा गया कि विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर, विजिलेंसे ने जो चोरी का मामला पकड़ा उसको आपने सौंप दिया विभाग को उसमें तो विभाग की इन्टीग्रिटी पहले से ही साफ नहीं थी वह जब बिजली यूज कर रहे थे न तो विभाग ने उसको पकड़ा न कभी छापा मारा उससे यह स्पष्ट था कि विभाग की शह पर विभागीय भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण के रहते कम्पनी बिजली की चोरी कर रही थी उसको खुली छूट दे रखी थी । विजिलेंस का जो काम है उसने बिना किसी सूचना के छापा मारा और पकड़ा उसकी रिपोर्ट आ गयी वह रिपोर्ट विभागीय परीक्षण में चली गयी । जो विभाग पहले से भ्रष्टाचार करा रहा था वे स्वयं उसको दंडित नहीं करना चाहते थे, शासन भी उसका भागीदार बन गया विभाग का । मेरा आरोप है कि शासन ने विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सम्बद्ध होकर एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसमें अपनी लिप्तता जाहिर की है । मेरा कहना है कि जो जांच रिपोर्ट है विजिलेंस की उसे सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाय रिपोर्ट आने

के बाद भी किसी को दंडित किये जाने का काम नहीं किया गया है निश्चित रूप से उसको संरक्षण देने वाले अधिकारी दोषी हैं उन्हें दोषारोपित कर चार्जशीट देकर कार्यवाही उनके विरुद्ध सुनिश्चित की जाय । अन्तिम मांग यह है कि उस प्रकरण में जो दोषी थे जिनकी शह पर, बिजली विभाग के जिन लोगों की शह पर वह चोरी कर रहे थे उसमें जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो । मान्यवर, आप कम से कम इसमें हमें संरक्षण दें । मान्यवर, आप इसमें हस्तक्षेप कर हमें संरक्षण दें और इस भ्रष्टाचार के मामले को निपटाने में सहायता करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राणा जी यह नियम 300 में आता नहीं । लेकिन यह बात जो है, 8 नवम्बर, 1988 के मामले का 1992 में उत्तर दिया गया कि परिषद् में विभागीय कार्यवाही की जा रही है, इसमें सतर्कता दल ने चेकिंग की थी, विजिलेंस की कोई रिपोर्ट भी आयी, मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भी विभागीय कार्यवाही जिस के विरुद्ध होनी है प्रभावी ढंग से हो और शीघ्र ही कार्यवाही निस्तारित कर दी जाय ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जो भी निर्णय है वह शिरोधार्य है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष–

मैंने विभागीय कार्यवाही को शीघ्र निस्तारित करने की बात कही है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो भी निर्देश आप द्वारा दिये जायेंगे वह शिरोधार्य हैं क्योंकि पहले से कोई जानकारी नहीं थी इसलिये टिप्पणी करना सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने यह अपेक्षा प्रकट की है कि जो विभागीय कार्यवाही हो रही है उसे शीघ्र निस्तारित किया जाये।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, विजिलेंसे की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसके लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । उसमें गोपनीयता या जनहित की कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

विजिलेंस की रिपोर्ट का विषय हो सकता है कि जनता से संबंधित न हो, विषय हो सकता है कि गोपनीय न हो, लेकिन रिपोर्ट तो गोपनीय हो सकती है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपको अधिकार है आप देखें । यदि आप इसे सदन के पटल पर नहीं रखना चाहते हैं तो आप स्वयं देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो सीमा का अतिक्रमण करूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मुख्य बिन्दु तो बताये जा सकते हैं ।

औचित्य के प्रश्न की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम-300 के अन्तर्गत जो सूचना.....

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय शुक्ल जी को सूचना के विषय की जानकारी कैसे हो गयी है ?

* श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, जब माननीय पवन कुमार पाण्डेय और बेनी प्रसाद वर्मा जी बातचीत कर रहे थे कि बहुत ही गम्भीर प्रश्न है तब मुझे इसकी जानकारी हुई । मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विधान सभा प्रक्रिया नियमावली से संबंधित अगर किसी नियम का उल्लंघन न हो या जो विधान सभा की प्रक्रिया से सम्बन्धित नहीं है तो औचित्य का प्रश्न नहीं उठता । मान्यवर, 10·00 बजे के पहले जो सूचना आती है उसे ग्राह्य किया जाता है और यह सूचना 12·00 बजे आयी है और विधान सभा की प्रक्रिया से सम्बन्धित भी नहीं है तो इसमें औचित्य का प्रश्न कहां बनता है ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है । प्रथम तो मैं यह चाहूंगा कि माननीय बेनी प्रसाद वर्मा और पवन कुमार पाण्डेय जी जब इस पर बोलें तो इसकी ग्राह्यता तक ही सीमित रहें । लेकिन यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, अभी आपने यह कहा कि इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं बनता तो अनुमति किस लिए दे रहे हैं । जब यह प्रथम दृष्टया औचित्य का प्रश्न नहीं बन रहा है तो क्यों सुन रहे हैं ? इस तरह से तो गलत परम्पराएं पड़ जायेंगी । इस तरह से यदि कोई सदस्य 12.00 बजे के बाद भी सूचना लाने लगेंगे और प्रश्न के माध्यम से उठाने लगेंगे तो इससे अनावश्यक सदन का समय नष्ट होगा । मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक स्वस्थ परम्परा कायम करें ।

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 2.15 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इसके बाद 2 बजे श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी, 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

अखिल भारतीय शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कतिपय राम भक्तों को गिरफ्तार करके जेल में बन्द किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय पवन कुमार पाण्डेय जी की सूचना ले रहा हूं। मेरा निवेदन है कि एक-एक मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें। माननीय पांडेय जी तथा माननीय वर्मा जी केवल दो आदमी इस पर बोलें, इतना पर्याप्त है।

श्री पवन कुमार पांडेय–

आज दिनांक 10-4-92 को सुबह साढ़े 9 बजे अखिल भारतीय शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और करीब 100 रामभक्तों को इसलिये गिरफ्तार कर लिया गया कि वह अयोध्या रामनवमी मेले में पूजा अर्चना करने जा रहे थे, उनको अपमानजनक शब्द कहे गये और उनको जेल में बंद करके रखा गया, इसके बाद उन्हें कहीं अन्यत्र ले जाया गया है। उन पर गंभीर आरोप लगाकर रासुका व अन्य ऐसे ही मुकदमें कायम किये जायेंगे। मान्यवर, यह जो भा० ज० पा० की सरकार है, यह हमारे शिव सैनिकों के प्रभाव से डरकर उनका उत्पीड़न कर रही है और जब वह शान्तिपूर्ण तरीके से अयोध्या जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पता नहीं, उन्हें कहां रखा गया है। मान्यवर, उनके अधिकारों का हनन किया गया है और इन नकली रामभक्तों द्वारा असली रामभक्तों की गिरफ्तारी की गयी है, इससे यह उजागर हो गया है कि तमाम तरह की बाधायें पैदा करके रामभक्तों को अयोध्या जाने से रोका जा रहा है, वहां बम के धमाके कराये जा रहे हैं, उसी कड़ी में लखनऊ में आज शिव सैनिकों की गिरफ्तारी की गयी है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें, जिससे इन नकली रामभक्तों का पर्दाफास हो।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के मुताबिक उपासना अराधना करने से रोका नहीं जा सकता। श्रीमन्, यहां पर भी एक हफ्ते से इसी बात पर चर्चा हो रही है कि रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में जो कुकृत्य किया गया है, सरकार द्वारा मन्दिरों को तोड़ा गया है, उसको कोई देखने न पाये, वहां न जाने पाये, इसलिये उनको रोका जा रहा है। आज जो घटना हुयी है, जिनकी गिरफ्तारी हुयी है, वह कोई हमारे दल के लोग नहीं थे, जनता दल के लोग नहीं थे, कांग्रेस दल के लोग नहीं थे। वह एक ऐसा दल था, जो अपने आप को इनसे कम रामभक्त नहीं मानता है ..

(संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बैठे-बैठे हमसे ज्यादा कहने पर)

मान्यवर, यह सरकार राम के नाम पर इसी तरह चलते रहना चाहती है और यह चाहते हैं कि किसी दूसरे को राम का नाम लेने का अवसर भी न मिले, इससे ज्यादा राम के प्रति अपमान और अवमानना और क्या हो सकती है ? राम के नाम को जितना ज्यादा इन्होंने बदनाम किया है, जितना

राम के नाम पर लुटेरेपन का काम इन्होंने किया है, उतना किसी राम विरोधी ने भी नहीं किया । इनको राम का नाम लेने पर शर्म आनी चाहिये ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, इनको मोक्ष प्राप्त हो जायेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी ।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

यहां पर हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा गया है, वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया है । कहीं इन सारी चीजों को यदि शिव सेना के लोग देख लेंगे तो इनके मुंह पर कालिख लग जायेगी । इसी कारण इन्होंने शिव सेना के अध्यक्ष व उनके 400 के लगभग कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया । राम नवमीं के अवसर पर लोगों को रोकने का आपको क्या अधिकार है । यह मेरा आरोप है कि इस सरकार को चाहे मंदिर टूटे या मस्जिद टूटे, इससे कोई सरोकार नहीं है । परन्तु राम के नाम की ठगी करते हुये ये लोग सत्ता में रहना चाहते हैं । इससे बड़ी राम की अवमानना और कोई हो नहीं सकती । अनुच्छेद 25 का भी इन्होंने पूरी तरह से उल्लंघन किया है और धार्मिक स्वतंत्रता को भी आघात पहुंचा है । इसलिये आप सरकार को निर्देशित करें इस तरह से वह राम के नाम को कलंकित व अपमानित न करें । इस पर आप चर्चा करायें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कहा भी गया है "राम तुम्हार चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाये, सहज समभाव्य है ।" श्रीमन्, राम का चरित्र स्वयं में काव्य था । उनके प्रति हर वर्ग में आस्था थी । परन्तु राम के नाम को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कटघरे में खड़ा करके, केवल अपना ही पूज्य बना लिया है । ऐसा करके ये सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं । अन्य दलों को तो इन्होंने राम सनेही घाट तक जाने दिया, परन्तु शिव सेना को तो लखनऊ में ही गिरफ्तार कर लिया । ऐसा इन्होने इसलिये किया कि राम के बटवारे का सवाल पैदा हो गया था । यह स्पष्ट होने जा रहा था कि कौन बड़ा राम भक्त और कौन छोटा है । "उधरहिं अन्त न होई निवाहू, काल नेमि जिमि रावन राहूं" उसी प्रकार नकली राम भक्त यहां पर बैठे हुए हैं, जो राम के नाम पर लूट मचाये हुए हैं, जिससे देश की शान्ति-व्यवस्था खतरे में पड़ गई है । आज पूरे प्रदेश में भय, शंका व आतंक का वातावरण पैदा हो गया है । इसलिये आप इस पर अवश्य चर्चा करायें ।

* श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सत्तारूढ़ दल की सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आज प्रदेश में एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने के लिए पार-पत्र की आवश्यकता है । आज जब मैं बाराबंकी से आ रहा था तो खंभों पर केशरिया झंडे लगे हुए थे । सवाल आस्था व अनास्था का नही है । धर्म की तो ही

* वक्ता ने भाषण का पुनवक्षिण नहीं किया ।

परिभाषा है । सृजन, आस्था और विश्वास का परिमार्जित रूप ही धर्म है । राम के नाम के उपासक, चाहे वे इस पक्ष में बैठे लोग हों या उस पक्ष में बैठे हों, उपासना स्थलों में प्रवेश को वर्जन और उपासना करने के तरीकों का वर्जन, शायद किसी सरकार ने आज तक किया हो । माननीय गृह राज्य मंत्री जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं और माननीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी की तरफ इशारा करके कुछ कह रहे हैं । बड़ा ओजस्वी भाषण दिया करते थे और आज उनके हाथ में कमान है प्रदेश के गृह मंत्रालय के वह राज्य मंत्री हैं ..

श्री अध्यक्ष–

दो मिनट का समय हो गया ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

यह डंडा भांज रहे हैं राम भक्तों पर यह राम की पूजा स्वयं भूल गये हैं । राम ने अपने मुंह से स्वयं कहा है गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में "शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि स्वपनेहु नहि भावा" जो राम का नाम लेकर, एक संकल्प लेकर अयोध्या जा रहे थे, लखनऊ से फैजाबाद जा रहे थे तो क्या उनको पास लेना पड़ेगा । यह उचित नहीं है मेरा नम्र निवेदन है इस तरह से जो मानवाधिकारों पर कुठाराघात किया है, लोगों को पूजा अर्चना से रोका जा रहा है इस पर में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले विपक्ष से मांग करते थे कि राम कैद कर लिये गये हैं आज भारतीय जनता पार्टी के लोग शिव सेना के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं उन राम भक्तों को इनसे छुटकारा दिलवायें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

श्रीमन्, राम स्वयं शिव जी की उपासना करते थे तो आज उन शिव भक्तों को जो अयोध्या जा रहे थे उनको आज गिरफ्तार किया जा रहा है । जो शिव सेना के कार्यकर्ता महाराष्ट्र से, केरल से, गुजरात से भारत के कोने-कोने से रामनगरी में अयोध्या जा रहे हैं, वह शिव सेना के लोग जो मंदिर के सबसे ज्यादा रक्षक हैं, इनके साथी रहे हैं वहां जाने से रोका जा रहा है ताकि वह जान न जायं कि इनके द्वारा मंदिर तोड़े गये हैं । भारत की पवित्र धरती पर भगवान राम की जन्म-स्थली जाने से उनको रोका जाय इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है । भगवान राम आज वी० जे० पी० की कैद में हैं । पूरे भारतवासी उनके दर्शन के लिये अयोध्या जाना चाहते हैं उनको जाने न देना उचित नहीं है इस पर आप संरक्षण नहीं देंगे तो यह पूरे प्रदेश का अपमान है । राम की नगरी में राम के दर्शन न करने दें और फिर कभी विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं करने देंगे । लगता है यह सारे देवता हिन्दू विश्व परिषद और इनके बीच बंद हो कर रह जायेंगे । इसलिये यह पूरे देश का सवाल खड़ा हो गया है अगर आपने संरक्षण नहीं दिया और यह सदन उन लोगों को अयोध्या जाने में संरक्षण नहीं देगा तो यह हमारी बदनामी है । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय ।

* श्री राम लखन–

श्रीमन्, जो शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चैत्र राम नवमी को अयोध्या जाना चाहते हैं अपने भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं उनको गिरफ्तार करना बहुत ही निन्दनीय है। इस सरकार के लिये यह बहुत ही शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिये यह बहुत ही शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम की दुहाई देकर सत्ता में आई है। इनको स्वयं चाहिये था कि राम भक्तों, शिव सेना के लोगों को अयोध्या राम दर्शन के लिये जाने दिया जाय लेकिन इन्होंने उनको रास्ते में गिरफ्तार करवा लिया उनको वहां तक जाने नहीं दिया इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है।

श्रीमन्, जैसा कि हमारे सभी विपक्षी दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि मान्यवर, राम इस समय भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में, इनकी पार्टी में कैद हो चुके हैं। यह लोग जो सोचते हैं और कर रहे हैं कि राम तक दूसरी पार्टी के लोग न पहुंच सकें, इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राम सब के हैं, किसी एक के अकेले के नहीं है। इस तरह से वहां जाने पर पाबन्दी लगा दी जा रही है। चैत्र रामनवमी के उपलक्ष में लाखों लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस विषय को चर्चा के लिये ग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हों तो कहें, नहीं तो मैं अपनी व्यवस्था दे दूं।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, पाण्डेय जी की सूचना मैंने पढ़ी मैं परेशान हुआ पहले यह पता लगाने के लिये कि शिव सेना के अध्यक्ष समेत सैकड़ों धार्मिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। कौन सी शिव सेना के अध्यक्ष की बात कही गई।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, देख लें। यह अखिल भारतीय शिव सेना के अध्यक्ष हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपका धन्यवाद। आपने ज्ञान वर्धन किया। श्रीमन्, हमने पता लगाने की चेष्टा की, तो पता चला कि 17-18 आदमी गिरफ्तार किये गये। हमें चिन्ता हुई सैकड़ों आदमी जो गिरफ्तार किये गये वह कहां चले गये। मान्यवर, ऐसी बात नहीं थी। राम तो घट-घट वासी हैं, वह गिरफ्तार क्यों करेंगे। वस्तुस्थिति यह है कि राम भक्ति के तरीके कई हैं। कुछ लोग राम-राम कहते हैं और कुछ लोग मरा-मरा कहने वाले भी तर गये। कौन रामविरोधी है कौन रामभक्त है, इसमें अंतर करना मुश्किल है।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अभी कोई व्यवस्था नहीं है। आप बैठ जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज अयोध्या में जाने से किसी को मनाही नहीं है। कल राम नवमी है और लाखों लोग वहां दर्शन करने के लिये आये हैं। मान्यवर, वहां सरकार ने बहुत अच्छे प्रबन्ध कर रखे हैं, उनको दर्शन कराने के, उनको ठहराने के अच्छे प्रबन्ध किये हैं। इस बात की अनुमति नहीं दी जायेगी कि कोई शान्त वातावरण को बिगाड़ने के लिये उत्तेजनात्मक और विद्वेषात्मक नारे लगाते हुए वहां जाय। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

(मेजें थपथपाई गई)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, किसी दल के अध्यक्ष के लिये यह कहा जाय कि वह उत्तेजनात्मक नारे लगा रहे थे। मान्यवर, यह ठीक नहीं है।

(घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नरेश अग्रवाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

जब तक मैं किसी माननीय सदस्य को अनुमति न दूं। यह जो कुछ बोल रहे हैं किसी का लिखा नहीं जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप व्यवधान न डालें आपने अपनी बात कह दी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह रावण के रूप में राम राज्य करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

दर्शनाभिलाषी व्यक्तियों को रोका नहीं गया है और न ही रोकेंगे अगर बेनी प्रसाद जी जाना चाहेंगे. तो इनकी व्यवस्था कर दी जायेगी।

(घोर व्यवधान)

नोटः [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

(श्री शिव कुमार बेरिया, श्री पवन कुमार पाण्डेय तथा श्री राम औतार शाक्य आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये । जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(माननीय सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवधान का प्रश्न था सदन अव्यवस्थित हो गया था ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं सदन व्यवस्थित हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, राम मंदिर में परिक्रमा में जाने के लिए, रामनवमी में जाने के लिये किसी भक्त पर रोक नहीं है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपने व्यवस्था दी, मान्यवर, सभी सूचनाओं को विशेष परिस्थितियों में सुनें हमें कोई आपत्ति नहीं है कदाचित आप एक और व्यवस्था देना चाहें, लेकिन एक सूचना पर एक ही माननीय सदस्य के हस्ताक्षर होंगे । एक से अधिक सूचनाओं पर अगर हस्ताक्षर हैं तो यह परिपाटी नहीं बननी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई परिपाटी नहीं बनेगी कोई दृष्टांत नहीं बनेगा, यह नियम–300 में सूचना नहीं आती है इसलिये इसको अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

[x x x]

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया अपने स्थान पर जांय ।

(शोर)

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 के अंतर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अंतर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से निदेश संख्या–15 के अनुसार निम्नलिखित 6 सूचनायें चयनित की गयी हैं ।

(श्री पवन कुमार पांडे अपने आसन पर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

पांडे जी आप अपनी बात कहें ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, पहले सदन व्यवस्थित करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मथुरा के कंस और आधुनिक रावण रुपी यह सरकार अगर राम भक्तों को बंद करेगी तो इसे सहन नहीं किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, प्रदेश की शांति व्यवस्था रुपी सीता को यह सरकार रावण रुपी साधु बन कर हर रही है । हम इनके हरण को रोकने के लिये कटिबद्ध हैं ।

नोटः_[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, जनपद फैजाबाद जो वर्तमान समय में एक अतिसंवेदनशील जनपद है तथा मुख्यालय और निकट ही अयोध्या नगर पालिका क्षेत्र की स्थिति को देखते हुये अपराधों का बढ़ना अति चिंतनीय है। अक्सर अपराधों की घटित होने की प्रक्रिया संप्रदायिक तनाव को जन्म देती है। बम से मस्जिद का उड़ाया जाना और लगातार बम फटने की घटनायें घटने से सारे नगर वासी आतंकित और भयभीत हैं।

एक सदस्य–

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

गृह राज्य मंत्री–(श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, क्या पढ़वा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की सूचना का एक अंश पढ़ रहे हैं।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

यह अपने पापों को छिपाने के लिये राम भक्तों को बन्द कर रहे हैं और घटना नहीं बताने दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं तीन बजे बजट प्रारम्भ करूंगा। इसलिये जल्दी चर्चा समाप्त करें।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, जनपद फैजाबाद में गत 3 माह से निरंतर बढ़ती आपराधिक घटनाओं, हिंसक वारदातों और साम्प्रदायिक अपराधों की घटित घटनाओं से पूरे जनपद में आतंक और दहशत का माहौल बनता जा रहा है। श्रीमन्, फैजाबाद का मुख्यालय जो जनपद का ही नहीं बल्कि मण्डल का मुख्यालय है वर्तमान समय में अपराधियों की स्वच्छन्द गतिविधियों का केन्द्र बन गया है ? पुलिस की नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं, पुलिस चौकी के सामने तक की दुकानों के ताले तोड़ कर चोरियां हो रही हैं, दोपहिया और चार पहिया वाहन चोरी जा रहे हैं। साम्प्रदायिक उन्माद और प्रतिक्रिया पैदा करने वाले अपराध और बम विस्फोट की घटनाएं एक के बाद एक करके होती जा रही हैं। श्रीमन् इसी तरह से जनपद के ही थाना कोतवाली क्षेत्र टाण्डा अकबरपुर-बीकापुर तथा थाना जलालपुर भीटी, तारनन, होहवल-बसखारी आदि क्षेत्रों में भी हत्या डकैती लूट अपहरण की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। पुलिस अपराध रोक पाने में पुरी तरह से असफल है।

श्री अध्यक्ष–

आप पढ़ कर न बोलें। ग्राह्यता पर बोलें।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

श्रीमन् जनपद में कुछ पुलिस कर्मियों, अपराधियों, अपराधियों के शरणदाताओं और सत्ता दल के लोगों का एक गठजोड़ बन गया है। पुलिस कर्मचारियों-अधिकारियों का स्थानान्तरण होने पर एक के बाद एक मामले में सत्ता दल के लोगों के हस्तक्षेप से एक-एक स्थान पर या निकटस्थ स्थानों पर नियुक्त

पुलिस कर्मचारी अधिकारी सत्ता दल के लोगों की इच्छानुसार कार्य चला रहे हैं । मैं बताना चाहूंगा कि 6 माह से बराबर मैं एक कोतवाल के बारे में शिकायत कर रहा हूं । वह अपराधियों को संरक्षण दे रहा है जिससे जनपद फैजाबाद में आतंक फैला है । जिससे नगर में तमाम हिंसक घटनाएं हो रही हैं और बम के विस्फोट कराए जा रहे हैं मठाधीशों द्वारा उनको इसलिये रखा गया है कि इनके अपराधियों को संरक्षण दिये हैं । मैंने 5 पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखे कि वहां का स्थानीय कोतवाल शिव बहादुर सिंह मेरी हत्या कराना चाहता है । छः माह से उसे एक ही जगह रखा गया है । वह पिछले तीन साल से कार्यरत है । वह वहां पर धार्मिक उन्माद फैला रहा है । साम्प्रदायिकता फैला रहा है ताकि सत्तापक्ष की सहायता मिल सके । उसकी कई बार शिकायत की मुख्य मंत्री जी से कि वह स्थानीय गुण्डों से मिला है । लेकिन कोई जवाब नहीं आया । वहां पर उसे स्थानीय विधायकों और सांसद का संरक्षण प्राप्त है इसलिये उसका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया । मेरे एक रिश्तेदार को भी गोली मार दी गयी क्योंकि मेरा रिश्तेदार है । कटियार के इशारे पर यह हुआ । वहां दिनों दिन अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी नित्य शाम को कोतवाली में हाजिरी देते हैं । उन्हीं के द्वारा फैजाबाद में आतंक बना है । कोई सामन्य आदमी अपने घर से सरे शाम नहीं निकल पाता । हम लोग अपने क्षेत्र में नहीं जा पाते । जिनकी शिकायत की है उनके द्वारा लगातार मेरे परिवार को मारने की धमकी दी जा रही है । इसकी जांच भेजी गयी लेकिन उसमें पूरी रिपोर्ट नहीं दी है । अगर अपराधी तत्वों के संरक्षण देने वालें प्रभारी निरीक्षक को नहीं हटाया गया तो फैजाबाद में साम्प्रदायिक हत्याएं और अव्यवस्था हो जायगी इसी क्रम में अकबरपुर कोतवाली के कोतवाल द्वारा मेरी हत्या का षड़यन्त्र किया जा रहा है और अपराधियों को खुली छूट दे रखा है किसी समय मेरी हत्या हो सकती है । अतः इस विषय पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री–(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, आप नियम 58(2) पढ़ लें जिसके अनुसार एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी । चूंकि इस सूचना में एक से अधिक विषय है इसलिये यह नियम 56 में नहीं आती ।

श्री अध्यक्ष–

श्री पाण्डेय जी की नियम 56 की इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

* श्री श्री राम–

मान्यवर, जनपद जालौन में थाना कदौरा के अन्तर्गत ग्राम फुटौवली में 2-3-92 को एक परिवार के 3 सदस्यों की सामूहिक हत्या कर दी गयी जिसकी रिपोर्ट 4-3-92 को थाना कदौरा में दर्ज कराई गयी । मान्यवर, इसमें हत्याकांड सामूहिक क्यों किया गया इसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह अनुसूचित जाति का बाल्मीकि परिवार ऐसी बस्ती में रह रहा था जहां उच्च जातियों की बस्ती थी । उनसे कई बार कहा गया कि हम लोगों का अपमान होता है इसलिये अपना मकान बेच कर गांव के किसी दूसरे किनारे पर रहने लगो और 40 हजार लेकर मकान खाली कर दो अब उसने मकान बेचने से मना कर दिया तो जान से मारने की धमकी दी, काफी पहले धमकी दी गयी थी । इसके बाद 2 तारीख की रात में पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया । उसके जेवर और जमीन में गड़ा सामान तक लोग ले गये । इसमें कई बार पुलिस से कहा और मुख्य मंत्री जी को पत्र दिया ।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि इस घटना से संबंधित जो अभियुक्त हैं, जिस मंशा से हत्या काण्ड किया है, स्थानीय पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रही है । इस घटना से इतना आतंक पैदा हो गया है कि गांव के अन्य अनुसूचित जाति के लोग गांव से पलायन करने को विवश हो गये हैं, इस पर आप व्यवस्था दें और हत्यारों को पकड़वायें और इसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जाय और जो लोग मरे हैं, उनके परिवार वालों को मोआवजा दिलाया जाय । मान्यवर, यहां पर जो अनुसूचित जाति का प्रकोष्ठ है, उसमें इस तरह की घटनाओं की 24 घंटे के अन्दर सूचना आ जानी चाहिए, परन्तु यह हफ्तों बाद भी इसकी सूचना नहीं आई है । मान्यवर, स्थानीय पुलिस एस० एस० पी० वगैरह इसमें जो हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, घटना गंभीर है, लेकिन एक रिपोर्ट जो थाने में लिखाई गयी, उसमें किसी का नाम नहीं डाला गया है, वह नामजद रिपोर्ट नहीं लिखाई गयी है । पुलिस को यहां से भी निर्देशित किया गया है कि तत्काल कड़ी कार्यवाही करके अभियुक्तों का पता लगावें लेकिन माननीय सदस्य ने जैसा कहा है कि सी० आई डी० से जांच करवा दी जाय, तो मान्यवर, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सी० आई० डी० से जांच करवा देंगे ।

श्री श्रीराम–

मान्यवर, ऐसे परिवारों को, जिनके परिवार के लोगों की हत्या होती है तो उनके परिवार वालों को मोआवजा दिया जाता है । मान्यवर, जो लोग उनके परिवार में बचे हैं, वे बड़ी असहाय स्थिति में है, उनको मोआवजा देने के लिए भी माननीय मंत्री जी घोषणा कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसमें नामजद मुलजिम तो थे नहीं, जिससे कि उन्हें तत्काल पकड़ा जा सकता । माननीय सदस्य कृपया हमसें मिल ले । वह हरिजन हैं, उन्हें सहायता मिलनी चाहिए । लेकिन हत्या के और कारण क्या हैं ...

(घोर व्यवधान)

आप अगला वाक्य तो सुन लें पहले, आप माननीय सदस्य समझ लें, प्राविधान की पूरी जानकारी है, मैंने सी० आई० डी० से जांच कराने की बात को स्वीकार कर लिया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम लखन–

आपने हरिजन शब्द कहा है, यह आपत्तिजनक है.....

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्षमा चाहता हूं । जहां तक सहायता देने की बात है, मैं माननीय सदस्य से पूछ कर उसकी भी व्यवस्था कर दूंगा ।

* श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, अयोध्या में 8 तारीख को काजी किदवाई जो इस्लाम धर्म का प्रचार करने भारत में करीब 600 वर्ष पूर्व में आये थे तथा यहीं अयोध्या में बस गये और अयोध्या में ही उनकी मृत्यु हुई और उनकी कब्र बनी, उस कब्र को तोड़ दिया गया। वह उसी संबंध में हुआ है जिस प्रकार से दूसरे मंदिर तोड़े गये हैं, जो 2.77 एकड़ जमीन को समतल किया जा रहा है, उसमें यह कब्र आ गयी है। मैं सरकार के यह संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ऐसा काम करने वाले के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करे। उस समय राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के प्रकरण का जन्म भी नहीं हुआ था।

मुझे दुःख है, जब से सुना है कि मजार को तोड़ दिया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, जिन्होंने उसको तोड़ा है। दुख की बात है कि सरकार क्या कर रही है, किस तरह से एक समुदाय के लोगों को दुखी किया जा रहा है ? यह साढ़े पांच सौ साल पुरानी है, इसके विषय में कोई डिस्प्यूट नहीं है। जिस समय उनका अन्तकाल हुआ था, तो वह तो बाबरी मस्जिद से बहुत पहले का मामला है। इसमें कोई डिसप्यूट नहीं है, लेकिन 2.77 एकड़ का एरिया जो बढ़ाया जा रहा है, उसके अन्तर्गत यह कब्र आ गयी और इसको भी तोड़ दिया गया है। इससे मुसलमान समुदाय के लोग बहुत आतंकित हैं और उनको बहुत दुख है और वह परेशान हैं। तो मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि यह सरकार इस विषय में क्या कर रही है, जिन लोगों ने उस कब्र को तोड़ा है क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, और इसकी जांच करायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय सदस्य ने जिस ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह बड़ा गंभीर मामला है, उन्होंने बताया कि कोई धर्म प्रचारक थे, वह किसी भी पद्धति के हों, लेकिन मेरी जानकारी में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन माननीय सदस्य ने कहा है, मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मेरी खबर बिल्कुल सही है। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि अगर जांच के उपरान्त मेरी बात सही पायी जाती है, तो क्या वे उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिन्होंने कब्र को तोड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री श्रीराम जी और श्री फरीद महफूज किदवई की सूचना को अस्वीकार किया जाता है।

* श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वारा भाभर और नैनीताल जनपद के हजारों काश्तकारों की भूमि स्टाम्पों पर बेची और खरीदी जाती थी, लेकिन उनको भूमिधरी अधिकार नहीं दिये गये। यह भूमि पहले खाम स्टेट की थी, जिसका नियंत्रण संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा किया जाता था और उस समय खाम स्टेट की जमीनों का क्रय विक्रय स्टाम्पों से करने की परम्परा थी। 1 जुलाई, 1969 को जब जमींदारी उन्मूलन लागू हुआ तो खाम की भूमि जो स्टाम्प पर खरीदी गयी थी उसके क्रय विक्रय की परम्परा उसी स्टाम्प पर थी, लेकिन स्टाम्प पर खरीदी गयी भूमि का भूमिधरी अधिकार काश्तकारों को नहीं दिया गया, जिससे किसान परेशान हैं। 1989 में शासनादेश जारी किया गया इन जमीनों को उनको पट्टे पर दे दिया जाये, तो वहां पर आन्दोलन हुआ और मांग की गयी कि भूमिधरी अधिकार दिये जायें। माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हैं, और यह वहां की स्थिति को जानते भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको भूमिधरी अधिकार दिये जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* राजस्व मंत्री–(श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आभारी हूं माननीय सदस्य रावत जी का जिन्होंने गढ़वाल के कोटद्वार भाभर और नैनीताल के तराई क्षेत्र के काश्तकारों की एक बहुत अहम समस्या की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आज वह ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, इससे पहले ही हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हम तभी से बड़े सक्रिय थे । 40 वर्ष से एक मामला काश्तकारों का वहां लटका हुआ है । मान्यवर, कई सरकारें आई और कई सरकारें गई लेकिन वहां के काश्तकारों की जिनके यहां एक परम्परा थी कि 2 रुपये के स्टैम्प पर क्रय- विक्रय कर लिया करते थे । स्थानान्तरण कर लिया करते थे लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया और बड़ी कठिनाई हुई । वास्तव में कठिनाई थी, सन् 85 में और उसके पहले सन् 57 में उसको राइज करने का प्रयास हुआ लेकिन उस काश्तकार को जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् जो एक्सक्लूसिव राइट मिले, स्वत्व हासिल हुआ वह उस क्षेत्र के लोगों को हासिल नहीं हो पाया । मान्यवर, ऐसी स्थिति रही कि इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया उन्होंने कहा कि 2 रुपये के स्टैम्प की परम्परा रही है और भी स्टैम्प देने के लिये तैयार हैं किसी तरह से इसको रेगुलराइज कर दिया जाय लेकिन पता नहीं कारण वहीं जानते होंगे जिन्होंने नहीं किया । लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने देखा कि जमींदारी समाप्त हो गयी लेकिन उसके भग्नावशेष हैं और इन लोगों को काश्तकारों को अनेकों काश्तकार जिसमें 81 गांव कोटद्वार भाभर के हैं और नैनीताल के तराई क्षेत्र का बहुत बड़ा एरिया है, उनको वह अधिकार नहीं मिले हैं इसलिये मान्यवर, सबसे पहले 26 सितम्बर, 1991 को ही हमारी इस वर्तमान सरकार ने यह सोचा कि हम उनका जो अधिकार है, उनको दिला दें ।

मैं रावत जी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 3 प्रश्न उपस्थिति किये । एक यह विकल्प आया कि 30 से 69 तक सभी अनियमित प्रकरण थे उनका 57 और 63 में जिस प्रकार से विनियमितीकरण किया था उसी तरह से कर दें और दूसरा यह आया कि 1-7-69 से 10-10-85 तक जो मामले स्टाम्प के अन्तर्गत थे कम से कम उनकी पेनाल्टी लगाकर और किसी तरह से बाउण्ड कर दें, उसमें कठिनाई आई और कठिनाई इसलिये आई कि ला डिपार्टमेन्ट की तरफ से स्टाम्प पर इम्पाउण्ड तभी कर सकते हैं जब कोई प्रकरण 4 वर्ष के अन्दर ही जानकारी में आ जाय । जो बैनामा हुआ 2 रुपये के स्टाम्प पर वह 10-20-25-30 वर्ष का पुराना था । इसलिये हमारी सरकार ने सोंचा कि इन काश्तकारों को उनके अधिकार मिलने चाहिए इसलिये मैं इस सदन को सूचित कर रहा हूं और जिस दिन राजस्व विभाग का बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें भी कहा गया कि 6 जनवरी, 1992 को कैबिनेट बैठक हुई, मंत्रिपरिषद् बैठी, हमने गंभीरता से विचार किया और विचार करने के बाद निर्णय लिया कि उन लोगों से भी लगान का 20 गुना जमा करा लिया जाय और भूमिधरी दिया जाय आखिरकार इन्होंने किसी से बैनामा कराया है केवल कमी इतनी है कि वे स्टैम्प पूरा नहीं लगा सके । उनको ट्रांसफर का भी अधिकार था । उनके लिये भूमि खरीदने का निर्णय लिया गया है । यह एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

विचार सुनने के बाद इसे ग्राह्य किया गया ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैंने आज नियम–51.56 में सूचनायें दी थी और माननीय अध्यक्ष के कक्ष में भी उसके विषय में बात की थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

कक्ष की बात सदन में उठाना उचित नहीं है आप अपनी सूचना की ग्राह्यता पर कृपया बोलें ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मैं अपने नियम-300 के अधिकार से वंचित रह गया हूं । मान्यवर गंभीर समस्या है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो सूचना स्वीकृति हुई है उसकी ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करें ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मैं 1985 से लगातार तारांकित प्रश्न दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया जो आपकी सूचना स्वीकृति हुई है उस पर बोले । आपकी सूचना है कि जनपद मुरादाबाद के भागलपुर व मूडवारा विकास खण्ड में पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा कराये जाने के संबंध में है । आपने जो सूचना दी उस सूचना के विषय को भी मैंने पढ़ दिया उसके बाद भी आप सूचना की ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे हैं । इसका मतलब यह है कि आप बोलना नहीं चाहते है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, वर्ष 87-88 में ग्राम्य विकास अधिकरण में पांच योजनायें स्वीकृत हुई थीं पुलिया बनाने के संबंध में । मान्यवर, सन् 87-88 से 65 पाइप डाल रखे हैं पांच स्थानों पर लेकिन वहां पुलिया आज तक नहीं बनी । गवर्निंग बाडी से भी हमने कहा लेकिन वह पुलिया नहीं बनाई गई । चार-पांच साल हो गये कब तक आप उन पुलियों को बनवायेंगे और उसके लिए कब धन देंगे । संसदीय कार्य मंत्री जी आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं,

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह मान्यवर, डी० आर० डी० ए० में सरकार का सवाल कहां है, मैं इस आरोप में नहीं जाता कि कौन सरकार थी । उसमें सदस्य उस जिले के सभी माननीय विधायक होते हैं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

जब जिले में कोई नहीं सुनता, अध्यक्ष डी० आर० डी० ए० में जो धन आवंटित होता है, जो धन के एलाटमेंट का कार्य है वह डी० आर० डी० ए० का है, राज्य सरकार की ओर से कोई चीज लिखकर भेजे कि इतना इस योजना पर तो माननीय राणा जी समझते होंगे कि यह हमारे लिये सही काम नहीं

होगा, हम लोग आपित्त करते थे, हमारा पैसा है, हम सदस्य हैं, हम तय करेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि माननीय विधायकों के अधिकारों पर अतिक्रमण हो जाय । अब इसमें एक शंका पैदा होती है । कृपया पहले सुन लें । पाईप वहां कई वर्ष पहले गये, यह कहा गया कि इन विशिष्ट परियोजनाओं के लिये पैसा सेंक्शन नहीं था तो पाइप कैसे चले गये इस बिन्दु की जांच कर ली जायेगी । एक सीमित मात्रा में पैसा स्वीकृति हुआ उसके विरुद्ध सामान खरीद लिया गया उसके बाद पूरक पैसा फिर स्वीकृत हो जाना चाहिए था । आप डी० आर० डी० ए० में बातकर लें, मैं भी जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त कर आप को अवगत करा दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसकी ग्राह्यता के बारे में सुना गया, इसे अस्वीकार किया गया ।

श्री अकबर हुसैन, श्री रामगोविन्द की जो सूचना है गांधी स्मारक इंटर कालेज, सहाबगंज जनपद वाराणसी में प्रधानाचार्य के अनियमित कार्यो से छात्रों में व्याप्त असंतोष के संबंध में, इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(व्यवधान)

(इसी बीच श्री मोहम्मद रिजवानुल हक सदन के फ्लोर पर आ गये)

आप कृपया अपने आसन पर वापस जायं ।

मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि आप कृपया अपने स्थान पर वापस जांय ।

(श्री मोहम्मद रिजवानुल हक सदन के फ्लोर से कहने लगे)

[x x x]

सदन के फ्लोर से कही गयी बात का संज्ञान नहीं लिया जाता, आप कृपया अपने स्थान पर वापस जायं ।

(श्री रिजवानुल हक सदन के फ्लोर पर लेटे रहे)

माननीय हक साहब आप कृपया अपने स्थान पर चले जायें और वहां से कहें ।

(श्री रिजवानुल हक सदन के फ्लोर से कहने लगे)

[x x x]

आपको जो कुछ कहना है वह अपने स्थान पर जाकर कहिये ।

(श्री रिजवानुल हक को एक सदस्य द्वारा समझाने पर श्री रिजवानुल हक अपने आसन पर वापस चले गये)

शेष जो सूचनाएं हैं नियम-56 और 311 की, वह शलाका में नहीं आयी हैं इसलिये उनको अस्वीकार किया जाता है ।

(मद संख्या–8 पुकारे जाने पर)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना नियम-311 के अंतर्गत दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब यहां पर कोई व्यवस्था दे दी जाती है, कोई निर्णय लिया जाता है तब आप ध्यान नहीं देते हैं, मैंने इसके बारे में निर्णय बता दिया है कि शलाका में यह सूचनाएं नहीं आयी हैं इसलिये अस्वीकृत की गयी । यह निर्णय केवल आपके लिए नहीं है बल्कि सभी माननीय सदस्यों के लिये लागू होता है इसलिये माननीय सुरेन्द्र सिंह जी आप भी कृपया बैठ जायें ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

* गन्ना विकास मंत्री–(श्री हनुमन्त सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,81,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,37,85,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं बजट के संबंध में कुछ बातें कहूं इसके पूर्व हमारे विभाग के संबंध में इस सरकार की कार्य के प्रति जो सोच और चिन्तन है उसके बारे में कविता के रुप में आपके सामने रख रहा हूं:–

मैं तो चाह रहा हूं भर दूं,
मधुर मिठासों से हर आंगन,
तुम थोड़ा भी साथ चलो तो,
मैं सपने साकार करूंगा,
मधुर तिक्त जो भी तुम दोगे,
सबका ही होगा अभिनन्दन,
कुछ जनहित की बात करो यदि,
मैं अपने उर में भर लूंगा ।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जैसा सभी सम्मानित सदस्य इस बात को जानते हैं कि चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि पर आधारित एक प्रमुख उद्योग है और चीनी उद्योग को प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित करने का हमारी सरकार का लक्ष्य है । सम्मानित सदस्य यह भी जानते हैं कि गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। उत्तर प्रदेश में 31 लाख किसान एवं उनके परिवार तथा लाखों श्रमिकों के परिवार गन्ने की खेती और चीनी उद्योग से अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, इस संबंध में यह भी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 1935 में गन्ना विकास विभाग की स्थापना हुई थी और उसी वर्ष चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का शोषण रोकने के लिये तथा इस कार्यक्रम को अच्छे रूप में चलाने के लिये गन्ना सहकारी समितियों का चयन हुआ था । मैं आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इस समय उत्तर प्रदेश के अन्दर 106 चीनी मिलें स्थापित हैं, जिसमें 35 सार्वजनिक क्षेत्र की, 31 सरकारी क्षेत्र की और 40 निजी क्षेत्र की हैं और यह सभी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं । मान्यवर, इसमें कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित साथियों को बताना चाहूंगा कि इस बार सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है । इस समय देश के अन्दर जितनी चीनी का उत्पादन होता है, उसमें 30 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश का है ।

वैसे मान्यवर, आप देखें तो गन्ने की खेती के लिये दक्षिण भारत की जलवायु उत्तम मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद 1991-92 में गन्ने का रकबा 1990-91 की तुलना में अधिक रहा । वर्ष 1990-91 में गन्ने का उत्पादन 18.30 लाख हेक्टेयर में हुआ, जबकि 1991-92 में यहीं बढ़कर 18.55 लाख हेक्टेयर में हुआ । मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ने का उत्पादन जितना हो रहा है, वह केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सर्वाधिक है । मान्यवर, पिछले वर्ष 1020.68 लाख मिट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ जब कि इस वर्ष यह संख्या और बढ़ी है और 1047.20 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है । इसी तरह से मान्यवर, आप देखें तो आप पायेंगे कि प्रति हेक्टेयर उपज में भी वृद्धि हुई है । पिछले वर्ष 55.78 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ, जबकि इस वर्ष 56.45 टन प्रति हेक्टेयर उपज हुई है । इस तरह से गन्ने का उत्पादन और गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज दोनों में बढ़ोत्तरी हुई है । इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो गन्ना पेराई और चीनी उत्पादन दोनों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है । 1991-92 का जो मौजूदा पेराई सत्र चल रहा है, यह तो बहुत ऐतिहासिक रहा है । 264 लाख टन गन्ना पेराई करके 25.16 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या बहुत कम थी और केवल 241 लाख टन गन्ना पेराई करके केवल 22.46 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था इसी तरह से चीनी के उत्पादन में पड़ती 9-52 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष यह 9.33 प्रतिशत थी । सरकार की नयी दिशा व चिन्तन के कारण ही यह ऐतिहासिक उपलब्धि हुई । इसी नयी दिशा के कारण पेराई, उत्पादन और परती में वृद्धि हुई । मौजूदा पेराई सत्र में उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ने की पेराई सर्वाधिक हुई और उत्पादन भी ज्यादा हुआ इसके साथ ही साथ गन्ने की फसल का उत्पादन भी अधिक हुआ ।

पहले विधान सभा में प्रश्न उठा करते थे कि किसानों के गन्ने की पेराई चीनी मिलों में नहीं हो रही है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि किसानों के नाम पर विगत में जो सरकारें रही हैं उन्होंने गन्ना किसानों की व्यवहारिक परेशानियों को नहीं समझा परन्तु 24 जून, 1991 को जब से इस सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया हैं मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने गन्ना किसानों की व्यवहारिक परेशानियों को समझा है । विगत दिनों में केवल 32 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों में जा रहा था और शेष खाण्डसारी, कोल्हू और चूसने व चारे के रूप में प्रयोग हो रहा था । मेरा मानना है कि इस तरह से जो गन्ना खाण्डसारी, कोल्हू, चारा व चूसने के रूप में प्रयोग हो रहा है उससे केवल किसानों का

ही शोषण नहीं हो रहा है अपितु एक राष्ट्रीय क्षति हो रही है । इसलिये हमारी सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया और गन्ना किसानों के हित में बहुत अच्छे-अच्छे निर्णय भी लिये । उसी का परिणाम है कि 1990-91 में केवल एक लाख उन्यासी हजार नौ सौ बयान्वे मैट्रिक टन पेराई की क्षमता थी वह अब बढ़कर 2.14,992 मी० टन हो गयी है । इस प्रकार देखा जाय तो 34,999 मी० टन की बढ़ोत्तरी हुई है जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । इसी के साथ ही हमारी सरकार का यह भी लक्ष्य है कि इस प्रदेश के अन्दर 50 नयी चीनी मिलें लगायी जायं । इस हेतु हमने केन्द्र सरकार से आशय पत्र जारी करने का निवेदन भी किया है ।

हमारी सरकार की एक सोच है और साथ ही साथ प्रयासरत भी है कि इस प्रदेश के अन्दर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 4,58,000 मी० टन गन्ना चीनी मिलों में पेरा जायेगा । यदि इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने सहयोग करने की पहल यदि की तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के अन्दर 50 फीसदी गन्ने की पेराई चीनी मिलों द्वारा की जायेगी । मान्यवर, इसके साथ ही साथ खाण्डसारी नीति में परिवर्तन कर उसे उदार बनाया गया, किसान परख नीति बनायी गयी ताकि किसान का हित हो । हमारी नीति खाण्डसारी इकाइयों को प्रश्रय देने की नहीं है लेकिन इस समय जो गन्ना चीनी मिलों में नहीं जा रहा है उसकी पेराई किसके माध्यम से की जाय इसलिये खाण्डसारी इकाइयों को हमने काफी सहूलियत दी है । आज 14 सौ 43 खाण्डसारी इकाइयों को लाइसेन्स दिया गया जिसमें 12 सौ 27 इकाइयां कार्यरत हैं इसमें 123 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की गयी जो पिछले पांच सालों की तुलना में सबसे अधिक है । इसके साथ ही साथ खांडसारी नीति को गन्ना किसानों के परख बनाया गया जो पहले कभी नहीं था । चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में 25 कि०मी० अर्धव्यास में नयी खाण्डसारी इकाई लगाने की छूट दे दी गयी, यह पहले कभी नहीं थी । इसी तरह से मिल गेट के बाहर जो पिराई इकाइयां थीं उनके विस्तार पर जो प्रतिबन्ध था वह हटा दिया गया, हस्तान्तरण पर जो प्रतिबन्ध था जिसके द्वारा एक इकाई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती थी उस प्रतिबन्ध को भी हटाया गया ।

पावर क्रेशर का जो आकार था जिसको बढ़ाने के लिये अनुमति जरूरी होती थी उसको हटा दिया गया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है ताकि गन्ना किसानों का गन्ना चाहे मिल द्वारा चाहे खांडसारी यूनिट द्वारा उसकी पेराई हो सके । मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की क्या सोच है उत्तर प्रदेश के किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले उस परिपेक्ष्य में गन्ना किसानों को 4 रु० प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी की गयी । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है हमने 4 रु० गन्ने के मूल्य में बढ़ोत्तरी की तो इसको भी राजनीतिक पहलू बनाया गया । आपने देखा होगा एक महीने तक पूरे प्रदेश के अन्दर एक राजनीतिक चक्र चला जिससे गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य की अदायगी में रुकावट डालने की कोशिश की गयी । लेकिन उसके बावजूद जब मिल मालिकों को असलियत मालूम हुई और एक निर्णय लिया वह निर्णय किसानों के हित में है । मैं बताना चाहता हूं कि चीनी मिल वालों ने जो हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर रखी थी उनको वापस लेना पड़ा । इस सरकार के दृढ़ निश्चय के आधार पर उन्होंने यह निर्णय लिया । मैं बताना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश के अन्दर गन्ना किसानों को मिल गेट पर सामान्य जाति के गन्ने के दाम 45 रु० मिल रहे हैं और शीघ्र पकने वाली जाति का दाम 48 रुपये मिल रहा है । इससे इस प्रदेश के गन्ना किसानों को 151 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पैसा अर्जित हुआ है । इसके साथ ही साथ मान्यवर, आप देखेंगे और मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जहां तक गन्ना मूल्य की अदायगी का प्रश्न है, वह भी बहुत अच्छा नहीं है । इस ओर भी हम प्रयास कर रहे हैं । हमारा प्रयास हो रहा है

कि किसानों का जो गन्ना मूल्य चीनी मिलों पर बकाया है, उसका शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराया जाय। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 29 मार्च तक जो समीक्षा की गयी उसके अनुसार 1,117.07 करोड़ गन्ने मूल्य था, इसमें आप देखेंगे 787.55 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है और अब 329.52 करोड़ शेष रह गया है। इस तरह से आप देखेंगे कि 71 फीसदी गन्ना मूल्य किसानों को भुगतान कराया जा चुका है और 29 फीसदी अवशेष है। इसके बावजूद भी लगातार समीक्षा हो रही है, चीनी मिलों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। दबाव ही नहीं, इस सरकार की सोच है कि किसी चीनी मिल ने किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान करने में शिथिलता बरती तो उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही करने में यह सरकार हिचकेगी नहीं।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, उत्तर भाषण भी तो आपको देना है।

श्री हनुमन्त सिंह–

इसी तरह से मान्यवर, आप देखेंगे तो हमारी जो चीनी संघ की मिलें हैं। वह उत्तर प्रदेश में 31 हैं। इनके बारे में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले भी प्रश्नों के उत्तर में मैंने बताया था कि इस क्षेत्र में हमको ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई है। हमारी जो सहकारी क्षेत्र की 31 चीनी मिलें हैं उनके द्वारा इस प्रदेश में 73 लाख टन गन्ना 31 मार्च, 1992 तक का बता रहा हूं। 73 लाख टन गन्ने की पेराई करके 6.87 चीनी का उत्पादन किया है। इस तरह से आप देखेंगे कि पिछले वर्ष जो हो रहा था वह 59 लाख टन गन्ने की पेराई से केवल 5.30 चीनी उत्पादन हुआ था। इस तरह से चीनी परता बढ़ी है, चीनी का उत्पादन बढ़ा है और पेराई भी बढ़ी है। इसके साथ ही साथ सहकारी क्षेत्र में नौ चीनी मिलों के विस्तारीकरण का प्रयास किया जा रहा है, उसको पूरा करने का हम शीघ्र प्रयास कर रहे हैं। जो चीनी मिलें हैं उससे शीरा उपलब्ध हो रहा है। 7 आसवनी हैं। इस शासनकाल में समस्त खीरी से 30 हजार मिलीलीटर शीरे की प्राप्ति हुई। मऊ जनपद में एक आसवनी का निर्माण जल्दी हो रहा है। इसके साथ ही साथ मान्यवर, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की जो 35 चीनी मिलें जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अपने सभी सम्मानित सदस्यों को भी बता चुका हूं कि जो चीनी मिलें हैं जिनकी मान्यवर, इक्नौमिक वायबिलिटी नहीं है। यह वह चीनी मिलें हैं जो सिक हो जायेंगी। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जिन चीनी मिलों की पेराई क्षमता बहुत कम है, लेकिन उन चीनी मिलों के द्वारा भी इस प्रदेश के अन्दर एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पेराई भी गन्ने की अधिक हुई है। और साथ ही साथ चीनी का उत्पादन भी अधिक हुआ है।

मान्यवर, चीनी निगम की तीन चीनी मिलें हैं। मोहदीपुर, छपरा, किच्छा हैं। इनके बारे में कार्यक्रम अन्तिम चरण में पहुंच गया है। बुलन्दशहर, बहौली, महमूदाबाद, जरवल रोड, सहारनपुर में भी काम चल रहा है, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जरवल रोड और सहारनपुर की जो चीनी मिलें है, यह आने वाले सत्र में पेराई करना प्रारम्भ कर देंगी। इसी के साथ-साथ मान्यवर, हमारा प्रयास है, हमारी सरकार की यह सोच है कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सहकारी संघ की चीनी मिलें हैं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलें हैं उनका विस्तृतीकरण किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के पास संसाधन, कम है पैसा नहीं मिल पा रहा है इसके लिये सरकार प्रयासरत है। जो 25 टी० सी० डी० सी० हैं इससे गन्ना किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसमें हम विचार कर रहे हैं ? इसी

तरह से मान्यवर, देखें, गन्ना विकास विभाग जो है यह चीनी उद्योग की बैक बोन माना जाता जिसके बगैर चीनी उद्योग के विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं । हमारी सरकार की सोच है, चीनी कारखानों में नहीं बनती है चीनी खेतों में बनती है गन्ना विकास विभाग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ना किसानों को शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के बारे में बताया जायेगा ।

एक बात मान्यवर, कहना चाहूंगा इस सरकार ने जब कार्यभार ग्रहण किया तो व्यवहारिक समस्यायें थीं । गन्ना अधिक था और चीनी मिलों की पेराई क्षमता कम थी । इस बार हमने 15 दिन पूर्व चीनी मिलें चलाकर इस बात को साबित कर दिया है कि गन्ने की पेराई हुई है और अधिक हुई है । गन्ना विकास विभाग के कार्यक्रम चल रहे हैं शीघ्र पकने वाली जो प्रजातियां हैं अच्छी प्रजातियां हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर जो उत्पादन हो रहा है उसका 6 प्रतिशत है हमारी सोच है, कल्पना है 6 प्रतिशत को आने वाले वर्षों में बीस प्रतिशत बढ़ाया जाये और चीनी मिलों को हम अब एक महीने पूर्व चलायेंगे ताकि उत्तर प्रदेश के किसानों को नयी सोच दे सकें । मेरा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारी चीनी मिलें नवम्बर, दिसम्बर में जो चलती हैं उनको अक्टूबर में चलाने का प्रयास किया जायेगा । जिससे मान्यवर, पेराई इस प्रदेश में बढ़ेगी और पेराई बढ़ने से चीनी का उत्पादन बढ़ेगा ।

मान्यवर, गन्ने के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर अच्छी प्रजातियां गन्ना किसानों तक पहुंचायी जायं उसके लिये हमारे यहां 2 अनुसंधान केन्द्र चल रहे हैं । एक गन्ना शोध संस्थान सहारनपुर में है और दूसरा देवरिया में गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन संस्थान है । यह भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में अद्वितीय है, यह बताने में मुझे गर्व हो रहा है । इन संस्थानों के माध्यम से गन्ना किसानों को अच्छी किस्म की गन्ना प्रजातियां उपलब्ध करायी जाती है । गन्ना किसानों को अच्छा गन्ना बीज भी उपलब्ध कराया जाता है । गन्ने को चीनी मिलों तक लाने के लिये आवागमन के साधनों की समस्या है । इसके लिये अन्तर ग्रामीण योजना के अन्तर्गत हम सड़कों का निर्माण कराने जा रहे हैं । इससे इस प्रदेश के गन्ना किसानों को लाभ पहुंचेगा । मेरी यह सोच है कि गन्ना ऐसी फसल है जो उत्तर प्रदेश के किसानों के आर्थिक ढांचे को सुनिश्चित करता है । कुछ बातें मैं मान्यवर, और कहना चाहता हूं । प्रदेश के गन्ना किसानों को ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा उनको कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं । मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों की जो समस्यायें हैं उनकी तरफ हमारी सरकार लगातार ध्यान दे रही है ताकि उनका विकास हो सके और उसके साथ प्रदेश का विकास हो सके । एक बात और कहना चाहता हूं.....

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको अनुमति नहीं दी जाती है । अभी मंत्री जी ने अपनी बात समाप्त नहीं की है । कुछ भी उठाने से पहले कम से कम आप नियमों की जानकारी कर लें उसके बाद खड़े हों ।

श्री हनुमंत सिंह–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य स्वामीनाथ जी का बड़ा आदर करता हूं, गन्ने के बारे में उनकी बड़ी रुचि है । मान्यवर, अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं :––

'कठिन मार्ग है ऊंचा नीचा, पग पग पर अविश्वास भरा है,
कुछ दिन धीरज रखो मित्रों, लक्ष्य सभी पगतल में होंगे,

पीड़ित नयनों के सब आंसू चलकर पोछूं चाह बहुत है,
तुम भी चलो साथ ये काम कठिन भी सरल रहेगा ।'

मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि अच्छे सुझाव दें ताकि उन पर विचार हो और हमारी सरकार उस पर कार्यवाही कर सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

सोमांश प्रकाश जी, कृपया कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

* श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलेचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय गन्ना मंत्री जी ने बड़ी जोरदार शब्दों में अपनी बातों पर रखा । श्रीमन्, मैं तो सोचता था कि इनका नाम श्री हनुमन्त सिंह है और ये अपनी तमाम बातें उसी प्रकार से कहेंगे जैसा कि बजरंग बली जी के लिये कहा जाता है, लेकिन मान्यवर, हमारे गन्ना मंत्री जी यथा नाम तथा गुण जैसे नहीं हैं । यह बात समझ मे नहीं आयी । ये न हनुमन्त हैं न सिंह हैं । आज का सारा भाषण जैसा अधिकारियों ने बनाया, मंत्री जी ने रट लिया और यहां कह दिया । श्रीमन्, इस वर्ष आपने 16,81,28,000 रुपये गन्ना विकास में और 1,37,85,89,000 रुपये गन्ना उद्योग में लिये । यह चीनी उद्योग में इस वर्ष बढ़ाया । लेकिन यह अनावर्तक खर्च है तो गलत है और आवर्तक में है तो संशय नहीं कर रहा हूं । मंत्री जी स्पष्ट करें कि यह अनावर्तक में है कि आवर्तक में । यह मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहूंगा । जब मंत्री जी अपनी बात कहें तो बता दें । इसके अलावा श्रीमन्, मैं आपको दोषी नहीं कह रहा हूं, अब तक इस प्रदेश के अन्दर, इस प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति गन्ने पर ही निर्भर है । एक ऐसी फसल है जिससे किसान सम्पन्न होता है । श्रीमन् सन् 85 से 91 तक का अवलोकन करें तो सन् 85 में 61,97,9216 रुपया प्रदेश का था । उसमें गन्ने के बजट के लिये .015 परसेंट रखा गया । इसी तरह से 86 में .22 परसेंट, सन् 1987 में .14 परसेंट, सन् 88 में .21 परसेंट, सन् 89 में .14 परसेंट ओर 90 में यह .65 परसेंट कुल बजट का था । वर्ष 91 में .065 परसेंट रहा । यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर गन्ना विभाग के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया । चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो या हमारी रही हो ।

मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना विभाग के बारे में जितना ध्यान देना चाहिए था, जैसी कि गन्ने की फसल है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया । श्रीमन्, इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके इस विभाग पर एक प्रश्न चिह्न है । प्रश्न चिह्न इस बात का है कि गन्ना अधिक होता है और किसान रोता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । अब तक उसका कोई इन्तजाम नहीं कर सके हैं । इस वर्ष यही हो रहा है और सन् 1977 में भी यही होता था । ये गन्ने का रिकार्ड उत्पादन बता रहे हैं । यह कोई उपलब्धि नहीं है । यह तो गन्ने की पैदावार इस साल ज्यादा है, इसीलिये चीनी मिलें ज्यादा चली हैं और चीनी ज्यादा बना दी है । इसमें आपका कोई एचीवमेंट नहीं है । जिस साल गन्ना ज्यादा पैदा होता है, उस साल चीनी मिलों को गन्ना की ज्यादा आपूर्ति होती है और जिस वर्ष गन्ना कम होगा, उस वर्ष चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति नहीं हो पाती है । आपके पास कोई ऐसा अधिकारी नहीं है कि जो आपकी चीनी मिलों पर दबाव डाल सके । आप 8 वें, 10वें दिन यहां पर मीटिंग बुला रहे हैं ।

श्रीमन्, मैंने जो अभी कहा था कि माननीय मंत्री जी कुछ खामियों की तरफ नजर नहीं जाती है । हमारे अधिकारी भी बेकार हो रहे हैं । माननीय मंत्री जी, जब आपके अन्दर दम नहीं है, तो आपके प्रमुख सचिव के अन्दर भी दम नहीं है । जो सरकारी और सहकारी चीनी मिलें हैं, उनके अधिकारी आपकी मीटिंग में आते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि इसकी जानकारी वे आपको पूरी देते हैं या नहीं, गन्ने के बारे में जितनी बार यहां से आदेश भेजे गये हैं, उनका अनुपालन किसी तरह से भी नहीं हो रहा है । मुझे मुजफ्फरनगर के बारे में मालूम है, 47 लाख कुन्टल गन्ना वहां पर फालतू पड़ा है । मैं केवल बेसिक कोटे की बात कर रहा हूं, कोई इन्तजाम आपने आज तक नहीं किया है । जिन चीनी मिलों के बारे में आपने कहा, चाहे वह सखौती हो, चाहे मोदी हो, चाहे खतौली हो, उन्होंने आपके आदेश का पालन नहीं किया है । मेरे साथी यहां पर बैठे हुए हैं, वे आपकी जानकारी में लायेंगे । मेरा आपको सुझाव है कि तमाम चीनी मिलों को, जितने सुरक्षित क्षेत्र आपके हैं, उन तमाम चीनी मिलों का पुनर्गठन किया जाय, उनकी कैपेसिटी दिखाइये और दुबारा पुनर्गठन कराइये और उसके बाद आप सुरक्षित एरिया बांटिये ताकि कम से कम जो बेसिक कोटा है, वह पूरा हो जायगा, वरना आप कुछ नहीं कर सकते हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी सप्लाई की जो गन्ने की व्यवस्था है, वह बहुत खराब है। अपके यहां तीन अधिकारी हैं । तीन अधिकारी कौन-कौन हैं ? एक तो आपके सीड पर्यवेक्षक, जिसे सुपरवाइजर कहते हैं, एक तौल स्टाफ और एक भुगतान स्टाफ । ये तीनों मालिक हैं । चीनी मिलों पर न तो आपके प्रमुख सचिव जाते हैं और न ही जिलाधिकारी जाते हैं, वहां पर पर्ची बांटने वाला कर्मचारी जो होता है, वह जिसको चाहता है, उसको पर्ची दे देता है और तौलने वाला जो कर्मचारी होता है, जैसा चाहे तौल दे । इसमें आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है । मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें आप जब कोटा निर्धारित करें, जो बेसिक कोटा आपका है, इसके लिये मैं सुझाव दूंगा जो आपकी वेमेंट शीट है, तौल पत्र है, लेदरिंग होती है, उसमें गड़बड़ हो जाती है । तौल पत्र है वह बाहर के केन्द्र पर और गेट पर बनता है, वह सत्य होता है । इसलिये आप तौल पत्र को आधार मानें और राजस्व भूलेख 61-ख को उसके साथ जोड़ें, यदि आप इस प्रकार से गन्ने की सप्लाई को नियंत्रित करें, तो जो भ्रष्टाचार है, वह समाप्त हो जायेगा ।

मान्यवर, एक नयी बात हो रही है । डुप्लीकेट पर्चियां बनी हुई हैं, उनके नाम की डबल-डबल पर्चियां बनी हुई हैं और पास बुक भी डबल-डबल बनी हुई हैं, यह चीज आपके संज्ञान में नहीं आ रही है । सन् 1961 में आपके पास साढ़े 6 हजार सुपरवाइजर थे और चीनी मिलें केवल 60-61 थीं और अब 106 चीनी मिलें हो गयी हैं और गन्ने का क्षेत्रफल भी बढ़ गया है और उसका उत्पादन भी बढ़ गया है, लेकिन सुपरवाइजर 3 हजार ही हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी एफीसियेन्सी किस प्रकार से बढ़ेगी । तो मेरा सुझाव है कि आप स्टाफ को भी बढ़ायें, तभी एफीसियेन्सी बढ़ सकेगी ।

मान्यवर, बीज निगम के बारे में प्रशंसा की गयी । मैं कहना चाहता हूं कि निगम बनने के बाद वह सफेद हाथी हो जाता है, उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं रह जाता है । मान्यवर, जो अधिकारी हैं वह एयर

कन्डीशन्ड कमरों में रहते हैं, गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन गन्ना जो है वह खेत में पैदा किया जाता है, धूप में उसकी निराई कटाई होती है, रात्रि में पानी दिया जाता है, तो इन अधिकारियों का गन्ने की पैदावार से या उसकी समस्याओं से क्या ताल्लुक, वह तो एयर कन्डीशन्ड कमरों में रहते हैं । मान्यवर, पहले रिसर्च फार्म थे और वहां पर गन्ने की रिसर्च की जाती थी, लेकिन अब उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । रिसर्च फार्मों से सोसाइटीज के द्वारा गन्ना सप्लाई किया जाता था, वह गन्ना अच्छा होता था, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बीज निगम बना दिये गये हैं, जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है । बीज निगमों के बारे में एक और बात कहना चाहता हूं, इनमें नान प्लान एक्सपेन्डीचर 70 प्रतिशत है और प्लान एक्सपेन्डीचर 30 प्रतिशत है । 30 प्रतिशत किसानों से सम्बन्धित है और 70 प्रतिशत बीज निगम के अधिकारियों के मौज मस्ती से सम्बन्धित है । तो यह उल्टा होना चाहिए, तभी काम चल सकता है । आप प्लान एक्सपेन्डीचर को बढ़ावें और नान प्लान एक्सपेन्डीचर को कम करें और अगर यह नहीं करेंगे तो किसानों को भला नहीं होगा ।

मान्यवर, इसी प्रकार से गन्ना संघ की बात है । 45 वर्ष पहले यह संस्था बनायी गयी थी और जब यह बनी थी तो उसका आधार यह था कि इसमें जो सोसाइटी है, वह कुछ शक्तिशाली हो जाये, लेकिन उल्टा हुआ । संघ बनाने के बाद, पूंजीपति व्यवस्था आ गयी । सोसाइटियों की स्थिति यह हो गयी कि वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह देने की हैसियत नहीं रह गयी, उनकी स्थिति खराब हो गयी । इस संघ के जरिये जो आपने कीटनाशक दवाई और खाद देने का प्रबन्ध किया है, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि आपके बीज निगम के द्वारा जो कीटनाशक दवाइयां दी जाती हैं उनकी विश्वसनीयता नहीं है और उसने बड़ी खराब कम्पनी की दवाई ले रखी है । आपके बीज निगम से बेहतर दुकानों पर सस्ती दवा और बीज उपलब्ध हैं और उनकी विश्वसनीयता भी है । आप इसको चेक करा लें कि क्या रेट है जो किसानों को खाद और दवाई देते हैं और दुकान का दिखवा लें । इसलिये मेरा सुझाव है कि इसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है । इसमें एक तो चुनाव करायें, बहुत वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं जब वहां किसानों का प्रतिनिधि बैठेगा तो कम से कम कुछ तो उनकी बातें सुनेंगे तमाम अधिकारी मिलकर कोई किसानों की बात नहीं सुनता । हमारे यहां लोग कहते हैं कि गन्ना हम बोते हैं, मेहनत हम करते हैं खाद, पानी हम डालते हैं और गन्ने का कोई डिप्टी बनकर आ गया कोई साहब बनकर आ गया तो कोई सुपरवाइजर बनकर आ गया कोई उनसे पूछे कि तुमसे क्या ताल्लुक, हमने गन्ना बोया, पैसा हमने खर्च किया और कहते हैं कि गन्ने के डिप्टी आ गये, साहब आ गये और सुपरवाइजर आ गये। तो इसमें मेरा सुझाव है कि इसमें आप तुरन्त चुनाव करायें, चुनाव से ही प्रजातंत्र में शक्ति मिलती है ।

अब मान्यवर, चीनी उद्योग की बात है, आपने बहुत सही बात कही और मैं भी मानता हूं, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया कि यह गन्ने का उत्पादन बढ़ता जा रहा है तो हम चीनी का उत्पादन बढ़ायें, कैसे बढ़े तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 1989-90 में जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधान मंत्री थे तो पहली बार उन्होंने यह नीति बनायी कि देश भर में 15 कि०मी० के ऊपर चीनी मिलें लगाई जायं जो 40 कि०मी० पर थीं, उसके बाद ही हमारे क्षेत्र में चीनी मिलें लगना शुरू हुईं। वर्ष 89-90 में जब अर्जीत सिंह उद्योग मंत्री थे तो 6 लाइसेन्स प्राइवेट सेक्टर में दिये गये । दुर्भाग्य यह रहा कि अब तक केन्द्र सरकार से जो आपने चीनी मिलों के लाइसेंस मांगे हैं वहां कोई निर्णय नहीं हो पाया है । अगर आप हमारा सुझाव मानें, अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि गन्ना पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा चीनी बने तो माननीय मुख्य मंत्री जी को बैठाइये, आप बैठें और विपक्ष के तमाम हमारे साथी नेता विरोधी दल, हमारे कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जी यहां नहीं हैं वह भी बैठें और मैं तो कहूंगा कि

माननीय नारायण दत्त तिवारी को इसमें साथ लीजिये और एक कमेटी बनायें प्रदेश की जिसमें सब पार्टी के लोग हों और प्रधान मंत्री के पास चलिये जो उनसे उत्तर प्रदेश के बारे में कहें कि प्रधान मंत्री जी हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बहुत इस तरह से गड़बड़ी हो रही है महाराष्ट्र में गुजरात में 93 प्रतिशत गन्ना आपूर्ति होती है और हम 25 से 30 तक करते हैं। चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी पार्टी की रही हो, यह एक राजनीति को लेकर हमने 45 रुपये कर दिया, 38 रुपये कर दिया तो यह किसी ने सोचा कि 45 और 38 में कितना उनको मिल रहा है केवल 25 से 30 फीसदी बाकी 60 फीसदी ऐसे ही है।

आप खांडसारी यूनिट की बात कर रहे हैं वह तो लगभग खत्म हो गयी हैं। हमारे यहां प्रदेश में सबसे ज्यादा खांडसारी यूनिट थीं आज की खांडसारी यूनिट खत्म होती जा रही हैं आप इसको दिखवा लें। खांडसारी इकाइयां धीरे-धीरे बन्द हो रही हैं। जो मिलें चल भी रही हैं वह अगर बन्द हो गयी तो आपके सामने और भी भयावह स्थिति आ जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप चीनी मिलों का ध्यान रखिये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य में केन्द्र ज्वायन का आधार मानिये और आठवीं पंचवर्षीय योजना में, एक-दो साल में कितनी चीनी मिलों का लाइसेंस देंगे। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनपद मुजफ्फरनगर में होता है। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में होता है। इसका रिकार्ड आपके पास भी होगा और आपके अधिकारियों के पास भी होगा। वहां पर जब तक तीन चीनी मिलें नहीं लगेंगी तब तक आप किसानों का कोई भला किसी तरह से नहीं कर पायेंगे। इसके साथ ही साथ मैं वर्ष 1989-90 के प्रदेशवार कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश में एक सौ बासठ हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में 11 हजार 5 सौ बावन हजार मैट्रिक टन उत्पादन है और चीनी मिलों की संख्या 32 है तथा चीनी मिलों को आपूर्ति 63.2 प्रतिशत है और पैदावार प्रति हेक्टेयर 71.7 टन है तथा रिकवरी 9.99 परसेन्ट है। गुजरात में गन्ना क्षेत्रफल एक सौ छः हजार हेक्टेयर है तथा उत्पादन नौ हजार एक सौ साठ हजार मैट्रिक टन और चीनी मिलों की संख्या 14 तथा चीनी मिलों को आपूर्ति 63.2 प्रतिशत तथा पैदावार 86.4 टन प्रति हेक्टेयर और रिकवरी 10.96 प्रतिशत है हरियाणा में गन्ना क्षेत्रफल एक सौ छब्बीस हजार हेक्टेयर है तथा उत्पादन छः हजार सात सौ पचास हजार मैट्रिक टन है और चीनी मिलों की संख्या दस है तथा चीनी मिलों को आपूर्ति 59 प्रतिशत है तथा पैदावार प्रति हेक्टेयर 53.6 टन है और रिकवरी 9.77 है। कर्नाटक में दो सौ उन्नीस हजार हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल है तथा उत्पादन सत्रह हजार छः सौ अड़तालीस हजार मैट्रिक टन है और चीनी मिलों की संख्या 27 है तथा चीनी मिलों को आपूर्ति 52.1 परसेन्ट है तथा पैदावार प्रति हेक्टेयर 80.5 टन है और रिकवरी 10.38 परसेन्ट है।

पंजाब में गन्ने का क्षेत्रफल एक सौ तीन हजार हेक्टेयर है तथा उत्पादन छः हजार पांच सौ मैट्रिक टन है तथा चीनी मिलों की संख्या 17 और चीनी मिलों को आपूर्ति 47.8 परसेंट तथा पैदावार 63.1 टन प्रति हेक्टेयर तथा रिकवरी 9.13 परसेंट है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल सत्रह सौ पचपन हजार हेक्टेयर है और उत्पादन 97 हजार 128 हजार मैट्रिक टन है तथा चीनी मिलों की संख्या 105 है और चीनी मिलों की आपूर्ति 33.7 परसेन्ट है तथा पैदावार प्रति हेक्टेयर टन 55.3प्रति हेक्टेयर है तथा रिकवरी 9.04 परसेंट है। 9.4 चीनी की रिकवरी, आपके सबसे कम चीनी की रिकवरी हैं। कारपोरेशन की चीनी मिलों के बारे में बातें कही गयी, सबसे पहले कमी यह है कि इनकी पेराई क्षमता कम है। आज 25 सौ मैट्रिक टन से कम जिनकी क्षमता है वह अलाभकारी है इससे कम की चीनी मिल होनी नहीं चाहिए। मेरा सुझाव है कि किसी वजह से बहुत नुकसान होता रहे, कारपोरेशन की चीनी मिलों के

बारे में पहली बार आपसे सुना कि कुछ फायदे में है, मैं नहीं समझता कि कारपोरेशन की चीनी मिलें नुकसान में होती रहें आप उनको चलाते रहें आप उनको निजी क्षेत्र में दे दें वे चलायें आक्शन कर दें। आप तो निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल कहा था कि औद्योगीकरण में निजी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, आप निजी क्षेत्र में दे दें कम से कम आप नुकसान से बचेंगे वह अपनी पेराई क्षमता बढ़ाकर नुकसान खत्म कर देंगे।

मान्यवर, जो मीटिंग होती हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर की चीनी मिलों के जनरल मैनेजर अधिकांशतः आते हैं कोई बात होने पर वह कह देते हैं कि हमारे मालिकान जानें। इसी तरह से कारपोरेशन की चीनी मिलों के जनरल मैनेजर गन्ना आयुक्त के आदेशों का पालन नहीं करते हैं उनका सीधे कहना है कि हम एम० डी० साहब के आदेश का पालन करेंगे। हमारे खुद की भुगती हुई बात है, हम इस बात को आपकी संज्ञान में लाये। जब प्राइवेट सेक्टर की चीनी मिलों के जनरल मैनेजर गन्ना आयुक्त एम० डी० की बातों का पालन नहीं करते कारपोरेशन की मिलों के जनरल मैनेजर गन्ना आयुक्त की बातों का पालन नहीं करते, क्या अधिकार है उन्हें पालन न करने का सीधे मना करने का। दूसरे व्यवस्था की खराबी यह है कि वहां डी० एम०, जी० एम०, डी० एम० प्रशासक हो गये मालिक हो गये--कोई किसान को लूटे कुछ भी हो चाहे जो करे। प्रबन्ध संचालन--प्रबन्ध संचालन मंडल बनाये यह कोआपरेटिव चीनी मिलों के अपने संचालन मंडल बने। कुछ संचालन मण्डल बने कुछ न कर सकें तो जनप्रतिनिधियों को प्रशासक के रूप में बिठाये वह कम से कम काश्तकारों की बात को सुनेंगे। एक और भयावह स्थिति की जानकारी देना चाहता हूं, जो यह चीनी मिलों के मालिकान हैं उनको बुलाकर कहते हैं कि सुरक्षित चीनी मिलों का एरिया जो है, उसको हम जल्दी पेर देंगे, खतौली मोरना की जानकारी की जाय, वहां के किसानों को वे बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तो तुम्हारे सुरक्षित एरिया का गन्ना को जल्दी पेर देंगे सरकार यह दबाव डाल रही है कि बाहर की चीनी मिलों के गन्ने को लो तुम बाहर की चीनी मिलों के गन्ने को न आने दो। चीनी मिल मोरना पर ऐसी बात हुई। इससे आपस में किसान झगड़ा करने को तैयार हैं इससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है। आप हिदायत करें। जो आदेश हों उनका सख्ती से पालन हो। उन किसानों को जो बीच में डालकर भिड़ाने की बात हो रही है वह ठीक नहीं है उससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर देंगे। इसी तरह से मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि गन्ना किसानों को परिचय-पत्र दिये जायं यह जो भुगतान की गड़बड़ी होती है, किसान ज्यादा पढ़ा-लिखा होता नहीं, कोई किसी का पैसा ले लेता है, इसलिये आवश्यक है कि परिचय पत्र बना दें उसमें फोटो रहेगी पास बुक रहेगी फिर शिकायत नहीं हो सकती है। अभी तो तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं किसी का पैसा कोई ले जाता है।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

तो मेरा सुझाव यह है कि गन्ना किसानों को परिचय पत्र दिया जाये। मान्यवर, एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि जो किसानों को आप कर्ज देते हैं तो जब कर्ज देते हैं तो आप उसका ब्याज लेते हैं और किसानों का दो-दो साल का तीन-तीन साल तक का गन्ना का बकाया रह जाता है तो न तो गन्ना समिति उसको बकाये पर ब्याज देती है और न चीनी मिल ही देती है तो किसान को जब कर्जे पर ब्याज कटता है अगर किसान का रुपया किसी भी चीनी मिल में बकाया है तो एक नीति बनायें और

उसे निश्चित रूप से ब्याज मिले और उसकी वही दर हो जो कर्जे से कटती है तो जो पैसा रह जाता है अगर उस पर आप ब्याज दे देंगे तो जो नुकसान उसका होता है वह पूरा हो जायेगा । इन्हीं बातों को कहते हुए मैं माननीय गन्ना विकास मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो मैने बातें कही हैं, जो सुझाव दिये हैं उसे मानें और मेरे कटौती के प्रस्ताव को निश्चित रूप से मानें ।

* श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के लिये यह बड़े गर्व की बात है कि वर्तमान पेराई सत्र में 7 फरवरी, 1992 तक राज्य की 104 चीनी मिलों में 161 लाख मी० टन गन्ने की पेराई करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है और इस पेराई के कारण 15 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हुआ है । मान्यवर, यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 1.75 लाख टन अधिक है । यह वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । पिछले वर्ष जो पेराई प्रति दिन होती थी वह 90-91 में 1,79,992 मी० टन थी और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से यह प्रतिदिन 2,14,991 मी० टन हो गयी है । हमारे माननीय गन्ना विकास मंत्री जी इसके लिये बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, चीनी मिलों की सुदृढ़ स्थिति और गन्ने की उपलब्धता के कारण इस वर्ष गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ है । मान्यवर, 90-91 में 29.77 लाख मी० टन उत्पादन हुआ था और इस वर्ष 91-92 में 32.87 लाख मी० टन उत्पादन हुआ । पिछले वर्ष की अपेक्षा 3.01 लाख मी० टन गन्ना का अधिक उत्पादन हुआ । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस वर्ष गन्ने का सर्वाधिक मूल्य दिया है । उसने देर से पकने वाले गन्ने का मूल्य 44 रुपया प्रति कुन्तल तथा जल्दी पकने वाले गन्ने का 48 रुपया प्रति कुन्तल का मूल्य दिया है इससे 30 लाख किसानों को 251 करोड़ रुपया अधिक मिला है । मान्यवर, इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है । आठवीं योजना में प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को 50 नई चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है तथा 76 चीनी मिलों का नवीनीकरण कर पेराई क्षमता को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव भेजा है । गन्ना कृषकों को उनके खेत के नजदीक उर्वरक उपलब्ध हो सके इसके लिये 250 मी० टन के 70 गोदामों का तथा 100 मी० टन के 143 खाद गोदामों का निर्माण कराया गया है, खाण्डसारी की इकाइयों के लिये उदारतापूर्वक लाइसेंस दिये जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया समाप्त करें ।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात अवश्य कहूंगा । मैं बदायूं जनपद से आया हूं, वहां केवल एक ही चीनी मिल है और उसकी पेराई क्षमता बहुत कम है, जबकि वहां गन्ना बहुत अधिक होता है । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि उसकी पेराई क्षमता बढ़ाई जाय और वहां पर एक चीनी मिल का अवश्य निर्माण कराया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरिवंश सहाय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि शोध परिषद् से गन्ने का विकास हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी शोध परिषद् ने कोई ऐसी जाति विकसित नहीं की है, जिससे गन्ना किसानों को अधिक लाभ हो सके । हमारे जिले में गन्ना शोध केन्द्र, सेवरही है, वहां के गन्ना वैज्ञानिकों ने जो जाति विकसित की है, उसकी उपज कम है, जबकि हमारे पूरब में एक जाति बी० ओ०-91 है, जो प्रति एकड़ 300 से 400 क्विंटल का उत्पादन दे रहा है । मैं चाहूंगा कि शोध केन्द्र अध्ययन करे और कोई ऐसी प्रजाति विकसित करे, जिससे और अधिक उपज पैदा हो सके ।

मान्यवर, गन्ना अधिक पैदा हो या कम पैदा हो, आज इसका सवाल नहीं है । सवाल इस बात का है कि आज जो गन्ना खेतों में खड़ा है, वह गिरेगा कैसे, किसानों को परिचय कैसे मिलेंगी, तौल कैसे ठीक होगी, इस तरह की बड़ी भारी समस्या गन्ना किसानों के सामने खड़ी है । देवरिया जिले में इस वर्ष 800 कुन्तल गन्ना पैदा है और केवल 300 लाखं कुन्तल गन्ना अब तक पेरा गया है । अभी 500 लाख कुन्तल गन्ना पेरा जाना बाकी है, जबकि इन मिलों की क्षमता अधिक से अधिक अब केवल 100 लाख कुन्तल गन्ना और पेरने की है । इस प्रकार 400 लाख कुन्तल गन्ना खेतों में ही खड़ा रह जायेगी । मान्यवर, देवरिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है, हमारे जिले में पर्चियां 300 रुपये से 500 रुपये प्रति ट्राली बिक रही हैं । मान्यवर, हमारे देवरिया गोरखपुर तथा बस्ती में जो केन यूनियंस हैं वहां से 5 हजार रुपये महीना प्रति यूनियन लखनऊ आ रहा है, इसे कौन लोग ले रहे हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है । मैं 30 साल से राजनीति कर रहा हूं और इस विधान सभा में कई बार आया हूं । जिस तरह पर्ची की चोरबाजारी अब हो रही है, पिछले इतिहास में कभी नहीं हुयी है । मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण देना चाहता हूं । मा० स्वामी नाथ यादव एम० एल० ए० जी के क्षेत्र में एक इलाका है, मठदनपुर, वहां कुल 20 ट्राली हैं, जबकि वहां 100 ट्राली गन्ना अब तक गिरवाया जा चुका है, जबकि अभी तक केन यूनियन ने पर्ची तक नहीं दी है भटनी मिल में 100 ट्राली गिर चुका है । जबकि वास्तव में गन्ना किसानों का अभी गन्ना खेतों में ही खड़ा है, इस प्रकार चोरबाजारी व्यापक पैमाने पर हो रही है, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, एक बात और संज्ञान में लाना चाहता हूं । भारत सरकार गन्ना किसानों की सुख सुविधा के लिये चीनी निगम की मिलों को सहायता देती है और इसी के तहत 1989 में भटनी चीनी मिल को 23 लाख रुपया दिया गया था चीनी विकास निधि में केन्द्र सरकार ने टायर पम्पसेट लगाने व ट्यूबवेल लगाने के लिये पैसा दिया । यह मेरी निश्चित जानकारी है और सरकार की फाइलों मे भी वह है, 23 लाख रुपये बैरियर चेक द्वारा निकाल कर खा लिया गया, तत्कालीन मंत्री जी ने इसे जांच हेतु आदेश भी दिये थे । उसकी जांच रिपोर्ट भी आ गई । परन्तु आज तक उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । 1991-92 में 27 लाख रुपये केन्द्र सरकार ने और दिये, उसे भी खा लिया गया है । एक तरह से गन्ना विभाग में लूट मची हुई है । इस प्रकार की लूट पहले कभी नहीं हुई । आज यह आम चर्चा है कि इतनी ज्यादा पर्चियां बेची गई है । मैं मान्यवर, बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में भटनी व प्रतापपुर दो चीनी मिलें हैं । प्रतापपुर वाला तो सरकार की बात भी नहीं मानता है । माननीय मंत्री जी ने व अधिकारियों ने क्रय केन्द्रों पर जहां कांटा लगाने हेतु आदेश दिये, वहां पर उसने कांटा न लगाकर अन्यत्र लगाया । उसके ऊपर से वह एक ट्राली में 5 से 10 क्विंटल तक गन्ने की कटौती करता है । जो लोग प्राईवेट शुगर फैक्ट्री की बात करते हैं, में कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल ठीक नहीं है । प्राइवेट कम्पनी गन्ना काटकर अपनी तिजोरी भरते हैं । इस

तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए । हमारे इलाके में भटनी मिल ने भाटपार रानी यूनियन को 70 हजार रुमये पुल बनाने के लिये दिया परन्तु इस पैसे को भी बीच में ही चैक से निकाल कर खा लिया गया है और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अपने कार्य कलापों में सुधार करें । इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अखिलेश–

माननीय उपाध्यक्ष जी आपने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी के भाषण को मैं ध्यान से सुन रहा था । उन्होंने बताया कि 1990-91 की तुलना में 1991-92 में गन्ने की जोत बढ़ी । मैं उन्हें बताना चाहता हूं । कि जिस समय यह जोत बढ़ी, उस समय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी । क्योंकि उन्होंने गन्ने का मूल्य 33 रुपये से बढ़ाकर 42 रुपये कर दिया था, जिसके कारण किसानों ने अधिक गन्ना बोया । यही कारण था कि गन्ना उत्पादन भी बढ़ा । इसका श्रेय आप न लें । आपने अभी 4 रुपये गन्ना बढ़ाया है । आप यह भी देखें कि विगत 6 माह के समय में दो बार चीनी के मूल्य बढ़ाये गये हैं ।

मान्यवर, दो बार चीनी के मूल्य बढ़ाने पर गन्ने के दाम मात्र 4 रु० क्विंटल बढ़ाया गया उसमें भी क्रय केन्द्रों पर एक रुपया गन्ने के दाम घोषित मूल्य में से काट लिया गया है यह कार्य चीनी मिल मालिकों के दबाव में आकर हुआ है इन्होने किसानों की पीठ में छुरा भोंका है, उनके साथ विश्वासघात किया है । जब चीनी मिल मालिकों ने अपनी ढुलान व्यवस्था कर लिया, टेंडर आमंत्रित कर लिये तो बीच में ही एक रुपया कम करके किसानों के साथ नाइंसाफी की गयी है । यह कार्य चीनी मिल मालिकों के दबाव में आकर किया गया है । इसी तरह से इन्होंने कहा पिछले वर्ष की तुलना में मिलों की पेराई क्षमता बढ़ी है तो इस संदर्भ में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जब आपकी पेराई क्षमता पिछले साल की तुलना में बढ़ गई है तो क्या कारण है कि आज आधे से ज्यादा गन्ना आप देख लें गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, मऊ में खेतों में खड़ा है । क्या कारण है पेराई क्षमता बढ़ने के बाद भी बहुतायत में गन्ना पड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं आपके आंकड़ों में दोष है, भ्रम है या फिर सूचना गलत है ।

आपने कहा मिल मालिकों ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली । मैं कहना चाहता हूं हाई कोर्ट से याचिका वापस ले ली । मैं कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट से याचिका वापस आपके उनके सामने गिड़गिड़ाने पर ली । मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो एक रुपया किसानों का काटा है यह उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है ।

मैं अपने जिले महराजगंज के बारे में कहना चाहता हूं वहां एक घुघली चीनी मिल है उसके विस्तारीकरण का प्रस्ताव पिछली सरकार ने स्वीकार कर लिया था लेकिन उसके विस्तारीकरण की कोई कार्यवाही वर्तमान में नहीं की जा रही है । घुघली चीनी मिल की हालत जर्जर हो चुकी है अगर उसका विस्तार नहीं किया गया तो अगले साल वह मिल नहीं चलेगी । मैं आपका ध्यान गणेश शुगर मिल फरेंदा जनपद महराजगंज की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं वह नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के अधीन में चल रही है उसको राज्य सरकार प्रोत्साहन नहीं दे रही है, कोई सहायता नहीं दे रही है । अगर दो करोड़ रुपया कर्ज के रूप में मिल को उपलब्ध करा दिया जाय तो उसकी पिराई क्षमता बढ़ जायेगी । और चीनी का उत्पादन भी बढ़ जायेगा ।

इसके साथ हीं साथ मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश गन्ना बाहुल्य इलाका है जब तक वहां की जर्जर मिलों की हालत को सुधारा नहीं जायेगा, उनका पुनर्निर्माण नहीं कराया जायेगा तब तक

किसानों के गन्ने की सही ढंग से पेराई नहीं हो सकती है । गन्ना पर्चियों में इस तरह से धांधली हो रही है कि गन्ना किसानों में नये माफिया वर्ग पैदा हो गये जो किसानों से कम दाम पर गन्ना अपने नाम पर लेकर सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से पर्चियां प्राप्त कर निर्धारित मूल्य पर मिलों को गन्ना बेच रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री अखिलेश–

इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं गन्ना मंत्री जी के क्षेत्र बलरामपुर में इसी कारण पी० ए० सी० लगानी पड़ी । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सोमांश प्रकाश जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं सब को मौका मिलेगा, मैंने बृजराज त्रिपाठी जी को अनुमति दे दी है ।

श्री बृजराज त्रिपाठी–

मान्यवर, चीनी उद्योग और गन्ना विकास के मार्ग में जिस प्रकार पहले बाधायें आती थीं उनको हमारी सरकार ने दूर करके हमारे गन्ना मंत्री जी ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है वह बहुत ही उत्साहबर्धक है । वास्तव में जो गन्ना विकास और चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये बजट पेश किया गया है सराहनीय है ।

9 चीनी मिलों का सुदृढ़ीकरण करने के लिये उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिये इस बजट में व्यवस्था की गई है । जिसके कारण पेराई क्षमता बढ़ेगी और किसानों का अधिक से अधिक गन्ना पेराई के लिये जायेगा । मैं माननीय गन्ना मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुए दो-एक सुझाव देना चाहता हूं । मेरे जनपद बहराइच में एक चीनी मिल चिलवरिया में स्थापित करने की बात है । इसका निर्माण 28.80 करोड़ रुपये से होना है । दो तीन वर्ष हुए इसके लिये स्वीकृति मिल गई थी । इसके लिये जमीन 125 एकड़ खरीदी जा चुकी है । किन्तु इस बजट में इसके लिए कहीं प्राविधान किया गया नहीं दिखता है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा और मांग करूंगा कि इस चीनी मिल को अविलम्ब बनवाने की व्यवस्था करें । मेरे क्षेत्र के और पूरे बहराइच जनपद के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है । उनका गन्ना अभी तक खेतों में खड़ा हुआ है, पेराई नहीं की जा सकी है । मेरा निवेदन है कि गन्ने की पेराई के लिये किसान सहकारी चीनी मिल का निर्माण कराके मार्ग प्रशस्त करेंगे ।

हमारे सोमांश प्रकाश जी ने अभी कहा था कि सहकारी चीनी मिलों को नौकरशाही से मुक्ति दिलाने के लिये संचालक मंडल का गठन किया जाना चाहिए । जब तक इन संचालक मण्डलों का गठन नहीं हो जाता तब तक सामाजिक कार्यकर्ताओं में से किसी को प्रशासक के पद पर नियुक्त करके अगर इस तरफ ध्यान दिया जायेगा तो प्रजातांत्रिक प्रणाली के माध्यम से इस बुराई को दूर किया जा सकता है । श्रावस्ती सहकारी चीनी मिल लगाकर प्लान्ट में एक आसवनी लगाई गई है, जिससे जहरीला पानी निकलता है, उससे सरजू नदी का जल खराब हो गया है । मेरा निवेदन है कि इससे जो प्रदूषण उत्पन्न हो गया उसे समाप्त करने का प्रयास तत्काल मा० मंत्री जी करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गन्ना मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

श्रीमन्, मैं माननीय सोमांश प्रकाश द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय गन्ना मंत्री जी ने बड़े गर्व से, बड़े घमंड से तमाम बातें कहीं, कई उपलब्धियां बताई। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह उपलब्धि क्यों नहीं बताई कि सहकारी चीनी मिलों की चीनी प्रोडक्शन कास्ट प्राइवेट चीनी मिलों से अधिक क्यों है ? श्रीमन्, यह उपलब्धि नहीं बताई कि आने वाले समय में किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया का भुगतान कैसे करेंगे ? इनके पास धन नहीं होगा तो कैसे करेंगे ? आपने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा गत वर्ष गन्ने की पेराई अधिक हो जायेगी। बड़े घमण्ड से कहा है, ऐसा लगता था जैसे माननीय मंत्री जी खुद ही गन्ना पेर रहे हों। मान्यवर,यह समझने की कोशिश नहीं की कि चीनी मिलों की खपत बढ़ी है और खपत बढ़ने के कारण चीनी की क्रसिंग अधिक हुई। श्रीमन्, अभी 4 रुपये क्विंटल की बात कही गई। श्रीमन्, इस बार बी० जे० पी० सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों का स्वाभिमान पूंजीपति मिल मालिकों के सामने गिरा दिया। उनके घुटने टिकवा दिये। पहले कभी चीनी मिल वालों ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि गन्ने के मूल्य के खिलाफ वह हाई कोर्ट चले जायें। गन्ने के मूल्य के कारण प्राइवेट चीनी मिलों ने इतनी हिम्मत की। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किसानों को अपने घुटने टेकने पड़े मिल मालिकों के आगे।

मान्यवर, यह इस सरकार का काम है। अगर किसान या उसके प्रतिनिधि ऐसा करते तो कोई बात थी। आपने गन्ने पर एक रुपये बढ़वाकर कमीशन का पैसा काटकर तब आप 4 रुपये देने की बात करते हैं। श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि गन्ना मूल्य के भुगतान में शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने में वह पीछे नहीं रहेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि केवल जनपद लखीमपुर खीरी में 31 मार्च तक 32 करोड़ 37 लाख रुपये बाकी रह गया है।

किसी भी चीनी मिल के खिलाफ माननीय मंत्री जी ने आर० पी० जारी नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, अभी तो शुरू किया है। गन्ने की पालिसी गन्ना विभाग ने निर्धारित की तो गन्ना मंत्री जी ने उसमें दखल अंदाजी कर दी।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

इन्होंने बड़े घंमड से सब कह दिया है। मान्यवर, पूरनपुर, पीलीभीत और बिजनौर में कोई कार्य नहीं हुआ है और हाउस को यह गुमराह कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मुन्ना जी, बैठ जायं।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

अगर बिठाल रहे हैं तो बोलने का मौका क्यों दिया चीनी मिल जो चल रही हैं उनको समय से चलना चाहिए समय से बन्द होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को अवसर मिलना है । इसका मतलब यह नहीं कि निर्वेन्द्र जी को ही ज्यादा बुलवा दूं ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, लखीमपुर खीरी में 99 प्रतिशत भूमि पर गन्ना होता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं मैं कुछ नहीं सुनूंगा ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं मंत्री जी को आइने में चेहरा दिखा दूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप मंत्री जी के आइने में चेहरा देख लें और मंत्री जी को अपने आइने में चेहरा दिखा दें ।

(व्यवधान)

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना विकास विभाग के बजट पर बोलने का अव.ार दिया । इसके साथ ही मैं माननीय सोमांश प्रकाश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बल देता हूं । मैं माननीय मंत्री जी का भाषण बड़ी गंभीरता से सुन रहा था । इन्होंने कहा कि हमारी भा० ज० पा० सरकार के आने के बाद उत्पादन में वृद्धि हुयी, गन्ना का विकास हुआ । आपको श्रीमन् पता होगा कि गन्ने की फसल एक वर्ष में तैयार होती है । अभी इस सरकार को आये एक वर्ष नहीं हुआ है इन्होंने गन्ने का विकास कैसे कर दिया । यह जो गन्ने का अधिक उत्पादन हुआ है यह पहले की सरकार के प्रयासों का फल है । आपका कोई योगदान नहीं है । आपने कहा कि हमने भुगतान करा दिया है, चीनी का उत्पादन बढ़ाया है, गन्ने का उत्पादन बढ़ाया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस भा० ज० पा० सरकार के जमाने में केवल एक चीज बढ़ी है वह है भ्रष्टाचार । आज गन्ना विकास विभाग में जो भ्रष्टाचार है आज तक के इतिहास में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं था । देवरिया के विधायक बैठे हैं और दूसरे विधायक बैठे हैं, भा० ज० पा० के विधायक जब खड़े होंगे तो बोलना है क्योंकि नौकरी करनी है लेकिन वह भी जानते हैं कि गन्ने की क्या स्थिति आज प्रदेश में है ? गन्ना विकास विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है यह काम मा० हनुमंत सिंह ने जरूर करा दिया है । विकास पहले की सरकार की देन है और भ्रष्टाचार इस सरकार की देन है । मंत्री जी ने भुगतान की बात कहीं । नियम 51 में इनको वक्तव्य देने का निर्देश इसी विषय पर हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि घोसी चीनी मिल में 15 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गयी जिसमें से 4 लाख 77 हजार क्विंटल का भुगतान हुआ है । साढ़े 10 लाख क्विंटल गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया है । आपने कहा कि गन्ने का भाव 45 रुपये कर दिया है । यहां विधायक लोग बैठे हैं सब लोग गन्ना बोते हैं उनसे पूछ लीजिये 45 रुपये

कीमत कहीं नहीं मिल रही है । केवल जनता में भाषण दे दिया कि भाव बढ़ा दिया है । यहां के अधिकारी जो हैं आज आपसे त्रस्त हो गये हैं । मंत्री जी ने कहा कि सड़कों का निर्माण हो रहा है । मुझे सौभाग्य से दूसरी बार सदन में आने का मौका मिला है पिछली सरकार में गन्ना आयुक्त ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र नत्थूपुर में दुबारी से लेकर धर्मपुर सड़क पर पुल बनाने का गन्ना आयुक्त ने आदेश दिया था लेकिन आज तक एक ईंट नहीं लगायी गयी है । गन्ना विभाग ने एक भी सड़क नहीं बनायी है । मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं, जरा आप औसत चीनी का प्रतिशत देख लें । चीनी का निजी क्षेत्र में जो उत्पादन है वह 9.70 परसेंट है । श्रीमन्, निगम का 9.04 है और सहकारिता क्षेत्र में 9.06 परसेंट है । श्रीमन्, मेरा कहना है कि जितना प्राइवेट मिल मालिक है, उनकी रिकवरी का परसेंट 9.70 है । सहकारी संस्थाओं में रिकवरी कम है । इससे साफ जाहिर होता है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज जो हो रहा है कभी नहीं हुआ । इन शब्दों के साथ मैं सोमांश प्रकाश जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा ।

श्री नन्द किशोर मिश्र–

मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसने प्रदेश के 30 लाख गन्ना काश्तकारों के दुख दर्द को समझा है । सत्तासीन होते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई वर्षों का जो गन्ना मूल्य बकाया था उसका भुगतान किया । भुगतान ही नहीं किया, मान्यवर, गन्ना किसानों के लागत मूल्य के आधार पर गन्ना पेराई सत्र आरम्भ होने के पूर्व चार रुपये प्रति क्विंटल के दर से गन्ना वृद्धि की । इतना ही नहीं मान्यवर, गन्ना विभाग में जो पूर्ववर्ती सरकारों की प्रशासनिक अक्षमता के कारण भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको ठीक करने के क्रम में सट्टा नीति में व्यापक बदलाव लाए हैं । गन्ना सर्वेक्षण के कार्य जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार होता था, उसको ठीक करने का काम किया है ।

(इस समय 4 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए) गन्ना विभाग में राजस्व रिकार्ड नहीं होता था जिसके कारण कर्मचारी भ्रष्टाचार करने में सफल हो जाता था उसको भी मुहैय्या कराने का काम किया है । इतना ही नहीं मान्यवर, गन्ना विभाग जो प्रदेश की एक मात्र कैश क्राप से संबंधित है, उस नाते से निवेदन है कि उसके लिये जो पेमेंट और पेराई की दो समस्याएं होती थीं, उसको ठीक करने के लिये आदेश निष्पादित किये हैं । इस वर्ष चालू सत्र में जितनी पेराई हुई है, लगभग 998 करोड़ रुपये की पेराई हुई है, उसका 70 परसेंट भुगतान करने का काम किया है । इसके साथ ही मान्यवर, गन्ने की पेराई पूरे प्रदेश में एक अहम समस्या है । देवरिया जहां से मैं आता हूं प्रदेश का सर्वाधिक गन्ना पैदा होता है । इस सत्र में 600 लाख क्विंटल गन्ने की पैदावार की है । जिले की जो 14 चीनी मिलें हैं अब तक भारत सरकार को प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपया, चाहे परचेज टैक्स हो, चीनी टैक्स हो सकता है, मुलैसिस हो सकता है या सेल्स टैक्स हो सकता है 40 करोड़ रुपया देवरिया चीनी उद्योग से दे रहा है, लेकिन उन 14 चीनी मिलों की हालत, जो आजादी के पूर्व की है, जर्जर है । उनके विस्तारीकरण और नवीनीकरण का काम नहीं हो रहा है ।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल कर जनपद देवरिया जो प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना पैदा करता रहा है, तीन चीनी मिलों की स्थापना करावें और लाइसेंस की बात करें । इतना ही नहीं मान्यवर, प्रदेश के सभी जनपदों में सर्वाधिक गन्ने की पैदावार हमारे सेवरही और तरेगाम क्षेत्र में होती है । वहां एक ही जर्जर मिल है जिसकी क्षमता 20 लाख क्विंटल पेराई क्षमता की है । शेष गन्ना बिहार की चीनी मिलों को देते थे । लेकिन बिहार में अब इतनी पर्याप्त पैदावार हो रही है कि उत्तर प्रदेश के काश्तकार बिहार की चीनी मिलों को गन्ना नहीं दे पाते हैं । वे

गन्ना नहीं खरीदते हैं । आज स्थिति यह है कि सारी व्यवस्था ठीक होते हुए भी मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विभाग ठीक काम कर रहा है लेकिन पेराई की स्थिति खराब है और गन्ना खड़ा रह जायगा । इतना ही नहीं, गन्ना रिसर्च सेन्टर जो शोंध और संवर्धन का काम करता है, उसका एक केन्द्र सेवरही में स्थित है । उसके निदेशक के पद पर आज कोई नहीं है । मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि किसी विद्वान वैज्ञानिक को उसके पद पर बैठावें ताकि बीज संवर्धन का काम ठीक से हो सके । सांख्यिकीय परियोजना 1975 से प्रदेश में चलाई जा रही है । उसके राज्यीकरण की बात शासन में 1989 से लम्बित है, उसका सरकारीकरण मंत्री जी कराने की कृपा करें । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

धन्यवाद ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मैं माननीय सोमांश प्रकाश जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी के ऊपर कोई नुक्ताचीनी नहीं करूंगा । मैं कुछ सुझाव दूंगा । एक तो माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि आप अगर वाकई में चीनी मिलों को फायदे में चलाना चाहते हैं, तो यह जो आपके बिल्कुल पुराने ढंग के प्लांट ज्यादातर चीनी निगमों की 35 चीनी मिलों में लगे हुए हैं, इन प्लाटों से शुगर की रिकवरी केवल साढ़े 8 से पौने 9 प्रतिशत तक है, जबकि आधुनिक प्लांट पौने 12 प्रतिशत तक की रिकवरी देते हैं । तो इन प्लांट को बदल दिया जाय और इनकी जगह पर नये प्लांट लगाये जायं । आप चाहे जितना भाषण दें, जो दाम आप बढ़ाते जा रहे हैं, उनसे मिल को मुनाफा तभी हो पायेगा, जब ये आफ स्लीट प्लांट बदल दिये जायं । इनकी जगह नये प्लांट लगाये जायं और शकर बनाने के दौरान जो बाई प्रोडक्ट्स निकले, उनको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाय, तभी इंडस्ट्री फायदे में चल सकती है । आज आपने गन्ने के दाम तो बढ़ा दिये हैं, परन्तु जो मौजूदा स्थिति मिलों की है, उससे हमेशा चीनी मिल को नुकसान होगा तथा प्रदेश पर आर्थिक बोझ ही बना रहेगा । मेरी निजी जानकारी है कि जितने भी राजकीय निगम के प्लांट हैं, उनमें ज्यादातर प्लांट पुराने हैं और उनकी रिकवरी हद से हद साढ़े 8 प्रतिशत से पौने 9 प्रतिशत की है । मुश्किल तो यह है कि हम बात तो समझते नहीं हैं सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिये दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं ।

अभी आपने भाषण में कहा था कि जितनी सिक मिलें हैं, उसे आपने चालू कर दिया, यह अहंकार है । जरा यह बताइये कि जितनी सिक मिलें आपने चालू की हैं, क्या आज भी वह सिक नहीं हैं, बीमार नहीं हैं ? इससे तो आपने प्रदेश के ऊपर कुछ बोझ और बढ़ा दिया है । जितने भी बाई प्रोडक्ट्स चीनी उत्पादन के दौरान निकलें, उनको मिल के कैम्पस में ही यूनिट्स लगा कर उनसे दवाइयां, सीरा या दूसरे पदार्थ बनाये जायं, जिससे कि मिल को आर्थिक लाभ मिले । मेरे क्षेत्र में बुढ़वल शुगर मिल पड़ती है । यह राज्य चीनी निगम की इकाई है । माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसका विस्तार करने के लिए इसका उद्घाटन किया था तथा इरादा यह था कि बाराबंकी शुगर मिल और बुढ़वल शुगर मिल को मर्ज करके एक बहुत बड़ी शुगर मिल बना दी जाय, परन्तु इस सरकार के आते ही जितना मैटेरियल वहां गिराया गया था, वह सब उठा लिया गया । यह बदले की भावना से किया गया, जिससे प्रदेश में नुकसान हुआ है । मैं आपके संज्ञान में बुढ़वल शुगर मिल में हो रहे लेबर लाज के उल्लंघन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां के श्रमिकों के प्राविडेंट फंड की धनराशि उनकी तनख्वाह से काट ली गई परन्तु उसे उनके खाते में न जमा करके मिल के अधिकारियों ने खर्च कर

लिया है । इससे बड़ा और उल्लंघन श्रमिक लाज का और क्या हो सकता है ? कानून के हिसाब से धनराशि के काटने के 15 दिन के अन्दर कानपुर के दफ्तर में उतनी ही धनराशि और मिला कर उनके खाते में जमा होनी चाहिए थी ! साल भर से उनकी तनख्वाह से वह धनराशि काट तो ली गयी है, परन्तु खाते में न जमा करके अधिकारियों ने उसे खर्च कर लिया है । आप इसकी जांच करा कर, उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें । अन्त में मैं माननीय सोमांश प्रकाश जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री विजयपाल सिंह तोमर–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं गन्ना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और श्री सोमांश प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, यह सरकार कहती है कि वह किसानों की सरकार है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी किसान विरोधी सरकार इसके पहले कभी नहीं आयी है । इसने किसानों की समस्याओं को समझने का प्रयास नहीं किया है । यह सरकार तथ्यों पर परदा डाल रही है और इसका कथन वास्तविकता से परे है, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आयी है जो किसान विरोधी सरकार है, जो पूंजीपतियों और मिल मालिकों की रक्षक है । इसने मिल मालिकों के सामने घुटने टेक दिये हैं और किसानों को 300 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है और मिल मालिकों को 300 करोड़ का फायदा पहुंचाया है ।

मान्यवर, गन्ना के दामों के बारे में कहा गया है । मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने के दाम पिछली बार भी बढ़े थे, लेकिन किसानों पर उसका बोझ नहीं डाला गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने 4 रुपया प्रति कुन्तल बढ़ोत्तरी की है और साथ ही मिल मालिकों के सामने घुटने टेक दिये हैं और उनसे समझौता कर लिया है और गन्ना केन्द्रों से मिल तक गन्ने की ढुलाई में एक रुपया प्रति कुन्तल की बढ़ोत्तरी करके 100 करोड़ रुपये का किसानों का नुकसान पहुंचाया है और मिल मालिकों को फायदा पहुंचाया है ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त सरकार ने गन्ना समितियों को मिलने वाला कमीशन जो 5 प्रतिशत है, उसको समाप्त करके केवल 68 पैसे प्रति कुन्तल कर दिया है, जिससे गन्ना समितियों को 15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और मिल मालिकों को फायदा हुआ है, क्योंकि गन्ना समितियों का पैसा किसानों की सड़कों को बनाने में और गन्ना आपूर्ति करने के लिये सड़क बनाने में काम आता है, तो यह तो किसानों का नुकसान रहा है ।

मान्यवर, मिलों के परचेज ऐक्ट में अप्रत्याशित छूट दी है । चीनी कोष के लिए जो 2 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब अंशदान देते थे अब सरकार ने चीनी मिलों के इस मद में 65 पैसे प्रति कुन्तल कटौती करके छूट दी है इससे चीनी मिलों को सीधा-सीधा फायदा हुआ है और चीनी कोष में कम पैसा जाने से जो निगम की चीनी मिले थीं उनको नुकसान हुआ है । क्या यह पैसा निगम की चीनी मिलों के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण पर लगता था । इसके अलावा मान्यवर, पहली बार वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार की सबसे घिनौना खेल गन्ना समितियों ने खेला है उदाहरण के लिए गन्ना समिति सकौती एवं दोराला पर सैकड़ों पर्चियां जो एक नंबर की किसानों को दी गयी थीं उसी नंबर की विभिन्न तारीखों में दूसरे किसानों को दे दी गयी हैं । अन्य समितियों में भी इसी प्रकार काले कारनामे हुए हैं । वैसे तो

* वक्ता ने भाषण का पुनवक्षिण नहीं किया ।

मेरे पास सैकड़ों पर्चियों के उदाहरण हैं लेकिन मैं एक पर्ची का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मान्यवर, गन्ना समिति सकौती की पर्ची संख्या-10.301 श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री कदम सिंह के नाम दिनांक 16-3-92 को समिति से जारी की गयी और इसी नंबर की पर्ची जगदीश पुत्र श्री गौपी के नाम 22-3-92 को जारी कर दी गयी और मान्यवर, इन डुप्लीकेट जारी की गयी पर्चियों का भुगतान भी कर दिया गया है। जब कि वास्तविक पर्चियों का भुगतान करने में आनाकानी की जाती है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार की सब सीमाएं इस सरकार में टूट गयी हैं। समितियों के माध्यम से किसानों को मिलने वाली बीज उपकरण भी बन्द कर दिये गये हैं।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सकौती चीनी मिल की क्षमता 1500 मीट्रिक टन प्रतिदिन है उसको 2500 मीट्रिक टन प्रतिदिन करने के लिये केन्द्र से एन० ओ० सी० भी गतवर्ष मिल चुका था लेकिन उसका अभी तक विस्तारीकरण शुरू नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सकौती चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने का काम तुरन्त किया जाय तथा मेरठ में ही ग्रॉम मऊ खास में नई चीनी मिल स्थापित की जाय क्योंकि मेरठ गढ़मुक्तेश्वर तक कोई चीनी मिल नहीं है। मान्यवर, मैं अन्त में फिर यह बताना चाहता कि वर्तमान सरकार ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह किसान विरोधी सरकार है और वह उद्योगपतियों और मिलमालिकों के हाथ में खेल रही हैं क्योंकि किसानों को बकाये पर कोई ब्याज नहीं देते जबकि किसानों पर यदि सरकारी ऋण है तो उस पर ब्याज लग जाता है। मेरे ही क्षेत्र के दफ्तवाबी सेन्टर के गन्ने का भुगतान कई वर्ष से पड़ा हुआ है और भुगतान नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसानों को भी उसी दर पर गन्ने के बकाये पर ब्याज दिलाने की व्यवस्था की जाय जिस दर पर सरकार किसानों से अपने ऋण पर ब्याज लेती है तथा दफ्तवाबी सेन्टर का भुगतान शीघ्र कराया जाय।

मान्यवर, इस सरकार में यह देखने को मिला है गन्ना समितियों में किसान दूसरे किसानों की पर्चियां लेकर मिलों पर डाल देते हैं तथा उनका पेमेन्ट भी कर्मचारियों से मिलकर हो जाता है इस पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाय। अन्त में मैं माननीय सोमांश प्रकाश जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री श्रीनिवास–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। पहले तो मैं इस बजट पर गन्ना मंत्री जी को बधाई देता हूं इसलिये कि किसानों के तीन ही असली मुद्दे थे गन्ने के मूल्य का भुगतान दूसरा गन्ने के मूल्य में वृद्धि और तीसरा समय से पहले पेराई शुरू तो यह तीनों चीजें हमारी सरकार ने किया है। समय से पहले पेराई शुरू कर दी 31 अक्टूबर के अन्दर हमने सब पर्ची का भुगतान कर दिया और 4 रुपया कुन्तल बढ़ा भी दिया। मान्यवर, पिछले 45 वर्ष से किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया चाहे नये मिलों के लाइसेंस की बात हो, चाहे विस्तारीकरण की बात हो। मैं खास तौर से देवरिया जिले के बैतालपुर मिल के विस्तारीकरण का प्रस्ताव था उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं। 42 करोड़ जमीन उसके लिए प्रस्तावित भी हो गयी, वहां के लोग सहमत भी हैं मिल के बगल में 42 एकड़ जमीन है और 72 लाख रुपया जमीन का मुआवजा जमा भी हो गया है।

मान्यवर, मैं खासतौर से देवरिया जिले के बेतालपुर की चीनी मिल के लिये विस्तारीकरण की मांग कर रहा हूं। वहां पर 42 एकड़ जमीन भी मिल गई है और 72 लाख रुपया वहां के ट्रेजरी में जमा भी हो गया है लेकिन सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण सारा पैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया। पश्चिमी प्रदेश में कुल सात मिलें हैं उनमें से तीन का विस्तारीकरण कर दिया गया, मध्य क्षेत्र में सात में से तीन मिलों का विस्तारीकरण कर दिया गया। अमरोहा, चांदपुर और बिजनौर की मिलें 45 और 78 की बनी हुई है इनका विस्तारीकरण कर दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र में केवल खड्डा का विस्तारीकरण किया गया वहां पर 768 टन से 1250 टन किया गया। सिसवा बाजार में 900 से 925 तक विस्तारीकरण कर दिया गया है। देवरिया और बस्ती में 16 चीनी मिलें हैं जितनी मिलें वहां पर है

उतनी चीनी मिलें अन्य किसी जिले में नहीं है इसलिये मैं गन्ना मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनायें बल्कि हर क्षेत्र में बराबर-बराबर रुपया दिया जाय। विस्तारीकरण के लिये लाइसेंस की बात कही जाती है।

(इस समय 5 बजकर 17 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जबकि विस्तारीकरण के लिये लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है विस्तारीकरण तो केवल आप रुपया दीजिये और उन मिलों का विस्तारीकरण हो जायेगा। दूसरी बात है कि पूंजी के बंटवारे के बारे में सट्टा तैयार करने की गलत नीति है। किसान का साल भर का, दो साल का औसत निकाला जाता है किसी साल तीन साल का भी औसत निकाला जाता है लेकिन इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है कि जिस काश्तकार ने पिछले साल तीन बीघे बोया था उसने इस साल छः बीघा बोया। उसका सट्टा उसी तीन बीघे वाले औसत के हिसाब से कर दिया जाता है। इसलिये मान्यवर सट्टा बनाने की नीति को बदलना होगा। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो जो किसान परेशान होता है वह हमसे बताता है कि वह कितनी बार पर्ची के लिए दौड़ता है। तो मान्यवर, यह जो परेशानी है कि समय से गन्ना नहीं गिरता है। उससे समझिये की गन्ने की पैदावार आधी हो जाती है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री राणा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

राणा साहब आप ज्यादती कर रहे हैं और खड़े भी नहीं हो रहे हैं।

श्री मोहम्मद हसन–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गन्ने के बारे में गन्ना मंत्री जी की तकरीर को बड़े गौर से सुन रहा था।

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

जिस वक्त इंसान हकीकत से दूर भागता है, तो शायरी का सहारा लेता है। गन्ना मंत्री जी ने अपनी तकरीर में जगह-जगह शायरी का सहारा लिया। गन्ना मंत्री काश्तकार नहीं हैं तकरीर के समय उधर के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनकी तकरीर का स्वागत किया वे गन्ना बोते नहीं या गन्ने के खेतों में गये नहीं। आज सरकार की नीति है गन्ने के बारे में वह किसान विरोधी नीति है। मैं यह कहूंगा कि वे मिल मालिकों, ब्यूरोक्रेसी और सरकार–इन तीनों की मिलीभगत है, तीनों की साजिश है। जिससे किसानों का शोषण इस तरीके से हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना शोषण कभी नहीं हुआ।

मान्यवर, आज सबसे पहला सवाल कीमत का सवाल है, आपने यहां बड़े गर्व के साथ कहा कि हमने 4 रु० कीमत बढ़ा दिया है जैसाकि माननीय विजय पाल सिंह ने बताया कहीं ढुलाई पर, कहीं कमीशन में बढ़ा दिया, कहीं कुछ बढ़ा दिया इस तरह से करीब 6 रु० फी क्विंटल काश्तकार की जेब से निकाल लिया दाम बढ़े नहीं दाम घटे हैं। गन्ने के दाम का सवाल है, गन्ने की सप्लाई की बात है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में गन्ना बहुत ज्यादा तादाद में उगाया जाता है आधे से ज्यादा गन्ना काश्तकारों के खेतों में खड़ा हुआ है। क्रेशरों में शोषण उनका हो रहा है उनका वहां कोई सिफारिशी नहीं है। काश्तकार को मजबूर कर दिया जाता है कि इस कीमत पर गन्ना बेचे। 20 रु० फी क्विंटल क्रेशर वाले गन्ना काश्तकारों का खरीद लेते हैं उसमें 8 रु० ढुलाई, 6 रु० छिलाई पर चला जाता है इस तरह से

काश्तकार के पास सिर्फ 6 रु० बचते हैं। गन्ने की कीमत उसकी लागत के हिसाब से मुकर्रर कीजिये। उनके बकाये का भुगतान समय पर नहीं होता, उनके बकाये का समय पर भुगतान किया जाय। उनके बकाये पर इन्टरेस्ट नहीं मिलता है। जहां तक सवाल है भ्रष्टाचार का यह हाल है कि फर्जी पर्चियां बनायी जा रही हैं जो सरकार के मंजूरेनजर हैं, हमारे जिले में एक बी० जे० पी० के वर्कर हैं उनके पास 14 पर्चियां हैं, गन्ना कर्मचारी ने 214 कर दिया मेरे जिले में हंगामा हुआ। मेरे पास 1 पर्ची है, मैं गन्ना काश्तकार हूं, मेरे यहां एक हजार क्विंटल गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है। मेरे पास खाली एक पर्ची है अगर यह चीज विभाग गलत साबित कर दे तो जो सजा आप देना चाहेंगे मैं कबूल कर लूंगा। कांटों पर तुलाई जो है वह क़म की जा रही है जो वहां कांटे लग रहे हैं उसमें गन्ना कम तोला जाता है। मार्डनाइजेशन आप करते नहीं नयी मिलों को लगाते नहीं पुरानी मिलें सिसक रही हैं तो गन्ने की सप्लाई का क्या होगा यह कब तक चलेगा ? यह गन्ना जलेगा। गन्ना जो बोया गया उसका जो हश्र हो रहा है अगर यही हाल रहा तो अगले साल बोने के लिये कोई तैयार नहीं होगा। अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। कुशालपुर में जो उद्घाटन मिल का हुआ था शुगर फैक्ट्री का, जिसका उद्घाटन माननीय नारायण दत्त तिवारी तत्कालीन मुख्य मंत्री ने किया था उस मिल का क्या हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र में गया था मैंने वहां पत्थर देखा वह भी इत्तफाक से गन्ने के बोये हुए खेत में देखा पत्थर वहां हैं और कोई पुरसाहाल नहीं है। हमारे यहां पीडवी में एक मिल का जो मार्डनाइजेशन कर रहे हैं वह पहले होना चाहिए था, इस साल भी नहीं हुआ है और हम यह उम्मीद करते हैं कि वह अगले साल भी नहीं होगा। मान्यवर, इसी तरह से कहना चाहूंगा कि सहारनपुर की मिल बन्द होने जा रही है तो वहां पर कम से कम पांच मिल लगायी जायें आखिर में मैं माननीय सोमांश प्रकाश जी के प्रस्ताव पर बल देता हूं और उसकी हिमायत करता हूं।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। श्रीमन् गन्ना विकास विभाग की नीतियों के कारण व्यवहार में लायी जाने वाली कार्यशैली के कारण विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। विभाग की कार्यपद्धति मूलतः चीनी मिल मालिको के हित की ज्यादा है किसानों के हित की कम। प्रदेश में गन्ना किसानों को पर्याप्त सुविधायें न मिल पाने के कारण गन्ना उत्पाद के क्षेत्र में विकास को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। विभागीय परिव्यय प्रत्येक वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्य मनमानी पूर्ण ढंग से करते हुए राजस्व की क्षति करना। शासन द्वारा व्ययों का मानकीकरण न किये जाने से तथा प्रभावी लेखा परीक्षण न कराये जाने से अपव्ययों पर अंकुश न लगाकर बढ़ते जाना। मान्यवर, किसानों के हित को ध्यान में रखकर उ० प्र० चीनी मिल संघ की स्थापना सरकार द्वारा की गयी जिसका अध्यक्ष व प्रशासक प्रमुख सचिव गन्ना विकास चीनी उद्योग होता है। ऐसा सरकार ने इसलिये किया कि संस्था को मनमानी और अपव्ययों से बचाया जा सके पर व्यवहार में इसका उलटा हुआ। वित्तीय वर्ष 1991-92 के मई जून माह में मुख्य सचिव गन्ना विकास के ही नेतृत्व में कुछ शीर्षथ लोगों की टीम गन्ने की आधुनिक तकनीक जानने के इरादे से योरोपीय देशों का भ्रमण करने गयी थीं। मजे की बात तो यह है कि जिन देशों में वह गयी थीं न तो वहां गन्ना पैदा होता

है और न हीं चीनी मिलें हैं तो यह उच्च स्तरीय शिष्ट मण्डल कौन सी जानकारी कर रहा था। वास्तविकता यह है कि इसी बहाने लोग मौज-मस्ती मार रहे थे। गन्ना किसानों के हित में गांवों में मार्ग सुधार/निर्माण कार्य पुलिया निर्माण, मिट्टी कार्य कराने आदि के लिये भी बजट दिया जाता हैं पर इसका सही उपयोग नहीं हो पाता है और यह मात्र कागजों तक ही सीमित रहता है। मान्यवर, सहकारी गन्ना समितियों द्वारा किसानों को गन्ना विक्रय करने के लिये पैदावार का आंकलन करके सट्टा दिया जाता है और इन्हीं सट्टों पर दर्शायी गयी मात्रा के अनुपात में किसानों को अपना गन्ना मिल को विक्रय करने के लिये पर्ची मिलती है किन्तु इसमें भी हेरा फेरी हो रही है जिससे किसानों में आक्रोश है। गन्ने के दाम को लेकर जो स्थिति चल रही है वह आपसे छिपी नहीं है इसमें मिल मालिक मनमानी कर रहे हैं जब सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ा दिया और किसान मांग करने लगे तो भी वह उन्हीं पुरानी दरों पर गन्ना खरीद रहे हैं, उसका शोषण हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

अन्त में मान्यवर, मैं माननीय सोमांश प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, बड़े चुभते से वाक्य अभी बोले गये कि सत्ता पक्ष के विधायकों को तो नौकरी करनी है वह तो सरकार के पक्ष में बोलेंगे ही। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक लम्बे वर्षों के बाद सदन का यह रूप भा० ज० पा० की सरकार ने बनाया है वरना पहले तो मात्र 5 मिनट में ही सारा बजट पास हो जाता था। आज इस पर तीन-तीन, चार-चार घंटे बहस होती है और बड़ी गम्भीरता पूर्वक इस पर बहस होती है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि जो 9 मिलों का विस्तारीकरण किया है घोसी में डिस्टलरी को बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, मैं अपने शासन को बधाई देना चाहूंगा। इन्हें गन्ने के क्षेत्र में क्या चाहिए, गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया, जो इनका इतना लम्बा बकाये का पाप था, इस सरकार ने उनका भी भुगतान कराया और पिछले वर्ष की तुलना में 42.22 लाख कुन्टल गन्ने का उत्पादन बढ़ाया, चीनी उत्पादन में भी पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस प्रकार हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। आज यह पर्ची की बात करते हैं। आज से इस वैज्ञानिक युग में हमारी सरकार ने कम्प्यूटरीकरण गन्ने के क्षेत्र में भी शुरू किया है। 15 जगहों पर यह व्यवस्था शुरू हो गयी है और अन्य स्थानों पर शीघ्र ही इसको लगाया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, दो मिनट का मौका दे दें।

(विरोध पक्ष की ओर से कुछ टोकाटोकी करने पर)

मान्यवर, यह लोग सदन के अन्दर शून्य प्रहर के शेर हैं। आज यह स्थिति है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, वित्तीय अनुशासन की बात हो, राजस्व विभाग की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो और चाहे गन्ने के क्षेत्र की बात हो, सभी में इस शासन ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं। विपक्ष के सामने

अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इनको केवल हाय बाबर और अयोध्या जाऊं याद रह गया है । इस सरकार ने गन्ने के क्षेत्र में जबरदस्त चमत्कारिक काम किया है । मैं माननीय मंत्री जी को और उनके साथ सभी जुड़े लोगों को बधाई देता हूं और बजट अनुदान का समर्थन करते हुए यह आशा करता हूं कि नन्दगंज चीनी मिल की पेराई क्षमता दुगुनी की जायेगी और कोलापुर में एक नई चीनी मिल की स्थापना की जायेगी । हमारे क्षेत्र से 8-8 बार पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, लेकिन विकास के नाम पर धेला भी नहीं है । अतः मानक के अनुसार कोलापुर वाराणसी का स्थान उपयुक्त है अतः वहां चीनी मिल स्थापित करने का सुझाव देता हूं । इसी के साथ मैं बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

श्री दल सिंगार–

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने के लिये अवसर दिया, मैं इसके लिये आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि जब से यह सरकार आयी है, तब से इन्होंने किसानों को बहुत लाभ पहुंचाया, बहुत काम किया है । मान्यवर, आज सारे प्रदेश में गन्ना किसानों की गन्ना खेत में खड़ी है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन मंत्री जी को जो सरकारी अधिकारियों ने आंकड़े लिखकर दे दिया, उसको उन्होंने पढ़ लिया और ऊपर से सत्ता पक्ष के लोग बड़ी तारीफ करते हैं । मान्यवर, मैं पूरब की कुछ समस्याओं को बताना चाहता हूं । मऊ में घोसी चीनी मिल है, माननीय मंत्री जी वहां जाते भी हैं, उस चीनी मिल का एक सेन्टर है मकनहा फैजाबाद में । वर्ष 1991-92 में आज तक वहां एक भी पैसा गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया है और बार-बार वहां के किसान गन्ना मिल मैनेजर के पास जाते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं कि उन गरीब किसानों का आज तक बकाये का धन क्यों नहीं दिया गया है ? मैं चाहूंगा कि उन किसानों का जल्दी से जल्दी बकाये का भुगतान कराया जाय । मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूं, वह क्षेत्र घाघरा नदी के किनारे सगड़ी तहसील में पड़ता है, वहां किसान जो गन्ना पैदा करता है उससे चीनी ज्यादा मिलती है, लेकिन आज तक उन किसानों का गन्ना खेत में ही खड़ा है अभी भी चीनी मिलों पर किसान दौड़ता है और परेशान होता है । उनका गन्ना कब तक पेरा जायेगा, इसकी माननीय मंत्री जी ने कोई व्यवस्था नहीं की है । मैं चाहूंगा कि उनके गन्ने की पिराई की व्यवस्था करायी जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बाबूराम यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । जब मंत्री जी बजट रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में यह कवि हृदय है । कवि हृदय हमेशा कल्पनाओं और स्नेह में पलता है । मधुरता स्नेह का प्रतीक है परन्तु जब इस में गांठ पड़ जाती है तो तब मधुरता समाप्त हो जाती है । जहां तक मुझे जानकारी है, माननीय मंत्री जी कृषक परिवार से सम्बन्धित हैं परन्तु जब से वह मंत्री बने हैं तब से उनका और कृषकों के बीच के रिश्ते में गांठ पड़ गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री बाबू राम जी अगर आप रमापति का नाम लेते रहोगे तो कहीं गन्ने का रस न सूख जाय ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, रहिमन देखे ऊख में जहां रसन की खान, जहां गांठ तहीं रस नही पाही प्रेम की हानि । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार के वजह से गन्ने की जोत बढ़ी । परन्तु उस समय यह भूल गये कि जब श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उस समय गन्ने का मूल्य 33 रुपये से 42 रुपये कर दिया गया था । इतनी ज्यादा बढ़ोत्तरी पहले कभी भी नहीं हुई । परन्तु इस समय 4 रुपये जो बढ़ाया गया है, लगता है कि इसे बढ़ाते समय माननीय मंत्री जी से पूछा नहीं गया । 4 रुपये क्विंटल आपने जो बढ़ाया है, वह 4 पैसे प्रति किलो पड़ता है । अगर आजकल किसी भिखारी को आप पांच पैसा दे दो तो वह उसे वापस कर देता है । इसलिये आप इस सत्र में गन्ने का दाम उसी रेसियों से बढ़ाओ, जिस रेसियो से पिछली सरकार ने बढ़ाया, तो तब किसान आपका एहसान मानेंगे । अब चीनी के दाम दो बार आपके बढ़े, इसलिये गन्ने के दाम भी दो बार बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । अब पेराई की बात कही गयी । 1977 में जब आप और हम सत्ता में थे, तब से आज तक यह पहला काला वर्ष है जब 10 से लेकर 15 प्रतिशत गन्ना खेतों में जलाया जायेगा । यह किसान विरोधी सरकार है । अब ऐसी स्थिति में अगले वर्ष गन्ना किसान सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा । जब तक आप भुगतान व पेराई को सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक गन्ना किसान का हित नहीं होगा । जिस दिन आप इस महान आसन पर बैठे हैं, उस दिन आपको संकल्प लेना चाहिए था कि प्रदेश में चीनी मिलें कम हैं, हम इनकी संख्या को बढ़ायेंगे । आपने पहली बार बजट रखा था, आपको किसी चीनी मिल की अवस्थापना की घोषणा तो करनी ही चाहिए थी । मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी और इटावा ये ऐसे जिले हैं, जिनकी भूमि बहुत उपजाऊ है । लेकिन यहां पर चीनी मिलें नहीं हैं । पेराई न होने के कारण किसान गन्ना नहीं बोते हैं । मैनपुरी में एक चीनी मिल की अवस्थापना हेतु भारत सरकार से लाइसेन्स मिल गया था, परन्तु आज तक वह स्थापित नहीं की गई । इटावा में पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने एक चीनी मिल का शिलान्यास किया था, परन्तु अब वह भी पता नहीं कहां गया । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो ये बीच के जिले हैं, जिनका नाम मैं ले चुका हूं, खासकर मैनपुरी व इटावा में चीनी मिल की स्थापना करने पर आप विचार करें ।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार के संबंध में एक नई बात आयी है । इस सदन में पर्ची पर भ्रष्टाचार की बात आयी थी । माननीय मंत्री जी इस पर्ची पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको समाप्त करने के लिये आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और जो लोग इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री मामचन्द्र–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । विपक्ष के लोग चिल्लाकर कहते हैं कि किसान विरोधी सरकार है । अगर गौर से देखा जाय तो विपक्ष के लोग ही इसके लिये जिम्मेदार हैं । 40 साल में किसानों का जो शोषण हुआ है, उसे 10 महीने में कैसे सुधारा जा सकता है । इस छोटे से अल्प समय में माननीय मंत्री जी ने जो सुधार किया है, वह बहुत बड़ी उपलब्धि है । 4 रुपये गन्ने का दाम बढ़ाकर 31 लाख किसानों को 151 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है । इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । यदि गन्ने के उत्पादन को देखा जाय तो पिछले वर्ष लगभग 23 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ था,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो अब बढ़कर 25.16 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो कि 2.7 लाख मीट्रिक टन अधिक है । इसके लिये भी मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं । यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है । मुझे एक कहावत याद आ रही है । एक दफा ऐसा हुआ कि एक जंगल में सभा हुई और बन्दर को जंगल का राजा घोषित कर दिया गया । बन्दर को राजा बनाने में सियार का सबसे बड़ा हाथ था । इस पर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह सियार के बिल पर बैठ गया । जब सियार ने शेर को अपने बिल के पास बैठा देखा तो वह बन्दर के पास पहुंचा और कहने लगा, राजाजी शेर ने मेरे बिल पर हमला कर दिया है । वहीं पर एक पेड़ था । बन्दर उस पेड़ में ऊपर-नीचे चढ़ने लगा । इस पर सियार ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं ? तो इस पर उसने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि यह भाग जाय, परन्तु भाग नहीं रहा है । ऐसी स्थिति पिछली सरकारों की रही है । नये मिलों को लगाने व विस्तारीकरण की बात कही गयी है । आज हर कदम पर कृषक खुश हैं । आज कृषक गन्ने की पिराई से खुश हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह किसान विरोधी सरकार न होकर किसान समर्थक सरकार है । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने गन्ना विभाग का जो बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, आज गन्ना किसानों की जो दुर्दशा है ऐसी पहले कभी नहीं हुई इसको माननीय सदस्य चाहे उधर के हों या इधर के सब जानते हैं किसी से यह छिपी नहीं है । मान्यवर, गन्ना किसान के सामने आज पानी की समस्या है, उसके बकाये के गन्ना मूल्य के भुगतान की समस्या है, तौल की समस्या है खाद और बीज की समस्या है । इन समस्याओं के चलते कभी किसान अपने खेत में गन्ना जला देने का मन बना लेता है । लेकिन किसान गन्ना अगर न बोये तो उसके पास कोई दूसरी कैश क्राप नहीं है यह उसकी मजबूरी है उसकी इस मजबूरी का फायदा अधिकारी, मिल मालिक, सरकारी कर्मचारी उठा रहे हैं । अभी माननीय मंत्री जी नें कहा कि 106 मिलें हैं । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इन 106 में से कितनी चल रही हैं । मैं बताना चाहता हूं कि आधे से अधिक मिलें नहीं चल रही हैं । जो सहकारी या सरकारी चीनी मिलें वह घाटे में हैं । घाटे का साफ कारण है कि गन्ना मूल्य और चीनी के मूल्य में कोई सामंजस्य नहीं है । जब तक गन्ना मूल्य और चीनी के मूल्य में सामंजस्य नहीं होगा किसानों का कोई हित नहीं होगा ।

मान्यवर, मैं ज्यादा न कह कर 4.6 सुझाव देना चाहता हूं । किदवई फार्मूले की बात की जाती है, चाहे किदवई फार्मूला हो या कोई और फार्मूला हो, जिस तरह से इंडस्ट्रियल गुड्स के दाम बढ़ते हैं उसी अनुपात में गन्ने के दाम भी बढ़ने चाहिए । आपने 4 रुपया गन्ने के दाम बढ़ाये लेकिन मैं बताना चाहता हूं सन् 67 में जब चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने गन्ने के दाम 12 रु० से 16 रु० क्विंटल किया था । उस जमाने से आज 6 गुना दामों में वृद्धि हो गयी है लेकिन आपने 4 रु० बढ़ाया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय सोमांश प्रकाश जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री सुरेन्द्र सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे गन्ना के बजट पर माननीय सोमांश प्रकाश द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, गन्ना विकास के दो पाट हैं एक चीनी उद्योग और दूसरा गन्ना विकास। चीनी मिलों की जो हालत है चाहे सहकारी हों या निगम की मशीनों की उपयोग क्षमता क्या है इसको देखना होगा और जो प्राइवेट क्षेत्र की चीनी मिलें हैं उनकी उपयोग क्षमता क्या है ? निजी क्षेत्र की मिलों की क्षमता ज्यादा है और निगम या सहकारी मिलों की कम तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? जनरल मैनेजर या ऊपर के लोग यह आपको देखना होगा। इसके परते में काफी गिरावट आ रही है जब तक यह परता नहीं बढ़ेगा तब तक चीनी मिलों की स्थिति में सुधार नहीं आ सकता है क्योंकि 85 प्रतिशत ही उसको मिलता है 15 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट, सल्फर आदि में चला जाता है और जो बच जाता है वह गन्ना किसानों के भुगतान के लिये होता। गन्ने का जो मूल्य बढ़ा है उसका स्वागत है लेकिन किसान को उसका फायदा नहीं हो रहा है यह देखने की बात है, क्या किसान को उसके मूल्य का भुगतान हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो क्या कागज पर ही भुगतान हो जायेगा। उदाहरण के तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी मिल नहीं है जिस पर 2 करोड़ से 4 करोड़ तक का बकाया न हो। मैं नंदगंज गाजीपुर का उदाहरण देता हूं वहां 62 प्रतिशत अधिक किसान ऐसे हैं जो आधे हेक्टेयर से नीचे हैं उनकी स्थिति दयनीय है। उनका भुगतान जल्दी हो जाना चाहिए। यही नहीं क्रय केन्द्रों में पर्चियों में भेदभाव होता है। उनको भेदभाव तरीके से बांटा जाता है। गाजीपुर में टेबल सिस्टम लागू नहीं किया गया है, धारचौड़, ऊंचाडीह, मर्दा में किसान की पर्चियों में धांधली की गयी है। इसमें सुधार होना जरूरी है। हमारे यहां अमार में परचेज सेन्टर खोला जाय इसी तरह सुरजीपुर में भी परचेज सेन्टर खोला जाय। हमारे गाजीपुर में चीनी की रिकवरी 9 प्रतिशत से नीचे है इसलिये मिल घाटे में होती जा रही है।

गन्ने का कैसे विकास किया जाय इसके लिये सोचने की आवश्यकता है। इसके लिये अच्छे बीज, अधिक पानी और खाद बहुत जरूरी है। बीज निगम के जो चार सेंटर हैं उनको जिस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए वह डेवलप नहीं किये जा रहे हैं। सघन गन्ना विकास के अन्तर्गत चीनी मिल के 16 कि० मी० के अन्दर इस एरिया को लिया है, कोई गेट एरिया डेवलप नहीं किया गया है। जो इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है यह देखने की बात है कि उसकी उपयोग क्षमता क्या है, क्या गन्ना विकास के माध्यम से भूमि की उपयोग क्षमता बढ़ाने के बारे में व्यवस्था की गयी है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिये यह जरूरी है। जब गन्ना सीजन आता है तो नहरें बंद हो जाती हैं तो क्या उनके पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं जिससे सिंचन क्षमता बढ़ाई जा सके।

इसी तरीके से कैन डेवलपमेंट के लिये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं इसकी गुणवत्ता बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही साथ जो सहकारी समितियां हैं वह मनमाने ढंग से चल रही है। इनमें बहुत धांधलियां हैं इसके कारण सहकारी समितियां दिनों दिन घाटे में जा रही हैं इनसे किसान को वास्तविक रूप में फायदा नहीं मिल रहा है।

गन्ना शोध परिषद् इन्होंने बनायी है इसमें शक्कर निधि का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। अन्य प्रदेशों की तुलना में यहां शोध परिषद् में उतना कार्य नहीं हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है । कोयम्बटूर, तमिलनाडु की तुलना की जा रही है लेकिन उतना अच्छा कार्य नहीं हो रहा है । शाहजहांपुर में; देवरिया में या गाजीपुर में जो शोध संस्थान हैं उनकी स्थिति में सुधार होना चाहिए । आज जो गन्ना मंत्री जी का भाषण हुआ है उसमें इन बातों पर कम बल दिया गया है । आज किसानों के दिमाग में भय हो रहा है कि कहीं गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी ? अगर यह भय दूर नहीं हुआ तो अगले वर्ष वह कम उपज करेगा । इसलिये गन्ने का भुगतान जल्दी होना चाहिए ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, किसानों को गन्ने का मूल्य का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह किसानों को भुगतान जल्दी से जल्दी करवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह पहली बार मंत्री बने हैं, स्वयं किसान परिवार के व्यक्ति हैं, पहली बार यह बजट पेश किया है । कम से कम किसानों को गन्ने का भुगतान जल्दी से जल्दी करा दें । हमारे जनपद गाजीपुर में किसानों को भुगतान जल्दी करायें । मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सोमांश प्रकाश जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस बजट के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं उन्होंने बजट में यह जो प्राविधान किया है कि गन्ने के विकास के लिये वह 16,81,28,000 रुपये का यह पिछले वर्ष से 6,34,55,000 रुपये ज्यादा है । वह इस बात को परिलक्षित करता है कि माननीय मंत्री जी का इरादा गन्ना विकास क्षेत्र में क्या है । वह गन्ने की नई-नई किस्मों को किस प्रकार से विकसित करें, गन्ने की उपज बढ़ाने के लिये, चीनी उद्योग में वृद्धि के लिये पिछले वर्ष से दोगुना अधिक धन का प्राविधान करके इस बात को स्पष्ट किया है कि गन्ना मिलों का विकास किस तरह से करेंगे । माननीय मंत्री जी का उद्देश्य पुरानी मिलों के सुदृढ़ीकरण का और उन मिलों की क्षमता बढ़ाने का है । मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर चीनी मिलों की पेराई क्षमता 33 प्रतिशत है लेकिन यह क्षमता के लिये हमारी 10 महीने की सरकार दोषी नहीं है । उत्तर प्रदेश में 1,72,32,051 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि है । 1991-92 में 18 लाख 55 हजार हेक्टेयर भूमि पर गन्ना बोया गया । कुल कृषि भूमि के 10 प्रतिशत पर गन्ना बोया गया । लगभग 30 लाख परिवार इस गन्ने की फसल पर निर्भर करते हैं । इन तीस लाख परिवारों को हम तब तक न्याय नहीं दे सकते जब तक कि गन्ने की उचित कीमत हम नहीं देंगे । पूरे देश में जो गन्ना बोया जाता है वह 3287 हजार हेक्टेयर बोया जाता है । उत्तर प्रदेश में 18,55 हजार हेक्टेयर गन्ना बोया जाता है । यह पूरे देश का आधे से ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में बोया जाता है । पूरे देश में 414 मिलें हैं । उत्तर प्रदेश में कुल 106 मिलें हैं । मैं कहना चाहता हूं कि 44 साल के अन्दर जो इस प्रदेश को न्याय नहीं दे सके आज वह इस बात के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि गन्ने का उत्पादन क्षेत्रफल श्री मुलायम सिंह यादव की नीति के कारण बढ़ा लेकिन यह मिलों की कमी किस कारण हुई ? केन्द्र सरकार इसके लिये उत्तरदायी है । 50 मिलों की दरख्वास्त केन्द्र सरकार के

पास पड़ी हुई है लेकिन उनको लाइसेंस नहीं जारी किये गये । मैं कहना चाहता हूं कि अगर 50 मिलों को लाइसेंस जारी कर दिया जाय तो हम किसानों के गन्ने की अधिकतम पेराई कर सकते हैं । पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में 1951 में गन्ने का उत्पादन 259 लाख मीट्रिक टन था आज एक करोड़ 47 लाख मीट्रिक टन है । उस समय चीनी मिलें 68 थीं जो आज 106 हैं । उत्पादन चार गुना बढ़ा है और मिलों की संख्या दुगुनी भी नहीं हुई है । आज आठवीं पंचवर्षीय योजना है, मिलों को लाइसेंस नहीं मिलेगा तो किसानों का गन्ना खेतों में ही जलेगा । मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या का हल करना चाहते हैं तो एक मत होकर केन्द्र की सरकार को मजबूर करें कि वह उत्तर प्रदेश के अन्दर मिलों को लाइसेंस दें । मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने की उत्पादकता का श्रेय आप ले सकते हैं लेकिन इसका श्रेय माननीय मंत्री जी को क्यों नहीं मिलेगा, जिन्होंने 15 दिन बढ़ाकर तीन सौ लाख टन गन्ने की अतिरिक्त पेराई का प्राविधान किया है । इसका श्रेय उनको क्यों नहीं मिलेगा ? माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास के कारण इस वर्ष उत्तर प्रदेश के अन्दर 20.46 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त पेराई हुई है और 3.04 लाख मी० टन अधिक चीनी का उत्पादन हुआ है । इसका श्रेय मंत्री जी को देना पड़ेगा । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोआपरेटिव सोसाइटियां बनी हैं उस पर पुनर्विचार कर लें । 149 कोआपरेटिव सोसाइटियां उत्तर प्रदेश में हैं । 99 समितियों में 3651.96 लाख रु० का घाटा है । 50 समितियां जो हैं यहां 1314.18 मुनाफा है । इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, कोआपरेटिव सोसाइटियों में बहुत भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ बहुत भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं । मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के हितों का प्रयास होना चाहिए आप भ्रष्टाचार को समूल नष्ट कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कल मैं लाइब्रेरी गया था मैंने मार्च, 1991 का गन्ने का बजट भाषण उपलब्ध कराने के लिये कहा, तो वहां एक कर्मचारी ने कहा कि पिछली सरकार के जमाने में गन्ने का बजट पेश ही नहीं हुआ था सारा बजट एक साथ पेश हो गया और यह लोग इतनी आलोचना करते हैं इनका तो गन्ने का बजट भाषण ही नहीं हुआ, अलग से कुछ हुआ ही नहीं । तो मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उनके प्रयास से ज्यादा पेराई हुई है । जो सेन्टर स्वीकार किये गये थे .....

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

वह सेन्टर स्थापित कराये जायेंगे इसको सुनिश्चित करने का कष्ट करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, आपने सोमांश प्रकाश जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । आप लाल बत्ती न जलायें मैं जल्दी खत्म कर दूंगा । देवरिया जनपद के लोग काफी चिन्तित हैं और देवरिया के लगभग सभी विधायक यहां बैठे हैं। मान्यवर, देवरिया में

8 सौ लाख कुन्टल गन्ना पैदा हुआ सरकार कह रही है कि 4 सौ लाख कुन्टल गन्ना हम पेर सकते हैं शेष 4 लाख कुन्तल गन्ना जलाया जायेगा । खेतों में गन्ना पड़ा है खेतों में गन्ना जल जायेगा अखबारों में भी बयान आ गये हैं । किसान हताश और परेशान हैं पूर्वांचल की घोर उपेक्षा हो रही है । जो 1992-93 का गन्ने का बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें पूर्वांचल के विकास के बारे में कुछ नहीं क़िया गया है । आप इस पुस्तिका के पेज 20 को देखें इसमें कहीं भी पूर्वांचल का जिक्र नहीं है । अगर मैं उन स्थानों के बारे में बताऊं तो आप कहेंगे कि पूरब और पश्चिम का भेद कर रहे हैं । पूर्वांचल को बिल्कुल नकारा गया है । पिछली सरकार में जिन लोगों ने बजट बनाया था उन्हीं लोगों ने इस बजट को भी बनाया है इसीलिये इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि अबकी ईद के मौके पर भी आपने चीनी नहीं बांटी है इसलिये यह किसान विरोधी तथा जनविरोधी सरकार है । गन्ना प्रजनन केन्द्र की बात आपने कही है, गेंदा सिंह प्रजनन संस्थान सेवरही पर कितना धन खर्च किया है और कितना धन आवंटित करना चाहिए, यह बतायें । भटनी चीनी शुगर कारपोरेशन की मिल है आप कहते हैं कि इसमें घाटा नहीं होगा । आप मेरी बात नोट कर लीजिये । इस मिल में प्रतिवर्ष एक करोड़ का घाटा होता है इस वर्ष भी इस मिल में घाटा होगा इसको रोका नहीं जा सकता है । यहां पर आपने मिलों के विस्तारीकरण की बात कही है । भटनी चीनी मिल का विस्तारीकरण सरकार नहीं कर रही है । वहां पर भूमि एक्वायर कर ली गयी है लेकिन आपके अधिकारी कहते हैं कि मामला हाईकोर्ट में लम्बित है । यदि आप उसका विस्तारीकरण करना चाहते हैं तो मैं जमीन दिलाने के लिये तैयार हूं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सोमांश प्रकाश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपने माननीय सोमांश प्रकाश के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । गन्ना मंत्री जी ने गन्ना बजट पर भाषण दिया है वह बहुत ही निराशाजनक है । बार-बार उन्होंने कहा है कि गन्ने का दाम बढ़ाया गया है लेकिन यह कहीं पर नहीं कहा कि चीनी के दाम बढ़ाये हैं । गन्ने का दाम जिस अनुपात में बढ़ा है उससे कई गुने ज्यादा चीनी का दाम बढ़ा है । चीनी कारखानों में पैदा होती है । कारखानों के मालिक पूंजीपति होते हैं । यह सरकार पूंजीपति परक है और किसान विरोधी है । शर्म आनी चाहिए कि पिछली सरकार की आलोचना करते हैं । मैं मैनपुरी जनपद के भोगांव विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं । वहां पर अरमं सराय में एक गन्ना क्रय केन्द्र था जिसको इस सरकार ने समाप्त कर दिया है । सन् 89 में भारत सरकार ने एक चीनी मिल का लाइसेंस स्वीकृत किया था लेकिन भा० ज० पा० की किसान विरोधी सरकार ने जो मैनपुरी का विकास नहीं चाहती है उस मिल को रोक दिया है । इस मिल को बनाया जाय । मैं समझता हूं कि गन्ना मंत्री जी ईमानदार व्यक्ति हैं लेकिन वह ऐसे वातावरण में फंस गये हैं कि मजबूर हैं । मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था लेकिन आप समय नहीं दे रहे हैं, आखिर में एक शेर कहना चाहता हूं :—

फूल तो दो दिन खिले और जाफिजां दिखला गये,
हसरत तो इन गुद्दों पर है जो बिन खिले मुरझा गये ।

श्री कृष्ण बीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मा० सोमांश प्रकाश जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा । मैं सोच रहा था कि महंगाई के जमाने में एक रुपये को बढ़ायेंगे, लेकिन इन्होंने पुरानी प्रथा रखी है । जैसा कि माननीय मंत्री जी के लिये कह रहे थे कि पुराने अधिकारियों द्वारा बनाये बजट को रखा गया है । मान्यवर, यह कह रहे थे कि सरकार ने कुछ नहीं

किया । मैं सिम्भावली शुगर मिल गाजियाबाद जनपद के आंकड़े दे रहा हूं जिससे महसूस होता है कि यह माननीय मंत्री जी द्वारा किये गये परिश्रम का फल है । पिछले वर्ष 72 लाख क्विंटल ग्रेजिंग हुई थी, इस साल 62 लाख क्विंटल ग्रेजिंग 31-3-92 तक हो चुकी है और अनुमान है कि 30 अप्रैल, तक 72 लाख और मई जून तक 92 लाख पेराई हो जायगी । मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहता, अपने दो तीन सुझाव रखूंगा । जो कारपोरेशन और सहकारी मिलें हैं उनमें एक जनप्रतिनिधि का बोर्ड बनवायें जिससे कि एक व्यक्ति एक अधिकारी का जो राज है वह समाप्त हो । दूसरी बात यह है कि गन्ना मिलें न तो इतनी जल्दी लग सकती हैं और न मिल के लिये केन्द्र सरकार इतनी जल्दी लाइसेंस दे सकती है, व्यवहारिक नहीं है, लेकिन जो वैक्यूम क्रेशर होते हैं जिनकी 8 परसेंट रिकवरी आती है, मेरा सुझाव है कि मा० मंत्री जी केन्द्र सरकार पर दबाव डाल कर उनका लाइसेंस दिलवायें जिससे कि छोटे किसानों के जिनका गन्ना मिल पर नहीं जाता उनके गन्ने की पूर्ति की व्यवस्था हो सके । मान्यवर, एक मुख्य समस्या हरियाणा बार्डर के ऊपर जहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी गन्ना जाना शुरू हो गया है चूंकि हरियाणा में गन्ना समाप्त हो गया है, काफी कम रह गया है । माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि हरियाणा सरकार पर गन्ने के हरियाणा में प्रवेश के प्रतिबन्ध को समाप्त करने के लिये दबाव डालें ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर का गन्ना जो हरियाणा राज्य में जा रहा था उस पर हरियाणा सरकार ने गन्ने को हरियाणा जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । जिससे प्रदेश के किसानों की वहां 40 रु० प्रति कुन्तल गन्ने का मूल्य मिल रहा था वह प्रदेश में अब 30 रु० प्रति कुन्तल मिल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, दो बातें कहना चाहता हूं एक तो मेरठ गढ़ रोड पर हमारे यहां एक चीनी मिल लगाई जाय और अगौसा चीनी मिल, जनपद बुलन्दशहर को जल्दी पूरा किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, माननीय गन्ना मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, विपक्ष के लोगों को आभास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 35 वर्षों से कम समय तक चलने वाली नहीं, इसलिये हर बात का विरोध करते हैं और जो बजट रखा गया है, जो भारतीय जनता पार्टी गांवों के लिये 60 परसेंट की बात करती है, उसके अनुरूप कार्य कर दिया है । मान्यवर, मुलायम सिंह जी ने गन्ने के दाम बढ़ा दिया कर्जा लेकर खाना जानते है देना नहीं जानते हैं गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया । लेकिन 66 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ा । मैं बताना चाहता हूं कि इतना गांव के विकास के लिये रखते । एक मिल में 35 करोड़ का खर्च आता है लेकिन जो लाइसेंस केन्द्र सरकार से प्राप्त होना चाहिए, वह केन्द्र सरकार जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थायित्व बढ़ता जा रहा है और पता है कि शीघ्र ही केन्द्र में आने वाली है इसलिये लाइसेंस दे रही है जिससे काश्तकारों का नुकसान हो रहा है । इसके साथ मैं माननीय मंत्री जी के बजट का स्वागत करता हूं और आग्रह करता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं कि देवरिया में तीन नयी चीनी मिलें लगायी जायं और पुरानी चीनी मिलों का जीर्णोद्धार किया जाय और गन्ना मूल्य का भुगतान कराकर किसान को राहत पहुंचायी जाय । कुछ चीनी मिलें आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं उन मिलों पर मैं चाहूंगा कि मंत्री जी कड़ाई करें । मान्यवर, पूरे गन्ना विभाग में नई नीतियां बनायी जायं, जिससे गन्ना काश्तकारों को राहत एवं गन्ना विभाग को लाभ पहुंच सके । मैं अन्त में माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव रखा है, उसके लिये उन्हें बार-बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

* श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि जो आपने माननीय सोमांश प्रकाश जी के कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने के लिये अवसर प्रदान किया । मेरा कहना है कि यह सरकार किसान विरोधी है, अगर ऐसा नहीं, तो हमारा जनपद गन्ना बाहुल्य जनपद है, वहां पर ब्लाक कांठ तथा मिर्जापुर कलान में एक-एक नई चीनी मिल लगवायें, वहीं पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुझे बड़ी उम्मीद हुई थी, जब केन कमिश्नर महोदय रिजर्वेशन के समय शाहजहांपुर गये हुए थे, तो वहां पर हम सब लोगों ने रौजा शुगर वर्क्स के अन्तर्गत क्रय केन्द्र इमिलिया आदि के खोलने हेतु कहा था, जिसके तहत इमिलिया सेन्टर को स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु यह पूंजीवादी सरकार होने के कारण इमिलिया सेन्टर को आज तक नहीं चलाया गया, जिससे किसानों का अहित हुआ और फैक्ट्री का चालान अधिकारियों के द्वारा एक बार भी नहीं किया गया है । वहीं पर यह भी बताना चाहूंगा कि तिलहर चीनी मिल के अन्दर विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार हुए, जिसमें एक स्क्रैप काण्ड, जिसमें लगभग 30 लाख का सरकार को और किसान की गाढ़ी कमाई से मात्र कुछ रुपये में, कुछ जी० एम०, पी० सी० जैन के रिश्तेदार मेसर्स सुधीर जैन, मेरठ को धन के लिये उठवा दिया गया । इसी प्रकार तिलहर मिल के सी० ए०, श्री गंगवार का स्थानान्तरण किया गया, परन्तु फिर पता नहीं किन कारणों से मंत्री जी ने रोक दिया । मेरी बात छोड़ दीजिये । इन सबका सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विरोध किया था । वहीं पर पोवायां चीनी मिल के अन्तर्गत जी० एम० श्री पाण्डेय जी के द्वारा मात्र डबल प्लांट की प्रत्याशा में कमीशनखोरी के कारण कई करोड़ का तालाब बनवा दिया । वहीं पर डबल प्लांट की प्रत्याशा में 3 गोदाम पहले से ही मौजूद थे, वहां पर 25 हजार बोरी चीनी सड़ रही है और दो गोदाम शुरू करवा दिये । वहीं पर नियुक्तियों में धांधलेबाजी की गयी, जिसकी शिकायत वहां के भा० ज० पा० विधायक के द्वारा कई बार की गयी, वहीं पर यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद शाहजहांपुर में गन्ना संस्थान के निदेशक डा० सुदामा प्रसाद सिह की तीन बार पुनर्नियुक्ति की जा चुकी है, जब कि तय यह हुआ था कि मासिक 5.500 रु० तनख्वाह मिलेगी, परन्तु उसके स्थान पर 8.700 रु० प्रति माह ड्रा कर रहे हैं जिससे 3.200 रु० प्रतिमाह सरकार का अवैध रूप से खर्च करा रहे हैं, वहीं पर यह भी बताना चाहता हूं कि वहां नवम्बर व दिसम्बर में पर्चियों पर खरीदे गये गन्ने की मिल गेट पर क्रमशः चीनी मिल हरगांव तथा गोला चीनी मिल का निरीक्षण सहायक चीनी आयुक्त, सीतापुर तथा एक उप चीनी आयुक्त, लखनऊ द्वारा पकड़ा गया, जिसमें प्रति ट्रक क्रमशः 13.78.41.76 कुंटल अधिक गन्ना चीनी मिल प्राप्त कर रही थी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि प्रति ट्रक इतना अधिक लिया गया पूरे सीजन का गन्ना मूल्य किसानों को दिलवायेंगे ? मुझे तो पता नहीं है नौकरशाही मंत्री जी पर सवार है या मंत्री नौकरशाही पर सवार हैं, जिसके कारण, इतने बड़े गबन और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है । इसी प्रकार तिलहर चीनी मिल के एस० डी० आई० श्री हरि किशन राय जिनके द्वारा लगभग 84 हजार का गबन किया गया, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी ने शासन को भेज दी है, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इससे बिल्कुल मुझे आभास होता है कि यह सरकार किसान विरोधी है । मैं इन शब्दों के साथ आभार व्यक्त करता हूं तथा माननीय सोमांश प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं ।

* श्री राम कुमार शुक्ल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और सोमांश प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं गांव का रहने वाला हूं और ऐसा नहीं है कि मुझे गन्ने के बारे में कुछ पता नहीं है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, लेकिन इसको गन्ना उद्योग नहीं बनाया गया। अगर इसको एक उद्योग बनाया गया होता तो न मालूम कितनी विदेशी मुद्रा आ गयी होती? आज पूरे के पूरे गन्ना की पेराई नहीं हो पाती है । इस बारे में केन्द्रीय सरकार की नीतियां भी दोषी हैं । जितना गन्ना पैदा होता है, उसकी पूरी क्षमता की चीनी मिलें लगनी चाहिए, तो बहुत सी विदेशी मुद्रा मिल सकती है और सारे किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है । तो यह बजट पक्ष और विपक्ष का नहीं है, सभी का है । इन शब्दों के साथ मैं गन्ना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री जटा शंकर सिंह–

मान्यवर, आपने गन्ना विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आयी है, उसने यह काम किया है कि किसानों का लम्बे समय से जो धन बकाया था, उसका भुगतान कराया है और गन्ने के 4 रुपये दाम बढ़ाये हैं और समय से पहले मिलों को चलाना प्रारम्भ कर दिया है, जिससे मिलों में गन्ने की पेराई अधिक हो सके, इसके लिये मैं मंत्री जी को साधुवाद देता हूं । मान्यवर, अभी बाबूराम यादव जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लेकिन दुख का विषय है कि वह अब नहीं रहे, एकदम से 20 रुपये गन्ने के दाम बढ़ा दिये थे, यह बात उनकी हमारी समझ में नहीं आयी । वह जिस सरकार के मंत्री थे, वह सरकार श्री राम जी के विरोध में सड़क और पुलों पर बड़ी-बड़ी दीवालें खड़ी करने में लगी रही, बसों को रोक कर और ट्रेनों को रोक कर और अयोध्या को तारों से घेर कर और बल्लियों से घेर कर रखने में लगी रही इसके अतिरिक्त उसने और कुछ नहीं किया । मान्यवर, शाक्य जी अभी बोलते हुए कह गये कि गन्ने का दाम बढ़ाया गया, यह कोई खास बात नहीं है । चीनी का दाम बढ़ाकर गलत किया । चीनी का दाम निर्धारण केन्द्र सरकार का विषय है, यह उन्हें ज्ञात होना चाहिए । मान्यवर, चीनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का बढ़ने का कष्ट मुंह में दांत न होने के कारण मा० शाक्य जी को होना मैं समझ सकता हूं। मान्यवर, एक मिनट और लूंगा। मैं अपने क्षेत्र के विषय में कहना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र नेपाल की सीमा में घुसा हुआ है और बहराइच के ऊपर है। उसमें नहरें निकाली गयी हैं, जिससे किसानों की बहुत जमीन चली गयी है। वहां पर गन्ना बहुतायत से पैदा होता है। मान्यवर, नहरों के कारण कृषि योग्य भूमि घट गयी है। देवरिया में 14-14 चीनी मिलें हैं, लेकिन हमारे जनपद में डेढ़ चीनी मिल है, एक नानपारा में है और दूसरी जरवल में है। जरवल की चीनी मिल नाम मात्र के लिये बहराइच में है, वह पूरा का पूरा गन्ना गोण्डा का पेरती है।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि माननीय मंत्री जी एक चीनी मिल मिट्टीपुरवा विकास खण्ड क्षेत्र जो हमारे नानपारा में पड़ती है वहां एक चीनी मिल स्थापित करने का एक सफल प्रयास करें। पिछली सरकारों में सभी चीनी मिलों में जहां पूरी-पूरी अव्यवस्था थी वह सफलतम मंत्री हनुमन्त सिंह और इस भाजपा सरकार ने दूर की, मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं और आपको समय देने के लिये हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री लक्ष्मेश्वर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया। मैं सोमांश प्रकाश द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। गन्ने का विषय ऐसा विषय है कि इस पर दलगत राजनीति से परे सोचने की बात है। सत्तापक्ष के सभी मेम्बरों को यह बता रहा हूं कि गन्ने की समस्यायें पूर्वी उत्तर प्रदेश में अति गम्भीर हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र बस्ती में ही तीन गन्ना मिलें हैं, बस्ती, वाल्टरगंज और मुण्डेरवा आज किसानों की स्थिति यह है कि लगभग 50 फीसदी गन्ना खेतों में पड़ा है। मंत्री जी स्वयं जाकर देख सकते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि ट्रैक्टर ट्राली के साथ एक पर्ची के लिये 700-800 रुपया किसानों को देना पड़ रहा है। गन्ना क्रय केन्द्रों पर तौलाई मनमाने ढंग से हो रही है। वहां के कर्मचारी कोई न कोई जुगाड़ करके एक ट्राली प्रतिदिन के हिसाब से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मुंडेरवा शुगर मिल के सुधार और आधुनिकीकरण के लिये पिछले साल 6 करोड़ रुपया आया था लेकिन चुनाव के समय वह रुपया बुलन्दशहर में चला गया। वहां के श्रमिकों और किसानों ने इसके लिये आन्दोलन किया था कि यह जो आधुनिकीकरण की मशीनें हैं, संयंत्र हैं यह बुलन्दशहर क्यों ले जायी जा रहे हैं। मान्यवर, मैं इसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे मुंडेरवा शुगर मिल के जो संयंत्र या अन्यत्र गये हैं उसको मुंडेरवा शुगर मिल में फिर वापस लाने की कृपा करें। बस्ती में प्रमुख समस्या पर्ची की है। मान्यवर, वहां का किसान यह नहीं चाहता हूं कि आप सिंचाई की खाद की व्यवस्था करायें, या पेड़ी से अधिक उत्पादन प्राप्त करे, वह एक ही चीज की मांग करता है कि सही समय पर पर्ची दिलाने का कष्ट करें। मैंने वहां के गन्ना विकास अंधिकारी से कहा कि महोदय, यह बता दीजिये मैं गन्ने का किसान हूं, मेरी पर्ची कब मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को मिलेगी लेकिन 23 जनवरी से आज तक मुझे केवल एक पर्ची मिल पायी है। मान्यवर, हम नहीं चाहते कि आप पर्ची दें लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गन्ना विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। आपने कितने गन्ना कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। आपने अपने बजट भाषण में कहीं पर यह नहीं बताया कि कितने गन्ना कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं माननीय मंत्री जी रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कभी गन्ना देखा हैं ? कहीं लखनऊ की चर्खी पर रस पेरते हुए देखा होगा । यह कहना जानते हैं कि हम किसान हम किसान । 11-48 कैसा होता है, सी० ओ० 64 कैसा होता है, गन्ना बीज से बोया जाता है कि गन्ना गन्ने से बोया जाता है, गन्ने की क्या मान्यता है यह जानते हैं बस हम किसान हम किसान खूब होता है, गन्ना नहीं देखा है गन्ना छीलकर बोया जाता है या उसेड़ कर बोया जाता है ये क्या जाने बस हाय गन्ना हाय गन्ना, हम किसान हम किसान । मान्यवर, मेरा एक सुझाव है मा० मंत्री जी के लिये कि गन्ने को जल्दी से पिरवाना शुरू करें और जल्दी से गन्ने का काम खत्म करें । क्योंकि जेठ मास में बहुत गर्मी पड़ती है जिससे किसान परेशान हो जाता है । गन्ना क्वार में शुरू कर दिया जाय जिससे किसान गेहूं की फसल बो सके । फागुन के बाद गन्ना रहना किसान के लिये काल बन जाता है अगर आप किसान होते तो जानते होते तो कहते सोमांश प्रकाश जी आपने ऐसी कोई बात क्यों नहीं कही । मान्यवर, दूसरा मेरा सुझाव है कि यह जो रोज यहां झगड़ा होता कि वहां इतना गन्ना पड़ा है, अभी कहा गया कि देवरिया और मुजफ्फरनगर में बहुत गन्ना खड़ा है तो सरकार को पहले ही नीति की घोषणा करना चाहिए क्योंकि किसान बड़ा चतुर है वह उतना ही गन्ना बेयेगा जितनी मिल की क्षमता है सही नीति न होने के कारण किसान बेचारा बहुत दुख पाता है इस लिये आप लोग किसानों को बहकाओ मत उतनी ही ऊख बुआओ जितनी मिलों में पेरने की क्षमता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो माननीय सदस्य विपक्ष में बैठे हैं उनको बुद्धि प्रदान करे ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, अभी हमारे मा० सदस्य सत्तापक्ष बड़ा अजीब सा और बेढंगा भाषण दे रहे थे । मान्यवर, यह लालाओं की सरकार है जिसका काम है राम-राम जपना पराया माल अपना । जब लालाओं के यहां कोई पैदा बच्चा होता है तो उसे डण्डी मारना सिखा देते हैं । मंत्री जी आप बहुत खुश हैं कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है । मान्यवर, मैं भी किसान हूं और जानता हूं कि गन्ने की खेती में क्या-क्या कठिनाइयां आती हैं कि 30 प्रतिशत गन्ना मिल वाले खरीदते हैं और 30 प्रतिशत क्रेशर वाले खरीदते हैं और 40 प्रतिशत का गुड़ बनाया जाता है । लेकिन उसके लिये सही पालिसी तय नहीं की जाती है कि किसका क्या मूल्य रहेगा ? यह सरकार किसान विरोधी है । शेर सुन लें :

जालिमों अपनी किस्मत पर नाजा है, दौर बदलेगा यह वक्त की बात है
वह यकीनन सुनेगा सदायें मेरी
क्या तुम्हारा खुदा है, हमारा नहीं ।

(व्यवधान)

राम भरोसे बैठकर सबका मुजरा लेंवे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कारागार राज्य मंत्री (श्री मन्नू लाल कुरील)–

कभी सर्दी कभी गर्मी यह भी कुदरत का नजारा है प्यासा यह भी रह जाता है दरिया का किनारा ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

इसमें कोई तुक नहीं मिली ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

कभी इस चिलमन से देखा कभी उस चिलमन से देखा ।

श्री मन्नू लाल कुरील–

समुद्र का किनारा नहीं होता कोई परवाना नहीं होता, फटे कपड़े पहन लेने से कोई दीवाना नहीं होता ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह जो नौटंकी हो रही है यह गलत है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अनुरोध है कि इस हाउस को नौटंकी घर न बनने दें यह हाउस है नौटंकीघर नहीं है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मैं यह कह रहा था कि सत्ता पक्ष के विधायक अधिकारियों को डरा धमका कर सेन्टरों पर किसानों का गन्ना नहीं जाने दे रहे हैं यह लम्बा चौड़ा कारोबार गन्ने का कर रहे हैं जिससे किसानों का उत्पीड़न हो रहा है । मान्यवर, गन्ना सहकारी समितियों तथा गन्ना की सहकारी परिषदों में आजकल जितना भ्रष्टाचार वयाप्त है उसकी मिसाल नहीं मिलती । मान्यवर, यह समितियां करोड़ों रुपये के घाटे में है किसानों का सही मायने में उत्पीड़न कर रही हैं । जब गन्ने के मूल्य का भुगतान लेने जाते हैं तो कमीशन लेते हैं । नये नये सट्टे कर लेते हैं जब पर्ची लगाते हैं तब पैसा लेते हैं गन्ना जिस दिन से किसान बोता है उसी दिन से सोचता है कि बिटिया की शादी करूंगा बच्चे की शादी करूंगा और जब यह समय आता है तो गन्ने का पैसा नहीं मिल पाता है किसान के गन्ने के पैसे का भुगतान कराया जाय । मुरादाबाद देहात में एक सेन्टर दलपतपुर (अ) है शुगर कारपोरेशन का बंद कर दिया गया है हर साल बंद कर दिया जाता है कहते हैं कि गन्ना उसका पूरा खरीद लिया गया । एक इंटीरियर में जगह है हमारे क्षेत्र मुरादाबाद (देहात में) धतूरा मेघा नगल तथा नब्बा नगला व मानपुर पट्टी महरू गांव बहुत इंटीरियर के रामपुर की तलेहटी कोसी पार के हैं जब यहां का किसान पेमेन्ट लेने मुरादाबाद जाता है वह घर नहीं पहुंच पाता है रास्ते में उसका मर्डर कर दिया जाता है । पैसा छीन लिया जाता है । मान्यवर, उस पर ध्यान देकर उसकी सही व्यवस्था की जाय । पेमेन्ट सेन्टर रामपुर मिल से कराया जाये ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यदा कदा हंसी के क्षेत्र आये सुखद होते हैं लेकिन यह लगातार होता जाय पराकाष्ठा पर पहुंच जाय तो अच्छा नहीं होता इससे विषय की गम्भीरता खत्म हो जाती है । मान्यवर इस 20 वीं सदी में इस देश नहीं दुनिया के पर्दे पर कोई भी राष्ट्र, कोई राष्ट्र का किसान केवल कृषि में खाद्यान्न पैदा करके जीवन यापन नहीं कर सकता है । दुनिया के पर्दे पर आज खाद्यान्न में गेहूं, चना, जौ, बाजरा बोकर किसान अपना जीवन यापन नहीं करता है इसलिये जितने भी प्रगतिशील मत आये हों उनका एक

मात्र मत था कि किसान को उसमें केश क्राप या व्यापारिक फसल उपलब्ध करायी जाय और मान्यवर, आज की तिथि में इस प्रदेश में एक व्यापारिक फसल है और वह गन्ना है । मान्यवर, बड़ी ही दुख का विषय है जब गन्ने जैसी गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही हो तब इस तरह की बातें हों । तो मैं यह कह रहा था कि केवल गन्ना ही एक ऐसी पैदावार है जो किसानों के लिये देय पूंजी है । मान्यबर, आप आंकड़े उठाकर देख लें जहां गन्ने का उत्पादन हुआ है वहीं पर आर्थिक प्रगति हुई है और वही जिला आर्थिक प्रगति में आगे निकला है और जहां पर गन्ने का उत्पादन कम हुआ है वह जिला अर्थिक प्रगति में हमेशा पीछे रहा । मान्यवर, मैं सिर्फ दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ गया है तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ गया है । गन्ने का क्षेत्रफल अगर बढ़ा है तो वह किसानों की वजह से आगे बढ़ा है, सरकार के द्वारा या अधिकारी या डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं बढ़ा है । मान्यवर, आज अगर गन्ने की किस्म बढ़ी है तो वह इनके द्वारा नहीं बढ़ायी गयी है बल्कि वह बढ़ी है तो वह उस वैज्ञानिक के द्वारा जो प्रयोगशाला में बैठा इसकी किस्म का विकास करता है । आज जो कीटनाशक दवाओं का विकास हुआ है तो वह डिपार्टमेंट या सरकार द्वारा नहीं किया गया है बल्कि उस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है जो अपनी प्रयोगशाला में बैठा इस विषय पर शोध करता है । अगर यह सब जबरदस्ती यह मान लें कि हमने इसको बढ़ाया है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है और न मुझे एतराज है । मान्यवर, यह जो नक्शा गन्ना विकास विभाग का हमें प्राप्त हुआ है उसमें अगर आप देखें तो आप यह पायेंगे कि हमारे एरिया में एक भी मिल नहीं है । उसमें कुछ हिस्सों में चीनी मिलें केन्द्रित की गयी हैं तो इसमें प्रदेश के विकास की कोई परिकल्पना नहीं दिखायी पड़ रही हैं । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आगरा में देख लें वहां पर सिर्फ एक मिल है, मथुरा में देख लें वहां पर भी एक ही मिल है, मैनपुरी में एक भी मिल नहीं है, इटावा में एक भी मिल नहीं है तो इस तरह से आंकड़े हैं । दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ने के उत्पादन से गन्ना विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं हैं । मैं तो यह कहता हूं कि गन्ना विभाग को ही समाप्त कर दिया जाये तो इससे किसानों का कल्याण हो सकता है और सीधी सहायता गन्ना किसानों को दी जाये तभी किसान का भला हो सकता है । आज किसान इतना समझदार हो चुका है, कौन सी किस्म अच्छी है वह अपने आप किस्में ढूंढ़ लेंगे, विभाग केवल अवरोध है, कहीं से विकास और उन्नयन में सहायक नहीं है । मान्यवर, जो सबसे बड़ी बात है, वह यह है कि 77-78 में जब हमारी पार्टी की सरकार थी, उस समय आप भी सहभागीदार थे, उस समय एक नीति तय की गयी थी कि क्रेशर वालों को मिनिमम रेट के लिये प्रतिबन्धित किया जाय, यह आपके नेताओं के ही कहने से किया गया था, लेकिन क्रेशर वालों को सुविधायें देने की बातें भी तय हुई थी, आप पत्रावली को देख लें, उसमें होगा कि क्रेशर वालों को प्रतिबन्धित किया जाय । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसान के गन्ने की पेराई सुनिश्चित होनी चाहिए । गन्ने की पेराई नहीं होगी तो विभाग में बैठे हुये लोगों का फिर क्या उपयोग है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि आप गन्ने की पेराई के लिये क्रेशर वालों का उपयोग करें । एक बात और कहना चाहता हूं, आपको स्पष्ट बता दूं कि चीनी मिल की स्थापना नहीं हो सकती । जब केन्द्र की सरकार में श्री अजित सिंह उद्योग मंत्री थे, तब मुझे एक व्यक्तिगत रूप से अनुभव हुआ कि किस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों की अफसरशाही कुंडली मारे बैठी हुयी है क्योंकि वह चीनी मिल स्थापित करने में हिन्डरेस हैं । उद्योग मंत्री भी यदि चीनी मिल स्थापित करना चाहे, तो उनके भी बूते की बात नहीं है । बड़े-बड़े खलीफा, बड़े-बड़े तिजोरी वाले उद्योगपति किस तरह से वहां पत्रावलियों की उलटफेरी कराते हैं, वहां से फाइल निकल ही नहीं पाती, इसलिये चीनी मिल स्थापित करने की बात कोई कहता भले ही रहे, लेकिन यह इतना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, इसलिये मेरा

आपसे निवेदन है कि आप क्रेशर पद्धति को प्रोत्साहन दें, जो किसान के हित में होगा । मान्यवर, अन्तिम बात कहना चाहता हूं । स्व० रफी अहमद किदवई साहब ने एक फार्मूला बनाया था, "जितने रुपये सेर चीनी, उतने आने मन गन्ना" आप कम से कम इस फार्मूले के आस-पास तो रहें । मेरा कहने का मतलब यह है कि किसानों को न्यायसंगत मूल्य मिले ।

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी, कृपया आप समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इस सदन के पास बहुत कम है, लेकिन आपके पास तो बिल्कुल ही समय नहीं है । मान्यवर, मेरा परामर्श है और निवेदन है कि कम से कम आगरा में एक चीनी मिल अवश्य स्थापित करने की कृपा करें, क्योंकि आगरा के किसान इतने दुखी हैं, उनकी पानी की समस्या है, उनको बिजली की समस्या है, उनके सामने अनेकों समस्यायें हैं, आप एक चीनी मिल अवश्य स्थापित करा दें ।

(उपाध्यक्ष द्वारा सोमांश प्रकाश जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सोमांश प्रकाश–

श्रीमन् मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है । मैं चाहता था कि पहले मंत्री जी अपनी बात रखते । हम लोगों ने सुझाव दिये हैं, उनके बारे में अपने विचार रखते, उसके बाद हम अपनी बात रखते ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले उत्तर आपको देना है । माननीय सदस्यों के विचार आ गये हैं, उत्तर भाषण पहले आपका होगा ।

श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है और माननीय मंत्री जी के समक्ष हमारे सभी साथियों ने कुछ सवाल रखे हैं, मैं उनके अतिरिक्त दो-तीन बातें और प्रस्तुत करना चाहता हूं मैंने बीज निगम के बारे में जो बात कही थी उसमें मेरा सुझाव है कि जो यह चार बीज निगम हैं इनको खत्म नहीं करते हैं तो इनकी एक कन्ट्रोलिंग यूनिट बना दें । अगर चारों की एक कन्ट्रोलिंग बोडी बनेगी तो सही जानकारी हो पायेगी ।

दूसरा जो चीनी मिल के बारे में माननीय राणा जी ने सही कहा लाइसेंस के बारे में माननीय चौधरी अजीत सिंह जब इस देश के उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और उनके रहते 6, 7 चीनी मिलें यहां के लिये मंजूर हुई । इस संबंध में मैंने एक सुझाव रखा है कि माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी आदि की जो हमारे प्रदेश के जाने माने व्यक्ति हैं की एक कमेटी बनायें और उनको लेकर प्रधान मंत्री जी से संपर्क करें । उनको प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी दें कि हमारे प्रदेश की इस क्षेत्र में भयावह स्थिति हो गयी है । अगर 5, 7 साल के अंदर चीनी मिलें नहीं लगी तो गन्ना किसानों की बुरी दशा हो जायेगी ।

खांडसारी यूनिट्स बंद होने के कगार में हैं और कुछ बंद हो गयी हैं एक बात मुझे और कहनी है हालांकि यह केन्द्र का विषय है मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गन्ना का मिनिमम प्राइज क्या हो । गन्ने की मिनिमम प्राइज केन्द्र फिक्स करता है । यह बड़ा दुर्भाग्य है कि गन्ना और चीनी के रेट में

कोई सामंजस्य नहीं है । यह जरूरी है कि इनमें सामंजस्य होना चाहिए जब केन्द्र सरकार दाम फिक्स करती है तो इस पर ध्यान नहीं देती है । तो इस संबंध में केन्द्र सरकार से विशेषतौर पर बात करनी चाहिए इस संबंध में सुझाव दें कि दोनों के रेट में सामंजस्य होना चाहिए । ताकि आपके आर्थिक इकाइयां सही तरीके से चल पायें ।

एक बात की गारंटी माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की पिराई के बारे में हर माननीय सदस्य ने कहा क्योंकि गन्ना अभी बहुत बचा हुआ है । आप निश्चित मानिये कि प्रदेश में गन्ने की भयावह स्थिति है आप गारंटी करें कि जो बेसिक कोटा है, फालतू तो रहना ही है, लेकिन जो बेसिक कोटा है उसकी पिराई अवश्य हो जानी चाहिये । जो चीनी मिलों का सुरक्षित एरिया है उसका पुनर्गठन तुरन्त करवा दें क्योंकि पेराई क्षमता से पुनर्गठन नहीं हो पाया है शुरू सितम्बर अक्टूबर में जो पुनर्गठन हुआ वह ठीक नहीं हो पाया मिल वालों की कैपैसिटी के अनुसार उसे करें । इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करें कि जो गन्ना लेने की प्रणाली तय कर दी गयी है उतना गन्ना निश्चित रूप से मिल वाले लें । सारी चीनी मिलें साथ-साथ बंद होनी चाहिए चाहे वह कारपोरेशन की हो या सहकारी या निजी क्षेत्र की सब एक साथ बंद हों जब तक पूरा गन्ना न पेरा जाय । दो-चार दिन के अंतराल की तो कोई बात नहीं है ऐसा न हो कि कोई मई में बंद हो और कोई जून में । इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा संबंधित मंत्री जी को उत्तर भाषण के लिये पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में उत्तर भाषण कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री हनुमन्त सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे सभी सम्मानित साथियों ने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये हैं । हमारे सोमांश प्रकाश जी एक अच्छे कृषक हैं और जिन्होंने किसानों की समस्याओं को बहुत नजदीक से समझने का प्रयास किया है । मैं आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित साथियों को बताना चाहता हूं और पहले भी कहा है । अभी हमारे माननीय राणा जी ने एक बात कही है कि गन्ना उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है । हमारी भी सोच है कि गन्ना उत्तर प्रदेश के किसानों के आर्थिक ढांचे को सुनिश्चित करता है लेकिन हमारे भाई राणा जी ने जो कहा है उसका आशय यह है कि हर जिलों में चीनी उद्योग लगवाने की बात कह रहे हैं । इस बात से मुझे कोई असहमति नहीं है लेकिन भाई सोमांश प्रकाश जी ने एक बात कही है कि गन्ने के ड्राल के आधार पर चीनी मिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । मान्यवर, पचास नई चीनी मिलों के लगाने की बात केन्द्र सरकार से कही गई है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सोमांश जी को बताना चाहूंगा कि उन चीनी मिलों को प्राथमिकता गन्ने के ड्राल के आधार पर दी गई है । एक दूसरा बहुमूल्य सुझाव उन्होंने दिया है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एक दल की सरकार है तो केन्द्र में दूसरे दल की सरकार है । हमारी सरकार चिंतित है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ना किसानों की जो व्यवहारिक समस्यायें हैं, उन समस्याओं को चीनी उद्योग लगाकर दूर किया जाय । लेकिन मान्यवर, आज केन्द्र में दूसरे दल की सरकार होने के नाते जो उनका एक सुझाव आया है कि सभी दल के लोगों को एक साथ बैठाकर बात की जाय और उनके माध्यम से केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव डाला जाय कि उत्तर प्रदेश के अन्दर अधिक से अधिक संख्या में चीनी उद्योग के लाइसेंस जारी किये जायं ।

मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं और उनका सहयोग भीं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में अगर उनका सहयोग मिलेगा तो इस कार्यक्रम को सफल बनानें में मेरा पूरा प्रयास होगा ।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, एक बात जो कही गई है कि उनके बारे में मैं साधारण रूप से बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्यों ने सही बात को समझने का प्रयास नहीं किया है, उनको जानकारी नहीं है कि जैसा हमारे शाक्य जी ने कहा कि चीनी का मूल्य उत्तर प्रदेश सरकार तय करे । उन्हें शायद यह नहीं मालूम है कि इसका अधिकार केन्द्र सरकार को होता है लेकिन सोमांश प्रकाश जी का कहना है कि केन प्राइस और शुगर प्राइस में सामन्जस्य होना चाहिए । यह मैं भी समझता हूं और चाहता हूं और इसके लिये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके सहयोग से इस सरकार के माध्यम से जो भी अपेक्षा करेंगे उसके लिये मैं तैयार रहूंगा । मान्यवर, मैं एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार की और जो पुरानी सरकारें थीं उनकी सोच में फर्क है । अभी भाई अखिलेश जी ने एक बात कही कि मुलायम सिंह यादव जी ने गन्ने के दाम बढ़ाए उसके कारण गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुई उनका सोच राजनीतिक सोच था । मौजूदा सरकार का यह सोच है कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाता है तो गन्ना किसानों की गन्ने की फसल को अधिक से अधिक चीनी मिल तक पहुंचाया जाए। आपने देखा होगा सोमांश प्रकाश जी एक बात कह रहे थे तो 264 लाख मीट्रिक टन गन्ना पेराई करके इस सरकार ने साबित कर दिया है कि हमने गन्ने का दाम बढ़ाया है तो उस गन्ने का मूल्य अधिक से अधिक किसानों की जेब में जा सके अधिक चीनी का उत्पादन करके । हमने राष्ट्र को भी बहुत बड़ी चीज दी है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है इसमें कोई शक नहीं है कि लाइसेंस चीनी मिलों के लिए जिन लोगों को दिए हैं उन्होंने चीनी मिल नहीं खोली हैं इसके लिये लगातार दबाव डाला जा रहा है लेकिन चीनी मिल नहीं खुली है । फाइनेंशियल वाइविलटी रही है इसके कारण वहां चीनी मिलें नहीं खोली जा रही हैं । भाई सोमांश ने कहा बीज निगम एक सफेद हाथी है लेकिन वह तो बहुत समय से किसानों से जुड़े व्यक्ति हैं । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं बीज निगम फाइनेंशियल इन्सटीट्यूशन है । चार बीज निगम हैं उनके कन्ट्रोल के लिये आपको कुछ करना चाहिए यह कहा गया । गन्ना बीज निगम जहां से फाइनेंश होते हैं मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश गन्ना समिति संघ जो है वह सिक संस्था है इसकी क्या उपयोगिता है क्या नहीं है इन सारी चीजों को कन्ट्रोल करेंगे । इसमें अपने स्तर से अधिकारियों के साथ बैठकर जनहित में जो होगा शासन के हित में होगा उसमें मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनहित में काम किया जायगा । उसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे । मान्यवर, कुछ बातें ऐसी आई हैं सभी सम्मानित सदस्यों ने इस बात को उठाया है कि पर्ची के वितरण के मामले में धांधलेबाजी होती है तो इसमें हमारी योजना है जिस पर हम विचार कर रहे हैं । अधिकांश चीनी मिलों के हम कम्प्यूटर के माध्यम से पर्ची का वितरण करेंगे ।

(मेंजे थपथपाई)

पांच चीनी मिलों में यह व्यवस्था है लेकिन शीघ्रातिशीघ्र 15 चीनी मिलों में यह व्यवस्था की जायगी । मान्यवर, जहां तक गन्ने की मिलों में गन्ने के मूल्य की अदायगी में धांधलीगर्दी का प्रश्न है इसमें व्यवस्था की जा रही है । इसमें विचार हो रहा है कि गन्ना मूल्यों की अदायगी बैंक के माध्यम से कराई जाए ताकि वह लोग जो बेसहारा और कमजोर किसान की पर्चियां लेकर भुगतान करवा लेते हैं उसको रोका जाए ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गन्ना समितियों में गलत सर्वे के आधार पर जो गलत सट्टे बनाये गये थे या गलत पर्चियां दी गयी हैं, आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है, 80 अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में निलंबित किया जा चुका है । 161 तौल लिपिकों के लाइसेंस रद्द किये गये हैं और इसकी लगातार समीक्षा हो रही है । जरूरत पड़ने पर रेवेन्यू विभाग के लोगों को भेज रहे हैं ताकि गन्ना किसानों के शोषण को बचाया जाय और बिचौलियों को खत्म किया जाय । भाई अखिलेश ने कहा कि बलरामपुर में पी० ए० सी० लगी है । मैं बताना चाहता हूं कि असमाजिक तत्वों से निपटने के लिये यह सरकार हर कार्यवाही करेगी । मान्यवर, मैं अधिक समय नहीं लूंगा । जो सुझाव आये थे जो बाडेड गन्ना चीनी मिलों द्वारा उस गन्ने की पेराई को सुनिश्चित किया जायगा यह मैं भाई सोमांश प्रकाश जी को बताना चाहता हूं । गन्ना पूर्ति नीति की घोषणा कर दी गयी है ताकि किसानों को जानकारी रहे कि मेरा कितना गन्ना चीनी मिलों को जायेगा । चीनी मिलों की पेराई शुरू करने के पहले सरकार समीक्षा करने के बाद इस नीति को अंतिम रूप दे देगी । इसी तरह से उन्होंने अनावर्तक तथा आवर्तक मदों की जानकारी चाही है । अनावर्तक मदों में वह धन होता है जिससे चीनी मिलों का विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण होता है और आवर्तक मद वह होती है जिसके माध्यम से विभाग की पे तथा भत्ते मिलते हैं । मैं भाई सोमांश प्रकाश जी जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं जिन पर विचार किया जायगा, उन पर हम और आप बैठकर समाधान कर सकते हैं । लेकिन अगर केवल विरोध के लिये विरोध करना है तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता । केवल एक बात आखिर में कहना चाहता हूं 'जिनके चक्षु पटल धुंधले हों, सूरज उन्हें कहां दिखता है, कभी-कभी नैनों को खोलो कह दो सूरज दिखलाया है' ।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अखिलेश–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह पहली घटना है जब उत्तर प्रदेश में दूसरे दल की सरकार है और केन्द्र में दूसरे दल की सरकार है । मैं कहना चाहता हूं कि 1969 में चौधरी चरण सिंह और त्रिभुवन सिंह की संविद सरकार थी । आपके दल के लोग उस सरकार में सम्मिलित थे ।

श्री हनुमन्त सिंह–

इतिहास में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में जिस दल की सरकार बनी हो वही केन्द्र में न बनी हो ।

श्री अखिलेश–

दूसरा स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठिये ।

श्री अखिलेश–

दूसरा स्पष्टीकरण है मान्यवर, अभी उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने जो गन्ने के दाम बढ़ाए, उसके पीछे राजनीतिक नजरिया था । मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा है कि पिछले वर्ष गन्ना उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं जलाया गया, क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि आज की तिथि में क्या

उनके पास रिकार्ड है कि कितना गन्ना खेत में खड़ा है और जो पेराई क्षमता है, वर्तमान वर्ष में क्या सारे गन्ने की पेराई कर लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

अपना -अपना मत है । आपने अपना मत रखा है, मंत्री जी ने अपना मत रखा है, माननीय सोमांश प्रकाश जी क्या कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से माननीय सोमांश प्रकाश जी ने जो बातें चाही थीं, जिनकी स्पष्ट जानकारी चाही थी, उनके बारे में बता दिया । अब इनके द्वारा कटौती के प्रस्ताव की जरूरत नहीं है ।

श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें कहीं । बहुत से तथ्य रखे हैं । मैंने सुझाव दिये, धन्यवाद देता हूं कि बहुत सी बातों के बारे में विश्वास दिलाया और मुझे विश्वास है कि आप कुछ कार्य जरूर करेंगे, लेकिन इसके बाद भी मेरे बहुत से संशय रह गये हैं, इसलिये कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सोमांश प्रकाश जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं ?

श्री सोमांश प्रकाश–

जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की रोशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,81,28,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,37,85,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 10-4-92 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं..

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आज की कार्य सूची में यदि कोई कार्यक्रम स्थगित किया गया हो तो बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

थोड़ा कार्यक्रम रह गया है, बता देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 10-4-1992 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना माननीय स्वामी नाथ यादव और माननीय विजय पाल सिंह की प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा विभाग को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप शिक्षा विभाग के अर्न्तगत समायोजित किये जाने वाले अधिकारियों को निम्न वेतनक्रम दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया ।

दूसरी सूचना माननीय अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ के अन्तर्गत नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में फ्री बोरिंग स्कीम में कथित रूप से व्याप्त धांधली के संबंध में है । इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया ।

तीसरी सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की माननीय विधायकों एवं उनके परिजनों की जानमाल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में है । इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया ।

चौथी सूचना माननीय मो० रिजवानुल हक की, जनपद मुरादाबाद में ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में हैं । इसकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।

पांचवी सूचना कुंवर अखिलेश सिंह की है । छठी सूचना श्री बृजराज त्रिपाठी की है, सातवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की है, आठवीं सूचना श्री लाखीराम जोशी की है, नवीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की है, दसवीं सूचना श्री गिरधारी लाल की है । इन सूचनाओं के अग्राह्य किया गया ।

देवरिया की छोटी गण्डक, गोरखपुर के फरेन्दा नाला एवं बस्ती की आमी नदी में फैक्ट्रियों द्वारा जहरीला पानी छोड़ने से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

गृहराज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर,

[माननीय विधायक ने गोरखपुर मण्डल के देवरिया, गोरखपुर एवं बस्ती जनपदों में क्रमशः छोटी गण्डक, फरेन्दा नाला एवं आमी नदी में मिलों द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने से इन नदियों में हजारों कुन्तल मछलियां मरने, नदियों का पानी दूषित एवं विषाक्त होने, के फलस्वरूप पशुओं के पीने हेतु अयोग्य तथा भूमि के सिंचाई योग्य न होने के संबंध में उल्लेख किया है । इस संबंध में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जनपद देवरिया में कप्तानगंज शुगर मिल एवं डिस्टलरी, गोरखपुर में सरैया शुगर मिल, डिस्टलरी तथा बस्ती में मेसर्स संजय पेपर मिल खलीलाबाद में स्थापित है । इन उद्योगों का उत्प्रवाह क्रमशः छोटी गण्डक नदी, फरेन्दा नाला एवम् आमी नदी में जाता है । इन उद्योगों में से कप्तानगंज डिस्टलरी में प्रथम चरण का शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है तथा द्वितीय चरण के शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना हेतु स्थापना हेतु कार्य किया जा रहा है । शुगर मिल में पूर्ण शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है परन्तु उत्प्रवाह का निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है ।

2–मेसर्स सरैया शुगर मिल ने पूर्ण शुद्धिकरण व्यवस्था कर रखी है परन्तु उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है । मेसर्स, सरैया डिस्टलरी में प्रथम चरण का शुद्धिकरण संयंत्र निमार्णाधीन है । इसी प्रकार जनपद बस्ती में स्थित मेसर्स संजय पेपर मिल में शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है परन्तु उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप लाने हेतु अपर्याप्त है ।

उद्योगों द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह से प्रश्नगत नदियों एवं नाले में प्रदूषण की समस्या विद्यमान है । जहां तक मछलियों के हजारों कुन्टल मरने का प्रश्न है, इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि प्राप्त सूचना के अनुसार इन नदियों में भारी तादाद में मछलियां नहीं हैं अतः वर्तमान में इनके मरने का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक पशुओं के मरने एवं बीमारी का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना चाहूंगा कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही है । इसकी जांच हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गयी है, जो स्थल निरीक्षण करके जांच आख्या देगी । जांच के परिणामो के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

3–उपरोक्त उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न करने के कारण वर्ष 1991 की जल सहमति निरस्त कर दी गयी । इसके अतिरिक्त जल अधिनियम 1974 के प्राविधानों के अनुसार इन उद्योगों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी सक्षम न्यायालयों में की गई है ।

4–इस संबंध में यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि मैं० कप्तानगंज डिस्टलरी तथा सरैया डिस्टलरी सरदार नगर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या–3727/85-एम० सी० मेहता बनाम

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र दिनांक 31-3-92 तक लगाने हेतु निर्देश दिये हैं। वाद माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 9-4-92 को निश्चित है। मे० सरैया मिल, कप्तानगंज शुगर मिल एवं संजय पेपर मिल का वाद भी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा में विधान सभा सदस्य श्री पवन कुमार पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत नियम-51 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य।

(सदन की सहमति से सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री शिव बहादुर सक्सेना)–

[माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील व निकटवर्ती जनपदों के ग्रामवासियों/नगरवासियों द्वारा सहकारी चीनी मिल के लिये जमा कराये गये अंशधन की ब्याज सहित वापसी नहीं की गई है तथा मिल की स्थापना भी नहीं हुई है।

2–उक्त संदर्भ में यह निवेदन है कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में सहकारी चीनी मिल की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेन्स आई० एल०–166(74) दिनांक 20-7-74 जारी किया गया था। चीनी मिल समिति अकबरपुर ने चीनी मिल स्थापना हेतु 10.23 लाख रुपया अंश पूंजी के रूप में जनवरी, 1978 तक एकत्रित किया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

विवरण	एकत्रित की गई पूंजी (लाख रुपयो में)
1–कृषक उत्पादकों द्वारा	9.36
2–ग्राम सभाओं द्वारा	0.01
3–सहकारी संस्थाओं द्वारा	0.48
4–सहानुभूति सदस्य तथा अन्य	0.38
योग–	10.23

3–सहकारी चीनी मिल अकबरपुर की स्थापना हेतु जारी औद्योगिक लाइसेन्स में दी गई शर्तों के अनुसार चीनी मिल समिति अकबरपुर को रुपया 20.00 लाख अंश पूंजी के रूप में एकत्रित करना अनिवार्य था जिसके विरुद्ध चीनी मिल समिति द्वारा केवल रु० 10.23 लाख अंश पूंजी के रूप में जनवरी, 1978 तक एकत्रित किया जा सका। इस अनिवार्य शर्त को पूरा न करने के कारण भारत सरकार ने उक्त मिल हेतु जारी औद्योगिक लाइसेन्स को मार्च, 1978 में निरस्त कर दिया।

4–उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिल अकबरपुर का औद्योगिक लाइसेन्स निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति में रजिस्ट्रार (गन्ना आयुक्त) ने सहकारी चीनी मिल अकबरपुर के परिसमापन हेतु दिनांक 20 जुलाई, 1979 द्वारा जिला गन्ना अधिकारी फैजाबाद को परिसमापक नियुक्त किया है। उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत अंश पूंजी पर ब्याज देने का कोई प्राविधान नहीं है। गन्ना आयुक्त ने दिनांक 10-8-89 को संबंधित शेयर होल्डरों को उनके द्वारा जमा अंश पूंजी वापस करने का निर्देश दिया है। कुल जमा धनराशि में से अब तक रु० 41,780/- वापस किया जा चुका है। कृषकों द्वारा समुचित प्रमाण प्रस्तुत करने पर जिला गन्ना अधिकारी, फैजाबाद "लिक्वीडेटर" द्वारा धन वापस प्राप्त किया जा सकता है।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना के व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गम्भीर अनियमितताओं से कृषकों को पहुंचने वाली भारी क्षति के संबंध में नियम-51 के अंतर्गत वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (हरिवंश कपूर)–

मान्यवर,

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 51 के अधीन दिनांक 12-3-92 को श्री मारकण्डेय चन्द्र, सदस्य विधान सभा ने जनपद गोरखपुर में निःशुल्क बोरिंग में जनपदीय अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं बरतने से उत्पन्न स्थिति के संबंध मे अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना देकर वक्तव्य की मांग की है ।

मा० विधायक श्री मारकण्डेय चन्द से प्राप्त शिकायत पत्रों के आधार पर संबंधित अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता के विरुद्ध प्राप्त किये गये उक्त अधिकारियों से अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आख्या शासन को प्रस्तुत की गई है । प्रारम्भ में ही यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अभी तक इस मामले में शासन द्वारा अपेक्षित जांच पूर्ण नहीं हुयी है । प्रशिक्षण केन्द्र एवं जल प्रयोग संस्थान, बक्शी का तालाब के निदेशक श्री गोमती सिंह को इस मामले में जांच सौंपी गई है । अभी तक शासन को उपलब्ध कराये गये तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये हैं ।

(1) बोरिंग की टेस्टिंग के लिये निकाले जाने वाली धनराशि का भुगतान कृषकों को नहीं दिया जाता है । अधिशासी अभियंता के अनुसार जिन लोगों से टेस्टिंग/विकास कार्य कराया गया उनको भुगतान किया गया है । इस बिन्दु पर जांच अधिकारी की आख्या प्रतीक्षित हैं ।

(2) जहां तक सूचना के बिन्दु -2 में सामग्री की ढुलाई एवं सेट ढुलाई में आहरित धनराशि को हड़प लिये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में स्थिति यह है कि सामग्री की ढुलाई का भुगतान भी कृषकों को नहीं किया जाता जिस व्यक्ति से ढुलाई कराई जाती है उसको उसका भुगतान किया जाता है । अधिशासी अभियन्ता के अनुसार ढुलाई करने वाले व्यक्तियों को भुगतान किया गया है । इस बिन्दु पर भी जांच अधिकारी की आख्या प्रतीक्षित हैं ।

(3) सूचना के बिन्दु-3 के संबंध में स्थिति यह है कि श्रमिकों को भुगतान कृषकों को उसी दशा में किया जाता है जब कृषक द्वारा श्रमिको की व्यवस्था की गई हो और भुगतान के लिये सामग्री के मूल्य तथा बोरिंग टेक्नीशियनों के वेतन, यात्रा भत्ता तथा आकस्मिक व्ययों के काटने के बाद यदि धनराशि शेष रहे । अधिशासी अभियन्ता के अनुसार इन मामलों में संबंधित कृषकों की उपस्थित में ही श्रमिकों का भुगतान किया गया है । परन्तु इस बिन्दु पर भी जांच आख्या प्रतीक्षित हैं ।

(4) सूचना के बिन्दु-4 पर दी गई सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि प्रत्येक वर्ष विकास खण्डों में बड़ी संख्या में निःशुल्क बोरिंग पूर्ण कराई जा रही है, बोरिंग कार्य पर कार्य विभिन्न तिथियों में हुये हैं, इस पर भुगतान विभिन्न तिथियों में हुये हैं । बड़ी संख्या में बोरिंग कार्य होने के कारण प्रत्येक व्यय की तिथि दे पाना संभव नहीं है । किसी कार्य विशेष में तिथियों की जानकारी चाहने पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(5) सूचना के बिन्दु-5 के संबंध में स्थिति यह है कि शासन के आदेशानुसार सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में अन्य स्थानों के अतिरिक्त धुरियापार विधान सभा क्षेत्र में कार्यों का सत्यापन किया गया है जिसका विवरण संलग्न हैं ।

(6) सूचना के बिन्दु-6 के संबंध में स्थिति यह है कि निजी बोरिंग सेटों का प्रयोग शासन के आदेशानुसार हुआ है परन्तु अधिशासी अभियन्ता के अनुसार ऐसी बोरिंग को शासकीय सेट से किया हुआ दिखाने का उन्होंने कोई आदेश नहीं दिये हैं । उनके अनुसार समस्त कार्य नियमानुसार और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुये किये गये है परन्तु इस विषय में जांच अधिकारी की जांच आख्या की प्रतीक्षा हैं ।

(7) बिन्दु–7 के संबंध में स्थिति यह है कि बोरिंग के मद से 500 रु० की धनराशि टेक्नीशियनों के वेतन/सेट के डेप्रीसियेशन के रूप में शासन के राजस्व खाते में शासन के आदेशानुसार हीं किया जा रहा है । ऐसा करने में किसी अधिकारी की बदनियती का प्रश्न नहीं उठता । नियमों की व्यवस्था पूर्व प्रशासन के समय से ही चली आ रही है ।

जहां तक मा० विधायक की उपस्थिति में जांच का प्रश्न है, जांच अधिकारी एक बार उनकी उपस्थिति में जांच कर चुके हैं परन्तु मौके पर जनप्रतिनिधियों के आपसी विवाद के कारण जांच पूर्ण नहीं हो सकी । अतः जांच अधिकारी को स्वतंत्र रूप से जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है ।]

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

निशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 एवं 1991-92में धुरिया विधान सभा क्षेत्र में लाभार्थियों की सूची

क्रमांक	कृषक का नाम	पिता का नाम	पता ग्राम	सीम	सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापन की तिथि	अधिशासी अभियन्ता द्वारा सत्यापन की तिथि
1	2	3	4		6	7
1	सर्व श्री उदयभान	श्री हरगुन	जैती		30-7-91	
2	,, चन्द्रभान	श्री हरगैन	जैती	,,	30-7-91	
3	,, राम अशिश	श्री स्वामी	जैती	,,	30-7-91	
4	,, विपत	श्री छिराई	चपाईराम	,,	16-4-91	
5	,, कामता	श्री रामलाल	वेलशाडर	,,	16-4-91	
6	,, पुजारी	श्री रामकवल	,,	,,	,,	
7	,, कतवारू	श्री मथुरा	गिरईबुजर्ग	,,	,,	
8	,, राम लाट	श्री परमेश्वर	पचोही	,,	,,	
9	,, तौफीक	श्री –	गिरईबुजर्ग	,,	,,	
10	,, झारखण्डी	श्री बब्बन	कुसौली	,,	,,	
11	,, बाबे	श्री बब्बन	कुसौली	,,	,,	
12	,, मातादीन	श्री बरदावन	भरवलिया	,,	,,	
13	,, हीरा लाल	श्री रामशब्द	भरवलिया	,,	,,	
14	,, बिन्देश्वरी	श्री रामकिशुन	,,	,,	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1		2	3	4	5	6	7
15	,,	कान्त	श्री माधव	,,	,,	,,	
16	,,	खैरुल्ला	डोरावत	,,	,,,	,,	
17	,,	कामता	श्री गोकुल	जैती	,,	,,	15-11-90
18	,,	ओरी	श्री बिन्देश्वरी	ढबिया	,,	--	15-11-90
19	,,	कल्लू	श्री बिन्देश्वरी	,,	,,	—	15-11-90
20	,,	असगर अली	श्री सुभाष	शाहपुर	,,		
				उफजिगिनिया	,,	—	29-1-91
21	,,	श्रीपत	श्री घिराऊ	चेचाईराम	,,	—	,,
22	,,	तौफीक	श्री अजीबुल्ला	बेरईखुर्द	,,	—	,,
23	,,	कमल यादव	श्री राम लाल	बेलासपुर	,,	—	,,
24	,,	कतबारू	श्री मथुरा	बेरईजुर्ग	,,	—	,,
25	,,	राम कृपाल तिवारी	श्री लक्ष्मीनारायन	,,	,,	—	,,
26	,,	राम लाट	श्री परमेश्वर	कचोहा	,,	—	,,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बोरिंग में बहुत पैसा लगता है, हमारे यहां पर एक बोरिंग में लाख डेढ़ लाख रुपया लग जाता है और उस पर 30 हजार रुपये की छूट दी जाती है । यह छूट बहुत ही कम है । इसको 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपया कर दिया जाना चाहिये, इससे सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।

श्री हरवंश कपूर–

माननीय सदस्य ने जो विचार रखे हैं, उन पर विचार कर लिया जायेगा ।

जनपद आजमगढ़ के परगना अतरौलिया के अंतर्गत गोहनारपुर पंचायत अदालत में छः ग्राम सभाओं में दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त किये जाने के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री–(श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर,

[जनपद आजमगढ़ के परगना अतरौलिया के अन्तर्गत गोहनारपुर अदालत पंचायत के ग्राम लाडलापुर, बहिगवां, जोगीपुर बहिगवा, फूलपुर, सरेया, अरमा, गोहनारपुर, रामपुर, (वाहरपुर), चक गुलहरा, लखनीपट्टी, जगदीशपुर, वाहरपुर तथा हरपुर वर्ष 1932 में जनपद आजमगढ़ से जनपद फैजाबाद में स्थानान्तरित किये गये थे । उपरोक्त ग्रामों को थाना–जहांगीरगंज जनपद फैजाबाद के कार्यक्षेत्र में रखा गया । इन ग्रामों की राजस्व एवं माल विभाग से संबंधित व्यवस्था जनपद आजमगढ़ में सम्पादित की जाती हैं तथा शान्ति व्यवस्था एवं फौजदारी संबंधी मामले जनपद फैजाबाद की पुलिस द्वारा देखे जाते हैं । उक्त ग्रामों को जनपद फैजाबाद के थाना–जहांगीरगंज व आलापुर (इन्दईपुर) के कार्यक्षेत्र से निकाल कर जनपद आजमगढ़ के थाना अतरौलिया के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । जनपद स्तर तथा उ० प्र० पुलिस मुख्यालय से वांछित प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर परीक्षणोपरान्त विहित कार्यवाही करके एतद्विषयक अधिसूचना शीघ्र ही निर्गत कर दी जायेगी ।]

प्रदेश में आलू उत्पादकों के आलू के उचित भण्डारण न होने से उत्पन्न स्थित के संबंध में चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

इसको स्थगित किया गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल अकबरपुर फैजाबाद की गैरगकानूनी तालबान्दी समाप्त न किये जाने संबधी सूचना पर निर्धारित चर्चा, व्यपगत

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री मोहम्मद आजम खां उपस्थित नहीं है, इसलिये चर्चा व्यपगत हुई ।

अब हम उठते हैं 20 अप्रैल, को 11 बजे प्रातः पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 17 मिनट पर सोमवार 20 अप्रैल, 1992 अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊः
10 अप्रैल, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

परिशिष्ट "क"

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के लिये चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री रामदेव आचार्य का अतारांकित प्रश्न संख्या–90 के उत्तर से संबंधित शिकायती प्रार्थना-पत्रों की सूची

क्रमांक	शिकायतकर्ता का का नाम	अध्यक्ष/टा० ए० अथवा न० पा० जिसके विरुद्ध शिकायत है।	शिकायती प्रार्थना-पत्र का दि०	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1	शासन के पत्र सं०–1307/11-6-90-2 कम्प/89, दिनांक 31-3-90 के माध्यम से प्राप्त सदस्यगण न० पा०, रुदौली का प्रार्थना-पत्र तथा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र०, लखनऊ के पत्र सं०–6/14-शा०/34-शि/89, दि० 9-4-90 के माध्यम से प्राप्त श्री अब्दुल हसीब का प्रार्थना-पत्र।	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष न० पा०, रूदौली	6-2-90 तथा 20-7-90	दोनों प्रार्थना-पत्रों में वर्णित शिकायतें एक ही प्रकार की होने के कारण एक साथ उनकी जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व द्वारा की गयी। जांच आख्या दि० 9-7-90 से आरोप सिद्ध पाये गये। पालिका के अध्यक्ष ने त्याग-पत्र दे दिया, जो दि० 27-8-90 को स्वीकृत हुआ तथा अधिकारों के अतिक्रमण व दुरुपयोग के कारण शासन की अधिसूचना सं० 5528/11-6-91-3-(99)/90, दि० 25-10-91 के द्वारा नगर-पालिका बोर्ड को अवक्रमित कर दिया गया। निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच लोक निर्माण विभाग कर रहा है।
2	श्री सुन्दर लाल दीक्षित, विधायक, हैदरगढ़ का प्रार्थना-पत्र।	अध्यक्ष टा० ए० हैदरगढ़	19-7-90	प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय द्वारा आरोपों की जांच की गई। सभी आरोप निराधार पाये गये। शासन को पत्र संख्या–मेमो/एल० बी० सी०-1, दि० 6-8-90 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।
3	श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, विधायक, नवाबगंज।	अध्यक्ष, टा० ए० बंकी।	31-7-90	परगनाधिकारी, नवाबगंज को को जांच सौंपी गयी है।
4	श्री राम नाथ मौर्य, कार्यकर्ता, भा० ज० पा०।	अध्यक्ष, टा० ए० बंकी।	28-8-90	परगनाधिकारी, नवाबगंज को जांच सौंपी गयी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उन शिकायतों की सूची जो वर्ष 1991 में (31-3-91) के उपरान्तर प्राप्त हुई ।

क्रमांक	शिकायतकर्ता का का नाम	अध्यक्ष/टा० ए० अथवा न० पा० जिसके विरुद्ध शिकायत है ।	शिकायती प्रार्थना-पत्र का दि०	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही	विवरण
1	2	3	4	5	
1	सदस्यगण, टा० ए० दरियाबाद ।	अध्यक्ष, टा० ए० दरियाबाद'	7-6-91	परगना मजिस्ट्रेट, रामसनेही घाट द्वारा जांच की जा रही है।	
2	श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी, सांसद संसदीय क्षेत्र, कैसरगंज ।	अध्यक्ष, टा० ए० टिकैतनगर	7-8-91	परगना मजिस्ट्रेट, रामसनेही घाट द्वारा जांच की जा रही है।	
3	श्री शंकर लाल जायसवाल आदि	अध्यक्ष टा० ए० जैदपुर	दिनांक रहित	परगना मजिस्ट्रेट नवाबगंज द्वारा जांच की जा रही है ।	
4	श्री कालिका प्रसाद आदि सदस्यगण, टा० ए० हैदरगढ़ ।	अध्यक्ष, टा० ए० हैदरगढ़	दिनांक रहित	परगना मजिस्ट्रेट, नवाबगंज द्वारा जांच की जा रही है ।	
5	श्री अलीमुद्दीन सदस्य टा० ए० सतरिख	अध्यक्ष टा० ए० सतरिख	17-9-91	परगना मजिस्ट्रेट, नवाबगंज द्वारा जांच की जा रही है ।	
6	श्री केदार बख्श सिंह, जिला मंत्री, भाजपा	अध्यक्ष, टा० ए० बंकी	18-9-91	परगना मजिस्ट्रेट, नवाबगंज द्वारा जांच की जा रही है ।	
7	प्रार्थीजन टा० ए० सिद्धौर ।	अध्यक्ष, टा० ए० टिकैतनगर	दिनांक रहित	परगना मजिस्ट्रेट, हैदरगढ़ द्वारा जांच की जा रही है ।	
8	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	अध्यक्ष, टा० ए० टिकैतनगर	20-11-91	परगना मजिस्ट्रेट रामसनेही घाट द्वारा जांच की जा रही है ।	
9	श्री कालिका प्रसाद शर्मा आदि सदस्य टा० ए० हैदरगढ़	अध्यक्ष, टा० ए० हैदरगढ़	दिनांक रहित	परगना मजिस्ट्रेट, नवाबगंज द्वारा जांच की जा रही है ।	
10	श्री कृष्ण बिहारी मिश्र, पूर्व मंत्री भाजपा	अध्यक्ष, न० पा० नवाबगंज	31-8-90	अधिशासी अधिकारी से विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया ।	
11	श्री इमराज रिजवी, सदस्य, नगरपालिका नवाबगंज श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता श्री सुरेश चन्द्र वर्मा	अध्यक्ष, न० पा० नवाबगंज	11-9-91 12-9-93 25-9-93	तीनों प्रार्थना-पत्रों द्वारा प्राप्त शिकायत एक ही प्रकार की थी । नगरपालिका बोर्ड नवाबगंज की बैठक दिं० 31-8-91 के प्रस्ताव संख्या 15 (ग) जो शासनादेश के विपरीत थी, के क्रियान्वयन पर दि० 14-11-91 को आदेश करके प्रतिबन्ध लगा कर शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।	

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 103 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71-72 पर)

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–103 के उत्तर का संलग्नक (चायल निर्वाचन क्षेत्र)

क्रमांक	विद्यालय का नाम	मान्यता का वर्ष
1	विश्वनाथ विद्यालय मुंडेरा, इलाहाबाद।	10-7-73
2	महर्षि दयानन्द बालिका जू० हाईस्कूल, मनौरी	30-3-82
3	द्विवेदी महादेव प्रसाद पूर्व मा० वि० यज्ञस्थल महिला, इलाहाबाद।	26-3-83
4	जनता जू० हा० स्कूल फरीदपुर, इलाहाबाद	22-3-83
5	श्री सुभाष चन्द्र बोस जू० हा० स्कूल, कछगांव	26-3-83
6	जनता जू० हा० स्कूल बरौठा काटेहरा	9-5-83
7	पाखण्ड जू० हा० स्कूल सुरसेनी सिन्हापुर	15-8-85
8	हलधर जू० हा० स्कूल मसूबा इलाहाबाद (हाईस्कूल)	16-9-85
9	किसान जू० हा० स्कूल विगहरा उस्मानपुर इलाहाबाद	27-6-86
10	बी० पी० आर० जू० हा० स्कूल मच्छूपुर चायल	26-6-86
11	इस्लामियां जू० हा० पुर लाल नेवादा	28-6-86
12	गया प्रसाद केसरवानी मेमोरियल जू० हा० शेरगढ़	30-4-88
13	संजय मालवीया बा० जू० हा० स्कूल गांजा चायल	25-5-88
14	मनौरी शिशु शिक्षा मंदिर जू० हा० स्कूल मनौरी	30-6-88
15	श्री कल्याण सिंह जू० हा० स्कूल, चायल	10-9-88
16	जनता जू० हा० रामपुर रक्तवारा सरायकिला	13-9-88
17	कलाशी देवी कन्या जू० हा० सराय अकिल इलाहाबाद	16-9-88
18	भारत भारती जू० हा० स्कूल नेवादा	16-9-88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 1991-92 में निर्गत किये गये थोक लाइसेंसों की सूची

क्र० सं०	लाइसेन्स धारी का नाम	फर्म का नाम	पता
1	विसरा कुमार गुप्ता	जगदम्बा मेडीकल एजेन्सी	महादेव मार्किट, बांदा ।
2	श्री राजेश कुमार	मेसर्स शिवम् मेडीकल स्टोर	जिला चिकित्सालय के पास, बांदा ।
3	श्री नीलेन्द्र कुमार मसुराहा	मेसर्स मसराहा बीज भण्डार बैटरी एवं मेडीसिन	स्टेशन रोड, बांदा ।
4	श्री उदय शंकर	मेसर्स न्यू बांदा केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट	नया बाजार, बांदा ।
5	श्री राधेश्याम जडिया	मेसर्स श्याम मेडीकल एजेन्सीज	कैंथी बाजार, बांदा।
6	श्रीमती सुमन सिंह	मेसर्स सुमन मेडीकल स्टोर	सिविल लाइन्स, बांदा।
7	श्री सन्त राम गुप्ता	गुप्ता मेडीकल स्टोर	माहेश्वरी देवी के पास बांदा।
8	श्री अशोक कुमार	मेसर्स अशोक मेडीकल स्टोर	मिशन रोड बांदा ।
9	श्री अजय कुमार	मेसर्स अजय मेडीकल स्टोर	रोड, कर्वी, बांदा ।
10	श्री राजेश कुमार गौतम	मेसर्स गौतम मेडीकल स्टोर	बांदा रोड कमासिन, बांदा ।
11	श्री अतुल कुमार	मेसर्स अतुल मेडीकल स्टोर	अतर्रा, बांदा ।
12	श्री हरीशंकर गुप्ता	मेसर्स हरीशंकर गुप्ता मेडीकल एजेन्सीज	बिसण्डा, बांदा ।

जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 1991-92 में निर्गत किये गये फुटकर लाइसेन्सों की सूची

क्र० सं०	लाइसेन्स धारी का नाम	फर्म का नाम	पता
1	श्री रावेन्द्र सिंह,	मेसर्स सुर्ती मेडीकल स्टोर	चिल्ला रोड, बांदा ।
2	श्री श्याम लाल साहू (पेटेंट लाई०)	मेसर्स साहू मेडीकल स्टोर	बंगालीपुरा, बांदा ।
3	श्री सत्य किरन अग्रवाल	किरन मेडीकल एण्ड जनरल स्टोर, चिल्ला रोड, बांदा ।	चिल्ला रोड, जिला अस्पताल के पास, बांदा ।
4	श्री अनिल चतुर्वेदी	मेसर्स चतुर्वेदी मेडीकल स्टोर, बांदा	जिला चिकित्सालय, बांदा ।
5	श्री दिनेश चन्द्र शुक्ला	ताला मेडीकल स्टोर	लामा बिल्डिंग, बांदा ।
6	श्री भरत कुमार	भरत मेडीकल स्टोर स्टेशन रोड, बांदा	स्टेशन रोड, बांदा ।
7	श्री रामनारायन	मेसर्स राम नारायन मेडीकल स्टोर	जिला अस्पताल के पास, बांदा ।
8	राजेश सिंह	मेसर्स शिवम् मेडीकल स्टोर, बांदा	जिला अस्पताल बांदा के पास,

9	श्री कृष्ण राम कृष्ण	मेसर्स श्री कृष्ण राम कृष्ण मेडीकल स्टोर,	चौक बाजार, बांदा ।
10	अजय कुमार	मैसर्स अजय मेडीकल स्टोर	स्टेशन रोड, बांदा ।
11	श्री सूरज प्रसाद	मैसर्स सूरज मेडीकल स्टोर	स्टेशन रोड नया बाजार कर्वी, बांदा ।
12	सुरेश कुमार द्विवेदी	मैसर्स द्विवेदी मेडीकल स्टोर	तिन्दवारी, बांदा ।
13	श्री कृष्ण कुमार पहारिया	मैसर्स भूरे लाल पहारिया मेडीकल स्टोर	कर्वी बांदा ।

विधान सभा प्रदेश गजट

पी० एस० यू० पी०–एल० 180 विधान सभा (285)–1993–572 डी० टी० पी० ।